




सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय  
Ministry of Law and Justice



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय  
Ministry of Law and Justice

वार्षिक रिपोर्ट  
ANNUAL REPORT  
2017-18

## विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और विधि एवं न्याय मंत्रालय का संगठन	(i-ii)
2.	अध्याय – 1	विधि कार्य विभाग	1-48
3.	अध्याय – 2	विधायी विभाग	49-104
4.	अध्याय – 3	न्याय विभाग	105-139
5.	उपाबंध – I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	140
6.	उपाबंध – II, III & IV	विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	141-143
7.	उपाबंध – V	आई.टी.ए.टी. में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या	144
8.	उपाबंध – VI	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	145-148
9.	उपाबंध – VII	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	149
10.	उपाबंध – VIII	स्वच्छ भारत अभियान	150
11.	उपाबंध – IX	भारतीय योग दिवस का आयोजन	151-152
12.	उपाबंध – X	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	153
13.	उपाबंध – XI	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	154
14.	उपाबंध – XII	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	155
15.	उपाबंध – XIII	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	156



### प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात् गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

### मंत्रालय का संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग सम्मिलित हैं। जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्याय (अध्याय-111) में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

### मिशन

#### सरकार को दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना:

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करना। विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर-मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ़ व्यावसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करें। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुकदमों की भारी तादाद (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

### उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह/राय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई-शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

### अध्याय-1

#### विधि कार्य विभाग

#### 1. कृत्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य— मदों का आबंटन किया गया है :-

1. विधिक मामलों में मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण-लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना।
2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है।
3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना।
4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण-पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध।
5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और संपत्ति के हस्तांतरण-पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए वादों में वाद – पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना।
6. भारतीय विधि सेवा।
7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना।
8. विधि आयोग।
9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।
10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।

11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन।

12. आयकर अपीलीय अधिकरण।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है:-

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001;

1.2. यह विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात् भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटर्स की नियुक्तियों से भी संबद्ध है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है।

## 2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय। कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है— सलाह कार्य और मुकदमा कार्य। विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट उपाबंध-1 में दिया गया है।

### मुख्य सचिवालय:

- (i) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण-लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में विभाजित किया गया है। साधारणतः प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।
- (ii) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा-कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय संयुक्त सचिव रैंक के एक आई.आर.पी.एस.अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए तीन अपर सरकारी अधिवक्ता, दो उप सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक सरकारी अधिवक्ता, एक अनुभाग अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं।
- (iii) दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं।

- (iv) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक सहायक विधि सलाहकार हैं।
- (v) विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात् कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है। यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है। इस प्रकोष्ठ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है।
- (vi) संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक-एक पद क्रमशः रेलवे बोर्ड और दूर-संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं। वर्तमान में, एक उप विधि सलाहकार रेलवे बोर्ड में कार्य कर रहे हैं। संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक पद लोक उद्यम विभाग के लिए भी स्वीकृत है और पदधारी उक्त विभाग में माध्यस्थम् के स्थायी तंत्र की स्कीम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, एस0एफ0आई0ओ0, एन0टी0आर0ओ0 और केंद्रीय जांच ब्यूरो में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं।

### भारतीय विधि सेवा का सृजन

समाज के विकास के साथ-साथ विधि व्यवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है। समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार की आवश्यकताओं को गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा (वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्याय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया। ये नियम दिनांक 1 अक्टूबर, 1957 से लागू हुए हैं। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राज्यों को राज्यपाल, संसद के दोनों सदनों को महासचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश और विभिन्न अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को कई न्यायिक अधिकारी दिए हैं।

### भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारत सरकार का प्रधान विधिक अंग होने के नाते भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है। डिजिटल क्रांति ने सूचना की साझेदारी की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है और अर्थव्यवस्था में संपदा के सृजन के नए क्षेत्रों को उत्पन्न किया है। इससे यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय विधि सेवा के अधिकारी बढ़ती विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने विधिक कौशल को अद्यतन करें। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।



### सलाह 'क' अनुभाग

सलाह "क" अनुभाग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 3760 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

2. विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।
3. सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों के सूचना का अधिकार आवेदनों से संबंधित 53 मामलों पर भी कार्रवाई की गई।
4. हस्तांतरण-लेखन से संबंधित 166 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई। इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे।
5. उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 88 नोट और 95 निर्देश भी जांच के लिए प्राप्त हुए।

### सलाह 'ख' अनुभाग

सलाह 'ख' अनुभाग को वर्ष 2017 के दौरान, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 3896 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई राय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने 195 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।
3. विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।
4. उपर्युक्त अवधि के दौरान, विधिक तथा संवैधानिक दृष्टि से समीक्षा किए जाने के लिए 161 मंत्रिमंडल-नोट/विधायी प्रस्ताव, एस.एल.पी./एजी/एसजी/एसजी की राय से संबंधित 1173 मामले प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित संसद-प्रश्नों और आश्वासनों से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

### सलाह 'ग' अनुभाग

वर्ष 2017 में, विभिन्न विषयों पर भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटर्स की राय प्राप्त करने के लिए 28 नए मामले भेजे गए। सभी मामलों पर राय प्राप्त कर ली गई और उसे विधि सचिव और माननीय विधि और न्याय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को अग्रेषित कर दिया गया।

2. इस अनुभाग ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों को सामान्य और सचिवीय सहायता प्रदान की और विभिन्न विषयों पर 533 मामलों की नजीरों को दूढ़ने में उनकी सहायता की है।

### केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह अनुभाग केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से सभी विशेष अनुमति याचिकाएं, उन्हें फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं। इस समय इस कार्यालय का कार्य एक संयुक्त सचिव देखते हैं; जिन्हें कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनकी सहायता के लिए 8 सरकारी अधिवक्ता और अन्य राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित कर्मचारी हैं। विधि अधिकारियों की सहायता के लिए 584 सरकारी पैनल काउंसेल भी हैं।

2. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य निम्नलिखित से संबंधित हैं:—
  - भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से महान्यायवादी, महासालिसिटर और अपर महासालिसिटर्स की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त निर्देश।
  - विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों /पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
  - भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण।
  - रिकार्ड का पर्यवेक्षण, विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों, कंप्यूटर टाइपिस्टों और फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटरों के फीस बिलों का भुगतान करना।
3. वर्तमान में, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के चार सरकारी अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के अभिलेख-अधिवक्ता हैं। एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिवक्ता को, जो अभिलेख-अधिवक्ता हैं, परामर्शदाता के तौर पर नियोजित किया गया है। ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं।

- केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 2017 के दौरान, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 4199 नए मामले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों से 327 नए मामले प्राप्त हुए। अधिकतर मुकदमे वित्त मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, रेलवे, रक्षा, केंद्रीय जांच ब्यूरो आदि से संबंधित हैं।

### दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा – कार्य

भारत सरकार के रेल और आय-कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। मुकदमा कार्य की देखरेख एक भारसाधक अधिकारी द्वारा अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारियों की सहायता से की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

- (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबद्ध होते हैं:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, विविध सिविल आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक आवेदन।

- (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:—

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, एन0सी0एल0टी0, एन0सी0एल0ए0टी0, अवैध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि।

2. मुकदमा कार्य दो अनुभागों – मुकदमा (उ0न्या0) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं और मूल/पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1(ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

3. केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा-सालिसिटर, सत्ताईस स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसिल, ज्येष्ठ काउंसिलों और सरकारी प्लीडरों के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा-सालिसिटर/भारत के अपर महा-सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और काउंसिलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की प्रगति के प्रत्येक प्रक्रम पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

4. वित्त वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इस एकक को 5 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विधि अधिकारियों और सरकारी काउंसलों के वृत्तिक फीस के लगभग 6500 बिल संदाय के लिए प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2018 तक 2500 फीस बिल और प्राप्त होने की संभावना है। दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 तक, 4.73 करोड़ रुपये के लगभग 4800 फीस बिल निपटाए गए हैं और संबंधित विधि अधिकारियों और काउंसलों को उनका भुगतान किया गया है।
5. दिनांक 1.4.2017 से 11.12.2017 की अवधि के दौरान, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 4436 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति और सरकारी काउंसलों के नियोजन का अनुभागवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

**मुकदमा उच्च न्यायालय अनुभाग**

अनुभाग	1.4.2017 से 11.12.2017 तक प्राप्त मामलों की संख्या	12.12.2017 से 31.3.2018 तक प्रत्याशित मामले	योग
ए	4015	1500	5515
बी	421	120	541
<b>कुल</b>	<b>4436</b>	<b>1620</b>	<b>6056</b>

**केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा –कार्य**

6. मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों / मुकदमों की देखरेख करता है और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), नई दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसल नामनिर्दिष्ट करता है।
7. दिनांक 1.4.2017 से 11.12.2017 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 1413 मामलों में सरकारी काउंसल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

**केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा-कार्य**

अनुभाग	1.4.2017 से 11.12.2017 तक प्राप्त मामले	12.12.2017 से 31.3.2018 तक प्रत्याशित मामले	योग
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	1413	650	2063

### मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

दिल्ली/ नई दिल्ली में रेल और आय-कर विभाग को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल इस अनुभाग के प्रभारी सहायक विधि सलाहकार द्वारा अधीक्षक (विधि) (इस समय यह पद रिक्त है) / सहायक (विधि) की सहायता से की जाती है।

2. यहां अपर स्थायी सरकारी काउंसिलों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें से मुकदमा लड़ने के लिए काउंसिलों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है। संबद्ध मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर मामले में न्यायालय में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसिल नियोजित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 618 मामलों में काउंसिल नियोजित किए। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों/काउंसिलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। दिनांक 22.12.2017 को जिला न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता फोरमों में कुल 8549 मामले लंबित थे।
3. काउंसिलों से प्राप्त फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान काउंसिलों के वृत्तिक फीस के 510 बिल प्राप्त हुए और इस मद में रुपये 61,62,710/- का भुगतान किया गया।
4. न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों / अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा0सू0के0) द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।
5. इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी सहायक विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है।

### न्यायिक अनुभाग

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विधि अधिकारियों/पैनल काउंसिलों के माध्यम से केन्द्र सरकार के मुकदमों का संचालन :-

(क) उक्त अवधि के दौरान भारत के दस (10) नए सहायक महासालिसिटर विभिन्न उच्च न्यायालयों/ उच्च न्यायालयों के पीठों में नियोजित किए गए हैं। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय में 34 नए पैनल काउंसिल (21 समूह 'क'; 7 समूह 'ख' और 6 समूह 'ग') नियुक्त किए गए। उसी अवधि के दौरान राज्यों में विभिन्न न्यायालयों में निम्नलिखित काउंसिल नियोजित किए गए हैं :-

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजित किए गए पैनल काउंसिलों की संख्या
1.	बिहार	66
2.	दिल्ली	17
3.	हिमाचल प्रदेश	02
4.	जम्मू और कश्मीर	02
5.	केरल	01
6.	ओडीशा	02
7.	पंजाब व हरियाणा	11
8.	राजस्थान	37
9.	तमिलनाडु	01
10.	त्रिपुरा	39
11.	उत्तराखंड	01
12.	उत्तर प्रदेश	70
13.	प० बंगाल	74
14.	महाराष्ट्र	04
15.	तेलंगाना	01
	कुल	328

### अधिकरणों का विलय:

वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए संबंधित विधियों में संशोधन करके 15 अधिकरणों, अपील अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों का विलय करके उनकी संख्या 7 कर दी गई है। वित्त अधिनियम, 2017 में 7 विलयित अधिकरणों/ अपील अधिकरणों सहित 19 अधिकरणों और अपील अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्षों, सदस्यों आदि की एकसमान सेवा-शर्तों के भी उपबंध किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का०आ० 1696(अ०) के तहत दिनांक 26.05.2017 से वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय-VI के भाग XIV के उपबंधों को, जो अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के विलय तथा उनके अध्यक्ष, सदस्यों आदि की सेवा-शर्तों से संबंधित हैं, लागू किया गया है। वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के अधीन, एक समान सेवा-शर्तें उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.06.2017 की

अधिसूचना सा0का0नि0 514(अ.) के तहत अधिकरण, अपील अधिकरण तथा अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य सेवा-शर्तें) नियम, 2017 अधिसूचित किए गए हैं।

ऐसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थों और माध्यस्थम पैनल काउंसिलों की नियुक्ति/नामांकन करना, जिनमें एक पक्ष सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और दूसरा पक्ष सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/ निजी पक्षकार होता है :

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों इत्यादि से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई और मध्यस्थ/माध्यस्थम पैनल काउंसिल नियुक्त किए गए। उक्त अवधि के दौरान 16 (सोलह) माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थ नियुक्त किए गए और प्राप्त हुए 72 (बहत्तर) मामलों में माध्यस्थम पैनल काउंसिल नियुक्त किए गए।

**सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधियां/करार करना**

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विदेशों के साथ पारस्परिक करार करने के लिए नोडल मंत्रालय है। इस संबंध में ओमान के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

समनों की तामील इत्यादि के संबंध में द्विपक्षीय संधियों (पारस्परिक विधिक सहायता संधियों/पारस्परिक प्रबंधों) और बहुपक्षीय संधियों (1965/1971 का हेग कन्वेंशन) से उद्भूत होने वाले अनुरोधों की जांच और उन पर कार्रवाई करना:—

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग हेग कन्वेंशन,1965 के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायिकेतर दस्तावेजों की विदेशों में तामील के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण है। उक्त समयावधि के दौरान इस दायित्व के अधीन, 1700 अनुरोधों पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई और लगभग 800 अनुरोधों को विभिन्न कारणों/ कमियों के कारण लौटा दिया गया।

**सूचना का अधिकार संबंधी कार्य**

उक्त अवधि के दौरान, डाक से प्राप्त हुए कुल 92 सूचना के अधिकार आवेदनों/अपीलों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान 132 सूचना के अधिकार आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिनमें से 100 आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

उपर्युक्त कार्य के अलावा, राष्ट्रीय वाद नीति पर भी कार्य चल रहा है।

**नोटरी सेल**

नोटरी सेल नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 का प्रशासन करता है। नोटरी सेल देश में नोटरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांच/संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किए गए वृत्तिक और अन्य अवचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल नोटरी से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, उपयुक्त मामलों में, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है।

जनवरी 2017 से दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान 224 अधिवक्ताओं / आवेदकों को नोटरी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक देश के विभिन्न भागों में 13502 नोटरी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान नोटरियों के 2249 प्रमाण-पत्रों का नवीकरण भी किया गया है।

### कार्यान्वयन प्रकोष्ठ

विधि आयोग की रिपोर्टें – प्रकाशन :- कार्यान्वयन सेल विधि आयोग की रिपोर्टों पर कार्रवाई करने, उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करने और रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित करने तथा उन पर त्वरित कार्रवाई करवाने के लिए जिम्मेदार है। 20वें विधि आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार आयोग अपनी रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्रतियों में प्रस्तुत करता है। जैसे ही रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है, आयोग अपनी रिपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से या अन्यथा भी उपलब्ध कराता है इसलिए विधि आयोग की रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की जाती हैं। दिनांक 31.12.2017 तक भारत के विधि आयोग ने कुल 273 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें से 270 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी हैं। शेष रिपोर्टें उचित समय में संसद में रखी जाएंगी। दिनांक 31.12.2017 तक प्राप्त सभी रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन अथवा उनकी ओर से अगली कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधित स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, कार्यान्वयन प्रकोष्ठ वर्ष 2005 से संसद के दोनों सदनों के समक्ष विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण रखता आ रहा है। वर्ष 2017 का विवरण (13वां विवरण) संसद के दोनों सदनों के पटल पर दिनांक 03.01.2018 को लोक सभा में और दिनांक 05.01.2018 को राज्य सभा में रखा गया है।

**विधिक शिक्षा:** यह प्रकोष्ठ विधि शिक्षा में सुधार के लिए उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से भी संबंधित है:-

**अधिवक्ता अधिनियम, 1961 :-** अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (“अधिनियम”) विधि व्यवसायियों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने तथा राज्य स्तर पर बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार के गठन की व्यवस्था के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अपनी धारा 29 के तहत केवल एक श्रेणी के व्यक्तियों की पहचान करता है जो भारत में विधि व्यवसाय करने के हकदार हैं अर्थात् “अधिवक्ता”। अधिनियम की धारा 30 को, जो प्रवृत्त नहीं थी, दिनांक 09.06.2011 की अधिसूचना का.आ. 1349(अ०) के तहत दिनांक 15 जून, 2011 से लागू किया गया है।

### अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001:-

कनिष्ठ वकीलों के लिए वित्तीय सहायता और निर्धन अथवा विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सदैव विधिक बिरादरी का विचार का विषय रहा है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान अधिनियमित किए हैं। संसद ने उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए, जिनके पास उक्त विषय में अपनी अधिनियमितियां नहीं हैं, समुचित सरकार द्वारा ‘अधिवक्ता कल्याण निधि’ के सृजन के लिए ‘अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001’ अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दायर वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाने को अनिवार्य करता है। ‘अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्पों’ के विक्रय के माध्यम से एकत्रित धनराशि ‘अधिवक्ता



कल्याण कोष' का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रैक्टिस करने वाला कोई भी अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक शुल्क का भुगतान कर के अधिवक्ता कल्याण निधि' का सदस्य बन सकता है। यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति में निहित और उसके द्वारा संघटित और उसके द्वारा प्रयुक्त रहेगी। इस निधि का प्रयोग अन्य बातों के साथ सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य समस्या, प्रैक्टिस के बंद होने या किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके नामिती या कानूनी वारिस को एक नियत धनराशि के भुगतान करने, सदस्य और उसके आश्रितों की चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकों की खरीद और सामान्य सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

### सूचना का अधिकार (आरटीआई) सेल

आरटीआई सेल विधि कार्य विभाग से संबंधित आरटीआई आवेदनों, प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों पर कार्रवाई करता है।

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल (1.4.2017 से 31.12.2017)
1.	प्राप्त कुल आर.टी.आई. आवेदन	1515
2.	प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलों	30
3.	माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलों	34
4.	ऑनलाइन प्राप्त हुए कुल आवेदन	255

### पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग एक विशेषीकृत अनुसंधान एकक है जो विधि और न्याय मंत्रालय की विधि की पुस्तकों/जर्नलों/ऑनलाइन आईपी बेस सॉफ्टवेयर और अन्य अनुसंधान सामग्री की आवश्यकता की देखरेख करता है। यह अनुभाग माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय राज्य मंत्री, विधि अधिकारियों और विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के भारतीय विधि सेवा अधिकारियों को संदर्भ और विधिक अनुसंधान की सेवाएं प्रदान करता है।

2. इस वर्ष के दौरान, पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने 577 पुस्तकें प्राप्त कीं।
3. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग 19 भारतीय विधि जर्नलों, 3 विदेशी विधि जर्नलों को मंगाता है।
4. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाएं/ निर्णयज विधि, निर्णयों और आलेखों आदि की सीडी रॉम प्राप्त की है:—
  - (क) एआईआर कॉम्प्रेहेन्सिव सॉफ्टवेयर/ डाटाबेस
  - (ख) एससीसी ऑनलाइन केसफाइंडर
  - (ग) एससीसी ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

- (घ) मनुपात्र ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज
- (ङ) वेस्ट लॉ इंडिया ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज
- (च) सी.एल.ए. ऑनलाइन(आई0पी0)सर्विसेज

### विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: –

#### (क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचना:

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिनांक 25.7.1989 को जारी किए गए थे। इस बाबत अनुदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए प्रतिवर्ष पुनः जोर दिया जाता है।

#### (ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजन:

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2017 को "हिन्दी दिवस" मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने-अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिन्दी को अपनाने की अपील की। माननीय गृह मंत्री जी के संदेश को भी विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2017 से 30.9.2017 तक "हिन्दी माह" का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 6 प्रतियोगिताओं अर्थात् "हिन्दी निबंध प्रतियोगिता," "हिन्दी टंकण प्रतियोगिता", "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," "अनुवाद प्रतियोगिता", "श्रुतलेख प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए) और "हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 90 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 86 सफल प्रतियोगियों को दिनांक 6 दिसम्बर, 2017 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विधि सचिव द्वारा कुल 91,200/-रु० के नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस पुरस्कार वितरण समारोह के चित्र उपाबंध-।। में दिए

गए हैं। विभाग के शाखा सचिवालयों और प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

### (घ) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच-बिंदुओं का सृजन:

राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच-बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच-बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच-बिंदुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

- (1) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिन्दी में किया जा रहा है और आदेश भी हिन्दी में जारी किए जा रहे हैं।
- (2) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिन्दी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। प्रत्येक तिमाही में आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में स्थिति को मानीटर किया जा रहा है।
- (3) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार-बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया है और उनका हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है। ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है। सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिन्दी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।
- (4) विभाग के सभी 300 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।
- (5) विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी/हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है और प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जा रही है।
- (6) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है।

- (7) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 9 भागों में की गई सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं और इस बारे में प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाली विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्थिति की समीक्षा की जा रही है।
- (8) विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा0), सभी अवर सचिव और सभी अनुभाग प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक(राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाता है। समिति की पिछली बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को हुई थी।

दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ब्यौरा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पहलू भी है, उपाबंध-III और उपाबंध-IV में दिया गया है।

### शाखा सचिवालय, कोलकाता

वर्ष 2017-18 के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रमुख/समग्र प्रभारी एक अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। इस शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसिल फीस बिल, मुकदमा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ निचला न्यायालय और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है, जिसमें 9800 से अधिक पुस्तकें हैं। यह पुस्तकालय अगस्त, 2017 तक एक अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में था और उसके बाद यह सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में है।

2. शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलिय, दोनों शाखाओं में सभी मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों, पोर्ट ब्लेयर स्थित सर्किट बेंच और अधिकरणों, जिला फोरमों और निम्न न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमा कार्य की देखरेख कर रहा है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता पीठ और उसके कटक, गुवाहाटी, पटना के अन्य पीठों तथा अंदामान निकोबार द्वीप समूह के सर्किट पीठों, सीजीआईटी, माध्यस्थम, एनजीटी, एनसीएलटी में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। संबंधित मंत्रालयों / विभागों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर विभिन्न अधिकरणों जैसे कि एनजीटी, सीईएसटीएटी, आईटीएटी, राज्य उपभोक्ता फोरम और डीआरएटी, डीआरटी, उपभोक्ता फोरम, निम्न न्यायालय आदि के समक्ष तथा मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम मामलों में पैनल काउंसिल भी नियुक्त किए जाते हैं।
3. इस शाखा सचिवालय का सलाह खंड आय-कर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम तथा अंदामान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में स्थित हैं और पूर्वी क्षेत्र से बाहर के उन स्वायत्त निकायों जिनके मुख्यालय कोलकाता में हैं (अर्थात् आर्डिनेंस

फैक्टरी बोर्ड) को भी संबंधित विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है और उनके मुकदमा कार्य का संचालन करता है।

4. वर्ष 2017-18 के दौरान, सलाह खंड के प्रमुख अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, सलाह खंड में दिसम्बर, 2017 तक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सलाह के लिए कुल 1012 निर्देश प्राप्त हुए। इसके अलावा, अनुमान है कि वर्ष 2017-18 के अंत तक (मार्च, 2017-18 तक) सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों और निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या लगभग 1350 होगी। यह शाखा सचिवालय विभिन्न न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल किए जाने वाले करारों/संविदाओं की विधीक्षा भी करता है।
5. मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलेख-अधिवक्ता और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किए गए पैनल काउंसिल के माध्यम से मामले पर सुनवाई/बहस करवाते हैं।
6. वर्ष 2017-18 के दौरान, एक अपर सरकारी अधिवक्ता और तीन कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं ने भारत संघ की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया और वे न्यायालय में सरकारी प्लीडर के तौर पर भी उपस्थित हुए। सलाह और मुकदमा कार्य की देखरेख के लिए तीन सहायक विधि सलाहकारों को भी तैनात किया गया है।
7. वर्ष 2017-18 के दौरान, दिसंबर, 2017 तक शाखा सचिवालय, कोलकाता के मुकदमा प्रभाग द्वारा प्राप्त और संचालित उच्च न्यायालय के मामलों की कुल संख्या 1999 है और उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या 1365 है। संपूर्ण 2017-18 के दौरान निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या लगभग 2685 होने की संभावना है। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता में वर्ष 2017-18 के दौरान (दिसम्बर, 2017 तक) सेवा संबंधी मामलों में काउंसिलों के नियोजन हेतु प्राप्त मामलों की संख्या 402 है और वर्ष 2017-18 के दौरान ऐसे मामलों की कुल संख्या (मार्च, 2018 तक) लगभग 550 होने का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में (दिसंबर, 2017 तक) माध्यस्थम मामलों सहित निपटाए गए निचले न्यायालयों के मामलों की संख्या 298 है और यह अनुमान है कि वर्ष 2017-18 की शेष अवधि के दौरान (मार्च, 2018 तक) लगभग 90 और मामले प्राप्त हो सकते हैं।
8. शाखा सचिवालय, कोलकाता में आरटीआई मामलों को देखने के लिए अपील प्राधिकारी (अपर सरकारी अधिवक्ता), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, दिसम्बर, 2017 तक कुल 13 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर विधिवत निपटा दिया गया।
9. वर्ष 2017-18 के दौरान, पैनल काउंसिलों द्वारा प्रस्तुत किए गए वृत्तिक फीस बिल के दावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की गई और काउंसिलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए 4,00,00,000/- रुपए (चार करोड़ रु0) के स्वीकृत बजट प्राक्कलन में से दिसम्बर 2017 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 2,41,92,228/- रुपए (दो करोड़ इकतालीस लाख बयानवे हजार दो सौ अट्ठाईस रुपये केवल) का भुगतान किया गया है। बजट की शेष धनराशि का भुगतान 2017-18 के अगले तीन महीनों में किया जाएगा।

10. इस शाखा सचिवालय में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अनुभाग है, जो अगस्त, 2017 तक अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में रहा और तत्पश्चात सहायक विधि सलाहकार के अधीन एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की सहायता से कार्य कर रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया है। अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2017 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों और हिंदी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया गया है। केन्द्रीय हिंदी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है। संदर्भ सामग्री तैयार की गई है और इसे हिंदी में कार्य करने के लिए अनुभागों में वितरित किया गया है। इस शाखा सचिवालय में सितंबर, 2017 में पूरे उत्साह के साथ 'हिंदी दिवस' मनाया गया, जिसके दौरान अन्य प्रतियोगिताओं के साथ-साथ 'मुहावरे और वाक्यांशों' पर एक नई प्रतियोगिता आयोजित की गई। अपेक्षित रिपोर्टें नियमित आधार पर निर्धारित प्रपत्र में मुख्य सचिवालय को भेजी जाती हैं। इसके अलावा, अधिकारियों ने कोलकाता में केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों में आयोजित विविध कार्यक्रमों में भाग लिया। अब तक कुल अधिकारियों/कर्मचारियों में से 65% ने हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अनुमान है कि वर्ष 2019 तक सभी कर्मचारी ऐसे पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण को पूरा कर लेंगे।
11. शाखा सचिवालय, कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर विभिन्न लेखा और बजट संबंधी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही, यहां एन.आई.सी. द्वारा विकसित पी.एफ.एम.एस. पोर्टल आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों, सरकारी काउंसिलों और अन्य सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ-साथ, स्रोत पर काटे गए आयकर के तिमाही रिटर्न को इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तैयार किया जा रहा है और प्लॉपियों/सीडी के रूप में टी.आई.एन. सूचना सुविधा केंद्र के द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। आयकर प्राधिकरण द्वारा एक नए फॉर्मेट अर्थात् फॉर्म 24-जी शुरू किया गया है जिसे स्रोत पर कर काटे जाने के अगले महीने की 10 तारीख तक इस कार्यालय द्वारा भर कर इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा किया जाना होता है। वेतन और लेखा कार्यालय को आवधिक रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजनी होती है। वस्तुओं और स्टेशनरी की प्राप्ति के लिए सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट <https://gem-gov-in> का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। पेंशन के नए मामलों को 'भविष्य' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निपटाया जा रहा है।
12. शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है। अब लगभग सभी कंप्यूटरों में इंटरनेट सुविधा है। भारत संचार निगम लिमिटेड से एक 'लीज़्ड लाइन' ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त की जा रही है।
13. सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में, शाखा सचिवालय, कोलकाता पुस्तकालय में 9800 से ज्यादा पुस्तकें और जर्नल हैं। यह मुकदमा कार्य और सलाह के लिए बहुत मददगार है। काउंसिलों द्वारा मुकदमों के संचालन के लिए इन जर्नलों/पुस्तकों का उपयोग किया जा रहा है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि पुस्तकालय 'मनुपात्र' और सीडीजे लॉ जर्नल की सुविधा भी मुहैया कराई गई है।

14. शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के लिए एक बायोमीट्रिक हाजिरी व्यवस्था दिनांक 12 अप्रैल, 2011 से शुरू है। इसके अलावा, आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी व्यवस्था भी इस शाखा सचिवालय में सफलतापूर्वक शुरू की गई है।
15. शाखा सचिवालय कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा विकसित 'लिम्ब्स' सॉफ्टवेयर को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। मुकदमा अनुभाग द्वारा विधि मंत्रालय से संबंधित मामलों को विधिवत अद्यतन किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर मुकदमों को मॉनीटर करने में और मुकदमेबाजी की लागत कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कागजी कार्य को कम करने व मुकदमों के संचालन को सुचारु रूप से चलाने के लिए शाखा सचिवालय, कोलकाता ने उच्च न्यायालयों से संबंधित वर्ष 2005 के और उसके बाद के मामलों की सूची को विभिन्न अनुभागों में उपलब्ध कंप्यूटरों में डाला है।
16. शाखा सचिवालय, कोलकाता में दिनांक 21 जून, 2017 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया।
17. शाखा सचिवालय, कोलकाता की पिछली लेखा-परीक्षा लेखा परीक्षा महानिदेशक: केन्द्रीय, कोलकाता के कार्यालय के लेखा-परीक्षा दल द्वारा दिनांक 13.05.2015 से 21.05.2015 तक की गई थी। लेखा-परीक्षा दल द्वारा लेखों के आवधिक निरीक्षण के क्रम में तीन लेखा आपत्तियां की गई थीं। इस संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है और ऐसी दो आपत्तियों को लेखा कार्यालय द्वारा छोड़ दिया गया है और एकमात्र आपत्ति की स्थिति का सत्यापन अगली लेखा-परीक्षा द्वारा किया जाएगा।
18. शाखा सचिवालय, कोलकाता में 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत स्वच्छता अभियान एक नियमित प्रक्रिया के तौर पर चल रहा है। 'स्वच्छता अभियान के पर्यवेक्षण तथा पुराने अभिलेखों की छटाई करने के लिए सहायक विधि सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 1 से 15 अप्रैल, 2017 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया गया। सफाई कर्मचारी के ग्रेड में रिक्ति होने के कारण साफ-सफाई बनाए रखने और कार्यालय परिसरों की स्वच्छता के लिए मै0 सुलभ इंटरनेशनल के जरिए प्रबंध किया गया है। इस शाखा सचिवालय ने पणधारकों को इष्टतम प्रभावी सेवाएं प्रदान करने पर तथा स्वच्छता पर जन जागरूकता के लिए सेमिनार आयोजित किए। शाखा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के सतत प्रयासों के कारण इस शाखा सचिवालय को स्वच्छ और सुंदर रूप मिला है।

### शाखा सचिवालय, मुंबई

वर्तमान में, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के मुंबई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। उनके साथ वहां दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक विधि सलाहकार, एक अधीक्षक (विधि), और अन्य कर्मचारी हैं। शाखा सचिवालय के कामकाज, कर्तव्यों, संगठन आदि के बारे में निम्न पैरा में दर्शाया गया है:-

**संगठन:-** जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, इसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश,

राजस्थान, गुजरात और गोवा के अंतर्गत आने वाले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय, मुंबई के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता को शाखा सचिवालय के प्रशासनिक, मुकदमा और सलाह के मामलों की देखरेख करने में दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक विधि सलाहकार(तदर्थ) और एक अधीक्षक (विधि) सहायता देते हैं। सहायक अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक मामलों और लेखा के काम की देखरेख में वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता की मदद करते हैं।

इसके अतिरिक्त, शाखा सचिवालय, मुंबई के कार्य के सुचारु संचालन के लिए उसे अलग-अलग अनुभागों में विभाजित किया गया है अर्थात् सलाह अनुभाग, विविध आरंभिक शाखा मुकदमा अनुभाग, जिसमें विविध आरंभिक शाखा मुकदमा, माध्यस्थता, वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्देश, कंपनी मामले और फेरा/फेमा/डीजीएफटी से संबंधित मामलों के आरंभिक शाखा व शाखा के मुकदमे शामिल हैं तथा अपीलीय शाखा मुकदमा अनुभाग, जिसमें दंड विधि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जाती है। इस शाखा सचिवालय में प्रत्येक अनुभाग के प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनकी सहायता एक अन्य अधिकारी करते हैं।

कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधिकारियों की सहायता के लिए दो सहायक (विधि), तीन सहायक अनुभाग अधिकारी(सीसीएस), एक प्रधान निजी सचिव, पांच वैयक्तिक सहायक, पांच वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क ग्रेड-1, तीन वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क ग्रेड-11 और दो कोर्ट क्लर्क हैं।

**कृत्य और कर्तव्य:-** विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुंबई केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विभिन्न विधिक मामलों पर विधिक सलाह देता है और बंबई उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अन्य अधिकरणों और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य का संचालन करता है। यह संपूर्ण कार्य प्रभारी/वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता के मार्ग-निर्देशन में इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शाखा सचिवालय विधि सचिव से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।

**विधिक सलाह:** भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता/ प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार को कार्रवाई के लिए देते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 2513 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने लगभग सभी मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में कोई भी मामला लंबित नहीं है।

**मुकदमा:** इस शाखा सचिवालय के मुकदमा कार्य के प्रधान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। उनकी सहायता के लिए अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार और अधीक्षक (विधि) हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है। जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बंबई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण



प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गए/नियुक्त अधिवक्ताओं/काउंसिलों के और विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गए अन्य काउंसिलों के माध्यम से किया जाता है।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न मुकदमों से संबंधित लगभग 1135 मामले प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से काउंसिल नियुक्त किए गए और उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमों के लगभग 696 मामले निपटाए गए हैं।

**प्रशासन:** शाखा सचिवालय, मुंबई के प्रशासन के प्रमुख/प्रभारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। शाखा सचिवालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए एक सहायक अनुभाग अधिकारी और आहरण एवं संवितरण अधिकारी है। तथापि, दिनांक 27.1.2017 से अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है।

**राजभाषा:** इस शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। शाखा सचिवालय में गठित राजभाषा समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:-

1.	श्री पंकज कपूर, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता	अध्यक्ष
2.	श्री ए.ए.अंसारी, अपर सरकारी अधिवक्ता	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	श्री विनय कुमार मिश्र, सहायक विधि	समन्वयक
4.	श्री अनूप कुमार, सहायक (विधि)	कार्यकारी सदस्य
5.	श्रीमती उषा वी.सैलिअन, वैयक्तिक सहायक	कार्यकारी सदस्य
6.	श्रीमती वैशाली कर्माले, एमटीएस	कार्यकारी सदस्य

उपर्युक्त समिति प्रभारी अधिकारी को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करती है।

### शाखा सचिवालय, चेन्नै

चेन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

**सलाह:** यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। दिनांक 1-4-2017 से 31-12-2017 तक की अवधि के दौरान, सलाह के लिए लगभग 884 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की शेष अवधि के दौरान सलाह के लिए लगभग 350 निर्देश और प्राप्त होने की संभावना है।

**मुकदमा कार्य :** - शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, दूरसंचार, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और

सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों आदि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है।

दिनांक 1.4.2017 से 31.12.2017 की अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 7777 मामले प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय/सीएटी/एलसी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गई फाइलें भी शामिल हैं तथा चालू वित्त वर्ष 2017-2018 की शेष अवधि के दौरान मुकदमों से संबंधित लगभग 1500 और मामले प्राप्त होने का अनुमान है।

शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसिलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसिल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

**काउंसिलों के फीस बिल :** यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसिल और केंद्रीय सरकार के स्थायी काउंसिलों को सीधे अपनी केंद्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। विभिन्न जिलों के स्थायी सरकारी काउंसिल के लिए प्रतिधारण शुल्क का भुगतान शाखा सचिवालय द्वारा किया जाता है (जून, 2016 से जनवरी, 2017 की अवधि के लिए वास्तविक भुगतान फरवरी, 2017 में किया गया था)। केंद्रीय सरकार के काउंसिलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

**प्रकीर्ण :** रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभिन्न आवेदन, अपीलें और मुकदमों के संबंध में अन्य पत्र/निर्देश आदि भी प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया।

**शाखा सचिवालय में कर्मचारी की संख्या निम्नलिखित है:-**

शाखा सचिवालय, चेन्नै में 06 महिला कर्मचारी और 11 पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं।

**निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारियों के आंकड़े:-**

सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा विभिन्न प्रवर्गों के 08 कर्मचारी हैं, अर्थात् अनुसूचित जाति-04, अनुसूचित जनजाति- 01, पूर्व सैनिक/अन्य पिछड़ा वर्ग-03।

### शाखा सचिवालय, बंगलूरु

शाखा सचिवालय, बंगलूरु की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है। शाखा सचिवालय, बंगलूरु के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

**सलाह :** शाखा सचिवालय, बंगलूरु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। चालू वर्ष अर्थात् 2017-2018 के दौरान सलाह के लिए लगभग 665 निर्देश प्राप्त हुए और उन सभी का निपटान दिनांक 12.12.2017 तक कर दिया गया। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति-शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किए जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति-शपथपत्रों, प्रति-विवरणों और उनके विभिन्न पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श करना आदि कार्य किए जाते हैं।

**मुकदमा कार्य:** यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में और उसके धारवाड़ व गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों में और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तथा बंगलूरु नगर, हैदराबाद व सिकन्दराबाद में अधीनस्थ न्यायालयों और दोनों राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय दोनों राज्यों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। चालू वर्ष 2017-18 के दौरान (दिनांक 12.12.2017 तक), मुकदमों से संबंधित लगभग 8797 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है। इस संबंध में शाखा सचिवालय द्वारा किए गए कार्यों में काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा उनके बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है।

**काउंसेलों के फीस के बिल:** यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस के बिलों पर स्वयं कार्रवाई करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक महासालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरु द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से मुकदमे का संचालन किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल काउंसेलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है। तथापि, इस संबंध में जब भी कोई संदेह उठता है, तो इस मंत्रालय द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया जाता है।

### भारत के अपर महासालिसिटर के कार्यालय की स्थापना:

भारत सरकार ने श्री के.एम. नटराज, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रभुलिंग के. नवादगी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 8 अप्रैल, 2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः दक्षिणी जोन के लिए और कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत के अपर महासालिसिटर के पद पर नियुक्त किया है, जिनका मुख्यालय बंगलूरु है।

**लेखा-परीक्षा पैरा:** शाखा सचिवालय, बंगलूरु के संबंध में कोई लेखा-परीक्षा पैरा लंबित नहीं है।

### भारत का विधि आयोग

भारत के विधि आयोग का गठन हर तीन साल में होता है। वर्तमान 21वें विधि आयोग का गठन दिनांक 1 सितंबर, 2015 को हुआ था और यह दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक रहेगा। 21वें विधि आयोग में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य-सचिव, दो पदेन सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य हैं। विधि आयोग में भारतीय विधि सेवा के विधि अधिकारी शामिल हैं, कुछ सलाहकार हैं, जो विधि शोध का अनुभव रखते हैं। प्रशासन की देखरेख के लिए एक छोटा सचिवीय स्टाफ है।

### विचारार्थ विषय

2. 21वें विधि आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं-

#### क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन :

- (i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।
- (ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।
- (iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।
- (iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/संशोधन के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।
- (v) एक से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से किए गए निर्देशों पर विचार करना।
- (vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

**ख. विधि और निर्धनता :**

- (i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक – आर्थिक विधानों के लिए पश्च-संपरीक्षा करना।
- (ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

**ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :-**

- (i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
- (ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।
- (iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

**घ.** विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

**ङ** लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना।

**च.** सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

**छ.** अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

**ज.** विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

- झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भजे गए हों, पर विचार करना।
- ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

### छात्रों को प्रोत्साहन

3. विधि के शासन की स्थापना और उसके लिए विधि की बेहतर समझ हेतु विधि के छात्रों में विधि के अनुसंधान और विधि में सुधार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए विधि आयोग द्वारा इंटरनशिप कार्यक्रम संचालित किया जाता है।
4. विधि आयोग स्वैच्छिक इंटरनशिप कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम, शीतकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम और मध्यावधि इंटरनशिप कार्यक्रम संचालित करता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम सेमेस्टर ब्रेक के दौरान संचालित किए जाते हैं जबकि मध्यावधि इंटरनशिप कार्यक्रम एक खुला कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से इच्छुक छात्रों को वर्ष के दौरान किसी भी समय आयोग के साथ इंटरनशिप करने का अवसर दिया जाता है।

### उद्देश्य और उपलब्धियां :-

5. भारत के विधि आयोग ने अब तक विभिन्न विषयों पर 273 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। भारत के 21वें विधि आयोग ने विधि कार्य विभाग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देश पर विभिन्न विषयों का अध्ययन किया है और अब तक राष्ट्रीय वाद नीति, 2016 के मसौदे पर रिपोर्ट सहित 12 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।
6. 21वें विधि आयोग ने अब तक निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :- बाल संरक्षण (अंतर-देशीय अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016, दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (खाद्य अपमिश्रण संबंधी उपबंध), 'अवयस्क' के भरण-पोषण धन से उद्भूत आय को छूट देने की प्रत्याशाएं, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (विधिक वृत्ति का विनियमन), घृणापूर्ण भाषण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन (जमानत संबंधी उपबंध), अंडे देने वाली मुर्गियों (लेयरो) और ब्रोयलर चिकन का परिवहन और रखरखाव, विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण, मानव डी.एन.ए. प्रोफाइल- डी.एन.ए आधारित तकनीक के उपयोग और विनियमन के लिए प्रारूप विधेयक, राष्ट्रीय वाद नीति, 2016 की जांच, भारत में अधिकरणों के सांविधिक ढांचे का मूल्यांकन, विधान के जरिए 'यंत्रणा और अन्य क्रूर, अमानवीय और अवमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के कंवेन्शन' का कार्यान्वयन।
7. विधि आयोग ने नीति आयोग के साथ समन्वय से दिनांक 25-26 नवंबर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि दिवस समारोह का आयोजन किया। विधि दिवस समारोह, 2017 का केन्द्रीय विषय 'विकासशील राष्ट्र के लिए समावेशन और सबके विकास व सबको न्याय के आधार पर राज्य के तीनों स्तरों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल' था।
8. विधि आयोग के विचाराधीन कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं, जिनमें 'सट्टे और जुए के नियमितीकरण' से संबंधित मुद्दे, बीसीसीआई को आर.टी.आई के अधीन लाना, एक समान सिविल कोड

से संबंधित मामलों की जांच संबंधी प्रस्ताव', आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा' और 'मानव निर्मित आपदा' शामिल हैं।

### भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)

**प्रस्तावना:** भारतीय विधि संस्थान एक प्रमुख विधि अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना दिनांक 27 दिसंबर, 1956 को हुई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य विधि में उच्च अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना है ताकि विधि और उसके तंत्र के जरिए लोगों की सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस संस्थान को वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान ने मार्च, 2017 में राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से 4.00 अंकों के पैमाने पर 3.35 का सीजीपीए हासिल करके 'ए' ग्रेड सहित अपनी पहली मान्यता प्राप्त की। यह संस्थान विधि में मास्टर डिग्री और डॉक्टर के पाठ्यक्रमों सहित विधि के विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात् वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

**अकादमिक कार्यक्रम:** वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया। इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णतः योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये होता है। वर्तमान में, संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2017-2018 में दाखिल छात्रों की संख्या
एल.एल.एम.- 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	28
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधि)	303
विधि में पीएच.डी.	07
छात्रों की कुल संख्या	338

संस्थान में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 21 छात्र नामांकित हैं।

यह संस्थान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ऑन-लाइन ई-लर्निंग प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है।

**जारी किए गए शोध-प्रकाशन:** रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए :

- **जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (जेआईएलआई):** यह भारतीय विधि संस्थान का त्रैमासिक जर्नल है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषयों पर शोध आलेख प्रकाशित किए जाते हैं।

- **भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण:** भारतीय विधि संस्थान हर वर्ष एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण प्रकाशन: "भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण" करता है जिसमें विधि की प्रत्येक शाखा की नवीनतम प्रवृत्तियां प्रस्तुत की जाती हैं।
- **आईएलआई न्यूजलैटर:** यह संस्थान का त्रैमासिक प्रकाशन है और इसमें संस्थान के सदस्यों/विधिक बिरादरी के लाभ के लिए संस्थान की सभी गतिविधियों की जानकारी और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के नेल स्कैच नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं।
- **विधि की पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका:** यह संस्थान का वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें आईएलआई पुस्तकालय को प्राप्त हो रही विधि और संबंधित क्षेत्रों की पत्रिकाओं (इयर बुकों और अन्य वार्षिक प्रकाशनों सहित) की अनुक्रमणिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।

### प्रकाशित पुस्तकें

- लीगल रिसर्च मेथडोलोजी
- कॉपीराइट लॉ इन डिजिटल वर्ल्ड: चैलेन्जेज़ एंड अपोर्चयूनिटिस
- इनवायरनमेंट लॉ एंड इनफोर्समेंट: द कंटेम्परेरी चैलेन्जेज़
- इमर्जिंग कंपटीशन लॉ

### संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/दौरे/विशेष व्याख्यान:

- **जमानत संबंधी मामलों पर न्यायिक परामर्श, दिनांक 21 जनवरी, 2017**

भारत के विधि आयोग और भारतीय विधि संस्थान ने संयुक्त रूप से दिनांक 21 जनवरी, 2017 को 'जमानत संबंधी मामलों पर एक-दिवसीय न्यायिक परामर्श' का आयोजन किया। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति डॉ. बी.एस. चौहान ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने उद्घाटन भाषण दिया।

- **'प्रतिस्पर्धा विधि और नीति: समस्याएं और संभावनाएं' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन, दिनांक 18-19 मार्च, 2017**

भारतीय विधि संस्थान ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सहयोग से दिनांक 18-19 मार्च, 2017 को 'प्रतिस्पर्धा विधि और नीति: समस्याएं और संभावनाएं' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति डॉ. बी.एस. चौहान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- **'बौद्धिक संपत्ति अधिकार और लोकहित' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन, दिनांक 7-8 अप्रैल, 2017**

भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 7 और 8 अप्रैल, 2017 को 'बौद्धिक संपत्ति अधिकार और लोकहित' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य लोकहित के



बरक्स बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के उभरते मुद्दों और प्रवृत्तियों पर देश भर के बुद्धिजीवियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना था।

### • विधि और हिंसा पर संगोष्ठी पाठ्यक्रम, दिनांक 8-14 मई, 2017

संस्थान ने दिनांक 8 से 14 मई, 2017 तक 'विधिक सिद्धांत :- सभ्य समाज में हिंसा के औचित्य/ अनौचित्य के प्रसंग' विषय पर एक सप्ताह के संगोष्ठी पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पाठ्यक्रम में विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय और वार्विक विश्वविद्यालय, ब्रिटेन के विधि के प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त) प्रो. उपेन्द्र बख्शी ने प्रतिभागियों के ज्ञान में वृद्धि की।

समीक्षाधीन अवधि में, भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया:-

- दिनांक 23 जनवरी, 2017 को 'बाल सुधारगृह, वृद्धाश्रम, और स्वास्थ्य क्षेत्र' के लिए एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 22 फरवरी, 2017 को मीडिया कर्मियों ओर सरकार के जनसंपर्क अधिकारियों के लिए एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 20-21 मार्च, 2017 को जेल अधिकारियों के लिए दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 25-26 मार्च, 2017 को न्यायिक अधिकारियों के लिए दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

### म्यांमार के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 22 से 29 जुलाई, 2017

भारतीय विधि संस्थान और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने संयुक्त रूप से दिनांक 22 से 29 जुलाई, 2017 को म्यांमार के 23 न्यायिक अधिकारियों के लिए भारतीय विधि के विभिन्न पहलुओं जैसे कि तुलनात्मक संवैधानिक विधि, बौद्धिक संपत्ति अधिकार, साइबर विधि, शरणार्थी विषयक विधि और अंतरराष्ट्रीय दंड विधि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में व्याख्यान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों में म्यांमार के राजदूत महामहिम यू मोंग वाई और भारत सरकार के विधि सचिव श्री सुरेश चन्द्र शामिल थे।

### आगामी गतिविधियां

(दिनांक 15.12.2017 से 31.03.2018 तक)

**प्रकाशन:** उपर्युक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है:-

- जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (त्रैमासिक प्रकाशन)
- आई.एल.आई. न्यूजलैटर विद केस कमेंट्स एंड लीगल जाटिंग्स (त्रैमासिक प्रकाशन)
- भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण - 2017
- विधि पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका - 2017

### निम्न विषयों पर नई पुस्तकें:

- पर्यावरण प्रदूषण का विधिक नियंत्रण: विद्यमान विधान का मूल्यांकन
- भारत में आतंकवाद, राजद्रोह और मानवाधिकार
- विधि, हिंसा और न्याय
- भारत में बौद्धिक संपत्ति और मानवाधिकार
- कापीराइट विधि: डिजिटल दुनिया में चुनौतियां
- धन शोधन विधि: भारत में मुद्दे और चुनौतियां
- 21वीं सदी के भारत में जल संबंधी विधि की बढ़ती भूमिका: उपलब्धियां और चुनौतियां

### संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं:

- (i) संस्थान वित्तीय वर्ष 2017-18 की शेष अवधि में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से जेल अधिकारियों/मीडिया कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- (ii) कुछ और विशेष व्याख्यानों/भारतीय विधि संस्थान के संकाय सदस्यों/छात्रों के साथ विचार-विमर्श के आयोजन भी प्रस्तावित हैं।

### भारतीय बार काउंसिल (बी.सी.आई.)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित भारतीय बार काउंसिल को अन्य बातों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण व शिष्टाचार के मानदंड निर्धारित करने तथा देश में विधि शिक्षा के मानदंड निर्धारित करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ताओं के तौर पर नामांकन करने के लिए प्राधिकरण हैं, राज्य बार काउंसिलें और भारतीय बार काउंसिल मिलकर अधिवक्ताओं में अनुशासन का प्रवर्तन करती हैं। अनुशासनात्मक मामलों में भारतीय बार काउंसिल अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर कार्य करती है।

2. भारतीय बार काउंसिल सदस्यों को परिचालित कार्यसूची के अनुसार नियमित अंतरालों पर बैठकें करती है। इन बैठकों में, काउंसिल धारा 26(1) के अधीन उन मामलों में निष्कासन की कार्यवाहियां भी करती है, जिनमें अन्यथा कथन अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किसी व्यक्ति का नामांकन किया गया होय और राज्य बार काउंसिलों से धारा 26(1) के अधीन प्राप्त ऐसे निर्देशों का निपटान भी करती है, जिनमें राज्य बार काउंसिल द्वारा किसी कारणवश नामांकन के आवेदन को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया होता है तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48(क) के अधीन उन मामलों में पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई और निर्णय भी करती है, जिन मामलों में अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार की शिकायतों को राज्य बार काउंसिल द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया होता है।

### व्यापार करने में आसानी :- संविदाओं का प्रवर्तन

‘व्यापार करने में आसानी: संविदाओं के प्रवर्तन’ के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

अंतरराष्ट्रीय सौजन्य में किसी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक और वित्तीय बाजारों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसी आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि के लिए, नियमों का एक ऐसा सरल ढांचा आवश्यक होता है, जो निवेशकों को प्रोत्साहित करे और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे। इसलिए, सरकार और संबद्ध संस्थाएं भारत को निवेश और व्यापार के लिए पसंदीदा स्थल बनाने के लिए व्यापार को सुकर बनाने वाले कानून और विनियमों को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। व्यापार के नियमों को सरल, पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के उपाय किए गए हैं जो कि भारत को निवेशकों के लिए दुनिया भर में पसंदीदा स्थलों में से एक बनाने में मदद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विधि और न्याय मंत्रालय, ‘डूइंग बिजनेस रिपोर्ट’ में भारत की रैंकिंग में सुधार करने में तिहरी भूमिका निभा रहा है, अर्थात् (i) विधायी भूमिका अर्थात् ऐसी विधियों को अधिनियमित करना जैसे कि वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग एवं वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 और माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015 में किए गए संशोधन ताकि वाणिज्यिक विवादों का समाधान अधिक त्वरित और प्रभावी ढंग से हो सके। ऐसा निवेशकों को आश्वस्त करके कि उनके निवेश सुरक्षित हैं और यहां ऐसी कानूनी व्यवस्था है, जो ऐसे अवसरों पर उनके बचाव के लिए तुरंत आएगी उनके भरोसे को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया है, (ii) प्रशासनिक भूमिका अर्थात् विधि के शासन के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप काम करने के लिए सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों का मार्गदर्शन करना तथा उन्हें विधिक सहायता प्रदान करना और (iii) पक्ष समर्थन, जिसमें सही समय पर और सही तरीके से पणधारकों के साथ विचार-विनिमय करना शामिल है, जिसके अभाव में व्यापार करने में आसानी के लिए किए गए विभिन्न उपायों का वांछित परिणाम नहीं मिलेगा।

### माध्यस्थम तंत्र का सुदृढीकरण

माध्यस्थम तंत्र के सुदृढीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

केन्द्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, माध्यस्थम प्रक्रिया को प्रयोक्ता-अनुकूल, किफायती और त्वरित बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम और वाणिज्यिक अधिनियम, 1996 को संशोधित किया है। तथापि, संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को विधि कार्य विभाग के संज्ञान में लाया गया है। इसके अलावा, यह देखा गया कि देश में संस्थागत माध्यस्थम तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, केन्द्र सरकार ने भारत में माध्यस्थम तंत्र को संस्थागत बनाए जाने की समीक्षा करने और उसके लिए प्रस्तावित सुधारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने दिनांक 30 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की। विधि कार्य विभाग समिति की सिफारिशों पर ठोस कदम उठाने के लिए तत्पर है। उक्त रिपोर्ट को वेबलिंग <http://legallaffairs-gov-in/sectiondivision/report&high&level&committee&review&institutionalisation&arbitration&mechanism&india>. पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, उच्च स्तरीय समिति की अन्य सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, संसद के शीतकालीन सत्र, 2018 में एक विधेयक अर्थात् ‘नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र विधेयक, दिनांक 5 जनवरी, 2018 को

लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व के माध्यस्थम संस्थान के रूप में स्थापित करना और संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देना है। इन सुधारों द्वारा कानून की जटिलता को सरल बनाने और विवादों के त्वरित समाधान को प्रोत्साहित करने से देश में व्यापारिक निवेश के परिदृश्य को निश्चित तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा।

### आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई

**उद्गम:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही उपबंध के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

**गठन:** आयकर अधिनियम, 1961 में यह भी उपबंध है कि अधिकरण का न्यायिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या जो भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और जिसने कम-से-कम तीन वर्ष तक उस सेवा के ग्रेड 2 में कोई पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद धारण किया हो या जो कम-से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। लेखा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में लेखाकर्म का कम-से-कम दस वर्ष तक व्यवसाय किया हो या पूर्व में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट या आंशिकतः रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट और आंशिकतः चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो या जो भारतीय आयकर सेवा समूह 'क' का सदस्य रहा हो और जिसने कम-से-कम तीन वर्ष तक (अपर) आय-कर आयुक्त का पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद धारण किया हो।

**सदस्यों और कर्मचारियों की कमी:** देशभर के 28 शहरों में स्थित 63 बेंचों के लिए अधिकरण के सदस्यों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 126 है, जिनमें से केवल 96 सदस्य ही पदस्थ हैं और तदनुसार आज की तारीख में सदस्यों के 30 पद रिक्त हैं। अधिकरण वर्तमान में अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यरत है तथा उनकी सहायतार्थ 9 उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में, उपाध्यक्ष के 6(छह:) पद तथा सदस्यों के 24(चौबीस) पद रिक्त हैं।

जहां तक रजिस्ट्री अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों और निजी सचिवों की कमी का संबंध है, यह निवेदन किया जाता है कि फिलहाल उप पंजीकार के सभी सात स्वीकृत पद रिक्त हैं और सहायक पंजीकारों के 38 स्वीकृत पदों में से 30 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, हिंदी अधिकारी के स्वीकृत दो(2) पद हैं, और वर्तमान में ये दोनों ही रिक्त हैं। वरिष्ठ निजी सचिवों के 126 स्वीकृत पदों में से 32 पद रिक्त हैं और निजी सचिवों के 47 स्वीकृत पदों में से 25 पद रिक्त हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण में अन्य पदों की रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पद	रिक्तियां
1	वरिष्ठ लेखाकार	2
2	अधीक्षक	1

3	कार्यालय अधीक्षक	1
4	हिन्दी अनुवादक	11
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
6	मुख्य लिपिक	0
7	उच्च श्रेणी लिपिक	46
8	आशुलिपिक ग्रेड घ	4
9	अवर श्रेणी लिपिक	72
10	स्टाफ कार चालक	18
11	मल्टी टास्किंग स्टाफ	102
	<b>कुल</b>	<b>258</b>

**शक्तियां और कृत्य:** आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों तथा प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरुद्ध अपीलों और आयकर अधिनियम के अध्याय-XX-क के अधीन संपत्ति के अर्जन के आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निपटान करता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसकी मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

**प्रक्रिया और नियम:** अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यह अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन-कर, दान-कर और व्यय-कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेषण-प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपनी पूरी योग्यता से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर-दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से न्याय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

सामान्यतः अपीलों की सुनवाई एक लेखा सदस्य और एक न्यायिक सदस्य से मिलकर बने न्यायपीठ द्वारा की जाती है। तथापि, समुचित मामलों में अध्यक्ष के विवेक से किसी न्यायपीठ में दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं।

जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें लाखों रूपयों का राजस्व शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में तथ्य के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ-साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पण लिखते हैं, न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्यों के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायिकतः विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और निर्दोष होते हैं।

### लंबित अपीलें

वर्ष 2017 के प्रारंभ में आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 91538 थी और दिनांक 1 जनवरी, 2018 को लंबित अपीलों की संख्या 91657 है।

निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि नव-सृजित पीठों के चालू होने के बाद से लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं :-

वर्ष	दाखिल की गई अपीलों की संख्या	निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित अपीलों की संख्या
2004-2005	57331	78901	137164
2005-2006	45283	73979	108468
2006-2007	43192	65524	86136
2007-2008	44356	59653	70839
2008-2009	40372	55889	55322
2009-2010	41648	49353	47617
2010-2011	44250	36293	55574
2011-2012	42346	33816	64104
2012-2013	43934	33752	74286

2013—2014	46031	31886	88643
2014—2015	45072	30494	103238
2015—2016	40087	51010	91971
2016—2017	48328	48385	92386
2017—2018 31.12.2017 तक	36384	37678	91643

लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयास: सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच करें और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह के और छोटे मामले शामिल हैं। बार से भी यह अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार के सभी मामलों को बारी से पहले निपटान हेतु पोस्ट करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाया जाए। इसके अतिरिक्त, धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती तथा अपीलों को निपटान के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। वित्त अधिनियम, 2015(सं० 66) के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 में यह संशोधन किया गया है कि 15 लाख तक की आय से संबंधित अपील की सुनवाई एकल-सदस्यीय पीठ द्वारा की जा सकती है। तदनुसार इसे लागू किया गया है।

एक सदस्य वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

माह	कुल लंबित मामले
जनवरी, 2017	13978
फरवरी, 2017	13875
मार्च, 2017	13844
अप्रैल, 2017	13712
मई, 2017	13794
जून, 2017	13530
जुलाई, 2017	13494
अगस्त, 2017	12412
सितम्बर, 2017	12315
अक्टूबर, 2017	12117
नवम्बर, 2017	12139
दिसम्बर, 2017	8379

धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

माह	कुल लंबित मामले
जनवरी, 2017	336
फरवरी, 2017	355
मार्च, 2017	379
अप्रैल, 2017	411
मई, 2017	411
जून, 2017	396
जुलाई, 2017	408
अगस्त, 2017	414
सितम्बर, 2017	448
अक्टूबर, 2017	436
नवम्बर, 2017	442
दिसम्बर, 2017	449

आयकर अपीलीय अधिकरण के 63 स्वीकृत पीठ हैं जिनमें सदस्यों की अपेक्षित संख्या 126 है और वर्तमान में केवल 96 सदस्य हैं तथा कुछ पीठों के नियमित रूप से कार्य नहीं करने के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

**कम्प्यूटरीकरण:** आयकर अपीलीय अधिकरण में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनंदिन गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है। इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई हैं।

**उपलब्धियां :**

(क) **आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना:** यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलें और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर एनआईसी क्लाउड डाटा सेंटर को स्थानांतरित किया गया है।



- (ख) **आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइट:** आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है और आम जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्यायिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद-सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी सराहना हुई है। आयकर अपीलीय अधिकरण की इस वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को द्विभाषी बनाया गया है। आयकर अपीलीय अधिकरण अपने आई.पी.ए.टी. आनलाइन डाटा को नेशनल जूडीशियल रेफरेंस सिस्टम (एनजेआरएस) परियोजना के साथ साझा कर रहा है, जिसके लिए वेब एप्लीकेशन में कुछ प्रावधान किए गए हैं।
- (ग) **एन.आई.सी. ई-मेल:** आयकर अपीलीय अधिकरण के सामान्य प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न पीठों, सदस्यों और अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई-मेल सुविधाओं का उपयोग करता है। सभी पीठों, क्षेत्रों, सदस्यों, रजिस्ट्री के अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों तथा प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों के लिए एनआईसी ई-मेल खाते बनाए गए हैं। संचार के पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोग में आसान, तेज और आर्थिक व पारिस्थितिक दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हाल के वर्षों में ई-मेल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं के बीच स्वीकृति हासिल कर रहा है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है।
- (घ) **आधारिक संरचना का उन्नयन :** आयकर अपीलीय अधिकरण को हमेशा से लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है। तदनुसार, आयकर अपीलीय अधिकरण चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूटरों, प्रिंटरों आदि उपकरणों को बदल कर नए उपकरण लाता रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी सदस्यों को कार्यालय प्रयोग के लिए लैपटाप पहले ही दे दिए गए हैं।

### भविष्य की परियोजनाएं

#### (क) ई-फाइलिंग शुरू करना

आयकर अपीलीय अधिकरण ने इस परियोजना में एक नए माड्यूल सिटीजन टू गवर्नमेंट (सी2जी) माड्यूल अर्थात 'ई-फाइलिंग' को भी शामिल किया है जिससे वादकारी अपने घर से ही अधिकरण के समक्ष अपनी अपील और आवेदन ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं तथा इससे एसएमएस, ईमेल और मोबाइल एप्लिकेशन्स के द्वारा सूचना का प्रसार किया जा सकता है। इस परियोजना में, उचित समय पर न्यायालयों के कामकाज को कागज-विहीन कर देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। ई-फाइलिंग माड्यूल और मोबाइल एप्लीकेशन संभवतः आने वाले महीनों में शुरू कर दिए जाएंगे।

(ख) ई-न्यायालय

पिछले वर्ष के दौरान, आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट, जबलपुर और गुवाहाटी पीठों में ई-न्यायालय की स्थापना की गई। आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट, जबलपुर और गुवाहाटी पीठों में क्रमशः अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता पीठों को जोड़ते हुए कार्यवाहियां संचालित की गईं। ई-न्यायालय के माध्यम से दिनांक 31.12.2017 तक आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद में कुल 1273 अपीलों, आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठ में कुल 34 अपीलों और आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ में कुल 146 अपीलों का निपटान किया गया है।

वर्तमान में, रांची पीठ के एक और पीठ को ई-न्यायालय में विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।

ई-न्यायालय के माध्यम से कार्य कर रहे पीठों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :

क्रम सं०	कार्यरत पीठ
1.	नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय
2.	अहमदाबाद, क्षेत्रीय कार्यालय
3.	कोलकाता, क्षेत्रीय कार्यालय
4.	जबलपुर पीठ
5.	राजकोट पीठ
6.	गुवाहाटी पीठ

निम्नलिखित पीठों में 'ई-न्यायालय' बनाने का कार्य चल रहा है:-

क्रम सं०	प्रक्रियाधीन पीठ
1.	मुम्बई, प्रधान कार्यालय
2.	मुम्बई, अध्यक्ष का चैंबर
3.	बंगलूरु, क्षेत्रीय कार्यालय
4.	चेन्नै, क्षेत्रीय कार्यालय
5.	चंडीगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय
6.	लखनऊ, क्षेत्रीय कार्यालय
7.	हैदराबाद, क्षेत्रीय कार्यालय
8.	पुणे, पीठ
9.	जोधपुर पीठ
10.	जयपुर पीठ
11.	रांची पीठ

राजकोट पीठ के उपकरण के सही ढंग से कार्य नहीं करने के कारण लखनऊ पीठ के वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपकरण को राजकोट पीठ में स्थानांतरित किया गया है।

**सूरत पीठ की स्थापना :-** विधि और न्याय मंत्रालय ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता के पांच पीठों में से एक पीठ का सूरत में स्थानांतरण करके वहां एक पीठ की स्थापना किए जाने के आयकर अपीलीय अधिकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। तत्पश्चात, अधिकारिता में परिवर्तन के संबंध में आयकर अपीलीय अधिकरण के स्थायी आदेश में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

वर्तमान में, सीसीआईटी, सूरत ने अस्थायी आधार पर कुछ महीनों के लिए आयकर भवन, सूरत में आयकर अपीलीय अधिकरण के सूरत पीठ की स्थापना के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण को जगह प्रदान की है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सूरत पीठ का उद्घाटन दिनांक 01.09.2017 को हुआ।

इस दौरान, आयकर अपीलीय अधिकरण, सूरत पीठ के लिए किराए पर कार्यालय की जगह लेने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था, जिसके जवाब में प्राप्त हुए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

### आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन

आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरु, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में कार्यालय-सह-आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है। उड़ीसा सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ को कटक में कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.601 एकड़ का भू-खंड आबंटित किया है। आयकर अपीलीय अधिकरण ने कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में पश्चिम बंगाल हाउसिंग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय एवं कानूनी केंद्र में आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ, कोलकाता के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त, आयकर अपीलीय अधिकरण ई-नीलामी के माध्यम से अपने दिल्ली पीठ के लिए एनबीसीसी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय की जगह खरीदने का प्रयास कर रहा है।

### भूमि की वर्तमान स्थिति का विवरण:

- (i) **पुणे:-** आर्कीटेक्ट के नक्शों और विकल्पों को अंतिम रूप दिया जाना है, जिसके लिए आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे पीठ द्वारा शीघ्र ही आर्कीटेक्ट और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जा रही है।
- (ii) **बंगलूरु :-** भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, सर्वे सं० 51, बीटीएम लेआउट, तेवरकर गांव, बंगलूरु में अधिगृहीत भूखंड पर निर्माण कार्य करने के लिए प्रधान लेखा कार्यालय, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रधान लेखा कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में "पूंजी परिव्यय" शीर्ष के अधीन 8 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राधिकार-पत्र जारी कर दिया गया है।
- (iii) **जयपुर :-** भवन का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है। कार्यालय भवन और जी-4, राजमहल रेजिडेंसी एरिया, सी-योजना, जयपुर में आयकर अपीलीय अधिकरण के कार्यालय भवन और अधिकारियों के 4

क्वार्टरों के निर्माण के व्यय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लंबित बिलों के भुगतान हेतु वेतन और लेखा अधिकारी, उत्तरी क्षेत्र, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूर्वी ब्लाक, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के पक्ष में "पूँजी परिव्यय" शीर्ष के तहत कुल 1.97 करोड़ रु. (सिविल कार्य के लिए 1.15 करोड़ रु.) और बिजली के कार्य के लिए 0.82 करोड़ रुपए) के अंतरण के लिए विशेष मंजूरी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- (iv) **लखनऊ** :- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा 25.39 करोड़ रु० (जिसमें चहारदिवारी के निर्माण के लिए 98,10,898 रु० शामिल हैं) की अनुमानित राशि के आकलन को मंत्रालय को भेजा गया है। बदले में, मंत्रालय ने चहारदिवारी के निर्माण के लिए 98,10,898 रुपए के व्यय के लिए सहमति जारी की है। इस संबंध में आगे कार्रवाई चल रही है।
- (v) **कटक**:- आयकर अपीलीय अधिकरण ने अपने कार्यालय भवन और कर्मचारी आवास के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा सेक्टर-I, सीडीए, कटक में राजस्व भूखंड सं. 1/09 (पी)/खाता सं. 1/1, मौजा सुबर्णपुर, कटक सदर रहसील, कटक में 1.601 एकड़ भूमि प्राप्त की है। उक्त भूखंड में भूमि पूजन/शिलान्यास दिनांक 19.11.2017 को भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, उड़ीसा उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के.पटनायक की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
- मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.8.2017 के पत्र के तहत सीडीए, सेक्टर-1, कटक में कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण कार्य के खर्च हेतु प्रधान लेखा कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय के पक्ष में 11,63,88,000/- रुपए की धनराशि प्राधिकृत की गई है।
- (vi) **गुवाहाटी** :- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान "पूँजी परिव्यय" शीर्ष के अधीन फैंसी बाजार, गुवाहाटी में, 4.03 करोड़ रुपए में सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (सीआईडब्ल्यूटीसी) की भूमि ली गई थी, जिस पर और असम राज्य क्षेत्र में भूखंड के सुपर-स्ट्रक्चर के मूल्यांकन के संबंध में मामले को विधि और न्याय मंत्रालय को सौंपने की कार्रवाई चल रही है।
- (vii) **कोलकाता** :- पश्चिम बंगाल हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय एवं कानूनी केन्द्र में आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ के कार्यालय परिसर के आबंटन के लिए आवेदन के संबंध में 25 लाख रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान मंत्रालय द्वारा किया गया है और चूंकि सौदा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच है, इस आशय का के.लो.नि.वि. का प्रमाणपत्र मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है कि न्यूटाउन एरिया में के.लो.नि.वि. के संरक्षण में कोई केन्द्रीय सरकारी भूमि नहीं है, और भूमि की लागत उचित प्रतीत होती है।
- (viii) **पणजी** :- आयकर अपीलीय अधिकरण, पणजी पीठ के अपने कार्यालय परिसर निर्माण के लिए पणजी में पाटो परिसर या दूसरे उपयुक्त क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर के उपयुक्त भूखंड के आबंटन के लिए गोवा सरकार के संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया था। तथापि, राज्य सरकार से इस संबंध में अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है।

(ix) **जोधपुर** :- आयकर अपीलीय अधिकरण की जोधपुर पीठ ने जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर के साथ मामला उठाया है और जिलाधिकारी, जोधपुर से आयकर अपीलीय अधिकरण, जोधपुर पीठ के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्रधान कार्यालय ने दिनांक 17.04.2017 के यू.ओ. के तहत आयकर अपीलीय अधिकरण, जोधपुर से मामले में आगे कार्रवाई करके रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। मामले में की गई कार्रवाई की प्रतीक्षा है।

### सदस्यों के लिए सुविधाएं :

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के मामले में वर्ष 1998 की विशेष अनुमति याचिका (एल) एमओएस 6905/1998 और टीपी (सी)सं0 659 और 672-673 में दिनांक 19.9.2003 के अपने आदेश में सरकार को यह निदेश दिया था कि आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएं और आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा सदस्यों को उक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।

### हितकारी निधि

आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारिवृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

### राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके।

हिन्दी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वयन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टों की मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिन्दी/हिन्दी टंकण/ हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वयन के लिए और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिन्दी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार इस वर्ष आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यावयन के अनुसार कुल पुस्तकालय अनुदान की 50 प्रतिशत राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय के लिए आबंटित की गई है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुख्यालय, मुंबई के लिए एक वार्षिक जर्नल 'सृजन' का प्रकाशन किया गया है। इसमें आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिखित लेख, कहानी, कविता और यात्रावृत्त इत्यादि के अतिरिक्त हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम, हिंदी कार्यशाला के चित्र भी प्रकाशित किए जाते हैं।

सेवाओं में विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयन:

विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए नियुक्तियों में रियायत के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों को वर्ष 2017-18 के दौरान भी विधिवत कार्यान्वित किया गया है और आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय आकड़े उपाबंध-V में दिए गए हैं।

### सतर्कता संबंधी गतिविधियां :-

1. विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। सतर्कता एकक का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, सतर्कता एकक के प्रमुख डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार हैं। इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दोनों विभागों के सतर्कता ढांचे का केंद्र बिन्दु होता है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

- कदाचार/प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा शासकीय कार्यकरण में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के उपाय करना;
- भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना ;
- शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय शुरू करना ;
- उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना ;
- केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पणियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना ;

- विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा;
  - जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना; और
  - दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और परिमाण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।
2. कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा गया। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया है। दिनांक 30 अक्तूबर, 2017 से 4 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। दिनांक 30.10.2017 को पूर्वाह्न 11 बजे शपथ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधि सचिव ने शास्त्री भवन में दोनों विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह "मेरी नजर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर केन्द्रित था। इसके अतिरिक्त, इस विषय पर विभाग द्वारा एक व्याख्यान सत्र का आयोजन किया गया था, जिसके वक्ता डॉ. आर. जे. आर. काशीभाटला, उप विधि सलाहकार थे। इस सत्र में विधि सचिव के साथ विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए।

### लिंग आधारित मुद्दे :-

इस विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात् विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए दिनांक 10 मार्च, 2017 के आदेश के तहत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन शिकायत समिति गठित की गई है। उक्त शिकायत समिति सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965 के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण समझी जाएगी। शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। यह समिति महिला कर्मचारियों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो स्वयं जांच करेगी। जांच के पूरा होने के बाद, समिति आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन-1), विधि कार्य विभाग को निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। वर्तमान में इस समिति की प्रमुख श्रीमती जोया हडके, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार हैं।

दिनांक 1.1.2018 की स्थिति के अनुसार, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण उपाबंध-VI में दिया गया है।

विधि और न्याय मंत्रालय में महिला कर्मचारियों की संख्या का विवरण उपाबंध-VII में दिया गया है।

### स्वच्छ भारत अभियान

सरकार के निदेशानुसार, विधि कार्य विभाग और इसके कोलकाता, मुंबई, चेन्नै और बंगलूरु के शाखा सचिवालयों में और देश भर में स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण के कार्यालयों में दिनांक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।

माननीय विधि और न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में विधि कार्य विभाग द्वारा मनाए गए इस स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर अपना संदेश दिया। विभाग में और उसके शाखा सचिवालयों में दिनांक 15 सितंबर, 2017 से 2 अक्टूबर, 2017 की अवधि को 'स्वच्छता ही सेवा' के रूप में मनाया गया था। स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मुख्य सचिवालय, शाखा सचिवालयों, विधि आयोग, विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण में पोस्टर और बैनर लगाए गए ताकि स्वच्छता के संदेश का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हो सके। पुरानी फाइलों की छंटाई और अनुभागों तथा कमरों की सफाई नियमित रूप से की जाती है और सभी प्रभाग-अध्यक्षों को नियमित रूप से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का आयोजन करने के निदेश दिए गए हैं। विभाग के पुस्तकालय में पुरानी पुस्तकों और रिकॉर्ड कक्ष में रिकॉर्ड की सफाई और जिल्दबंदी की जाती है। विधि कार्य विभाग में स्वच्छ भारत अभियान की गतिविधियों के चित्र उपाबंध-VIII में दिए गए हैं।

### अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2017 मनाया जाना

विधि कार्य विभाग और उसके कोलकाता, चेन्नै, मुंबई और बंगलूरु सभी शाखा सचिवालयों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2017 मनाया गया। विधि कार्य विभाग में योग प्रदर्शन और योग के लाभों के बारे में व्याख्यान के लिए ओलिविया क्लब, वसुंधरा, गाजियाबाद से तीन प्रशिक्षकों को बुलाया गया। विधि सचिव और विधि कार्य विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया और प्रशिक्षकों द्वारा प्रदर्शित सभी योगासनो को किया।

शाखा सचिवालय, चेन्नै में दिनांक 20 और 21 जून, 2017 को कृष्णामाचारी योग मंदिरम, चेन्नै के योग-प्रशिक्षक को दो घंटे के योग सत्र के लिए आमंत्रित किया गया। शाखा सचिवालय, बंगलूरु में तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2017 (दिनांक 21.06.2017) के सामूहिक योगाभ्यास के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को योगाभ्यास हेतु तैयार करने के लिए दिनांक 07.06.2017 से 20.06.2017 एक योग प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था। शाखा सचिवालय, कोलकाता में, शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया।

मुख्य सचिवालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में विधि सचिव ने तृतीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने सबके स्वस्थ रहने, अपने कर्तव्य के कुशल निर्वहन द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ दैनंदिन गतिविधियों में योग की जरूरत पर जोर दिया। माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि हमें अक्षरशः पालन करना है ताकि भारत को स्वच्छ बनाने के कार्य में हम अपना योगदान दे सकें। विभाग में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के चित्र उपाबंध-IX में दिए गए हैं।

### संविधान दिवस

दिनांक 26 नवंबर 2017 को 'संविधान दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान की 'उद्देशिका' का वाचन भी किया गया।



## भारत का संविधान

### उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक <sup>1</sup>[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और <sup>2</sup>[राष्ट्र की एकता  
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख  
26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो  
हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत,  
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

<sup>1</sup> संविधान (बमालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 2 द्वारा (8-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान (बमालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 2 द्वारा (8-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

‘न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस)’ के अधीन उठाए गए कदम

### I. शासकीय प्रक्रिया का सरलीकरण:—

प्रशा.IV अनुभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा की तीन सेवाओं अर्थात् केंद्रीय सचिवालय सेवा(सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) संवर्ग में आने वाले कर्मचारियों का नियंत्रक प्राधिकरण है। प्रशासनिक मामलों का संचालन करने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

### II. डिजिटल इंडिया – डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

#### (क) लिम्ब्स (विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली)

लिम्ब्स न्यायालयी मामलों की व्यापक, विनियामक और सक्रिय निगरानी के लिए एक आसान वेब आधारित उपकरण है।

लिम्ब्स एक वेब-आधारित प्लेटफार्म है, जिसमें भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं वाले सभी प्रयोक्ताओं के लिए और सभी प्रशासनिक स्तरों के लिए एक कॉमन एक्सेस पोर्टल है अर्थात् इसमें फाइल प्रस्तुत करने वाले सहायक से लेकर प्रबंधन के शिखर तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है। लिम्ब्स में न्यायालय में चल रहे मुकदमों के विवरण जानने के लिए एक प्रयोक्ता अनुकूल डाटा-एंट्री स्क्रीन दी गई है। इसमें मुकदमों की प्रगति के बारे में प्रविष्टि की जा सकती है।

इस एप्लीकेशन में न्यायालय मामलों के विशेष दस्तावेज जैसे दाखिल किए गए उत्तर, प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र, फैसले की स्कैन की गई प्रति इत्यादि को अपलोड करने के लिए यूनीक डाक्यूमेंट लॉकेट की सुविधा प्रदान की गई है। ई-डाक्यूमेंट वॉल्ट में प्रयोक्ता महत्वपूर्ण फैसलों की प्रविष्टि कर सकते हैं। एस.एम.एस. एलर्ट के जरिये प्रयोक्ताओं को महत्वपूर्ण मामलों की सूचना दी जाती है। लिम्ब्स एडवोकेट मोड्यूल अधिवक्ताओं को एक ही स्थान से अपने संबंधित न्यायालयी मामलों को व्यवस्थित और अद्यतन करने में सहायता करता है। लिम्ब्स माध्यस्थम मोड्यूल, माध्यस्थम मामलों के समस्त घटनाचक्र की समय पर निगरानी के लिए है। इसका सरल प्रयोक्ता इंटरफेस सभी पणधारियों अर्थात् दावेदार, प्रतिवादी, मध्यस्थ, प्रयोक्ता और नोडल अधिकारी को समयबद्ध तरीके से माध्यस्थम मामलों पर विचार करने के लिए एक मंच पर लाता है।

लिम्ब्स एप्लीकेशन में एक वृहद डाटा रहेगा, जिसमें विभिन्न पणधारी शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी इस डाटा के आधार पर निर्णय ले सकेंगे, इसमें सुनवाई के डाटा का पहले से पता चल सकेगा और तदनुसार प्राधिकारी अपने जवाब तैयार कर सकेंगे।

#### (ख) एनडीएसएपी (राष्ट्रीय डाटा सहभागिता और अभिगम्यता नीति)

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के पास उपलब्ध बांटने योग्य डाटा और सूचना को मानव द्वारा पढ़ने योग्य तथा मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में एक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय तौर

पर और समय-समय पर अद्यतन करने योग्य तरीके से भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के ढांचे के भीतर देशभर में उपलब्ध करवाना है, ताकि यह अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और सार्वजनिक डाटा और सूचना का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

एनडीएसएपी के लाभ:-

- (1) अधिकतम उपयोग
- (2) दोहराव से बचाव
- (3) अधिकतम समेकन
- (4) स्वामित्व की जानकारी
- (5) बेहतर निर्णय लेना

(ग) ई-ऑफिस

ई-ऑफिस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- (1) सरकारी कार्रवाइयों की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार करना।
- (2) प्रतिवर्तन समय को कम करना और नागरिक-चार्टर की मांगों को पूरा करना।
- (3) प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना।
- (4) प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम करना।
- (5) पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करना।
- (6) इस प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होगी।

**III. निर्णय लेने के स्तरों को कम करना-** कुछ मामलों में जैसे कि अवकाश की मंजूरी आदि के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

**IV. पेंशन मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया-** पेंशन के मामलों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जा रही है।

दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के दौरान माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और विधि अधिकारियों द्वारा किए गए विदेश दौरों का विवरण :

क्र.सं.	नाम और पदनाम	देश का नाम	दौरे का प्रयोजन और अवधि
1.	श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय विधि और न्याय मंत्री	नसाऊ (बहामास)	दिनांक 16 से 19 अक्टूबर, 2017, राष्ट्रमंडल के विधि मंत्रियों की त्रैवार्षिक बैठक में भाग लेने हेतु।
2.	श्री पी.पी. चौधरी, माननीय राज्य मंत्री (विधि और न्याय)	ताशकंद (उजबेकिस्तान)	दिनांक 19 से 21 अक्टूबर, 2017, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की पांचवीं बैठक में भाग लेने हेतु।
3.	श्री सुरेश चंद्र, विधि सचिव	सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	दिनांक 16 से 20 मई, 2017, सातवें सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने हेतु।

## विधि और न्याय मंत्रालय

		ताशकंद (उजबेकिस्तान)	दिनांक 10-11 अगस्त, 2017, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य देशों के न्याय मंत्रालयों के विशेषज्ञों के कार्य-दल की बैठक में भाग लेने हेतु।
		नसाऊ (बहामास)	दिनांक 16 से 19 अक्टूबर, 2017, राष्ट्रमंडल के विधि मंत्रियों की त्रैवार्षिक बैठक में भाग लेने हेतु।
4.	श्री पी.एस. नरसिंह, भारत के अपर महासालिसिटर	ओटावा (कनाडा)	दिनांक 15 से 18 अक्टूबर, 2017, भारत-कनाडा विधि फोरम की छठी बैठक में भाग लेने हेतु।
5.	श्रीमती पिकी आनन्द, भारत की अपर महासालिसिटर	सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	दिनांक 28 से 30 नवंबर, 2017, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महाभियोजक कार्यालय के पंद्रहवें सत्र में भाग लेने हेतु।
6.	श्री ए. नाडकर्णी, भारत के अपर महासालिसिटर	सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	दिनांक 28 से 30 नवंबर, 2017, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महाभियोजक कार्यालय के पंद्रहवें सत्र में भाग लेने हेतु।
7.	डॉ. अंजु राठी राणा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	ताशकंद (उजबेकिस्तान)	दिनांक 18 से 21 अक्टूबर, 2017, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की पांचवी बैठक में भाग लेने हेतु।
		सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	दिनांक 28 से 30 नवंबर, 2017, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महाभियोजक कार्यालय के पंद्रहवें सत्र में भाग लेने हेतु।
8.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, उप विधि सलाहकार	सियोल (दक्षिण कोरिया गणराज्य)	दिनांक 7 से 9 नवंबर, 2017, छठे यूएनसीआईटीआरएएल, वैकल्पिक विवाद समाधान का एशिया ओर प्रशांत क्षेत्रीय केन्द्र का सम्मेलन, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला और क्षेत्रीय गोलमेज कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु।
9.	डॉ.आर.जे.आर. काशीभाटला, उप विधि सलाहकार	हेग, (नीदरलैंड)	दिनांक 21 से 29 जनवरी, 2017, टिनोक होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम भारत गणराज्य के माध्यस्थता मामले के लिए सुनवाई और तैयारी बैठक में भाग लेने हेतु।
		कोबे (जापान)	दिनांक 26 फरवरी से 3 मार्च 2017, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार वार्ता समिति की 17वीं बैठक और संबंधित बैठकों में भाग लेने हेतु।
		मनीला (फिलिपींस)	दिनांक 6 मई से 12 मई, 2017, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार वार्ता समिति की 18वीं बैठक और संबंधित बैठकों में भाग लेने हेतु।
		मनीला (फिलिपींस)	दिनांक 12 से 17 सितंबर, 2017 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी विषयक निवेश कार्यसमूह की अंतर- सत्रीय बैठक में भाग लेने हेतु।

## विधि और न्याय मंत्रालय

		इंचोन (दक्षिण कोरिया गणराज्य)	दिनांक 18 से 26 अक्टूबर, 2017, पर 20वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के निवेश विषयक कार्यसमूह (डब्ल्यूजीआई) की बैठक में भाग लेने हेतु।
10.	श्री ओ.पी. बागड़ी, उप विधि सलाहकार	मिलान (इटली)	दिनांक 6 से 7 जून, 2017, अगस्ता वेस्टलैंड (वीवीआईपी / वीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद मामला) के पुनः विचारण के मामले में न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु।
11.	श्री ओ. वेंकटेश्वरलू, उप विधि सलाहकार	सेंट पीटर्सवर्ग (रूस)	दिनांक 16 से 20 मई, 2017, सातवें सेंट पीटर्सवर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने हेतु।
12.	श्रीमती कुसुम लता सिंह, सहायक विधि सलाहकार	कोलंबो (श्रीलंका)	दिनांक 18 से 20 दिसंबर, 2017, भारत – श्रीलंका आर्थिक तकनीकी सहयोग करार (ईटीसीए) वार्ता के सातवें दौर में भाग लेने हेतु।
13.	डॉ.आर.एस. श्रीनेत, सहायक विधि सलाहकार	मिंस्क (बेलारूस)	दिनांक 15-16 जून, 2017, भारत – बेलारूस द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए वार्ता के चौथे दौर में भाग लेने हेतु।
14.	श्री नीरज रावत, सहायक विधि सलाहकार	वियना (आस्ट्रिया)	दिनांक 4 से 6 जुलाई, 2017, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) द्वारा “नवाचार और दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि का आधुनिकीकरण” विषय पर आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु।
15.	श्री कृष्ण मोहन आर्य, सहायक विधि सलाहकार	बैंकॉक, (थाईलैंड)	दिनांक 4-5 सितंबर, 2017, यूएनसीआईटीआरएएल, आरसीएपी की दो-दिवसीय संगोष्ठी में भाग लेने हेतु।
16.	श्री अर्पित अनंत मिश्र, सहायक विधि सलाहकार	वारसा (पोलैंड)	दिनांक 7-8 सितंबर, 2017, भारत और पोलैंड के बीच आपराधिक मामलों के संबंध में पारस्परिक विधिक सहायता संधि के लिए वार्ता में भाग लेने हेतु।
17.	श्री हेमंत कुमार, सहायक विधि सलाहकार	अबू-धाबी (यूएई)	दिनांक 25 से 27 सितंबर, 2017, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए प्रथम दौर की वार्ता में भाग लेने हेतु।
		अंकारा (तुर्की और बर्न (स्विजरलैंड))	(i) दिनांक 8 से 10 नवंबर, 2017, भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए प्रथम दौर की वार्ता (ii) दिनांक 13-14 नवंबर, 2017, भारत और स्विजरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए दूसरे दौर की वार्ता में भाग लेने हेतु।
18.	श्रीमती आरती चोपड़ा, सहायक विधि सलाहकार	वियना (आस्ट्रिया)	दिनांक 2 से 6 अक्टूबर, 2017, यूएनसीआईटीआरएएल कार्यसमूह-II (विवाद निपटान) के सड़सठवें सत्र में भाग लेने हेतु।
19.	श्री नवीन कुमार रजक, अनुभाग अधिकारी	बैंकाक, (थाईलैंड)	दिनांक 4-5 सितंबर, 2017, यूएनसीआईटीआरएएल, आरसीएपी को दो-दिवसीय संगोष्ठी में भाग लेने हेतु।

### अध्याय-II

#### विधायी विभाग

जहां तक भारत सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

#### 1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा-उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग निम्नलिखित विषयों से संबंधित है :-

- (i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों की प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना;
- (ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर-सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर-सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;
- (iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टें तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है;
- (iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;
- (v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;
- (vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;
- (vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है;
- (viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना;
- (ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है;

- (x) संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;
  - (xi) संसद, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन;
  - (xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजन;
  - (xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;
  - (xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;
  - (xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित विषय;
  - (xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले;
  - (xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान;
  - (xviii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;
  - (xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवाद का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना;
  - (xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन।
- (2) विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात् राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।
- (क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत

स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

- (ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है।

### 2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट उपाबंध x पर है।

### 3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

- (2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।
- (3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से, विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: –
- (क) सांविधानिक संशोधन;
- (ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां;
- (ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान;
- (घ) निरर्थक विधियों का निरसन; और
- (ङ) प्रकीर्ण विधियां।



4. 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग ने संसद के सदनों में पुरःस्थापन के लिए विधेयकों/अध्यादेशों के प्रारूपण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल के लिए विधायी प्रस्तावों वाले 100 टिप्पणों की परीक्षा की। इस अवधि के दौरान कुल 55 विधेयक पुरःस्थापन के लिए संसद के सदनों को अग्रेषित किए गए।

इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नलिखित अनुसार है :-

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम
1.	मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
2.	वित्त विधेयक, 2017
3.	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) विधेयक, 2017
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017
5.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2017
6.	संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017
7.	अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017
8.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017
9.	संख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017
10.	विनियोग (रेलवे) विधेयक, 2017
11.	विनियोग (रेलवे) सं.2 विधेयक, 2017
12.	विनियोग विधेयक, 2017
13.	विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2017
14.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
15.	वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017
16.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक,, 2017
17.	संघ राज्यक्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर विधेयक,, 2017
18.	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक,, 2017
19.	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,, 2017
20.	संविधान (एक सौ तेईसवाँ) संशोधन विधेयक, 2017
21.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक,, 2017
22.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक,, 2017
23.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017
24.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017
25.	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017

26	प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017
27	भारतीय पैट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017
28	स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017
29	बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017
30	केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
31	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017
32	वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
33	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
34	पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) विधेयक, 2017
35	विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2017
36	विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2017
37	राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2017
38	मजदूरी संहिता विधेयक, 2017
39	वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017
40	निरसन और संशोधन (द्वितीय) विधेयक, 2017
41	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017
42	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2017
43	दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
44	उपदान संदाय विधेयक, 2017
45	भारतीय वन विधेयक, 2017
46	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017
47	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा और शर्तें) संशोधन विधेयक, 2017
48	विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2017
49	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017
50	विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2017
51	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) द्वितीय (संशोधन) विधेयक, 2017
52	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017
53	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, (संशोधन) विधेयक 2017
54	भारतीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017
55	परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017

5. 01.01.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के दौरान पुरःस्थापित किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से 33 विधेयक, अधिनियमों में अधिनियमित किए गए हैं जोकि निम्नानुसार है :-

अधिनियम संख्या	संक्षिप्त नाम
1.	मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 1)
2.	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अधिनियम, 2017 (2017 का 2)
3.	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 (2017 का 3)
4.	विनियोग अधिनियम, 2017 (2017 का 4)
5.	विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2017 (2017 का 5)
6.	प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 6)
7.	वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7)
8.	विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 2017 (2017 का 8)
9.	विनियोग (रेलवे) सं. 2 अधिनियम, 2017 (2017 का 9)
10.	मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 (2017 का 10)
11.	कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 11)
12.	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)
13.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13)
14.	संघ राज्यक्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14)
15.	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15)
16.	मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16)
17.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 17)
18.	कराधान विधि अधिनियम, 2017 (2017 का 18)
19.	राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 19)
20.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 20)
21.	संख्यकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 21)
22.	नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 (2017 का 22)
23.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) (2017 का 23)
24.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 24)
25.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 25)

26.	वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 26)
27.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 27)
28.	विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2017 (2017 का 28)
29.	विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2017 (2017 का 29)
30.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 30)
31.	पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 31)
32.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 32)
33.	भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 33)

## 6. अध्यादेश

विधायी विभाग ने 7 अध्यादेशों का प्रारूपण तैयार किया जो 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए थे :-

सं.	संक्षिप्त शीर्षक
1.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का 1)
2.	पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017 (2017 का 2)
3.	वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) द्वितीय अध्यादेश, 2017 (2017 का 3)
4.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017 (2017 का 4)
5.	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अध्यादेश, 2017 (2017 का 5)
6.	भारतीय वन अध्यादेश, 2017 (2017 का 6)
7.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का 7)

## 7. विनियम

संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन छह विनियम जारी किए गए :-

संक्षिप्त नाम	
1.	लक्षद्वीप पंचायत (संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 1)
2.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह मनोरंजन कर निरसन विनियम, 2017 (2017 का 2)
3.	दादरा और नागर हवेली मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 3)
4.	दमन और दीव मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 4)
5.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (नगर निगम) संशोधन विनियम, 2017 (2017 का 5)
6.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह मूल्य वर्धित कर विनियम, 2017 (2017 का 6)

8. संवैधानिक आदेश— संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन एक संवैधानिक आदेश जारी किया गया।

संक्षिप्त नाम	
1.	संविधान (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) संशोधन आदेश, 2017

## 9. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 3474 कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई है।

## 10. अप्रचलित विधियों का निरसन

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2017, 09.02.2017 को लोक सभा में उन 105 अप्रचलित और अनावश्यक अधिनियमों के निरसन के लिए प्रस्तावित किया गया था जोकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए थे तथा अभी राष्ट्रपति की सहमति के लिए संसद से प्राप्त किए जाने हैं।

निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017, 11.08.2017 को लोक सभा में उन 140 अप्रचलित और अनावश्यक अधिनियमों के निरसन के लिए प्रस्तावित किया गया था जोकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए थे तथा अभी राष्ट्रपति की सहमति के लिए संसद से प्राप्त किए जाने हैं।

## 11. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत का संविधान, निर्वाचन विधियों एवं तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप- राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

- (2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी सांविधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त – 01 जनवरी, 1990 तक रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।
- (3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। उनकी हैसियत व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होती हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है।
- (4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में आंतरिक दल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन

आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

- (5) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है तथा इसे निर्वाचन आयोग के लिए भारत सरकार की स्वीकृतियां जारी करने का कार्य सौंपा गया है।
- (6) इसके अतिरिक्त वर्ष 1950 में निर्वाचन व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। और, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय क्रमशः केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ-साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भारत सरकार के भाग का पुनर्भुगतान संबंधित राज्य सरकारों को कर दिया जाता है।

### 12. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी विभाग, संसद, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन कराने और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
  - (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
  - (iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952
  - (iv) परिसीमन अधिनियम, 2002
  - (v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005
  - (vi) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010
- (2) हमारे देश का निर्वाचक तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फस्ट पास्ट दी पोस्ट) वाला भी कहा जाता है ने अड़सठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने अड़सठ वर्षों की इस यात्रा को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून-पसीने से संवारा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्तता एवं हलचल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निर्वाचन प्रक्रिया, युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक मत अत्यधिक मूल्यवान है। ऐसे परिवेश में आरोप-प्रत्यारोप

लगाए जाते हैं। कुछ बेईमान और आपराधिक तत्वों के कारण निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

- (3) ऐसे परिवेश में, जोकि निरंतर बदल रहा है, अनेक बार निर्वाचन विधि में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार-विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय-समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।
- (4) पूर्व की विभिन्न समितियों की रिपोर्टें, निर्वाचन आयोग तथा अन्य हितधारकों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए और विधि में अविलम्ब परिवर्तन करने के लिए, प्राथमिक रूप से तीन माह की अवधि के भीतर, व्यापक उपाय सुझाने हेतु 16 जनवरी, 2013 को माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने निर्वाचन संबंधी सुधारों का मामला विचार करने हेतु पूर्ण रूप से विधि आयोग को सौंप दिया। इन सभी बातों पर विचार किए जाने के पश्चात, भारत के विधि आयोग ने क्रमशः 2014 तथा 2015 में निर्वाचन सुधारों पर अपनी 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट पेश की। वर्तमान में, विधि आयोग की 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

### 13. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.), बैलेट बॉक्स का प्रतिस्थापन निर्वाचन प्रक्रिया का मुख्य आधार है। पहली बार वर्ष 1977 में निर्वाचन आयोग द्वारा कल्पना की गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) को इसे डिजाइन तथा विकसित करने का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1979 एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया, जिसका प्रदर्शन निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर (बीईएल), एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, को, ईवीएम की शुरुआत पर आम सहमति बनने के पश्चात ईसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से ईवीएम के निर्माण के लिए चुना गया।

- (2) ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल में मई, 1982 के उप चुनावों में हुआ था, हालांकि, इसके प्रयोग संबंधी कोई विधि विशेष न होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने यह चुनाव खारिज कर दिए थे। तत्पश्चात वर्ष 1989 में संसद ने चुनावों में ईवीएम के प्रयोग के लिए प्रावधान बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किए थे। इसकी शुरुआत से संबंधित आम सहमति 1998 में ही बनी तथा तीन राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रयोग हुआ। वर्ष 1999 में इसका प्रयोग बढ़ाकर 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इसके पश्चात, फरवरी, 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों में 45 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों किया गया। मई, 2001 में राज्य विधानसभा चुनावों में तमिलनाडू, केरल, पांडिचेरी तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ईवीएम का प्रयोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। तब से, सभी राज्य विधानसभा के लिए आयोग ने ईवीएम का प्रयोग किया है। वर्ष 2004 में, लोक सभा के आम चुनावों में देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम (दस लाख से अधिक) का प्रयोग किया गया। वर्ष 2004 से सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हुआ है।

- (3) चुनावों में ईवीएम के डिजाइन तथा प्रयोग को वैश्विक लोकतंत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है। इससे प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, तेजी तथा ग्राह्यता आयेगी। इससे ईवीएम के प्रयोग में प्रवीण निर्वाचन अधिकारियों का व्यापक दल तैयार करने में भी सहायता मिली है। इसके विकास क्रम में आयोग ने निर्देशों की श्रृंखला, अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न तथा तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान, अनेक न्यायिक निर्णयों से भी ईवीएम को हमारी निर्वाचन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने में सहायता मिली है।

#### 14. ईवीएम का विस्तार तथा निपटान-तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

ईसीआई-ईवीएम का अनुमोदन 1990 में निर्वाचन सुधारों पर गोस्वामी समिति की पहल पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता प्रो.एस.सम्पत, तत्कालीन अध्यक्ष आर.ए.सी., रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अन्य सदस्यों, प्रो. पी.वी.इंदीरसेन, जोकि तब दिल्ली आई.आई.टी. में थे तथा डॉ. सी.राव कसारबाडा, तत्कालीन निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, त्रिवेंद्रम के साथ की थी। इसके बाद से आयोग ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर तकनीकी विशेषज्ञों के दल से विमर्श करता है। नवंबर, 2010 में, आयोग ने दो अन्य विशेषज्ञों को शामिल करके अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया है।

- 2) ईवीएम के उन्नयन तथा निपटान संबंधी सभी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) से परामर्श किया जाता है। तत्पश्चात, इस मामले में कोई भी निर्णय लिया जाता है। वर्तमान समय में आयोग में प्रयोग हेतु ईवीएम के तीन प्रकार उपलब्ध हैं- पूर्व 2006, उत्तर 2006 तथा उन्नत उत्तर 2006। उन्नत उत्तर 2006 (उत्तर 2013) ईवीएम का प्रयोग लोक सभा, 2014 के आम चुनाव में किया गया था।
- (3) अभी तक ईवीएम का जो प्रापण किया गया है, उसका ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	बैलेट यूनिट की कुल सं.	कंट्रोल यूनिट की कुल सं.	कुल धनराशि प्रदत्त/स्वीकृत (रुपयों में)	कुल धनराशि प्रदत्त/स्वीकृत (करोड़ रुपयों में)
1.	2000-2001	142631	142631	1499880443	149.99
2.	2001-2002	135481	135481	1422900000	142.29
3.	2002-2003	190592	190592	2006100000	200.61
4.	2003-2004	336045	336045	3530000000	353.00
5.	2004-2005	125681	125681	1315400000	131.54
6.	2006-2007	250000	250000	2893742332	289.38
7.	2008-2009	180000	180000	1900000000	190.00
8.	2009-2010	127000	100000	1150000000	115.00
9.	2013-14	382876	251650	2159435745	215.94
	योग	1870306	1712080	17877458520	1787.75



- (4) इसके अतिरिक्त, तीन वित्तीय वर्षों में ईवीएम के प्रापण के लिए हाल ही में अनुमोदन प्राप्त किया गया है जोकि निम्नानुसार है—

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	ईवीएम		वीवीपीएटी		ईवीएम (बी.यू. एवं सी.यू.) एवं वीवीपीएटी		
		बी.यू. की सं.	मूल लागत @ रु 7700/-	सी.यू. की सं.	मूल लागत @ रु 9300/-	वीवीपीएटी की सं.	मूल लागत @ रु 16000/-	कुल मूल लागत
1	2	3	4=(3x7700)	5	6=(5x9300)	7	8=(7x16000)	9=(4+6+8)
1.	2016-17	550000	4235000000	545000	5068500000	443000	7088000000	16391500000
2.	2017-18	410000	3157000000	314000	2920200000	510000	8160000000	14237200000
3.	2018-19	435306	3351856200	71716	666958800	662066	10593056000	14611871000
	2018-19	1395306	10743856200	930716	8655658800	1615066	25841056000	45240571000

### 15. मतदान फोटो पहचान-पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ई पी आई सी)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान-पत्रों का उपयोग धीरे-धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली, रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही, आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों को, जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग करता है।

- (2) निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान-पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान-पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं -

- (i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।
  - (ii) मतदाता डाटाबेस में मतदाताओं की फोटो उपलब्ध न होने की स्थिति में समय-समय पर विशेष अभियान चला कर फोटो एकत्र की/ली जाती हैं।
  - (iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की गई है।
  - (iv) बिना रूकावट नामांकन करने तथा सभी नए रजिस्टर्ड मतदाताओं को ईपीआईसी जारी करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।
- (3) इस संबंध में देश में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण आयोग में उपलब्ध अद्यतित डाटा (2017) के अनुसार निम्नानुसार है।

क्रम सं.	राज्य का नाम	ईपीआईसी:
1	आन्ध्र प्रदेश	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	99.60
3	असम	96.21
4	बिहार	100.00
5	छत्तीसगढ़	97.97
6	गोवा	99.71
7	गुजरात	100.00
8	हरियाणा	100.00
9	हिमाचल प्रदेश	100.00
10	जम्मू और कश्मीर	92.91
11	झारखण्ड	99.79
12	कर्नाटक	100.00
13	केरल	100.00
14	मध्य प्रदेश	100.00
15	महाराष्ट्र	95.81
16	मणिपुर	100.00
17	मेघालय	100.00

18	मिजोरम	100.00
19	नागालैण्ड	98.20
20	उड़ीसा	98.15
21	पंजाब	100.00
22	राजस्थान	99.13
23	सिक्किम	100.00
24	तमिलनाडु	99.91
25	# तेलंगाना	100.00
26	त्रिपुरा	100.00
27	उत्तराखण्ड	100.00
28	उत्तर प्रदेश	98.88
29	पश्चिम बंगाल	100.00
30	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	98.88
31	चण्डीगढ़	100.00
32	दादरा एवं नागर हवेली	100.00
33	दमन एवं दीव	100.00
34	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	100.00
35	लक्षद्वीप	100.00
36	पुडुचेरी	99.99
	समस्त भारत	99.28

# तेलंगाना में 2015 के आंकड़े

### 16. मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी):

4 अक्टूबर, 2010 को हुई सभी राजनीतिक दलों की बैठक में दलों ने ईवीएम से संतुष्टि जाहिर की परंतु कुछ दलों ने आयोग से मतदान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सत्यापनीयता के लिए मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की शुरुआत करने पर विचार करने का अनुरोध किया। आयोग ने इस संबंध में जांच करने तथा संस्तुति देने के लिए ईवीएम संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ समिति से मामले का उल्लेख किया। विशेषज्ञ समिति ने इस विषय पर ईवीएम के निर्माताओं, बीईएल और ईसीआईएल के साथ कई बैठकें कीं तथा उसके पश्चात उन्होंने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी प्रणाली के डिजाइन संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए

राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक सदस्यों से मुलाकात की। निर्वाचन आयोग ने 26 दिसंबर, 2016 के पत्र द्वारा सूचित किया कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात, निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी के निर्माण के लिए बीईएल और ईसीआईएल के अतिरिक्त दो अन्य के.सा.क्षे.उ., आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर तथा सी.ई.एल., गाजियाबाद का चुनाव किया है।

- (2) भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2013 को संशोधित निर्वाचनों का संचालन नियमावली, 1961 को अधिसूचित किया जिसमें आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के प्रयोग का अधिकार दिया गया। आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम नागालैण्ड के 51-नोकसेन (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनावों में किया। तत्पश्चात, वीवीपीएटी का प्रयोग विधानसभा के सभी चुनावों में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों तथा लोक सभा, 2014 के आम चुनावों में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। निर्वाचन आयोग ने नवंबर-दिसंबर 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी यूनितों का प्रयोग किया।
- (3) आयोग ने 2019 के आम चुनावों में प्रयुक्त किए जाने हेतु 16.15 लाख वीवीपीएटी की आपूर्ति के लिए निर्माताओं, मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलौर तथा मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद को ऑर्डर दिया है।

### 17. वीवीपीएटी के तथ्य

वीवीपीएटी एक स्वतंत्र यंत्र है जो कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के साथ लगा होता है जिससे मतदाता जांच सकता है कि मत उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। जब मत डाला जाएगा, प्रिंटर द्वारा उम्मीदवार की क्रम संख्या, उम्मीदवार के नाम तथा उम्मीदवार के चुनाव चिह्न को दर्शाते हुए एक स्लिप मुद्रित होगी तथा 7 सेकंड के लिए पारदर्शी विंडो में दिखाई देगी। इसके पश्चात यह प्रिंटिड स्लिप अपने आप कट जाएगी तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बक्से में गिर जाएगी।

### 18. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग, विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2017 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 245 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 30 नए मामले प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ-पत्र और समुचित अनुदेश, संबंधित सरकारी काउंसिल को संप्रेषित किए गए थे। 8 मामलों का इस अवधि के दौरान निपटारा कर दिया गया है। इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 267 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मानिट्रिंग की जा रही है।

### 19. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2017-18 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटारा किया है :

क्र. सं.	कारबार की मद	विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	207
2.	राज्य सभा प्रश्न	169
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	34
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	8
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	2
6.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	2
7.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	1
8.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	13
9.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	6
10.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	8

## 20. परामर्श समिति

विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति को दिनांक 16 सितम्बर, 2009 को 15 सदस्यों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था। वर्ष 2017 के दौरान, इस मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की दो बैठकें 30 मार्च, 2017 तथा 16 नवंबर, 2017 को हुईं।

## 21. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20ए के वर्तमान प्रावधान तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) जो मतदान करने का इच्छुक हो, को चुनाव के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित होना आवश्यक है तथा उक्त प्रावधान बाहरी मतदान के माध्यम की अनुमति नहीं देता जोकि कुछ अन्य देशों में प्रचलित है। बाहरी मतदाताओं के लिए परोक्षी मतदान की शुरुआत करने के लिए रखे गए प्रस्ताव को मंत्रीमण्डल द्वारा 2 अगस्त, 2017 को हुई बैठक में स्वीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एक विधेयक 18 दिसंबर, 2017 को लोक सभा में प्रस्तावित किया गया।

## 22. समवर्ती क्षेत्र में विधान

भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची – सूची 3 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों की बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं :-

- (क) विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; विलय निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;

- (ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण);
- (ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;
- (घ) अनुयोज्य दोष;
- (ङ) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;
- (च) साक्ष्य और शपथ;
- (छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थता शामिल है;
- (ज) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

### 23. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

विधायी विभाग, इस समय स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों पर, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, भारत के विधि आयोग की 41 रिपोर्टों की मानीटरिंग एवं जांच कर रहा है। आयोग की संस्तुतियों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

### 24. लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति

लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति, जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा का दायित्व का निर्वहन करती है।

- (2) 16वीं लोक सभा के दौरान लाभ के पद की संवैधानिक और विधिक स्थिति का परीक्षण करने हेतु संसद के सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। अब तक, 12 मामलों पर विभाग के विचार समिति को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा रिपोर्ट की अवधि के दौरान 2 मामलों से संबंधित प्रमाण समिति को दिए जा चुके हैं।

### 25. विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2017

व्यापार में सरलता के लिए सरकार के प्रयासों के रूप में, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2017 नाम से एक विधेयक लोक सभा में 22 दिसंबर, 2017 को प्रस्तावित किया गया। यह प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों के बीच अपवाद के रूप में विशिष्ट कार्य करने से संबंधित है।

## 26. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017

शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 नाम से एक विधेयक लोक सभा में प्रस्तावित किया गया तथा 28 दिसंबर, 2017 को पारित हुआ। इस विधेयक में विवाह पर मुस्लिम महिलाओं के कुछ अधिकारों पर ध्यान दिया गया है। यह विधेयक राज्य सभा में विचाराधीन है।

## 27. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग, स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विभाजन अधिनियम 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, परिसीमा अधिनियम 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 के दौरान 14 नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

## 28. राज्य विधायी प्रस्ताव

राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उपरोक्त विषयों से संबंधित ऐसे विधायी प्रस्ताव जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, उनकी भी इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित 80 संदभों का परीक्षण किया गया था तथा गृह मंत्रालय को राय दी गई थी।

## 29. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधियों तथा उनके नियमित अद्यतन की गहन जानकारी के अतिरिक्त, विधि प्रारूपण में कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के लिए विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता है।

- (2) देश में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अब तक केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों के 700 अधिकारी आई.एल.डी.आर. द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं।
- (3) अपनी स्थापना के आरंभ से, यह संस्थान केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। वर्तमान में डॉ. जी.नारायण राजू, सचिव, विधायी विभाग, आई.एल.डी.आर. के पाठ्यक्रम निदेशक हैं जो संस्थान के नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।

- (4) आईएलडीआर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन करता है, जिनके नाम हैं:
- (i) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों के विधि अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में बुनियादी पाठ्यक्रम;
  - (ii) केंद्रीय मंत्रालयों के विधायी प्रारूपण करने वाले अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में मूल्यांकन पाठ्यक्रम;
  - (iii) कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटरनशिप स्कीम। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रुचि पैदा हो सके तथा वह विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी एकत्रित कर सके।
- (5) 2017-18 की अवधि के दौरान आईएलडीआर द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:
- (i) 4 जुलाई, 2017 से 29 सितंबर, 2017 तक विधायी प्रारूपण में उन्नतीसवां बुनियादी पाठ्यक्रम,
  - (ii) 6 फरवरी, 2017 से 20 फरवरी, 2017 तक विधायी प्रारूपण में बीसवां मूल्यांकन पाठ्यक्रम,
  - (iii) 27 फरवरी, 2017 से 3 मार्च, 2017 तक ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग, लोक सभा सचिवालय द्वारा संचालित किए गए विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम में बत्तीसवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया,
  - (iv) विधि के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक इंटरनशिप कार्यक्रम जोकि वर्ष भर चलता है।
- (6) वर्ष 2017-18 के दौरान, 19 प्रशिक्षु बुनियादी पाठ्यक्रम तथा 49 अधिकारी मूल्यांकन पाठ्यक्रम द्वारा लाभान्वित हुए। 54 विद्यार्थियों को स्वैच्छिक इंटरनशिप स्कीम में भाग लेने का अवसर दिया गया।
- (7) आई.एल.डी.आर. को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के संचालन के मूल्यांकन के आधार पर आईएसओ 9001 : 2008 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।

### 30. ई-गवर्नेंस की पहलें

- (i) ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रूप में विधायी विभाग के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) के माध्यम से ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सी एम एस) को अपनाने का निर्णय लिया है ताकि विभाग की वेबसाइट को और अधिक नागरिक अनुकूल बनाया जा सके। यह कार्य अंतिम चरण में है तथा इसे शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अपनाने का उद्देश्य यह है कि सरकारी विभागों की वेबसाइट में सुधार किया जा सके ताकि स्थिर पड़ी वेबसाइट को एक सक्रिय पोर्टल में परिवर्तित किया जा सके तथा इसमें मोबाइल फ्रेंडलीनेस, टेक्स्ट स्पीच सशक्तिकरण, लैंग्वेज ट्रांसलेशन/ट्रांसलिटरेशन, पेमेंट गेटवे इनेबलमेंट तथा विजीटर एनेलेटिक डेशबोर्ड जैसी कतिपय विशेष सुविधाएं स्वतः उपलब्ध करवाई जा सकें। सी.एम.एफ. वेबसाइट 15 मई, 2017 को सॉफ्ट लॉन्च की गई तथा वर्तमान में एन.आई.सी. की सीएमएफ टीम इसके लिए स्टैंडर्ड टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन (एसटीक्यूसी) का पालन कर रही है।



- (ii) ई-ऑफिस का कार्यान्वयन: सुशासन के भाग के रूप में तथा सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग के नाते ई-ऑफिस के कार्यान्वयन पर विभाग सक्रियता के विचार कर रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि विधायी विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (एन.आई.सी.एस.आई.) द्वारा उपलब्ध ई-ऑफिस प्रीमियम का कार्यान्वयन किया जाए। ई-ऑफिस प्रीमियम एक मानक उत्पाद है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है तथा यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों में दोहराये जाने में सक्षम है। इस परियोजना को एन.आई.सी. एस.आई. की सहायता से लागू किया जाएगा। ई-ऑफिस लागू करने के लिए एन.आई.सी.एस.आई. ने विधायी विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा अब इसके संबंध में वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत विभाग में चरणबद्ध तरीके से परियोजना शुरू करने के लिए एन.आई.सी. तथा एन.आई.सी.एस.आई. के समन्वय से एन.आई.सी.एस.आई. के प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।
- (iii) इंटरनेट प्रोटोकॉल का 1PV4 से 1PV6 में परिवर्तन: विभाग में लगे कम्प्यूटर सिस्टम के इंटरनेट प्रोटोकॉल के 1PV4 से 1PV6 में परिवर्तन हेतु एन आई सी कक्ष के समन्वय से विधायी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एन आई सी कक्ष ने मामले की जांच कर यह बताया है कि नॉन-मैनेजेबल हब्स को मैनेजेबल स्विच द्वारा प्रतिस्थापित कर इस विभाग के लैन के सभी नेटवर्क राउटरों को 1PV6 कम्पैटिबल बना दिया गया है। नेटवर्क प्रशासन, एन आई सी मुख्यालय, से तैयारी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत 1PV6 परिवर्तन के संबंध में एन आई सी कक्ष प्रायोगिक टेस्ट नेटवर्क आरंभ करेगा।
- (iv) विधायी विभाग में किसी भी संभव साइबर अटैक को नाकाम करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देश: विभाग की वेबसाइट को किसी भी संभव साइबर अटैक से बचाने तथा सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साइबर सुरक्षा निर्देशों को सख्त अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है ताकि विधायी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गैर राज्य संस्थाओं द्वारा डाटा चोरी, हैकिंग तथा इसी प्रकार के अन्य साइबर अटैकों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

### 31. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, विधायी विभाग ने सूचना का अधिकार संबंधी प्रकोष्ठ का गठन 12 अगस्त, 2005 से किया हुआ है, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में श्री उदय कुमार, अपर सचिव; श्री एस.के.चिटकारा, उप सचिव तथा सुश्री विद्यावती, अवर सचिव, अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने, विभाग की शासकीय वेबसाइट पर "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अधीन पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई-मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए

और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई-मेल संपर्क पता [aa-rti-legis@nic-in](mailto:aa-rti-legis@nic-in) है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता [cpio-rti-legis@nic-in](mailto:cpio-rti-legis@nic-in) है।

- (2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर इसे आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय-वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय-सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। वर्ष 2017-18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए पांच सौ निन्यानवें (599) आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। 1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर सभी अट्ठावन (58) प्रथम अपीलों का उनके गुण-दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आवेदनों के आगम के रूझान को देखते हुए लगता है कि 2017-2018 के शेष तीन महीनों के दौरान 300 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। आरटीआई आवेदन का निपटान करते हुए दिसंबर, 2016 तक आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में इस विभाग ने 3915/- रु. अर्जित किए हैं।

### 32. शुद्धि अनुभाग

केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख-रखाव

- (1) शुद्धि अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख-रखाव करता है। बजट सत्र, मॉनसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र 2017 के दौरान पारित और प्रवृत्त किए गए संशोधनकारी अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधनों को इंडिया कोड के जिल्दों में समाविष्ट कर दिया गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2017 में बारह राज्यों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल से राज्यों के अधिनियम इस विभाग को प्राप्त हो गए हैं। इस विभाग का शुद्धि अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख-रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये बहुमूल्य संदर्भ पुस्तकें होती हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1947 से 2016 तक के केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अपडेट कर दिया गया है तथा वर्ष 2017 तक इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वर्ष 1947 से पहले के केंद्रीय अधिनियम प्रक्रियाधीन हैं। केंद्रीय अधिनियमों की सूची वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार (कालक्रमानुसार सारणी) को विधायी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है जोकि विधान संदर्भ शीर्षक के अंतर्गत [www-lawmin-nic-in](http://www-lawmin-nic-in) पर उपलब्ध हैं।

(2) वर्ष 2017 के दौरान शुद्धि अनुभाग ने संसद के तैंतीस अधिनियमों की गजट प्रतियां (अध्यादेश, विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम सहित) तथा एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम आधिकारिक वेबसाइट [www.egazette.nic.in](http://www.egazette.nic.in) से डाउनलोड कीं। उपर्युक्त में से, 13 मुख्य अधिनियम, 13 संशोधित अधिनियम तथा 7 अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं

क. वर्ष के दौरान डाउनलोड किए गए मुख्य अधिनियम (विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम के अतिरिक्त)

1. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अधिनियम, 2017 (2017 का 1)
2. मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2016 (2017 का 10)
3. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)
4. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13)
5. संघ राज्यक्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14)
6. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15)
7. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2014 (2017 का 16)
8. फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 20)
9. नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 (2017 का 22)
10. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) (2017 का 23)
11. वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 26)
12. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 27)
13. भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 33)

ख. वर्ष के दौरान एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अतिरिक्त निम्नलिखित संशोधन अधिनियम प्राप्त हुए।

1. मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 1)
2. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 (2017 का 3)
3. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 6)
4. कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2017 का 11)

5. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 17)
  6. कराधान विधि अधिनियम, 2017 (2017 का 18)
  7. राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 19)
  8. संख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 21)
  9. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 24)
  10. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 25)
  11. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 30)
  12. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 31)
  13. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 32)
- ग. इस वर्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश हैं—
1. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017
  2. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017
  3. वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) द्वितीय अध्यादेश, 2017
  4. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017
  5. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अध्यादेश, 2017
  6. भारतीय वन अध्यादेश, 2017
  7. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017
- (3) संसद के अधिनियमों के आधार पर प्रधान अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में संशोधन दर्ज कर दिए गए हैं। वर्ष 2017 के दौरान, जिन अधिनियमों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू कर दिया गया है उनके प्रवर्तन होने की तारीख और उनकी अधिसूचना संख्या संबंधित अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में यथास्थान दर्ज कर दी गई हैं।

### 33. राजपत्र अधिसूचनाएं

शहरी विकास मंत्रालय, (पीएसपी प्रभाग) के दिनांक 25 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2015-16 की सभी गजट अधिसूचना तथा संसद के अधिनियम आधिकारिक वेबसाइट [www.egazette.nic.in](http://www.egazette.nic.in) पर अपलोड करके ई-प्रकाशित किए जाएंगे। इनकी राजपत्र गजट प्रतियों को डाउनलोड कर संबंधित फोल्डरों में क्रमबद्ध कर लिया गया है।

### 34. राज्य अधिनियम

वर्ष 2017 के दौरान कुल 295 राज्य अधिनियम और 69 अध्यादेश विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए। सभी अधिनियमों और अध्यादेशों को संबंधित रजिस्ट्रों और फोल्डरों में दर्ज कर लिया गया है।

### 35. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग के मुद्रण अनुभाग (मुद्रण- I और मुद्रण- II) विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण का कार्य करने से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय-वस्तु और उपाबंध, जहां-जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है। विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमों पर जांच की जाती है और अनुमोदन के पश्चात् विधायी- I अनुभाग को भेज दिए जाते हैं जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को "लोक सभा/राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए" प्रक्रम हेतु मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प-सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात्, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं जैसे यथा पुरःस्थापित "पुरःस्थापित किए जाने वाले" प्रक्रम, "लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित" प्रक्रम, "दोनों सदनों से यथा पारित" प्रक्रम, "अनुमति प्रति" प्रक्रम, "हस्ताक्षर प्रति" प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्यवाही की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए-4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए-4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

- (2) इसके अतिरिक्त, विभाग की आवश्यकता के अनुसार भारत का संविधान और निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों, केन्द्रीय अधिनियमों के अद्यतन द्विभाषी संस्करण, आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच भी इस विभाग के मुद्रण अनुभागों द्वारा की जाती है।
- (4) 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण- I तथा मुद्रण- II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :-
  - (क) 89 विधेयकों, 7 अध्यादेशों, 6 विनियमों तथा 33 गजट की पांडुलिपियों, प्रूफों और संवीक्षा प्रतियों का संपादन किया गया और जांच की गई;
  - (ख) इंडिया कोड के 183 अधिनियमों के कम्प्यूटर प्रिंट आउट की जांच की गई;
  - (ग) केंद्रीय अधिनियमों के 17 डिग्लॉट संशोधित संस्करणों के प्रूफों तथा प्रिंट प्रतियों की जांच की गई।

### 36. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ.)

केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ विधायन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

- (2) किसी अधिनियम के अधीन अधीनस्थ विधायन जिसमें संवैधानिक नियम और आदेश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधिक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित होता है। अधीनस्थ विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख-रखाव करें।
- (3) अधीनस्थ विधायन पर राज्य सभा समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह संस्तुति की थी कि मंत्रालय, अपनी ई – गवर्नेन्स पहल के हिस्से के रूप में, सभी अधीनस्थ विधायन अधीमानतः द्विभाषी रूप में अपनी बेबसाइट पर रखें। समिति ने यह भी संस्तुति की थी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मंत्रालयों के प्रयोग हेतु एक इन्टरनेट अन्तरापृष्ठीय सहित एक मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करेगा जो सम्बन्धित मंत्रालय के प्रशासनाधीन प्रधान अधिनियमों से संबद्ध अधीनस्थ विधायन का तलाशने योग्य डेटाबेस उपलब्ध करवाएगा।
- (4) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) भारत के गजट में प्रकाशित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए साधारण कानूनी नियमों एवं आदेशों से संबंधित वर्णानुक्रम रजिस्टर तैयार करता है तथा उन्हें आधिकारिक कार्य हेतु पुस्तक के रूप में संग्रहित करता है। दिसंबर, 2015 तक के भाग- I, खण्ड-3, उपखण्ड (i) तथा (ii) के अधीन दोनों साधारण तथा असाधारण अधिसूचनाओं के बारे में विभिन्न अधिसूचनाओं की वर्णानुक्रम रजिस्टर में प्रविष्टि की जा चुकी है।
- (5) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए वर्ष 2015 तक के अधीनस्थ विधायनों से संबंधित भाग- I, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) के अधीन प्राप्त अधिसूचनाओं, जोकि साधारण और असाधारण से संबंधित हैं, की गजट प्रतियां छांटी गई हैं और पुस्तक रूप में तैयार कर ली गई हैं।
- (6) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए वर्ष 2015 तक की अवधि के साधारण और असाधारण से संबंधित भाग- I, खण्ड 4 और भाग- III, खण्ड-4 के अधीन प्राप्त गजट अधिसूचनाओं की प्रतियां छांटी गई हैं और पुस्तक रूप में तैयार करने हेतु प्रक्रियाधीन हैं।
- (7) वर्ष 2017 के दौरान, साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग द्वारा मई, 2015 तक की अधिसूचनाएं प्राप्त की गई हैं।

### 37. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग और विभिन्न स्वशासी निकायों—आई सी ए डी आर, आई सी पी एस, बी सी आई, आई टी ए टी, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक संघ इत्यादि सहित विधि और न्याय मंत्रालय के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट—पूर्व विचार—विमर्श, लेखा अनुदान और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह अनुभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट को तैयार करने और मुद्रित करवाने के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्वलित है और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित है, से संबंधित कार्य भी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य का समन्वय भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

- (2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अनंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य करना भी इसी अनुभाग का उत्तरदायित्व है।

### 38. प्रकाशन अनुभाग

यह अनुभाग समय-समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत का संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, कानूनी परिभाषाओं की अनुक्रमणिका आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के उपांतरित संस्करण निकालता रहता है।

- (2) भारत का संविधान (अंग्रेजी पाठ) की हस्तलिपि का प्रकाशन के लिए नवीनतम संशोधनों सहित संकलन, जांच तथा वेटिंग कर ली गई है।
- (3) निर्वाचन विधियों के प्रकाशन के लिए हस्तलिपि (दो खण्ड) प्रक्रियाधीन है।
- (4) तेरह अधिनियमों के अंग्रेजी पाठ की हस्तलिपि, जिसमें नवीन संशोधन भी यथावत सम्मिलित हैं, को तैयार की लिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु राजभाषा खण्ड को भेज दी गई है तथा कुछ केंद्रीय अधिनियमों का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है जोकि निम्नानुसार है:

- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का अधि. सं.1)             | ----- | ॥ प्रूफ का पाठ     |
| 2. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधि. सं.36)                        | ----- | ॥ प्रूफ मंगाया गया |
| 3. भारतीय दण्ड संहिता (1865 का अधि. सं.45)                           | ----- | ॥ प्रूफ मंगाया गया |
| 4. किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) 2015 (2016 का अधि. सं.2) | ----- | ॥ प्रूफ मंगाया गया |
| 5. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का अधि. सं.15)                       | ----- | ॥ प्रूफ मंगाया गया |
| 6. भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 (1988 का अधि. सं.49)                      | ----- | ॥ प्रूफ मंगाया गया |

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 7. आयुध अधिनियम 1959 (1959 का अधि. सं.54)                            | ----- । प्रूफ मंगाया गया   |
| 8. निःशुल्क और अनवार्य बाल शिक्षा का अधकार 2009 (2009 का अधि. सं.34) | ----- ।।। प्रूफ मंगाया गया |
| 9. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 (2012 का अधि. सं.32)     | ----- ।। प्रूफ मंगाया गया  |

### 39. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित, भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

#### (2) राजभाषा नीति के सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन

विधायी विभाग ने 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :-

राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार, वर्तमान में "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्र को क्रमशः 89%, 81% तथा 64.5% प्रतिशत से अधिक पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें व अन्य रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

#### (3) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।



### (4) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खण्ड) तथा राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की हुई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन माह में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें क्रमशः 27 मार्च, 2017 (पहली), 27 जून, 2017 (दूसरी), 28 सितंबर, 2017 (तीसरी) और 28 दिसंबर, 2017 (चौथी) को आयोजित की गई थीं। यह समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार-विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

### (5) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त, 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में, संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामनिर्देशित माननीय संसद सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के नामनिर्देशित, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और विधि एवं न्याय मंत्रालय और राजभाषा विभाग के नामनिर्देशित गैर सरकारी सदस्यों के रूप में होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

16वीं लोक सभा के गठन के बाद समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा इसकी पहली बैठक उदयपुर, राजस्थान में दिनांक 7 जुलाई, 2015 को आयोजित की गई थी।

### (6) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के यह पाठ्यक्रम, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(7) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

इस विभाग में 11 सितम्बर से 25 सितम्बर, 2017 तक "हिंदी पखवाड़े" का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए पृथक रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः 3500/- रुपए, 2500/- रुपए, 2000/- रुपए और 700/- रुपए के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु कुल 81,600/- रुपए की राशि स्वीकृति की गई है।

(8) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्देशित तीन प्रोत्साहन योजनाएं विभाग में लागू की जाती हैं। इस वर्ष केवल हिंदी में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से दस कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है। इन योजनाओं के अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है।

(9) संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुवीक्षण करने व सुझाव देने के दृष्टिकोण से किया गया था। जहां तक विधायी विभाग का सम्बन्ध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

40. राजभाषा खंड

कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :-

- (i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन;
- (ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;
- (iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

- (iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था;
- (v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद;
- (vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद;
- (vii) राष्ट्रपतीय नियम के अधीन राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद;
- (viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं;
- (ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण;
- (x) विधिक शैली और हिन्दी के मानक खंडों के मॉडल और उनके प्रकाशन की एकरूपता के मूल्यांकन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वयन समिति से संबंधित कार्य;
- (xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;
- (xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य;
- (xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;
- (xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण; तथा
- (xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

### (2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग की शुरुआत होने से अब तक विधि शब्दावली के छह संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

### (3) भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं।

प्रथम संविधान दिवस अर्थात् 26 नवंबर, 2015 को भारत का संविधान का विशिष्ट संस्करण प्रकाशित किया गया।

### (4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिग्लॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता की जिल्द XXXII और XXXIII की हस्तलिपि मुद्रण हेतु भेज दी गई हैं।

### (5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 38 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2417 हो गई है।

### (6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 हो गई है।

### (7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 57 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद के सदन को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 10 अध्यादेशों, 10 मंत्रिमंडल टिप्पणों तथा 40 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

**(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)**

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए अधिकृत करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 9182 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए तैयार की गई थीं।

**(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन**

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 3562 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया है, सात विनियमों के प्राधिकृत पाठ का प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)(ख) के अधीन किया गया है।

**(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख-रखाव**

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इंडिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिग्लॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केंद्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद् द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियों को डिग्लॉट रूप में तैयार कर लिया गया है तथा राजभाषा खण्ड द्वारा 8 डिग्लॉट संस्करण प्रकाशित की गई हैं।

**उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :**

- (क) 15 अद्यतित केंद्रीय अधिनियमों (डिग्लॉट संस्करण) की अंग्रेजी प्रतियां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी; तथा
- (ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने-अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजीं। इस वर्ष, केंद्रीय अधिनियमों की वर्णक्रम और काल क्रम (डिग्लॉट) में विवरणिका और भारत का संविधान (डिग्लॉट) तैयार किए गए और प्रकाशित किए गए।
- (ग) प्रकाशन संबंधी कार्य मुख्य रूप से इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।
- (घ) यह अनुभाग क्षेत्रीय भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद के संबंध में राजभाषा खण्ड के क्षेत्रीय भाषा इकाई का भी सहयोग करता है। इस वर्ष क्षेत्रीय भाषा इकाई (विधायी-।। अनुभाग) से विभिन्न मामलों पर 18 प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं।

**(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन**

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्प-सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद के सदनों की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के पुनरीक्षित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के उपांतरित द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्कर्ती द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 26 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 10 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया।

**(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन**

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्लों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2760 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/ आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

**(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना**

राजभाषा खंड, भारत का संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उनका अनुवाद कराने के कार्य को भी निरंतर कर रहा है। जहां तक प्रादेशिक भाषा का संबंध है यह कार्य विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (प्रादेशिक भाषा) द्वारा 30 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 8 केंद्रीय अधिनियमों को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन इन प्रादेशिक भाषाओं में तथा 26 केंद्रीय अधिनियमों को हिंदी में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है, ये हैं, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणी।

**(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण**

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं। भारत का संविधान तथा विधि शब्दावली लोक सभा/राज्य सभा तथा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी गई है।

**(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य**

इस मंत्रालय की ग्यारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2009-रा.भा.खण्ड(वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए अथवा इस लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए किया गया है जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा लगभग ग्यारह शासकीय सदस्य और आमंत्रित सदस्य हैं। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :-

- (i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी रूप तैयार करना;
- (ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास;
- (iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना;
- (iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन;
- (v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषांगिक और सम्बन्धित विषय;
- (vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

**(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान**

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं।

### (17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड की वेबसाइट 3.12.2001 को तैयार की गई थी तथा इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर <http://lawmin.nic.in/olwing> है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, आदेशों, भर्ती नियमों आदि के प्रिंटआउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है तथा हिंदी पाठ की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराता है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट को, अधिनियमों की एक सूची तथा नियमों और विनियमों की सूची रखकर और समृद्ध बनाया गया है। विधिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा आम जनता और साथ ही साथ विधि के छात्रों के लाभ के लिए 1980 से 2016 तक के अद्यतित केंद्रीय अधिनियम पीडीएफ फार्म में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए राजभाषा खण्ड ने मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल शुरू किया।

राजभाषा खंड के समूह "क" अधिकारियों के नामों, पत्तों और संपर्क नम्बरों की एक सूची भी नेट पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना को भी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में इंटरनेट पर रखा गया है।

### 41. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में, संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केंद्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात् हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया था। इस खंड को बाद में "विधि साहित्य प्रकाशन" नाम दिया गया था।

(2) आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी उल्लेखनीय निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिह्नित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया था और इसे "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" नाम दिया गया था। उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन, जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया था और इसे "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" नाम दिया गया था। वर्ष 1987 में, "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" को दो निर्णय पत्रिकाओं, अर्थात् "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" में



विभाजित कर दिया गया था। बाद में, 1990 से उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधायी विभाग में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारिवृन्द की कमी होने के कारण, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय होते हैं। उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल महत्वपूर्ण और चयनित निर्णय होते हैं।

- (3) उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त, विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :-
- (क) शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन;
  - (ख) हिन्दी में विधिक उच्च साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन;
  - (ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना;
  - (घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के एक दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड, विधि और न्याय मंत्रालय के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और
  - (ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टतया हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।
- (4) इसके अतिरिक्त, विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
- (5) विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय-समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी / हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य भी करता है।
- (6) "विधि साहित्य समाचार" नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। एक "प्रकाशन सूची" भी, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी होती है, ग्राहकों को समय-समय पर उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2017 के दौरान हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

- (7) **निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन:** रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संपादन/अनुवाद के स्तर पर "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" अक्तूबर-दिसंबर, 2017 तक अद्यतन कर दी गई है और "उच्च न्यायालय

सिविल निर्णय पत्रिका" जनवरी-मार्च, 2017 तक अद्यतन कर दी गई है तथा "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" अप्रैल-जून, 2017 तक अद्यतन कर दी गई है। पत्रिकाओं को विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट <http://lawmin.nic.in/vsp/vsp.htm> पर अपलोड किया गया है तथा ये लाइन पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2017 के लिए पत्रिकाओं के नियमित ग्राहकों की स्थिति :

पत्रिका का नाम	ग्राहकों की संख्या
उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका	108
उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका	88
उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका	87

- (8) **पुरस्कार प्रदान करना:** हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन तथा हिन्दी में लिखी गई और प्रकाशित ऐसी पुस्तकों पर, जिनका उपयोग विधि की पाठ्य पुस्तकों के रूप में या निर्देश पुस्तकों के रूप में किया जाता है, पुरस्कार देने की स्कीम के अंतर्गत, विधि की मूल पांच शाखाओं में प्रतिवर्ष 5,00,000/- रु. (पांच लाख रुपए) के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस स्कीम में, प्रथम पुरस्कार 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए), द्वितीय पुरस्कार 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए) तथा तृतीय पुरस्कार 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) दिए जाते हैं। वर्ष 2017 को इस योजना के अंतर्गत हिंदी में विधि की दस पुस्तकों पर रु 2,50,000/- के पुरस्कार प्रदान किए गए।
- (9) **पुस्तकों का प्रकाशन:** पुस्तक इकाई हिंदी में विधि पुस्तकों के लेखन, पुस्तकों के पुनरीक्षण तथा प्रकाशन के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद बेरी द्वारा लिखित पुस्तक 'निर्णय लेखन' तथा न्यायमूर्ति महावीर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' पुनरीक्षण स्तर पर हैं। विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा चौतीस मानक विधि पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।
- (10) **संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां और पुस्तकों आदि का विक्रय:** सम्मेलनों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के क्रम में वर्ष 2017 में, विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली; कांगड़ा और धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के जिला न्यायालयों; हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट तथा बंगलौर में कर्नाटक उच्च न्यायालय में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। 1 जनवरी, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन का 14,74,585/- रुपए (चौदह लाख चौहत्तर हजार पांच सौ पिचासी रुपए) का सकल विक्रय हुआ।

#### 42. अधिकारियों/प्रतिनिधिमण्डल के विदेश दौरे : विधायी विभाग

डॉ जी.नारायण राजू, सचिव, विधायी विभाग ने 18 अक्टूबर, 2017 से 21 अक्टूबर, 2017 तक मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑरगनाइजेशन के न्याय मंत्रालयों की पांचवीं बैठक में भाग लेने के लिए ताशकंद, उज्बेकिस्तान का दौरा किया।

**43. सेवा पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों हेतु आरक्षण**

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात् विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्तजनों/पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी सरकार के अनुदेशों/आदेशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए उप सचिव स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजनों तथा महिला कर्मचारियों की संख्या 01.01.2018 के अनुसार दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। (उपाबंध—XI तथा उपाबंध—XII)

**44. स्वच्छता कार्य योजना:**

स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत विधायी विभाग ने दिव्यांग महिलाओं के लिए चतुर्थ तल, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली पर के.लो.नि.वि. द्वारा एक महिला शौचालय का निर्माण कराया।

**45. लोक शिकायत:**

1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान, विधायी विभाग में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 669 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2017 से पहले 220 लोक शिकायतें लंबित थीं। उक्त अवधि के दौरान, 691 लोक शिकायतों का निपटान किया गया तथा शेष शिकायतों के निपटान के लिए प्राथमिक स्तर पर कार्रवाई की गई।

**46. विभाग लेखाकरण संगठन**

विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य (वित्त सलाहकार ) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

(2) सा.वि.नियम, 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/ विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी होते हैं, वे:-

- (i) अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।
- (iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना –लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे।

- (iv) लोक-लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।
  - (v) उनके मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं।
  - (vi) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा-निर्देशों या निदेशों के अनुसार अपने मंत्रालय के व्यय-संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
  - (vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वित्तीय संव्यवहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।
  - (viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य-पालन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत-प्रभावी तरीके से लागू करे।
  - (ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालय:
    - (क) सरकार को शोध्य सभी धन एकत्रित करे।
    - (ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।
- (3) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.2 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा: –
- (क) समस्त भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करने की व्यवस्था करना, केवल उन कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर जिनके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।
  - (ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन करना और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में महालेखा-नियंत्रक को प्रस्तुत करना, अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदानों की मांगों के लिए वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा-परीक्षा करवाकर और मुख्य लेखा प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसे महालेखा-नियंत्रक को प्रस्तुत कराना।
  - (ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ इकाईयों और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा के रिकॉर्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन के रिकॉर्ड के निरीक्षण की व्यवस्था करना
4. महालेखा-नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियों और अन्य, कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

5. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 32 सीडीडीओ और 19 एनसीडीडीओ सहित 51 डीडीओ हैं। गैर-चेक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलों को भुगतान की 'प्री-चैक' प्रणाली के अर्न्तगत वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय-वार विवरण नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनएसडीडीओ
1.	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	4	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि. का.)	29	11
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीसीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

- (6) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है-

- (क) मंत्रालय/विभाग के लेखों का महालेखानियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई रीति से समेकित करना।
- (ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखों के लिए केन्द्रीय लेन-देन के विवरण और सामग्री को महालेखा-नियंत्रण को प्रस्तुत करना।
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदानों की अदायगी करना, और जहां भी इस कार्यालय का आहरण लेखा हो, उसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान करना।
- (घ) प्रबंध लेखा प्रणाली, यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए नियम-पुस्तिकाएं (मैनुअल) तैयार करना, महालेखा-नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाए रखना और लेखा संबंधी मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण रखना।
- (ङ) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुदान-कार्यक्रमों के अधीन व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा-परीक्षा रजिस्ट्रों का रखरखाव करना।

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कर्तव्यों को निभाता है और स्थानीय वेतन और लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा संबंधी सलाह भी देता है।

- (7) सिविल लेखा नियम-पुस्तिका में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालयों संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भुगतान करते हैं और कुछ मामलों में भुगतान निधियां आहरित करने के लिए प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। यह भुगतान प्रत्यायित बैंक के उन कार्यालयों/शाखाओं के चेक के जरिए किया जाएगा जिन्हें उस मंत्रालय/विभाग की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इन भुगतानों का अलग सूचियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालयों में दिए जाने के लिए लेखा-जोखा दिया जाना होगा। चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक की केवल उसी विशेष शाखा/शाखाओं, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लेखा में रखा गया है, से ही आहरण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का लेखा-जोखा अंत में वेतन और लेखा कार्यालय की बहियों में भी रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-
- एनसीडीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋणों और सहायता अनुदानों सहित सभी बिलों की पहले जांच करना और भुगतान।
  - निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सही और समय पर भुगतान।
  - प्राप्तियों की समय पर वसूली।
  - चेक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों को त्रैमासिक 'लेटर ऑफ क्रेडिट' जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की जांच-पड़ताल करना
  - चेक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के लेखों को शामिल करते हुए प्राप्तियों और व्यय के मासिक लेखों का संकलन।
  - सम्मिलित डीडीओ को छोड़कर जी.पी.एफ. लेखों का रख-रखाव और सेवानिवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।
  - सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।
  - बैंकिंग प्रणाली द्वारा ई-भुगतान के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
  - निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
  - समय पर सही, व्यापक, संगत और उपयोग वित्तीय सूचना देना।
- (8) किसी नए वेतन और लेखा कार्यालय का सृजन (अथवा पुनर्गठन) करने के लिए अथवा मंत्रालय/विभाग की लेखा की विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरित करने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची में नाम जोड़ने के लिए महालेखा-नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(9) विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन के समग्र उत्तरदायित्व निम्नलिखित है:-

- मंत्रालय के मासिक लेखा को समेकित करना और उसे महालेखा-नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग लेखा।
- केन्द्रीय लेन-देन का विवरण।
- 'लेखा एक नजर में' तैयार करना।
- महालेखा-नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा-परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत किए जाने के लिए संघीय वित्तीय लेखा।
- राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- मंत्रालय और वेतन व लेखा अधिकारियों को तकनीकी सलाह देना, यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक आदि अन्य संगठनों से परामर्श करना।
- प्राप्ति बजट तैयार करना।
- पेंशन बजट तैयार करना।
- पीएओ/चेक आहरण कर्ता डीडीओ एवं वैयक्तिक जमा खाता धारकों के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और प्रदान करना।
- महालेखा-नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और प्रत्यायित बैंक के साथ समग्र समन्वय व नियंत्रण रखना।
- विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिकृत बैंक के माध्यम से किए गए समस्त भुगतान और प्राप्तियों का समाधान व सत्यापन करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक में विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा उनके अनुदानग्राही संस्थानों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
- सभी संबंधित प्राधिकारियों को लेखा संबंधी सूचना उलब्ध कराना।

- विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के बजट का समन्वय का कार्य।
  - नई पेंशन योजना और 2006 से पूर्व के और 1990 के पूर्व के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन संबंधी मामलों की मानिट्रिंग करना।
  - लेखा और ई-भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
  - लेखा संगठन के कार्य का समन्वय और प्रशासन।
  - केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
  - वित्त मंत्रालय के मार्ग-निर्देशों के अनुसार, नॉन-टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
- (10) प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप-शीर्षकों के अधीन मासिक और किए जा रहे व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के निमित्त व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ-साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मानीट्रिंग हो।
- (11) लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से लिए जाने वाले अग्रिम और मोटर कार अग्रिम व गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालीन अग्रिमों का भी लेखा रखता है।
- (12) मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ कार्यालय से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा-नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
- (13) **आंतरिक लेखा-परीक्षा खंड**— आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों-विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
- (i) आंतरिक लेखा परीक्षा एक संगठन के संचालन को बेहतर बनाने और सुधार करने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ जांच और परामर्श की गतिविधि है। इसका मूल उद्देश्यों जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की कारगरता का मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण पेश करके संगठन को सहायता प्रदान करना है। यह वस्तुनिष्ठ जांच और सलाह प्रदान करने का एक प्रभावी उपकरण भी है, जिससे शासन की गुणवत्ता बढ़ती है, परिवर्तन को बल मिलता है, जोखिम प्रबंधन और



नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता मिलती है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार होता है। यह प्रक्रियागत त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक इकाई की लेखा परीक्षा की आवर्तिता उसकी प्रकृति और काम और धन की मात्रा से विनियमित होती है।

- (ii) मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों और अनुदानग्राही संस्थाओं तथा विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर, विधि और न्याय मंत्रालय के विभिन्न विभागों और भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन 51 ऑडिट-यूनिटें/आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में विधि और न्याय मंत्रालय की केवल अठारह (18) यूनिटों की ही लेखा-परीक्षा की गई है। और अधिक यूनिटों/डीडीओ की लेखा-परीक्षा इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि इस मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा खंड के लिए कोई स्वीकृत पद/स्थायी कर्मचारी नहीं है। लेखा-परीक्षा का कार्य विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों और प्रधान लेखा कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भारत के महालेखाकार के कार्यालय द्वारा पैनल में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची में से दो परामर्शदाताओं की सहायता से किया जा रहा है।

**उपलब्धियां—** विधि और न्याय मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 323 लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे। बाद में कई अनुस्मारक एवं परिपत्र संबंधित कार्यालयों/विभागों को भेजे गए तथा आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा 171 पैरा ज्ञाप कर दिए गये। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के 18 कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई तथा 265 पैरा उठाये गये। विभिन्न यूनिट कार्यालयों द्वारा प्राप्त उत्तर/अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर 265 नये उठाये गए पैरा में से 73 पैरा ज्ञाप कर दिये गये। लंबित लेखापरीक्षा पैरा की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:—

वित्तीय वर्ष	लंबित पैरा की संख्या	ज्ञाप किये पैरा की संख्या	शेष पैरा
2015-16	323	171	152
2016-17	265	73	192
	588	244	344

वर्ष 2016-17 में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा पाए गए कुछ प्रमुख निष्कर्षों का नीचे उल्लेख किया गया है:—

डीडीओ, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, शुल्क, बोर्डिंग एवं लॉजिंग प्रभारों के पंजीकरण के कारण रु. 2,51,000/- की राशि के अकादमी के प्राप्य देयों का प्राप्त न होना।
डीडीओ, भारत विधि आयोग	विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सरकारी उपयोग के लिए एच.टी. हाऊस बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को किराए पर लिए जाने के कारण मैसर्स हिंदुस्तान टाइम्स को किए गए रु. 781.00 लाख के अधिक भुगतान का ब्यौरा जो निम्नवत है:—

	<p>(क) 1/11/2009 से 19/4/2010 की अवधि के लिए खाली भवन के लिए किराए के लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 1,22,57,862/- की राशि का भुगतान किया गया था।</p> <p>(ख) 1/11/2009 से 19/4/2010 की अवधि के लिए भवन के लिए साज-सज्जा प्रभारों के लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 1,89,000/- की राशि का भुगतान किया गया था।</p> <p>(ग) (i) 1/11/2009 से 31/3/2010 की अवधि के लिए खाली भवन के लिए एयर कंडीशनिंग एवं इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रभारों के लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 55,12,500/- की राशि का भुगतान किया गया था।</p> <p>(ii) 1/11/2009 से 31/3/2010 की अवधि के लिए खाली भवन के सामान्य क्षेत्र के लिए विद्युत प्रभारों के लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 15,75,500/- की राशि का भुगतान किया गया था क्योंकि परिसर को तैयार किया जा रहा था।</p> <p>(घ) अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2016 तक 2566 वर्गमीटर के अतिरिक्त स्थान को किराए पर लेने के लिए लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 5,85,81,162/- की राशि का भुगतान किया गया था।</p>
<p>डीडीओ, विधि कार्य विभाग</p>	<p>विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली ने अक्टूबर, 2009 के दौरान निर्णय लिया था कि विधायी कार्य विभाग को कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाईम्स बिल्डिंग (एचटी) में दो तलों (चौदहवां और पंद्रहवां) पर वैकल्पिक स्थान प्रदान किया जाएगा जिनमें प्रत्येक तल पर 15750 वर्गफीट का कार्पेट क्षेत्रफल होगा।</p>
	<p>(क) इस स्थान का उपयुक्त उपयोग करने के लिए, मंत्रालय ने अगस्त, 2012 में सीएएस और एलसीआई को एक-दूसरे के स्थान पर अर्थात् सीएएस को आईएलआई भवन में और भारतीय विधि आयोग को एचटी भवन के 14वें तल पर एटीएफई को एचटी भवन के 15वें तल पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, सीएएस ने सितंबर, 2012 को एचटी भवन खाली कर दिया और एटीएफई अप्रैल, 2013 में एचटी भवन के 15वें तल पर शिफ्ट हो गया है। एटीएफई द्वारा शिफ्टिंग में विलंब की वजह से एटीएफई को आबंटित स्थान अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2013 तक अप्रयुक्त पड़ा रहा था और पट्टाकर्ता को किराए, अवसंरचना, रखरखाव प्रभार आदि के लिए रू. 3,30,47,532/- का बड़ा भुगतान करना पड़ा था। इसके अलावा, जैसा कि करार में उल्लेख किया गया है, एचटी भवन के 15वें तल पर 15750 वर्ग फीट का कार्पेट क्षेत्रफल था और यह एटीएफई को आबंटित था।</p>

	(ख) एटीएफई ने वास्तव में 12000 वर्गफीट के क्षेत्रफल का प्रयोग किया था जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों एवं अधिकारियों के कार्यालय के लिए स्थान, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड कक्ष, सम्मेलन हॉल, लिफ्ट, कॉरिडोर आदि शामिल थे। इस प्रकार, विभाग ने उस क्षेत्र के लिए किराए आदि के रूप में रु. 4,72,10,760/- की भारी-भरकम राशि का भुगतान किया जिसका या तो एटीएफई द्वारा उपयोग नहीं किया गया अथवा जो खाली पड़ी थी।
डीडीओ, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा मैसर्स बाज सिक्वोरिटी सर्विसेज, भोपाल को रु. 28.61 लाख का अनियमित भुगतान और इसकी प्राप्ति न होने से सरकार को हानि हुई।
डीडीओ, आईटीएटी, मुंबई	आईटीएटी ऑनलाईन परियोजना (एनआईसीएसआई के जरिए आधिकारिक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, न्यायिक सूचना और ई-फाइलिंग पोर्टल और निष्पादन) के पुनर्निर्माण और विकास के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार की सहमति मांगे बिना एनआईसीएसआई को रु. 64,82,543/- की राशि का भुगतान किया गया है जो सामान्य वित्त नियमावली-2005 के नियम-159 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

डीडीओ, न्याय विभाग, नई दिल्ली	एस एण्ड एफए की सहमति और प्रशासनिक सचिव का अनुमोदन लिए बिना लैपटॉप की खरीद जो वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 19 सितंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 8(25)2012-ई II (ए) द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन में है।
डीडीओ, न्याय विभाग, नई दिल्ली	एनसीसीएफ से लेखन-सामग्री अर्थात फोटोस्टेट पेपर की खरीद और वस्तुओं की अनियमित खरीद के संबंध में रु. 5,21,385/- का किया गया व्यय।
डीडीओ, आईटीएटी, मुंबई	सामान्य वित्त नियमावली-2005 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए आईटीएटी के अवसर पर भंडार की विभिन्न मदों यथा बैग स्मृति चिह्न और स्मारिका और अन्य कामों के लिए क्रमशः रु. 3,00,038/- रु. 2,13,124/- की खरीद के लिए और 2,52,450/- की खरीद के लिए अपनाई गई दोषपूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया।

डीडीओ, विधि कार्य विभाग	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने की वजह से दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद एनसीसीएफ और अन्य सहकारी भंडारों से रु. 8,17,239/- की राशि की लेखन-सामग्री मदों की अनियमित अधिप्राप्ति।
डीडीओ, विधायी विभाग, नई दिल्ली	उच्चतर प्राधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता की उपेक्षा करने के लिए पीस मील आधार पर रु. 3,69,139/- के फर्नीचर मदों की दोषपूर्ण अधिप्राप्ति जिससे सामान्य वित्त नियम-2005 के नियम 148 का उल्लंघन हुआ।
डीडीओ, विधायी विभाग, नई दिल्ली	उच्चतर प्राधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता की उपेक्षा करने के लिए कंप्यूटर उपसाधनों के छोटी-छोटी मात्रा में बांटे जाने के कारण इनकी रु. 3,89,178/- की दोषपूर्ण अधिप्राप्ति जिससे सामान्य वित्त नियम-2005 के नियम 148 का उल्लंघन हुआ।
डीडीओ, आईटीएटी, जयपुर	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 19-02-2015 के का. ज्ञा. द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और सामान्य वित्त नियमावली-2005 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए एक कोटेशन आधार पर मैसर्स केन्द्रीय भंडार से स्टोर की फर्नीचर मदों की रु 17.57 लाख की खरीद की गई।
डीडीओ, आईटीएटी, जयपुर	आईटीएटी, जयपुर बैंच, जयपुर के नव-निर्मित कार्यालय सह-रिहायशी परिसरों में उपयोग के लिए मैसर्स केन्द्रीय भंडार, जयपुर से रु. 2,16,632/- की राशि की वस्तुओं अर्थात् एलईडी साईनबोर्ड (01), एसएस लोगो (प्रतीक चिह्न) (04) और लकड़ी के लोगो (03) की अधिप्राप्ति के लिए आईटीएटी, जयपुर द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण खरीद प्रक्रिया।
डीडीओ, राजभाषा खण्ड, एमएलजे, नई दिल्ली	एयर मेल पेपर की रु. 4,26,794/- की राशि की अधिप्राप्ति में अपनाई गई दोषपूर्ण प्रक्रिया।

<p>डीडीओ, न्याय विभाग, एमएलजे, नई दिल्ली</p>	<p>अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रयोजनों के लिए आकस्मिक अग्रिम आहरित किए गए थे और तृतीय पक्षों को चुकाया भी गया था किंतु संबंधित कर्मचारियों/ अधिकारियों/ तृतीय पक्षों द्वारा समायोजन/ विस्तृत बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे रु. 22,06,578/- की राशि के अग्रिम का गैर-समायोजन हुआ है।</p>
<p>डीडीओ, भारत विधि आयोग</p>	<p>मुम्बई (मूल निवास) और हैदराबाद का दौरा करने के लिए क्रमशः 2010-11 और 2011-12 के दौरान माननीय न्यायाधीश श्री शिव कुमार शर्मा, सदस्य, एलसीआई, नई दिल्ली को 63,950/- और 1,29,887/- रुपये का भुगतान किया गया। माननीय न्यायाधीश ने प्राइवेट टैवल एजेंसी से हवाई टिकट बुक करवाए, जिसे नियमित नहीं किया गया और जिसे एमओएफ, व्यय विभाग और डीओपीटी ने भी अस्वीकार कर दिया। एलटीसी की अग्रिम राशि अभी तक वसूली नहीं गई है।</p>
<p>डीडीओ, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली</p>	<p>सहायता अनुदान के विरुद्ध 134 करोड़ रुपये के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न योजनाओं के तहत सेवा प्राधिकरणों और एनजीओ राज्य विधि गारंटी संस्थान या संगठनों को जारी किए गए।</p>
<p>डीडीओ, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली</p>	<p>सहायता अनुदान के लिए 842 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए जिन्हे विभिन्न योजनाओं के तहत गारंटी संस्थाओं या संगठनों को जारी किया गया।</p>
<p>डीडीओ, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली</p>	<p>1.00 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की अनुपयोगिता के कारण निधि अवरूद्ध हुई जिसे वर्ष 1999-2000 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) को जारी किया गया और जिससे 1.56 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।</p>

डीडीओ, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	1.50 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की अनुपयोगिता के कारण निधि अवरुद्ध हुई जिसे दिल्ली बार काउंसिल एसोसिएशन (डीसीबी) को जारी किया गया और जिससे 1.75 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।
डीडीओ, राजभाषा खण्ड, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	सहायता अनुदान के विरुद्ध 4,00,500 रुपये के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को जारी किए गए।

(14) **बैंकिंग व्यवस्था** :- भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक और देना बैंक विधि, न्याय मंत्रालय और एससीआई के पीएओ और इसके क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रत्यायित बैंक हैं। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा प्रत्यायित बैंकों को प्राप्तियां प्रेषित की गईं। प्रत्यायित बैंक में किसी भी प्रभार के लिए महालेखा-नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(15) **नई पहलें**

(i) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली : प्रारंभिक रूप से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई जैसी चार प्रमुख योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में पायलट के रूप में वर्ष 2008-2009 में योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक आयोजना स्कीम के रूप में प्रारंभ किया गया। मंत्रालयों/विभागों में नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद, केन्द्र, राज्य सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) के राष्ट्रीय रोलआउट को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। योजना को पूर्व योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं योजना पहल में शामिल किया गया।

मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा निम्नलिखित हेतु पीएफएमएस के लिए अधिदेश दिया गया :

- सभी आयोजना स्कीम के लिए वित्तीय प्रबंध मंच, सभी प्रापक एजेंसियों का डाटाबेस, योजनागत निधि को देखने के लिए बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में एकीकरण, राज्य कोषगारों के साथ एकीकरण और सरकार की आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन के न्यूनतम स्तर में निधि प्रवाह की प्रभावशाली और कुशल ट्रैकिंग।
- निधि उपयोगिता पर देश में सभी आयोजना स्कीमों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराना जिससे आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट मानीटरिंग, समीक्षा और निर्णय सहायता प्रणाली बनाई जा सके।

- सार्वजनिक व्यय में सरकारी पारदर्शिता और योजनाओं में संसाधन उपलब्धता और उपयोगिता पर वास्तविक जानकारी के लिए बेहतर वित्त प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था में परिणाम के लिए। रोल आउट के परिणामस्वरूप उन्नत कार्यक्रम प्रशासन और प्रबंध, प्रणाली में फ्लोट में कमी, लाभार्थियों को सीधा भुगतान और सार्वजनिक निधि के उपयोग में बड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही भी होती है। प्रस्तावित प्रणाली अभिशासन सुधार के लिए महत्वपूर्ण साधन होगी।

अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए मॉड्यूल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार स्टैकहोल्डरों के लिए पीएफएमएस द्वारा विकसित/विकसित किए जा रहे मॉड्यूल का उपर्युक्त अधिदेश निम्नानुसार है:

- I. निधि प्रवाह मानीटरिंग
  - (क) एजेंसी पंजीकरण
  - (ख) पीएफएमएस ईएटी माड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और निधि उपयोगिता
  - (ग) पंजीकृत एजेंसियों के लिए लेखांकन माड्यूल
  - (घ) कोषागार इंटरफेस
  - (ङ) पीएफएमएस-पीआरआई निधि प्रवाह और उपयोगिता इंटरफेस
  - (च) राज्य योजनाओं के लिए निधि ट्रेकिंग हेतु राज्य सरकार के लिए तंत्र
  - (छ) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईपीए) की मानीटरिंग
- II. सीधा लाभ अंतरण डीबीटी माड्यूल
  - (क) लाभार्थियों के लिए पीएओ
  - (ख) लाभार्थियों के लिए एजेंसी
  - (ग) लाभार्थियों के लिए राज्य कोषागार
- III. बैंकिंग के लिए इंटरफेस
  - (क) सीबीसी
  - (ख) इंडिया पोस्ट
  - (ग) आरबीआई

(घ) नाबार्ड और सहकारी बैंक

पर्याप्त अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए माड्यूल

IV. भारत सरकार के पीएओ कंप्यूटरीकरण—आनलाइन भुगतान, प्राप्तियां और लेखांकन

(क) कार्यक्रम प्रभाग माड्यूल

(ख) डीडीओ माड्यूल

(ग) पीएओ माड्यूल

(घ) पेंशन माड्यूल

(ङ) जीपीएफ और एचआर माड्यूल

(च) जीएसटीएन सहित प्राप्तियां

(छ) वार्षिक वित्तीय विवरण

(ज) नगद प्रवाह प्रबंधन

(झ) गैर सिविल मंत्रियों के साथ इंटरफेस

V. गैर – कर प्राप्ति पोर्टल

अन्य विभागीय पहल :

पीएफएमएस की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अनेक अन्य विभागों ने अपने विभाग की आवश्यकताओं के लिए उपयोगिताओं को विकसित करने के लिए पीएफएमएस से संपर्क किया।

VI. एमएचए के लिए इंटरफेस (विदेश प्रभाग) एफसीआरए के तहत निधि प्राप्त करने वाली एजेंसियों की मानीटरिंग

VII. सीबीडीटी पीएएन मान्यकरण

VIII. जीएसटीएन बैंक खाता मान्यकरण

कार्यान्वयन कार्यनीति

वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधनप्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार और अनुमोदित की गई है।



उन्नत वित्तीय प्रबंधन के जरिए:

- निधियों की जस्ट इन टाईम (जेआईटी) निर्मुक्ति
- अंततः उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी।

कार्यनीति:

- पीएफएमएस की सार्वभौमिक शुरुआत, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है
- पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण और
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएफएमएस के अग्रिम और अंतरण व्यय (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग।

I. केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं/संव्यवहारों के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति पूरी की जाने वाली गतिविधियां

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग।
- योजनाओं की सभी प्रासंगिक सूचना की मैपिंग।
- पीएफएमएस की प्रत्येक योजना के बजट को अपलोड करना।
- पीएफएमएस के साथ विशिष्ट योजनाओं अर्थात नरेगासॉफ्ट, आवाससॉफ्ट के प्रणालीगत इंटरफेस का एकीकरण।
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण

II. केन्द्रीय राज्य आयोजना सहायता (सीएएसपी) के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति राज्यों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां

- राज्य राजकोष का पीएफएमएस के साथ एकीकरण।
- सभी एसआईए के पीएफएमएस का पंजीकरण (स्तर 1 और निम्नतर)
- राज्य योजनाओं की संबंधित केन्द्रीय योजनाओं के साथ मैपिंग
- पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं का कंफिगरेशन
- राज्य योजना घटकों की कंफीगरिंग
- प्रत्येक राज्य योजना के क्रमबद्धता की पहचान और कंफीगर

- पीएफएमएस का योजना विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ एकीकरण
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण
- कार्यान्वयन के लिए निरंतर सहायता

2016-17 में विधि एवं न्याय मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत चार (04) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी), वेतन एवं लेखा कार्यालय (ईओ) और वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई) में से वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई) से इतर तीन (03) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी) और वेतन एवं लेखा कार्यालय का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय में ईआईसी/सीडीडीओ/एनटीआरपी की स्थिति:—

1. सीडीडीओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सीडीडीओ मॉड्यूल का कार्यान्वयन						
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर लाने के लिए माह-वार योजना		
				जनवरी, 18	फरवरी, 18	मार्च, 18
विधि एवं न्याय मंत्रालय	33	3	30	12	10	8

2. कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल						
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर लाने के लिए माह-वार योजना		
				जनवरी, 18	फरवरी, 18	मार्च, 18
विधि एवं न्याय मंत्रालय	52'	20	32	8	8	10

3. कर भिन्न प्राप्तियां पोर्टल (एनटीआरपी) मॉड्यूल						
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर लाने के लिए माह-वार योजना		
				जनवरी, 18	फरवरी, 18	मार्च, 18
विधि एवं न्याय मंत्रालय	4''	—	4	4	—	—

- (i) **ई-भुगतान प्रणाली**— विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में दिनांक 1.4.2012 से द्वितीय चरण के अधीन ई-भुगतान प्रणाली सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है।

चूंकि आयकर अधिनियम, 2000 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, एक इलेक्ट्रॉनिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड या डिजिटल हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों को मान्यता दी गई है, अतः महा लेखा-नियंत्रक ने डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक सलाह के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई-पेमेंट) के लिए 'काम्पैक्ट' में एक सुविधा विकसित की है। यह चेक के माध्यम से भुगतान की मौजूदा प्रणाली का स्थान लेगी और केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों में चल रहे 'काम्पैक्ट एप्लिकेशन' के प्रयोग को आगे बढ़ाएगी।

ई-भुगतान प्रणाली एक पूरी तरह से सुरक्षित वेब आधारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा की प्रणाली है, जो सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता लाती है। इस प्रणाली के तहत सरकार से देय राशि का भुगतान करने के लिए एक सुरक्षित संचार चैनल अर्थात् गवर्नमेंट ई-भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यम से 'काम्पैक्ट' से जारी एक डिजिटल हस्ताक्षरित ई-सलाह के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए जाते हैं। इसको लागू करने के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त किया गया है। इस प्रणाली को आगामी वर्ष में केंद्रीय सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है।

- (ii) **गवर्नमेंट ई-पेमेंट गेटवे (जीईपीजी):**

गवर्नमेंट ई-पेमेंट गेट वे (जीईपीजी) एक ऐसा पोर्टल है, जिसमें लेन-देन के ऑनलाइन भुगतान के लिए वेतन और लेखा कार्यालयों से सफलतापूर्वक भुगतान किया जा सकता है। यह पोर्टल महालेखा-नियंत्रक के कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने

इसे मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) प्रमाण-पत्र प्रदान किया है। जीईपीजी बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) और पीएओ के कॉम्पैक्ट एप्लिकेशन के बीच एक मध्यवर्ती साधन के रूप में काम करता है और मैनुअल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ई-पेमेंट एडवाइस और ई-स्काल सूचना को स्वचालित बनाता है।

### ई-पेमेंट और जीईपीजी प्रणाली की मुख्य बातें

#### लेन-देन के उच्च सुरक्षा मानक और प्रणाली लॉग

पीएओ एप्लिकेशंस में प्रभावी ई-पेमेंट के लिए निम्नलिखित सुरक्षा अपेक्षाएं मौजूद हैं:

- 128 बिट पीकेआई एन्क्रिप्शन।
- सूचना की सत्यता: हैश एल्गोरिथम (एसएचएआई): सुरक्षा मानक इस प्रकार बनाए गए हैं कि पीएओ द्वारा इंटरनेट पर बैंक को भेजे जा रहे डाटा की गोपनीयता, डाटा की प्रमाणिकता और डाटा की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके।
- नान-रिप्यूडिएशन – की जनरेशन/डिजिटल हस्ताक्षर, 128 बिट पीकेआई बुनियादी संरचना (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुशंसित) पर आधारित

डिजिटल हस्ताक्षरित ई-पेमेंट के प्राधिकरण के साथ प्रत्येक ई-पेमेंट प्राधिकरण की मदवार ट्रेकिंग और स्वचालित समाधान।

- (iii) डिजिटल हस्ताक्षरों का पंजीकरण: वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणन प्राधिकारी से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणन प्राधिकारी से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षरों को यूएसबी टोकन जिसे 'आई-की' कहते हैं, में रखा जाता है। वेतन और लेखा अधिकारी इन डिजिटल हस्ताक्षरों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा कार्यालय के माध्यम से जीईपीजी पोर्टल पर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएओ के डिजिटल हस्ताक्षरों को जीईपीजी पोर्टल से डाउनलोड करते हैं। संबंधित बैंकों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षरों को भी जीईपीजी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ताकि बैंकों द्वारा पीएओ को मुहैया कराए गए ई-पेमेंट स्काल को अधिप्रमाणित किया जा सके।

विनियोग लेखा, 2016-17 की मुख्य विशेषताएं

(रु करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिक() बचत (-)
अनुदान सं. 64 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	126.81	126.14	106.45	-19.69
2014-न्याय प्रशासन	516.19	518.52	489.56	-28.96
2015-निर्वाचन	3649.29	2374.64	2371.34	-3.30
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	73.48	87.19	79.28	-7.91
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.21	23.56	21.19	-2.37
2552-उत्तर-पूर्व क्षेत्र	90.00	3.58	-	-3.58
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	460.01	465.74	465.72	-0.02
3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	75.00	75.00	75.00	-
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	88.01	11.32	7.72	-3.60
वर्ष के दौरान वापस जमा की गई राशि				-1414.33
<b>योग</b>	<b>5100.00</b>	<b>3685.59</b>	<b>3616.26</b>	<b>-1483.76</b>
विनियोग सं. 65-भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष-2014 न्याय प्रशासन (प्रभारित)	189.88	242.00	234.75	-7.25'

\* वर्ष के दौरान वापस की गई राशि

(स्रोत: विनियोग लेखा 2015-16)

### अध्याय—III

#### न्याय विभाग

##### 1. संगठन और कार्य

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का हिस्सा है। विधि और न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, उसके बाद राज्य मंत्री (विधि और न्याय) हैं। सचिव (न्याय), सचिवालय के प्रमुख हैं। संगठनात्मक ढांचे में चार संयुक्त सचिव, सात निदेशक/उप सचिव और नौ अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग की स्वीकृत कार्मिक संख्याबल 96 है, जिसमें से 36 पद रिक्त हैं। वर्तमान में 60 वर्तमान पदाधिकारियों में से केवल 07 महिला अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में काम कर रही हैं। न्याय विभाग के कार्य में भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग पत्र और पद से हटाया जाना तथा उनके सेवा संबंधी मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अधीनस्थ न्यायालयों की आधारभूत संरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ-साथ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी कार्यान्वित करता है। न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध—XIII पर है।

1.1 भारत सरकार (समय-समय पर यथासंशोधित आवंटन नियम-1961) के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- i. भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।
- ii. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनके वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।
- iii. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।
- iv. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोड़कर) (किंतु इस न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क।
- v. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर इन न्यायालयों का गठन और संस्थान।
- vi. संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और संस्थान तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।
- vii. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी।
- viii. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन।

- ix. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।
- x. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तार करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।
- xi. गरीबों को विधिक सहायता
- xii. न्याय का प्रशासन
- xiii. न्याय प्रदायगी तक पहुंच और विधिक सुधार।

## 2. न्यायाधीशों की नियुक्ति

### 2.1 भारत का उच्चतम न्यायालय:

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का संख्याबल (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) 31 है। 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, पदासीन न्यायाधीशों की संख्या 25 है और न्यायाधीशों के 6 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरा जाना है। 01-01-2017 से 31-12-2017 तक की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय में 05 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। श्री न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर को 04.01.2017 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था और वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 27.08.2017 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने 28.08.2017 से भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण कर लिया है।

### 2.2 भारत का उच्च न्यायालय:

31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1079 है, इनमें से पदासीन न्यायाधीशों की कुल संख्या 683 है और न्यायाधीशों के 396 पद रिक्त हैं जिन्हें भरा जाना है। दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 की अवधि के दौरान, अधिवर्षिता, उच्चतम न्यायालय के लिए पदोन्नति, पद त्याग, इत्यादि की वजह से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 81 पद रिक्त हो गए। उपरोक्त अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 115 नई नियुक्तियों की गई हैं और 31 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था।

### 2.3 मौजूदा प्रक्रिया-ज्ञापन (एमओपी) को अनुसमर्थित करना।

“कॉलेजियम प्रणाली” में सुधार के बारे में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16-12-2015 को अपना आदेश सुनाया। अपने इस आदेश के तहत उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय दिया कि “भारत सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के परामर्श से पारदर्शिता, सचिवालय, पात्रता मानदंड और शिकायत तंत्र जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रक्रिया-ज्ञापन को अनुपूरित करते हुए उसे अंतिम रूप दे सकती है।

भारत सरकार ने समुचित विचार-विमर्श करने के पश्चात मसौदा प्रक्रिया-ज्ञापन में परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जिन्हें दिनांक 22-03-2016 के पत्र द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को भेज दिया गया था। सरकार

का प्रयास है कि वर्तमान प्रक्रिया-ज्ञापन को उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्थापित मानकों के भीतर नियुक्ति-प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के साथ-साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए अनुसमर्थित किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का प्रत्युत्तर दिनांक 25-05-2016 और 01-07-2016 को प्राप्त हुआ। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने संशोधित प्रक्रिया-ज्ञापन में दिए गए कुछ सुझावों पर सहमति जताई है। हालांकि इसने कुछ अन्य प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया है। सरकार की राय 03-08-2016 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भेज दी गई थी। 13-03-2017 के पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा यथासंशोधित प्रक्रिया ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेते हुए (सू-मोटो) अवमानना की कार्यवाही में 4.7.2017 के एक हालिया निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को फिर से देखने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। न्याय विभाग ने भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव को भेजे गए सचिव (न्याय) के दिनांक 11-07-2017 के पत्र द्वारा सरकार के मत को बताते हुए उच्चतम न्यायालय के साथ इस मुद्दे को उठाया है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के साथ परामर्श में सरकार द्वारा प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

### 3. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

3.1 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1993 में स्थापित (17.08.1993 से प्रभावी) एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह स्वतंत्र निकाय, भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैम्पस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों व्याख्यानो का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख निकाय है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति तैयार करने के प्रशासन को मजबूत करना रहा है।

3.2 भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभा (जनरल बाडी) और साथ ही साथ शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) के अध्यक्ष हैं और साथ ही वे कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अकादमी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित है। निदेशक, इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों में एक निदेशक के अलावा अपर निदेशक (अनुसंधान) का एक पद, प्रोफेसर के 3 पद, सहायक प्रोफेसर के 6 पद, अनुसंधान फ़ैलो के 6 पद और विधि सहायक के 6 पद शामिल हैं। न्यायिक अकादमी के प्रशासनिक अधिकारियों और स्टाफ में निदेशक के अलावा, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, मुख्य लेखा अधिकारी, अनुरक्षण अभियंता और दूसरे प्रबंधकीय और प्रकार्यात्मक पद शामिल हैं।



3.3 वित्त वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए "सामान्य सहायता अनुदान" (गैर-योजनागत) के अंतर्गत 1000.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को तीन किशतों में 1000.00 लाख रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए "पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान" के लिए 600.00 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें से, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (भारत) द्वारा जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है, 20 आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने के लिए 300 लाख रुपए की धनराशि निर्गत की गई है, जबकि 300 लाख रुपए की दूसरी किस्त निर्गत किए जाने के लिए प्रक्रिया जारी है।

3.4 वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान, अकादमी ने न्यायिक अधिकारियों के लिए 90 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ सीबीआई अधिकारियों/विशेष न्यायालयों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, न्यायिक नैतिकता और जवाबदेही पर सम्मेलन, सार्क देशों के न्यायाधीशों के लिए कार्यशालाएं, भारत में युवा न्याय बोर्डों के काम पर राष्ट्रीय सेमिनार, परिवार/पोक्सो/मानवाधिकार/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) न्यायालयों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, आतंकवाद रोध, आदि पर कार्यशालाएं शामिल हैं।

#### 4. कुटुंब न्यायालय

4.1 कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 में उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बे में हर क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करे। यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें तो वे राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं।

4.2 कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य और कारण निम्नांकित हैं:

- i. इस तरह के विशेष न्यायालय बनाना जो विशेष रूप से परिवार के मामलों को देखेंगे ताकि उनके पास ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो। इस प्रकार, विशेषज्ञता और मामलों का शीघ्र निपटान ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए दो मुख्य कारक हैं;
- ii. परिवार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना करना;
- iii. सस्ता समाधान प्रदान करना; और
- iv. कार्यवाहियों के संचालन में लचीलापन और एक अनौपचारिक वातावरण।

4.3 कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए वर्ष 2002-03 में केंद्रीय वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ने, कुटुंब न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए योजनागत सहायता के रूप में एक-बारगी के अनुदान के रूप में 10 लाख रूपए और गैर योजना के अंतर्गत आवर्ती लागत के रूप में वर्ष में 5 लाख रूपए की उच्चतम सीमा के अधधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत मुहैया कराया। वर्ष 2012-13 से इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को 11.50 करोड़ रूपए का अनुदान निर्मुक्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केंद्र प्रायोजित योजना में कुटुंब न्यायालय और रिहायशी परिसर के भवन के निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था करने के संघटक को शामिल कर लिया गया है।

### 5. न्याय क्षेत्र में 14 वां वित्त आयोग

5.1 न्याय विभाग ने न्यायालय सेवाओं के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित करने और न्यायालय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 14वें वित्त आयोग के विचार के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में अतिरिक्त न्यायालयों (858.82 करोड़ रूपए), फास्ट ट्रैक न्यायालयों (4,144.11 करोड़ रूपए), पारिवारिक न्यायालयों (521.06 करोड़ रूपए), के गठन के माध्यम से लंबन में कमी लाने, मौजूदा न्यायालयों परिसरों को अधिक वादी अनुकूल बनाने के लिए उनकी रीडिजायनिंग करने (1400 करोड़ रूपए), आईसीटी सक्षम न्यायालयों के लिए तकनीकी सहायता बढ़ाने (479.68 करोड़ रूपए), उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के केस रिकॉर्डों का स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन करने (752.50 करोड़ रूपए), न्याय तक पहुँच बनाने (947.55 करोड़ रूपए), न्यायाधीशों, लोक अभियोजकों, मध्यस्थों, वकीलों (नए, पुराने) के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता बढ़ाने (550 करोड़ रूपए) और मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना करने (75.00 करोड़ रूपए) के लिए 9749 करोड़ रूपए की कुल वित्तीय आवश्यकता का प्रस्ताव किया गया था।

5.2 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश – 14 वें वित्त आयोग ने प्रस्तावित प्रस्ताव की वृहत प्रकृति को नोट करते हुए इसका समर्थन किया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे राज्यों में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कर विकेन्द्रीयकरण में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय आवंटन का उपयोग करें।

### 6. ई-कोर्स मिशन मोड प्रोजेक्ट

#### 6.1 परिचय:

एक ऐसी न्याय प्रदायगी प्रणाली को स्थापित के दृष्टिकोण के साथ जिसमें बेहतर दक्षता, पहुँच, सामर्थ्य, अधिक पारदर्शिता और निर्धारित समयबद्धता हो, न्याय विभाग, भारत के उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। 2010 में शुरू किए गए ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के चरण-1 ने एक अच्छी सफलता दर के साथ अपने निर्धारित लक्ष्यों और समय-सीमा को पूरा करते हुए 639.144 करोड़ रूपए की कुल लागत पर अपना पहला चरण पूरा कर लिया है।

## 6.2 वित्तीय और समय-सीमा:

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (एमएमपी), न्याय विभाग की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में से एक है, जो अपने चरण-II के कार्यान्वयन में चल रही है। अगस्त, 2015 में शुरू हुआ ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का चरण-II 2019 में पूरा होना है। 1,670 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ परियोजना के चरण-II [2015-2019] के तहत न्याय विभाग द्वारा 31.12.2017 तक 921 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

## 6.3 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी सक्रियण :

सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, न्याय विभाग ने ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत 16,089 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी सक्षम किया है। प्रमुख विशेषताओं में आईसीटी सक्षमता के लिए बुनियादी डिजिटल बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करना शामिल है जिसमें कि विभिन्न मॉड्यूल, जैसे कम्प्यूटर हार्डवेयर, डीएसएलए/टीएलसी का कम्प्यूटरीकरण, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रत्येक न्यायालय परिसर में मानक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की स्थापना, एसजेएस पर प्रशिक्षण, कियोस्क की स्थापना, प्रबंधन परिवर्तन आदि शामिल हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 488 न्यायालयों और 342 संबंधित जेलों के बीच शुरू की गई है। इस सुविधा को 2768 न्यायालय परिसरों और 958 जेलों में स्थापित करने के लिए कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अतिरिक्त सुविधाओं में सेवाओं का वितरण में अन्य बातों के साथ-साथ मामला पंजीकरण, कारण-सूची, दैनिक मामले की स्थिति, और अंतिम आदेश/निर्णय शामिल हैं। इंटरऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के तहत जेलों, पुलिस और फोरेंसिक्स के साथ ई-कोर्ट के एकीकरण की परिकल्पना की गई है।

## 6.4 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी):

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) को परियोजना के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में सृजित किया गया है, जिसमें देश के 16,089 कम्प्यूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/उनके फैसलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। वर्तमान में, वादी इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 8.86 करोड़ से अधिक मामलों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और 5.24 करोड़ से अधिक ऑर्डरों/फैसलों यह पोर्टल वादियों को ऑनलाइन जानकारी भी प्रदान करता है जैसे केस पंजीकरण, कारण सूची, केस स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय। लगभग 3,000 न्यायालय परिसरों में वास्तविक समय के आधार पर दाखिल, पंजीकरण, जांच, आपत्तियों, मामले की स्थिति, कारण सूची, निर्णय और आदेश के ताजा आंकड़े दर्शाए जाते हैं।

उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) को भी चालू किया गया है। उच्च न्यायालय वेब सेवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) से जुड़ गए हैं, जिसमें 23 उच्च न्यायालयों के 39 खंडपीठों ताजा (लाइव) आंकड़े होते हैं।

### 6.5 ई-कोर्ट्स परियोजना के तहत सेवाएं:

#### क. एसएमएस भेजना :

वादियों और वकीलों के लाभ के लिए, एसएमएस के माध्यम से केस सूचना सेवा (एस) उपलब्ध कराने की सुविधा कार्यान्वित की गई है और प्रणाली जनरेटेड एसएमएस भेजने की प्रक्रिया परिचालन में है।

#### ख. एसएमएस प्राप्त करना :

22 सितंबर, 2017 को ई-कोर्ट्स परियोजना के तहत एसएमएस प्राप्त करने की सुविधा का उद्घाटन किया गया था। एसएमएस प्राप्त करने की सुविधा के तहत 9766899899 पर एसएमएस द्वारा केस सीएनआर नंबर (केस नंबर रिकॉर्ड) भेजकर मामले का विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

#### ग. ई-मेल:

देश में सभी जिला और तालुका न्यायालयों के लिए स्वचालित मेलिंग चालू की गई है। वर्तमान में रोज 1 लाख से अधिक मेल भेजे जा रहे हैं। ई-मेल सेवा के माध्यम से ई-कोर्ट परियोजना के तहत संबंधित न्यायालयों के साथ ई-मेल पते का पंजीकरण करने पर वादियों के मेल-बॉक्स में कारण सूचियों, फ़ैसलों, मामलों की स्थिति आदि प्राप्त की जा सकती है।

#### घ. वेब:

यूआरएल : <https://ecourts.gov.in> का इस्तेमाल करके ई-कोर्ट्स पोर्टल की वेबसाइट के माध्यम से वादी केंद्रित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

#### ङ. मोबाइल एप्लिकेशन:

वादियों और वकीलों के इस्तेमाल के लिए क्यूआर कोड की सुविधा के साथ ई-न्यायालय मोबाइल एप को भी शुरू किया गया है। विभिन्न कैप्शन के तहत सेवाएं अर्थात् सीएनआर, मामले की स्थिति, कारण सूची और मेरे मामले, इस एप पर उपलब्ध हैं। प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों की उपलब्धता के साथ 31.12.2018 तक कुल डाउनलोड की संख्या 4.43 लाख पार कर गई है।

#### च. न्यायिक सेवा केंद्र:

न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) स्थापित किए गए हैं, जो वादियों/वकीलों द्वारा याचिकाओं और आवेदन पत्र दाखिल करने और जारी मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और आदेशों और निर्णय आदि की प्रतियां प्राप्त करने के लिए एक एकल खिड़की के रूप में सेवा देने के लिए सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में स्थापित किए गए हैं।

#### छ. कियोस्क:

वादियों और वकीलों को कारण सूचियों और अन्य मामलों से संबंधित न्यायिक जानकारी देने के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालय परिसरों में सूचना कियोस्क स्थापित किए गए हैं।

### 6.6 केस सूचना प्रणाली:

मामला सूचना (केस इन्फोर्मेशन) सॉफ्टवेयर (सीआईएस 2.0) का नया और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल संस्करण विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में क्यूआर कोड सुविधा को चालू किया गया है। सॉफ्टवेयर के प्रत्येक आउटगोइंग दस्तावेज पर अब एक क्यूआर कोड होगा। मुद्रित क्यूआर कोड के आधार पर, कोई भी मामले की वर्तमान स्थिति को देख सकता है। सीआईएस एनसी 3.0 का उन्नत संस्करण लगाए जाने के लिए तैयार है। इसका परीक्षण कर लिया गया है और अब इसके अंतिम संस्करण को शीघ्र ही लाने की योजना है। सीआईएस एनसी 3.0 को लगाए जाने के बाद और हार्डवेयर आवश्यकताओं को पूरा कर लिए जाने के बाद सर्विस पोर्टल की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस जनरेशन ट्रांसमिशन और ट्रेकिंग शुरू की जाएगी।

उच्च न्यायालय भी केस सूचना सॉफ्टवेयर के उपयोग करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 31 जनवरी, 2018 तक, 11 उच्च न्यायालयों ने केस इंफॉर्मेशन सिस्टम नेशनल कोर वर्जन 1.0 को अपनाया है और कार्यान्वित किया है।

### 6.7 ई-फाइलिंग सुविधा:

न्याय विभाग के सचिव डॉ. आलोक श्रीवास्तव ने दिल्ली के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ई-फाइलिंग सुविधा का उद्घाटन 3 दिसंबर, 2017 को सीपीसी सम्मेलन के दौरान किया। यह सुविधा, दिल्ली जिला न्यायालयों के लिए शुरू किए जाने की प्रक्रिया में है। इसके बाद हार्डवेयर लगाने का कार्य पूरा हो जाने की बाद यह सुविधा तुरंत सभी जिला न्यायालयों के लिए दोहराई जाएगी।

### 6.8 प्रबंधन परिवर्तन:

सीआईएस 2.0 के बारे में समझने के लिए न्यायिक अधिकारियों और न्यायालयों के कर्मचारियों के उपयोग के लिए ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सीआईएस 2.0 के माध्यम से केस मैनेजमेंट पर एक ई-बुक तैयार की गई थी, जो ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का मुख्य सॉफ्टवेयर है। सीआईएस 2.0 में दिए गए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने के बारे में न्यायिक प्रबंधन को सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रबंधन मैनुअल भी तैयार किया गया था। वादियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एनजेडीजी, ई-फाइलिंग और सीआईएस पर एक प्रशिक्षण और जागरूकता उपकरण के रूप में वीडियो और मैनुअल तैयार किए गए हैं जिन्हें [ecourts.gov.in](http://ecourts.gov.in) पर देखा जा सकता है।

न्यायपालिका के लिए अच्छी न्यायिक प्रथाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय ज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, न्याय विभाग ने ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के प्रबंधन परिवर्तन प्रक्रिया के तहत न्यायिक अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट वैश्विक पद्धतियों और मानकों की जानकारी से सन्नद करने व अवगत रखने हेतु कैलिफोर्निया, बर्कले विश्वविद्यालय में न्यायिक अधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके एक कदम उठाया है। पूरे देश के 28 न्यायिक अधिकारियों ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में इस दो सप्ताह के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, अक्टूबर, 2017 के दौरान एक सप्ताह के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट) पर उच्च न्यायालयों के ई-कोर्ट परियोजना के 36 परियोजना समन्वयकों के लिए एक कार्यकारी प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों को सरकार में नयापन लाने, परियोजना प्रबंधन तकनीकों और प्रक्रियाओं, परियोजना वित्तीय प्रबंधन और नियंत्रण, सार्वजनिक खरीद और अनुबंध प्रबंधन, जीएफआर : अनुपालन, सेवा गुणवत्ता और आंतरिक ग्राहक संतुष्टि और विक्रेता संभाल के मुद्दों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। उच्च न्यायालयों की सहायता से ई-समिति ने प्रक्रिया पुनर्चना (प्रोसेस रीइंजीनियरिंग) का काम भी हाथ में लिया है।

### 6.9 त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन:

परियोजना अवधि की समाप्ति के बाद, परिसंपत्तियों का रखरखाव और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 30 राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों और उनके संबंधित उच्च न्यायालयों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

### 7. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन:

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, प्रणाली में देरी और बकाया को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाकर उपयोग में वृद्धि के दोहरे उद्देश्य के साथ निष्पादन और क्षमताओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था। यह मिशन, अधीनस्थ न्यायपालिका में बकाया और लंबन के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाए हुए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित बेहतर बुनियादी ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्या बल को बढ़ाना, अत्यधिक मुकदमेबाजी उन्मुख क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग करना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है। मिशन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं।

न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की कमी, सामान्य रूप से विलंब का मुख्य कारण माना जाता है। दो पक्षीय कार्य नीति के माध्यम से न्यायाधीशों की कमी से निपटा जा रहा है। पहली, न्यायपालिका में विद्यमान बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरना और दूसरी न्यायाधीशों की संस्वीकृत संख्या को बढ़ाना है। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि संवैधानिक ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का उत्तरदायित्व है।

इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को मामलों के बकाये को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त अदालतों की संख्या के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए कोई पद्धति तैयार करने के लिए कहा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश में तैयार 245 वीं रिपोर्ट (2014) में विधि आयोग ने देश में न्यायाधीश की संख्या की पर्याप्तता के निर्धारण के लिए न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात के मानदंड की समीक्षा की है। 245वीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने पाया है कि विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में प्रति व्यक्ति मामले दर्ज करना काफी भिन्न होता है क्योंकि मामले दर्ज करना आबादी की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से जुड़ा होता है। इस तरह विधि आयोग ने न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को देश में न्यायाधीश शक्ति की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड नहीं माना। विधि आयोग

ने पाया कि देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में डेटा संग्रह के पूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति में, मामलों के बकाया को समाप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया बैकलॉग नहीं बने, 'निपटान की दर' की पद्धति, अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है। मई, 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार और उच्च न्यायालयों से विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा। अगस्त 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस) को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा। एनसीएमएस ने मार्च, 2016 में अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपी। इसने अन्य बातों के साथ पाया कि "प्रत्येक अदालत के मामले को निपटाने के लिए अपेक्षित न्यायिक घंटों की कुल संख्या का निर्धारण करने के लिए दीर्घावधि में, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए,। इसी बीच, इस समिति ने एक "भारित" निपटान (वेटड डिस्पोजल) करने के तरीके का प्रस्ताव किया है— स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता द्वारा भारित निपटान किया जाना। 02.01.2017 के आदेश में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के संघ को निदेश दिया है कि वे अध्यक्ष, एनसीएमएस समिति द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को भेजें ताकि वे एनसीएमएस रिपोर्ट के आधार पर जिला न्यायपालिका के लिए जरूरी न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें।

सभी पणधारकों द्वारा किए गए सतत प्रयासों के कारण विगत कुछ वर्षों में अधीनस्थ न्यायपालिका के संस्वीकृत संख्याबल में लगातार वृद्धि हुई है। यह 2012 के अंत में 17,715 से बढ़कर 31-12-2017 में 22,619 हो गई है। उच्च न्यायालयों के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालयों की संस्वीकृत संख्याबल को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अप्रैल, 2013 आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की संयुक्त सिफारिश को अप्रैल, 2014 में सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की। अनेक राज्यों ने इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों का संस्वीकृत संख्याबल मार्च, 2014 में 906 न्यायाधीशों से बढ़कर दिसंबर, 2016 में 1079 न्यायाधीश हो गया। सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के संस्वीकृत संख्याबल को ध्यान में रखते हुए देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात अब 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 19.61 न्यायाधीशों का है।

तथापि, देखा गया है कि संस्वीकृत संख्याबल में सतत वृद्धि के बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। 31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों के 5,924 पद रिक्त थे, जो संस्वीकृत संख्याबल का लगभग 26 प्रतिशत है। 22 और 23 अप्रैल, 2016 को आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकारों के समन्वयन से अपने राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में जिला न्यायपालिका के संवर्ग संख्याबल में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे।

### 7.1 न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद

राष्ट्रीय मिशन की एक सलाहकार परिषद है जो इसका मार्गदर्शन और इसकी कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। माननीय विधि और न्याय मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं। इस सलाहकार परिषद में विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग की संसदीय स्थायी समिति, भारत के एटर्नी जनरल, भारतीय सॉलिसिटर जनरल, भारत के विधि आयोग, भारत के उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय

न्यायिक अकादमी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दो राज्य (आंध्र प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर), विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व है और एक विशेषज्ञ (प्रो. माधव मेनन) हैं। सलाहकार परिषद के लिए यह अनिवार्य है कि वह हर छह महीने में एक बार बैठक करें और राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और रणनीतियों पर सलाह दे। सलाहकार परिषद, अपनी शुरुआत से लेकर अब तक दस बार बैठक कर चुकी है। पिछली बैठक 18 अक्टूबर, 2016 को आयोजित की गई थी, जिसमें मिशन द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई और अन्य बातों के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए जनशक्ति की योजना बनाने, न्यायालय की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने, न्यायिक डेटाबेस नीति तैयार करने आदि से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

### 7.2 न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना।

राज्यों में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 1993-94 में न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की गई थी। अपने वर्तमान स्वरूप में इस योजना में, अब न्यायालय भवनों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण को शामिल किया गया है। अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के राष्ट्रीय मिशन का एक प्रमुख बल दिए जाने वाला क्षेत्र है। तदनुसार, वर्ष 2011-12 के बाद से संशोधित योजना के अंतर्गत योजना के वित्त पोषण प्रतिमान (फंडिंग पैटर्न) को 50:50 से संशोधित करके 75:25 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) कर दिया गया था। 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के लिए धन के बढ़े हुए आवंटन के साथ, योजना के धन बँटवारे प्रतिमान (फंड शेयरिंग पैटर्न) को 2015-16 से फिर से 75:25 से संशोधित कर 60:40 (केंद्र: राज्य) कर दिया गया (8 उत्तर- पूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10)। केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निधि को शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना की शुरु होने के बाद से, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों को 6009 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से, 2014-15 से लेकर 22-01-2018 तक 2565 करोड़ रुपये (42.66 प्रतिशत) की राशि प्रदान की गई है, जिसमें 2017-18 के 530 करोड़ रुपए शामिल हैं।

31 दिसंबर, 2017 तक उच्च न्यायालयों से एकत्रित सूचना के अनुसार, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 17,814 कोर्ट हॉल/ कोर्ट रूम उपलब्ध थे। इसके अलावा, 2,950 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम निर्माणाधीन थे इन आंकड़ों की दिसंबर, 2017 तक उच्च न्यायालयों द्वारा बताई गई 16,695 न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों की संख्या की तुलना करते हुए न्यायिक जनशक्ति की मौजूदा संख्या के लिए पर्याप्त न्यायालय कक्ष/ कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं। 2014 से 31.12.2017 तक 2,429 न्यायालय हॉल और 4,172 आवासीय आवासों का निर्माण किया गया, इसमें से 518 न्यायालय हॉलों का निर्माण वर्ष 2017 में किया गया है। अब ध्यान इस बात पर है कि न्यायालयों के कमरों/ न्यायालय हॉलों की उपलब्धता को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/ न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के अनुरूप बनाया जाए। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता के संबंध में काफी प्रगति हुई है। दिसंबर 2017 तक, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 13,658 आवासीय इकाइयां उपलब्ध थीं और 1,633 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन थीं।



व्यय वित्त समिति ने अगस्त, 2017 में चालू निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को जारी रखने को मंजूरी दी। नवंबर 2017 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,320 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 31 मार्च, 2020 तक इस योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी। इस योजना को न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने भविष्य की परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने सहित प्रगति पर डेटा संग्रह, न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए भू-टैगिंग के साथ एक ऑन-लाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने और भविष्य के लिए पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए योजना के तहत न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों के मानदंडों और विनिर्देशों को तैयार करने का भी निदेश दिया है।

### 7.3 ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को 2 अक्टूबर 2009 से लागू किया गया। यह अधिनियम नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवस्था प्रदान करता है। अधिनियम की एक प्रति न्याय विभाग की वेबसाइट पर रखी गई है। ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) के संदर्भ में, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर निकटस्थ पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी भी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत न हो, निकटतम समूह पंचायतों के समूह के लिए एक या दो ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 11 राज्यों द्वारा 321 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है, इनमें से 207 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	राज्य	अधिसूचित	कार्य कर रहे
1	मध्य प्रदेश	89	89
2	राजस्थान	45	45
3	कर्नाटक	2	0
4	ओडिशा	16	13
5	महाराष्ट्र	23	23
6	झारखंड	6	0
7	गोवा	2	0
8	पंजाब	2	1
9	हरियाणा	2	2
10	उत्तर प्रदेश	104	4
11	केरल	30	30
	<b>कुल</b>	<b>321</b>	<b>207</b>

राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती खर्चों के लिए और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को चलाने के आवर्ती व्यय की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवर्ती और गैर आवर्ती सहायता, इस योजना के दिशा-निर्देशों में दी गई वित्तीय सीमाओं के अधीन है। केंद्र सरकार, ग्राम न्यायालयों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है जिसमें एक बार की सहायता के रूप में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रति ग्राम न्यायालय के लिए 18.00 लाख रुपये (कार्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपये, वाहन के लिए 5 लाख रुपये और कार्यालय सज्जा के लिए 3 लाख रुपये) और तीन वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती व्यय के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय 3.20 लाख रुपये शामिल हैं। अब तक राज्यों को 52.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिनमें 2017-18 में मंजूर किए गए 8.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

### 7.4 न्यायालयों में लंबितता

22.12.2017 को उपलब्ध सूचना के अनुसार 55,459 मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित थे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार 1.1.2018 को 34.27 लाख मामले उच्च न्यायालयों में (इलाहाबाद और जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालयों को छोड़कर) लंबित थे और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों और लक्षद्वीप और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.61 करोड़ मामले लंबित थे।

अप्रैल 2015 में नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान, न्यायालयों में लंबितता और मामलों के बैकलॉग में कमी एक ऐसे क्षेत्र के रूप में सामने आए जिन पर उच्च न्यायालय के स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अप्रैल, 03 और 04, 2015 को आयोजित सम्मेलन में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक बकाया समिति स्थापित करेगा, जो विलंब के लिए जिम्मेदार कारकों पर विचार करेगी और उन मामलों के बकाया (बैकलॉग) को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी जो पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। अप्रैल, 2016 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया था कि महिलाओं, हाशिए पर पड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे— (क) मौजूदा न्यायालय प्रणाली के भीतर इन श्रेणियों के तहत आने वाले मामलों के निपटान को प्राथमिकता देना (ख) अधीनस्थ न्यायालयों की कैडर संख्या को फिर से आँकने और जहां आवश्यक हो, ऐसे मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों को बनाने के प्रयास करना। सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया गया है कि वे उच्च न्यायालय और साथ ही जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भी मामलों के लंबन में कमी लाने की दिशा में कदम उठाएँ।

### 7.5 न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के लिए योजना

सितंबर 2013 में न्याय विभाग द्वारा स्थायी वित्त समिति की आवश्यक मंजूरी के साथ न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक प्लान योजना तैयार की गई थी। इस योजना का उद्देश्य न्यायिक सुधार के क्षेत्र में कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य पर्याप्त रूप व्यापक है कि इसमें न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के राष्ट्रीय मिशन के वृहत्तर उद्देश्य अर्थात् प्रणाली में विलंब और बकायों को कम करके पहुँच बढ़ाने और कार्यनिष्पादन मानकों को स्थापित करके और क्षमता

सुधार द्वारा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से न्याय प्रदायगी के विधिक और न्यायिक मामलों के प्रत्येक और हर पहलू को शामिल किया जा सके।

न्याय प्रदायगी, विधिक अनुसंधान और न्यायिक सुधार के क्षेत्र में परियोजनाओं/ गतिविधियों के लिए पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों को 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। असाधारण मामलों में, जहां परियोजना का दायरा पर्याप्त रूप से व्यापक होता है, नमूना आकार बड़ा होता है और परियोजना अधिक अवधि के लिए है, सचिव (न्याय) की अध्यक्षता वाली परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) इस उच्चतम सीमा में छूट दे सकती है। पात्र कार्यान्वयन एजेंसियां हैं— भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल ज्युडिशियल एकेडमी, स्टेट ज्युडिशियल अकादमी और न्याय प्रदायगी, विधिक अनुसंधान और न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य प्रतिष्ठित संस्थान।

अभी तक, परियोजना मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित 24 परियोजनाओं में से दस परियोजनाओं में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

### 7.6 विश्व बैंक की व्यापार करने की सहजता की कोटि निर्धारण (रैंकिंग) के तहत सविदाओं का प्रवर्तन।

विश्व बैंक हर साल "डूईंग बिजनेस रिपोर्ट" प्रकाशित करता है और व्यापार करने की आसानी पर देशों की कोटि (रैंको) का निर्धारण करता है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल से मार्च तक व्यापार करने के बारे में किए गए कार्य पर विचार करता है। डूईंग बिजनेस रिपोर्ट, 2018 में भारत, 190 अर्थव्यवस्थाओं में से 100 वें स्थान पर है। विश्व अर्थव्यवस्थाओं को मापने के लिए 10 कार्य निष्पादन संकेतकों का उपयोग किया गया है। न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय "अनुबंध प्रवर्तन" मापदंड में सुधार के लिए नोडल विभाग है। ये अनुबंध प्रवर्तन संकेतक किसी स्थानीय प्रथम-दृष्टांत न्यायालय के माध्यम से किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने के लिए समय और लागत, और न्यायिक प्रक्रिया सूचकांकों की गुणवत्ता को यह मूल्यांकन करते हुए मापता है कि क्या प्रत्येक अर्थव्यवस्था ने अच्छी पद्धतियों की ऐसी किसी शृंखला को अपनाया है जो न्यायालय प्रणाली में गुणवत्ता और क्षमता का संवर्धन करती हो।

2018 की रिपोर्ट के अनुसार, एक जिला न्यायालय में मामला पूरा करने के लिए अनुमानित कुल समय 1445 दिन है (2017 की रिपोर्ट में यह 1420 दिन था)। इसमें से, दाखिल और सर्विस चरण के लिए 45 दिन लगते हैं; खोज और फैसले के लिए 1095 दिन लगते हैं और फैसले के कार्यान्वयन के लिए 305 दिन लगते हैं। भारत के लिए लागत अनुमान (जिसमें कोर्ट फीस, अटॉर्नी शुल्क और प्रवर्तन शुल्क शामिल हैं) 2018 में 31 प्रतिशत था और ओईसीडी देशों की यह लागत अनुमान 21.5 प्रतिशत है।

भारत की न्यायिक प्रक्रिया सूचकांक की गुणवत्ता में सुधार आया है और इसका समग्र स्कोर विश्व बैंक की 2018 की रिपोर्ट में 7.5/18 से बढ़कर 9/18 हो गया है और 2018 में इसका रैंक 2017 के 172 से सुधरकर 164 हो गया है। यह रैंकिंग केवल जिला वाणिज्यिक न्यायालयों अर्थात् 11 दिल्ली जिला न्यायालयों और 60 बंबई सिविल न्यायालयों के लिए की जाती है।

**“संविदाओं के प्रवर्तन” के कार्यान्वयन के लिए कृतक बल:** संविदाओं के प्रवर्तन के लिए सुधारों को मॉनिटर करने के लिए 23 दिसंबर, 2016 को सचिव (न्याय) की अध्यक्षता में एक कृतक बल का गठन किया गया है, जिसमें औद्योगिक संवर्धन और नीति विभाग, विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, दिल्ली और बॉम्बे उच्च न्यायालयों, दिल्ली और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तक कार्यबल की 5 बैठकें 05.01.2017, 18.04.2017, 04.08.2017, 20.11.2017 और 29.12.2017 को आयोजित की गई हैं।

सरकार ने संविदा मापदंड प्रवर्तन में 8 स्थानों की छलांग दर्ज करने के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं और वह यह सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर है कि आवश्यक सुधार किए जाएँ जिससे कि भारत की रैंकिंग अगले वर्ष तक शीर्ष 50 में आ जाए। संविदाओं के प्रवर्तन की सुविधा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं :

- (i) राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी), जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का एक विस्तृत डाटाबेस है, और मामलों के लंबन का पता लगाने, उनका प्रबंध करने व उन्हें कम करने के लिए चुनिन्दा उच्च न्यायालयों का निगरानी उपकरण है। इस सुविधा से निम्नलिखित रिपोर्टें सृजित की जा सकती हैं :
  - (क) क्लियरेंस रेट रिपोर्ट;
  - (ख) लंबित मामलों की आयु की रिपोर्ट; तथा
  - (ग) एकल मामला प्रगति रिपोर्ट।
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन उपकरण मौजूदा हैं और वे वकीलों और न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध हैं और प्रासंगिक लिंक ई-कोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ये वकीलों को कानूनों, नियमों और केस-लॉ तक पहुँच बनाने (ख) न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए फार्म प्राप्त करने (ग) अधिसूचनाएं प्राप्त करने (घ) किसी दिए गए मामले की स्थिति पर नजर रखने और (ङ) किसी दिए गए मामले पर न्यायालय के आदेश और फैसले की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- (iii) “बेहतर और कुशल न्याय प्रदायगी प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट मैनेजमेंट उपकरण: इस प्रणाली से न्यायाधीश (क) विधि, विनियम और केस-लॉ देख सकते हैं; (ख) वकीलों को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं; (ग) न्यायाधीश की डॉकेट में किसी मामले की स्थिति का पता लगा सकते हैं। न्यायाधीश सुनवाई से पहले अपने डॉकेट पर कारण सूची और उनके पूरे इतिहास को देख सकते हैं; (घ) मामले के दस्तावेजों को देख और प्रबंधित कर सकते हैं; (ङ) न्यायालय के आदेशों का सेमि-ऑटोमैटिक सृजन; और (च) न्यायालय के आदेशों और विशेष मामलों में निर्णय देख सकते हैं।
- (iv) ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर को 3 दिसंबर, 2017 को देश में लॉन्च किया गया था और यह सुविधा 31 मार्च, 2018 तक पूरे देश के लिए सक्रिय होगी।

- (v) एक मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया जा रहा है जिसे प्रोसेस के सर्विस प्रूफ को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण करने के लिए प्रोसेस सर्वर पर लगाया जाएगा। इसमें एक जीपीएस लोकेटर भी होगा।

### 8. उपेक्षितों के लिए न्याय तक पहुँच

न्याय विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ 2009 में उपेक्षित लोगों के लिए न्याय तक पहुँच शीर्षक वाली एक दशक तक चलने वाली परियोजना को शुरू करने के लिए सहयोग किया था – परियोजना के मुख्य केंद्र बिन्दुओं में शामिल हैं:

1. उपेक्षित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए न्याय तक पहुँच सुदृढ़ करना।
2. गरीबों और वंचितों को प्रभावी सेवा प्रदान करने में समर्थ बनाने हेतु प्रमुख न्यायिक सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं में सुधार करना।
3. गरीबों और वंचित पुरुषों और महिलाओं को न्यायिक सेवाओं की मांग करने और उन्हें प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाना।

यह परियोजना बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित आठ राज्यों में 2009–2012 और 2013–2017 के दो चरणों में लागू की गई थी। यह परियोजना इसके दूसरे चरण के समापन के साथ 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हुई।

#### 8.1 2017 के दौरान कार्यान्वित परियोजनाएं

- क) **लॉ स्कूल आधारित कानूनी सहायता क्लिनिक्स:** ओडिशा और महाराष्ट्र में लॉ स्कूल आधारित कानूनी सहायता क्लिनिक क्रमशः नेशनल लॉ स्कूल, ओडिशा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा उनके नैदानिक कानूनी शिक्षा कार्यक्रम के तहत चलाए गए थे। कुल छः कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए और ये छात्रों और दो संस्थानों के संकाय द्वारा संचालित किए गए। इनमें टीआईएसएस और एनएलयूओ के परिसर में दो परिसर आधारित क्लिनिक और परिसर के बाहर चार क्लिनिक शामिल हैं (जिसमें से तीन क्लिनिक क्रमशः पुरी, कटक और खुर्दा जिलों के ब्रह्मगिरी, डोम्पाडा और जनकिया ब्लॉकों में और एक महाराष्ट्र में मुंबई (उपनगरीय) में मानखुर्द वार्ड में स्थित थे। उपरोक्त क्लिनिकों ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया और साथ-साथ मामला दस्तावेजों के प्रारूप तैयार करने, आवेदन पत्र दाखिल करने, जिला कानूनी सेवाओं के अधिकारियों के साथ-साथ कानूनी सलाह देने के मामले में हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों को कानूनी सहायता प्रदान की।

ओडिशा में, इन क्लिनिकों ने निःशुल्क कानूनी सहायता, विचाराधीन कैदियों के अधिकारों, महिलाओं, बच्चों, मजदूरों और उपभोक्ताओं, उपभोक्ता अधिकारों, आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए 26 संरचित कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों

का सफल आयोजन किया है। इसके अलावा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए विशिष्ट लक्ष्य समूहों जैसे वकीलों, पैरा लीगल स्वयंसेवकों, सरकारी अधिकारियों, विधि के शिक्षकों, विधि के छात्रों और महिलाओं के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

महाराष्ट्र में, दो टीआईएसएस के क्लीनिकों में कुल 362 मामले देखे गए जिनमें आपराधिक, सिविल, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, परिवार कानून के मामले, पीआईएल के मामले आदि शामिल हैं। इनमें से, 229 (69%) महिला आवेदक थीं जो मुख्य रूप से घरेलू हिंसा और वैवाहिक समस्याओं पर सलाह मांग रही थीं। इसके अलावा, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और डब्ल्यूसीडी के सुरक्षा अधिकारी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

**ख) बाराबंकी जिले में कानूनी साक्षरता अभियान, उत्तर प्रदेश:** 779 ग्राम पंचायतों को लक्षित करते हुए बाराबंकी जिले के दस ब्लॉकों में विधिक साक्षरता पर एक पायलट परियोजना 2017 में पूरी की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत, 517 गांव स्तर के रिसोर्स व्यक्तियों को इन कानूनों और सरकारी योजनाओं पर कानूनी जागरूकता सामग्री के सृजन और प्रसार के साथ-साथ सामाजिक न्याय विधान पर प्रशिक्षण दिया गया था।

जागरूकता कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे सामाजिक स्तर के कार्यकर्ताओं और सामाजिक वर्ग के कार्यकर्ताओं को लक्षित किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर डॉक्यूमेंटरी फिल्मों, कठपुतली शो, नुक्कड़ नाटकों आदि दिखाने सहित विभिन्न तरीकों को उपयोग में लाकर कानूनी साक्षरता अभियान आयोजित किया गया।

**ग) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए तकनीकी सहायता:** चार पेशेवरों की एक टीम ने न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा देखे जा रहे विषयों जैसे कि व्यापार करने की सहजता, अनुबंध प्रवर्तन पर अनुसंधान और सलाहकारी नोट प्रदान किए। इस टीम ने एक्शन रिसर्च और न्यायिक सुधार की योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा भी की और तकनीकी सुझाव दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह परियोजना, राष्ट्रीय मिशन द्वारा शुरू किए गए मुद्दों पर शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य को पूरा करे।

**घ) परियोजना मूल्यांकन:** एक्सेस –टू –जस्टिस (ए2जे) परियोजना के दूसरे चरण के मूल्यांकन को सूत्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरा किया। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ने ए2जे परियोजना का एक उत्साहवर्धक विश्लेषण प्रस्तुत किया और अगले चरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए:

क) मंत्रालयों के साथ सामरिक संस्थागत साझेदारी बनाना— परियोजनाओं के पैमाने को बढ़ाने और स्थिरता के लिए अधिक संभावनाएं।

ख) एनएलएसए, एनएलएमए, एसआईआरडी के साथ साझेदारी को मजबूत करना।

ग) लोक शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए विधिक सूचना कियोस्कों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है और उन्हें तहसील और ब्लॉक कार्यालयों में लगाया जा सकता है। सामग्री को मोबाइल एप्लिकेशन के लिए बदला जा सकता है।

घ) भविष्य में, यूएनडीपी के लिए तकनीकी समर्थन का साझेदारी मॉडल एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप क्षेत्र हो सकता है।

### 8.2 तीन नई पहल

20 अप्रैल, 2017 को न्याय विभाग द्वारा निम्नलिखित नई पहल की गई :

1. **न्याय मित्र:** इस योजना के तहत, न्याय मित्रों (एनएम) का चयन किया जाना था और उन्हें दस वर्षीय पुराने मामलों के लंबन को कम करने के लिए 16 राज्यों के 227 जिलों में नियुक्त किया जाना था। अभी तक 16 न्याय मित्र नियुक्त किए गए हैं। उनके कार्यों में, हाशिये पर पड़े लोगों को विधिक सलाह देना, मामलों के निपटान को तेजी से ट्रैक करने के लिए सरकारी विभागों और राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ संपर्क रखना, लोक अदालतों में मामलों को भेजना और न्याय विभाग द्वारा अग्रेषित की गई शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालना शामिल है।
2. **टेली लॉ: सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विधिक सहायता को मुख्य धारा में लाना :** यह पहल न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के तत्वावधान में सीएससी-ई गवर्नेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य पैरा लीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में तैनात पैनल वकीलों द्वारा हाशिए पर पड़े समुदायों को विधिक सलाह प्रदान करना है। पैनल वकील और लाभार्थियों के बीच संपर्क को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट और पंचायत स्तर पर स्थापित सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध टेलीफोन सेवा के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यह कार्यक्रम वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार में 1000 सामान्य सेवा केंद्रों में पायलट चरण में लागू किया जा रहा है। जनवरी 2018 के आखिरी हफ्ते तक, हाशिये पर पड़े समुदायों के 1600 से अधिक मामले दूरसंचार पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं और 1400 से अधिक मामलों में कानूनी सलाह प्रदान की गई है।
3. **प्रो बोनो लीगल सर्विस स्कीम:** इस पहल का प्रमुख उद्देश्य प्रथमतया भारत में निः स्वार्थ विधिक सेवाओं के लिए स्वयंसेवा करने की प्रथा को संस्थागत बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि उन लोगों को जो इन सेवाओं को लेना चाहते हैं, गुणवत्ता परक कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए और दूसरा, उन स्वयंसेवकों के प्रयासों को जो इस सार्वजनिक सेवा के प्रति अपना बहुमूल्य समय और सेवा देते हैं, विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हो। इन दायित्वों के अनुरूप और निः स्वार्थ विधिक सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, न्याय विभाग ने एक वेब आधारित मंच बनाया है जो [www.doj.gov.in](http://www.doj.gov.in) पर उपलब्ध है जिसके माध्यम से वकील, उन अधिकारहीन ग्राहकों को जो इसे इसका खर्च उठाने में असमर्थ हैं, निःस्वार्थ विधिक सेवा देने के लिए स्वयं को वोलेंटियर कर सकते हैं और हाशिए पर पड़े समुदायों के आवेदक भी विधिक सहायता और निःस्वार्थ विधिक सेवा के वकीलों से सलाह के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जनवरी 2018 के आखिरी सप्ताह तक देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 202 वकील पंजीकृत हुए हैं और हाशिए पर पड़े आवेदकों के 264 मामले इन अधिवक्ताओं को सौंपे गए हैं। कुल 69 वकीलों ने उन्हें सौंपे गए मामलों पर फीडबैक रिपोर्ट प्रदान की है। विभाग भी एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित कर रहा है जो लाभार्थियों और निः स्वार्थ विधिक सेवा के वकीलों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा।

## 9. न्याय तक पहुँच पूर्वोत्तर एवं जम्मू और कश्मीर

परियोजना/योजना का शीर्षक	: "न्याय तक पहुँच—पूर्वोत्तर एवं जम्मू और कश्मीर"
परियोजना की अवधि	: अप्रैल 2012 – मार्च 2017
परियोजना की कुल राशि	: 30 करोड़ रुपए
परियोजना की वर्तमान स्थिति	: परियोजना का विस्तार 3 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक)
नए चरण के लिए वर्तमान बजट	: 46 करोड़ रुपए
परियोजना के साझेदार	: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, कॉमन सर्विस सेंटर ई—गवर्नेंस।

### 9.1 उपलब्धियां

- (1) जम्मू और कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को संचालित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे का मसौदा तैयार करना: जम्मू—कश्मीर में अनाथालयों का एक मूल्यांकन अध्ययन करने और जम्मू—कश्मीर में अनाथालयों को संचालित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे का मसौदा तैयार किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए सिफारिशें समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर को प्रस्तुत की गई थीं। जम्मू—कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नीतिगत ढांचे पर हितधारकों के साथ परामर्श किए गए थे।
- (2) मुख्य विधिक साक्षरता को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के साथ अभिसरण:  
उत्तर-पूर्व राज्यों के राज्य संसाधन केंद्रों के माध्यम से एनएलएमए के साथ मिलकर कानूनी साक्षरता पाठ्यक्रम विकसित किया गया है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस परियोजना ने 7 लाख लोगों को जमीनी स्तर पर लाभान्वित किया है।
- (3) उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर में सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) ई—गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ अभिसरण: उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए कानूनी साक्षरता पर स्थानीय भाषाओं यानी असमिया, बांग्ला, नेपाली, खासी, गारो, मणिपुरी, मिजो, हिंदी, उर्दू में एक हैंडबुक विकसित की गई है। इसके अलावा, कानूनी जागरूकता पर एक लघु फिल्म भी विकसित की गई है। सीखने की सामग्री के साथ, 900 ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इन ग्राम स्तर के उद्यमियों ने पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन करके कानूनी जागरूकता का और आगे प्रसार किया।



- (4) नौ राज्यों में परियोजना टीमों की नियुक्ति के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को मानव संसाधन प्रदान करना: राज्य के स्तर पर परियोजना की गतिविधियों का समन्वय करने और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को समर्थन देने के लिए सभी 9 परियोजना राज्यों में दो पेशेवरों (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) की एक टीम नियुक्त की गई है।
- (5) पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य सम्मेलन: "पूर्वोत्तर राज्यों में मानव तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों (सर्वाइवर्स) के अधिकारों पर सम्मेलन आयोजित किए गए: असम में "न्याय तंत्र तक पहुंच बनाने में चुनौतियां" और हितधारकों की भूमिका और "उत्तर-पूर्वी भारत में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था (पुलिसिंग) के लाभ: जुलाई, 2016 के महीने में मेघालय में "बेहतर पुलिस व्यवस्था के लाभ, चुनौतियाँ और उसके लिए कार्य योजना" और "उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजाति और हाशिए पर पड़े अन्य समुदाय के अधिकार: सितंबर 2017 में मणिपुर में उनके कानूनी अधिकारों को हासिल करने में एसएलएसए और आयोगों की भूमिका"।
- (6) टेली-लॉ स्कीम: पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विधिक सहायता को मुख्य धारा में लाना : दूरदराज के कोनों में विधिक सलाह की खोज में लगे लोगों को 800 सामान्य सेवा केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से किसी भी स्थान से वकीलों से संपर्क करने के लिए टेली लॉ योजना कार्यान्वित की जा रही है। सभी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों और पैरा लीगल वोलंटियर (पीएलवी) को उत्तर-पूर्व राज्यों और जम्मू-कश्मीर में टेली-विधि योजना पर प्रशिक्षित किया गया था। कुल 10,272 मामले पंजीकृत हैं और 7,427 लोग, परियोजना वाले राज्यों में जनवरी 2018 के अंतिम सप्ताह तक वीडियो कॉन्फ्रेंस / टेलीफोन के माध्यम से कानूनी परामर्श प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं।
- (7) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययन: राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति / निष्पादन का मूल्यांकन किया। रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों में परियोजना को जारी रखने की सिफारिश की गई है।

## 9.2 प्रमुख उपलब्धियां

- पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लिए 16 स्थानीय बोलियों में विभिन्न सामाजिक कल्याण विधानों पर आईईसी सामग्री विकसित की गई है।
- पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में सामाजिक कल्याण विधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 7 स्थानीय भाषाओं में टेली फिल्म (6 सीरीज) तैयार की गई है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के अधिकार, मानव तस्करी, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी प्रासंगिक हितधारकों को आमंत्रित करते हुए तीन राज्य सम्मेलन आयोजित किए गए थे।

- जम्मू-कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को संचालित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे का अध्ययन आयोजित किया गया है जिसमें राज्य सरकार को इस विषय पर नीति तैयार करने की सिफारिश की गई है।
- न्याय विभाग और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन (एमओयू) के तहत पाठ्यक्रम में विधिक साक्षरता गतिविधियों के लिए सतत अभिसरण।

### 9.3 ए2जे एनईजेके स्कीम के नए चक्र के लिए स्वीकृत परियोजनाएं (2017-2020)

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मेघालय द्वारा मेघालय में विधिक साक्षरता पर ग्राम प्रमुखों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण।
- कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा श्रीनगर जिले में किशोर न्याय के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना।
- जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जेएनआईएमएस), पोरमपत, इम्फाल, पूर्व द्वारा अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ पीड़ित बच्चे के कानूनी अधिकारों पर पोकसो (POCSO) हितधारकों की क्षमता का निर्माण।
- त्रिपुरा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा त्रिपुरा में 10 सब डिवीजनों में विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जम्मू और कश्मीर द्वारा कश्मीर में कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना
- पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण विकास के राज्य विभागों के माध्यम से कानूनी साक्षरता गतिविधियों का अभिसरण।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के गाँव बुराह और गाँव बुरीस का प्रशिक्षण।
- आइजोल जिले में 16 शैक्षणिक संस्थानों में कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना: मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हाशिए पर पड़े समुदाय को न्याय पहुंचाना सुनिश्चित करना।

### नियोजित गतिविधियां:

- मेघालय राज्य महिला आयोग (एसएससीडबल्यू) द्वारा सेंग कीन्थी के विधिक जागरूकता कार्यक्रम।
- पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी साक्षरता गतिविधियों का अभिसरण।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से कानूनी साक्षरता गतिविधियों का अभिसरण।
- उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी न्याय प्रणाली और नियमित न्याय प्रणाली के बीच तालमेल।

## 10. उच्चतर न्यायपालिका की सेवा-शर्तें :

### 10.1 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का संशोधन।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई)/ न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर अलग से समीक्षा की जाती है। सीजेआई/ न्यायाधीशों की समिति ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को 01-01-2016 से संशोधित करने के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को संशोधित करने के लिए, लोक सभा द्वारा "उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक 2017" दिनांक 04.01.2018 को पारित कर दिया गया है और इसे दिनांक 05-1-2018 को राज्य सभा को भेज दिया गया है। यह उम्मीद है कि विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी।

### 10.2 दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी)

भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 643/2015 में अपने 9.05.2017 के आदेश के तहत भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान, वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए एक न्यायिक वेतन आयोग की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।

तदनुसार, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, सरकार ने 16.11.2017 की विज्ञापित द्वारा दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की नियुक्ति की है जिसका गठन इस प्रकार है : -

- (i) अध्यक्ष - श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी. वेंकटरामा रेड्डी, भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।
- (ii) सदस्य- श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. बसंत, केरल, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।
- (iii) सदस्य सचिव (आयोग द्वारा चुना जाना है, अधिमानतः कोई न्यायिक अधिकारी)।

एसएनजेपीसी के विचारार्थ विषयों का विवरण निम्नानुसार है: -

- (क) ऐसे सिद्धांतों को विकसित करना जो पूरे देश में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित न्यायिक अधिकारियों के वेतन ढांचे और अन्य परिलब्धियों की संरचना को अधिशासित करें।
- (ख) राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तों और परिलब्धियों के वर्तमान ढांचे की जांच करना।
- (ग) काम के तरीकों और काम के माहौल की और न्यायिक अधिकारियों को प्राप्त विभिन्न प्रकार के भत्तों और लाभों की जांच करना।
- (घ) ऐसी अंतरिम राहत पर विचार करना और सुझाव देना, जो यह सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के न्यायिक अधिकारियों के लिए उचित और ठीक समझे।

- (ड.) अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के वेतन एवं उनकी सेवा-शर्तों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करने के लिए तंत्र की सिफारिश करना।

### 11. विभाग की विविध गतिविधियां

#### 11.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू कर दिए हैं:

- (क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करने और संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।
- (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत जैसा कि अपेक्षित है विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ-साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (<http://doj.gov.in>) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।
- (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत सभी अवर सचिवों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषय के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है।
- (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के संदर्भ में, सभी निदेशक/ उप सचिव स्तर के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अवर सचिवों जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, के मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के पद नामित किया गया है।
- (ड.) वर्ष 2017 (01-01-2017 से 31-12-2017) के दौरान विभाग में 600 आरटीआई आवेदन और 25 अपीलें और 2502 आरटीआई आवेदन दस्ती रूप से और 115 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं, उन्हें अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया।
- (च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15-04-2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/5/2011-आईआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार विभाग, सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

#### 11.2 शिकायतों का निपटान

- (क) न्याय विभाग (डीओजे) को राष्ट्रपति के सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/ऑनलाइन सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे नागरिकों से बड़ी संख्या में नागरिकों की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस विभाग को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

द्वारा उन 20 विभागों में से एक विभाग आँका गया है जिन्हें सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, डाक द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं।

- (ख) न्याय विभाग को उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, विधिक सहायता / कानूनी मदद / कानूनी जागरूकता / ई-कोर्ट / न्यायिक सुधार आदि से संबंधित शिकायतों को देखने का अधिदेश है। केवल इन विषयों से संबंधित शिकायतें न्याय विभाग द्वारा देखी जाती हैं।
- (ग) न्यायपालिका से संबंधित शिकायतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आगे के कार्यवाही के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के महा सचिव, भारत के उच्चतम न्यायालय / रजिस्ट्रार जनरल को भेज दिया जाता है। सूचना के लिए एक प्रति शिकायतकर्ता को पृष्ठांकित कर दी जाती है।
- (घ) निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय विभाग में प्राप्त शिकायतों को निवारण के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सदस्य सचिव को भेजा जाता है।
- (ङ) न्याय विभाग द्वारा अग्रेषित की गई शिकायतों पर न्यायपालिका द्वारा उनकी स्वयं की इन-हाउस पद्धति के अनुसार विचार किया जाता है व उनकी जांच की जाती है और शिकायतों से निपटने के लिए प्रणाली / प्रक्रिया को आम तौर पर साझा नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में, न्याय विभाग शिकायतकर्ताओं को नतीजे को सूचित करने की स्थिति में नहीं होता है।

न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश शिकायत धारकों / नागरिकों की जानकारी / मार्गदर्शन के लिए वेबसाइट [www.doj.gov.in](http://www.doj.gov.in) पर अपलोड किए गए हैं।

### 11.3 महिलाओं का सशक्तीकरण:

**कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण:** कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुपालन में 24.11.2015 को विभाग की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी हैं।

### 11.4 स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभाग में स्वच्छ भारत कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2017-2018 के दौरान, न्याय विभाग में 1.4.2017 से 15.4.2017 तक और 16.10.17 से 27.10.17 तक दो स्वच्छता पखवाड़ों का आयोजन किया गया है जिसके दौरान कई कार्यकलापों जैसे कि लॉन का सौंदर्यीकरण, परिसरों के अंदर वृक्षारोपण, मॉड्यूलर फर्नीचर की स्थापना, व्यापक सफाई अभियान, परिसर के अंदर पुराने रिकार्डों की छंटार्ई, जंक / पुरानी वस्तुओं का निपटान और न्याय विभाग के अधिकारी / अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान आदि का आयोजन किया गया है।

सन 2017-18 के दौरान, स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत कार्यों के लिए जैसे कि शौचालयों और कैटीन क्षेत्र का नवीकरण, सफाई उपकरणों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 17.00 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

### 11.5 ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

कागज रहित कार्यालय की ओर बढ़ने की सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने ई-ऑफिस को संचालित करने के लिए पहल की है। ई-ऑफिस प्रणाली के सुचारु कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग के लिए ई-ऑफिस पर सभी अधिकारियों/ कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग, भारत सरकार के शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले उन मंत्रालयों/ विभागों में से एक है, जिसने पूर्ण ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर लिया है।

## 12. राजभाषा अनुभाग :

विभाग में राजभाषा अनुभाग फरवरी, 2016 में गठित किया गया था। न्याय विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कारगर कार्यान्वयन और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/ अनुदेशों का अनुपालन करने में विभाग को सहायता देता है। इस अनुभाग को विभाग की विभिन्न सामग्रियों का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त सरकार के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

### 12.1 राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टों का संग्रहण और विश्लेषण :

विभाग के सभी अनुभागों से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टें संग्रहीत करके उनकी समीक्षा की गई। रिपोर्टों में पाई गई कमियों के बारे में अनुभागों को सूचित किया गया तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में सुझाव दिए गए। इन रिपोर्टों के आधार पर समेकित विवरण तैयार किया गया और उसे राजभाषा विभाग को भेजा गया। इन रिपोर्टों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में समीक्षा भी की गई।

### 12.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :

वर्ष 2017-18 के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक एक बैठक आयोजित की गई और विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति की समीक्षा की गई। इन बैठकों के कार्यवृत्त विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में परिचालित किए गए। यह समिति विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की पुनरीक्षा करती है और उसके बारे में निर्णय लेती है। इस समिति की बैठकों में संघ सरकार का अधिकाधिक कार्य हिंदी में किए जाने के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की दिनांक 21-03-2017 (प्रथम), 29-06-2017 (द्वितीय), 26-09-2017 (तृतीय) और 22-12-2017 (चतुर्थ) को बैठकें आयोजित की गईं।

### 12.3 सरकारी कामकाज में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन

विभाग में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दो प्रोत्साहन योजनाएँ चल रही हैं। इनमें से एक है- हिंदी में टिप्पण और आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना और दूसरी है- अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेडेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना। हिंदी में टिप्पण और आलेखन प्रोत्साहन योजना के तहत सचिव

महोदया ने दिनांक 14 सितंबर, 2017 को हिन्दी दिवस के अवसर पर 06 अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए।

### 12.4 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

विभाग में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशालाएँ दिनांक 22-03-2017 (प्रथम), 28-06-2017 (द्वितीय), 25-09-2017 (तृतीय) और 18-12-2017 (चतुर्थ) को आयोजित की गईं और इनमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए गए और उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न नियमों और विनियमों की जानकारी प्रदान की गई। इससे सरकारी कामकाज में हिंदी टिप्पण और हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ।

### 12.5 विभाग के विभिन्न दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, ई-बुक, निष्पादन बजट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया-ज्ञापन, मंत्रिमण्डल हेतु टिप्पणियों (केबिनेट नोट), संसद प्रश्नों में दिए गए आश्वासनों पर कार्यान्वयन रिपोर्टों, नालसा से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और सामान्य रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों जिनमें अधिसूचनाएँ, मंत्री महोदय की ओर से भेजे जाने वाले अर्ध शासकीय पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पत्र और दैनिक प्रकृति के सामान्य आदेश शामिल हैं, आदि का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य सम्पन्न किया गया।

### 12.6 हिन्दी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 14 सितंबर, 2017 को हिन्दी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस पर माननीय सचिव महोदय की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री महोदय के संदेश का वाचन किया गया। सचिव (न्याय) ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इसके अलावा, विभाग में 15-09-2017 से 30-09-2017 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान 4 लिखित प्रतियोगिताएँ अर्थात् हिंदी निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता और श्रुत लेखन प्रतियोगिता तथा 2 मौखिक प्रतियोगिताएँ अर्थात् काव्य पाठ प्रतियोगिता और आशु संभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गईं जिनमें कुल 73 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को 4 नकद पुरस्कार (प्रथम: 3000 रुपए, द्वितीय: 2000 रुपए, तृतीय: 1500 रुपए और प्रोत्साहन: 500 रुपए) और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। संयुक्त सचिव (प्रशासन) महोदय ने दिनांक 17-10-2017 को 24 प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

### 12.7 हिंदी पुस्तकों की खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग में पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखकों और विशिष्ट व्यक्तियों की पुस्तकों की सूची सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से तैयार की गई और लगभग 5000/- रुपए मूल्य की पुस्तकें खरीदी गईं।

### 13. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए व्यवस्था प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वे विधि और ऐसी विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती हो। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवम्बर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में और अधिकतर तालुकों में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित विधिक सेवा कार्यक्रम के प्रशासन और इसको कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को गठित किया गया है।

#### 13.1 नालसा का कामकाज

नालसा, देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा-निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी और किफायती योजनाएं बनाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है:

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत शामिल किए गए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना;
- विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना; और
- ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

#### 1. निःशुल्क विधिक सेवाएं

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नांकित शामिल हैं: —

- कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान;
- विधिक कार्यवाही में वकीलों की सेवा प्रदान करना;



- ग) विधिक कार्यवाही में आदेश प्राप्त करना और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति करना;  
घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी।

अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान देश भर में विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से 3.15 लाख पात्र व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

## 2. लोक अदालत

लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में लंबित अथवा वाद से पहले की स्थिति वाले विवादों/मामलों का समाधान मिलजुल कर कराया जाता है। लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन सांविधिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा किसी न्यायालय के समक्ष इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक के सभी न्यायालयों में मामलों (वादपूर्व और वाद के बाद) का निपटान करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत भी आयोजित की जाती है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबन्धित विवादों को हाथ में लेने और उनका निपटान करने के लिए अधिकतर राज्यों में स्थायी लोक अदालतें भी स्थापित की गई हैं।

2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान आयोजित इन लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख में)

क्रम संख्या.	वर्ष	लोक अदालत		राष्ट्रीय लोक अदालत
		देश में आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	वाद से पहले के और वाद के बाद के मामलों की संख्या	देखे गए कुल मामलों की संख्या
1	2014-15	1.81	275.05	500.63
2	2015-16	1.68	152.99	196.78
3	2016-17	1.19	17.24	77.56
4	2017-18	0.56	9.59	*54.05
	<b>कुल</b>	<b>5.24</b>	<b>454.87</b>	<b>829.02</b>

**टिप्पणी:** निपटाए गए मामलों में वाद से पहले के और वाद के बाद के मामले शामिल हैं। \*(दिसंबर, 2017 तक)

इसके अलावा, अप्रैल से सितंबर, 2017 तक स्थायी लोक अदालतों की 11571 बैठकें हुई थीं और 60043 मामलों को निपटाया गया था और निपटाए गए मामलों का कुल मूल्य 105.8 करोड़ बैठता है।

### 3. विधिक जागरूकता कार्यक्रम:

निवारक और कार्यनीतिक विधिक सहायता के भाग के रूप में नालसा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है। कुछ राज्यों में ग्रामीण साक्षरता शिविरों के साथ-साथ सामान्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रति वर्ष विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

### 4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) की 15वीं अखिल भारतीय बैठक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने 18 और 19 मार्च, 2017 को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली में राज्य विधिक सेवाओं के अधिकारियों की 15वीं अखिल भारतीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक को आयोजित करने का उद्देश्य पूरे भारत में विधिक सेवाओं के संस्थानों में अधिक जीवंतता के लिए रणनीतियों की जांच करना था। बैठक में न्याय तक पहुँच बनाने और जरूरतमंदों को उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई।

उक्त बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया:

- एसएलएसए सभी मैजिस्ट्रेटियल न्यायालयों और सत्र न्यायालयों में रिमांड एडवोकेट्स की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
- लोक न्यायालय में मामलों के निपटान में एक तीन आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। (i) मामलों की पहचान करना, (ii) पार्टियों के वकीलों को संबद्ध करना, (iii) लोक अदालतों से पहले की समझौताकारी बैठकें करना।
- पैनल वकीलों की जेल क्लिनिकों के दौरों की न्यूनतम संख्या एक सप्ताह में कम से कम चार दिन होनी चाहिए।
- सभी एसएलएसए, विचाराधीन कैदियों/अपराधियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जेलों में अपराधियों को पैरा लीगल वालेंटियर्स (पीएलवी) के रूप में नियुक्ति करेंगे।
- निशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जेल में प्रचार करने के लिए स्थायी साइन बोर्डों और होर्डिंगों को सहज गोचर होने वाले स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- सभी एसएलएसए, कानूनी सेवाओं के क्लिनिक चलाने के लिए सभी जेलों में अलग स्थान प्राप्त करने के प्रयास करेंगे।
- प्रत्येक एसएलएसए/संघ शासित प्रदेश तीन महीने के भीतर स्थायी लोक न्यायालयों का गठन करने के लिए कदम उठाएंगे। यह भी यह निर्णय लिया गया कि राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से स्थायी लोक न्यायालय में अध्यक्षों और सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाए।

### 5. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर संगोष्ठी: मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता

15 अप्रैल, 2017 को फरीदाबाद में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण: समस्याएं, चुनौतियां और आगे का रास्ता" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी का विषय वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और उनसे अप्रिय व्यवहार से संबंधित मुद्दों और संबंधित वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानून, कार्यक्रमों और नीतियों पर चर्चा करना था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अभियान "आप अकेले नहीं हैं" भी शुरू किया गया था।

### 6. पैरा लीगल स्वयंसेवकों की राष्ट्रीय बैठक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने नई दिल्ली में 29 और 30 अप्रैल, 2017 को पैरा लीगल स्वयंसेवकों की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया। केंद्रीय विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने समाज के दुर्बल वर्गों की न्याय तक त्वरित पहुंच के लिए डिजिटल डिलिवरी सिस्टम की आवश्यकता पर जोर दिया।

### 7. कानूनी सहायता प्रतिष्ठान

कानूनी सेवाओं के संबंध में जानकारी तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष, एनएएलएसए ने 17 मई, 2017 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में पहली कानूनी सहायता स्थापना का उद्घाटन किया। दिल्ली एसएलएसए ने इसे 'न्याय संयोग' नाम दिया है।

अब तक 25 कानूनी सहायता प्रतिष्ठान केंद्र स्थापित किए गए हैं। बाकी पर कार्य चल रहा है। ये विधिक सहायता प्रतिष्ठान, लाभार्थियों को किसी भी जिले में लंबित अपने मामले की स्थिति, कानूनी सहायता तथा सलाह तथा नालसा, केन्द्रीय/राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी के संबंध में त्वरित सूचना प्रदान करते हैं।

### 8. राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों का क्षेत्रीय सम्मेलन

पहली बार, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने क्षेत्रीय स्तर पर एसएलएसए के सम्मेलन का आयोजन किया है। उत्तर-पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के क्षेत्रीय सम्मेलन क्रमशः शिलांग, चंडीगढ़, अहमदाबाद और बंगलुरु में आयोजित किए गए थे। पूर्वी क्षेत्र के अगले सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में निर्धारित किया गया है। पहली बार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने स्थानीय स्तरों पर समन्वय में सुधार करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। इन बैठकों का व्यापक उद्देश्य "कानूनी सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालतों और नालसा की योजनाओं के कार्यान्वयन पर एसएलएसए के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और समीक्षा" पर चर्चा करना और नालसा योजनाओं के तहत एसएलएसए की गतिविधियों के विस्तार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना था।

### 9. "लॉ स्कूल आधारित लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स" का राष्ट्रीय सेमिनार

30 जुलाई, 2017 को 'लॉ स्कूल आधारित लीगल सर्विसेज क्लिनिक' के एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था।

**10. विधिक सेवा दिवस मनाना-2017**

नालसा ने 9 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर 'विधिक सेवा दिवस' मनाया। माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य संरक्षक, नालसा मुख्य अतिथि थे। सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पीएलवी की सराहना की गई। उपर्युक्त के अलावा, माननीय मुख्य अतिथि ने पीएलवी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किया और पूरे भारत के लिए 10 दिनों का एक कार्यक्रम 'कनेक्टिंग टू सर्व' (सेवा के लिए संपर्क करना) भी शुरू किया गया।

\*\*\*\*



माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, संविधान दिवस पर विज्ञान भवन में।



माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी के साथ 15 जून, 2017 को जैसलमेर हाउस में विधि और न्याय मंत्रालय की तीन वर्षों की उपलब्धियों के बारे में प्रेस को संबोधित करते हुए।



माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 20 अप्रैल, 2017 को जैसलमेर हाउस में प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज का शुभारंभ।



2 दिसंबर, 2017 को साकेत कोर्ट परिसर में ई-कोर्ट्स सेंट्रल प्रोजेक्ट कॉ-ऑर्डिनेटर (सीपीसी) सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.बी. लोकुर, और सचिव (न्याय) डॉ. आलोक श्रीवास्तव।



माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, श्री पी.पी. चौधरी और श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, सचिव (न्याय) 15 जून, 2017 को जैसलमेर हाउस में विधि और न्याय मंत्रालय की तीन वर्ष की उपलब्धियों के बारे में पुस्तिका को जारी करते हुए।



9 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में 'लीगल सर्विसेज डे' समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश और नालसा के मुख्य संरक्षक माननीय श्री दीपक मिश्रा, माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद।




29 और 30 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में पैरा लीगल वालेंटियर्स की राष्ट्रीय बैठक में माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और भारत के मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर।



अनुलग्नक-1

(देखें अध्याय-1 पैरा-2)

विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट



अनुलग्नक-II

देखें अध्याय-I पैरा 13(ख)



उपाबंध-III

(देखें अध्याय-I पैरा-13 (ग))

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 31.12.2017 की स्थिति को दर्शाते हुए प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों का ब्यौरा

	1	2	3
	कुल अधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारी	हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिनमें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
विधि कार्य विभाग	454	425	29
	4	5	6
विधि कार्य विभाग	कुल टंकक (कोर्ट क्लर्क / अवर श्रेणी लिपिक)	हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिनमें हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना है।
	74	10	64
	7	8	9
विधि कार्य विभाग	आशुलिपिकों की संख्या	हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिनमें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
	90	33	57

उपाबंध-IV

(देखें अध्याय-I पैरा-13 (ग))

दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान हिंदी शिक्षण योजना सहित हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्यौरा

1	2	3	4	5	6
हिंदी में प्राप्त पत्र	पत्र जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	पत्र जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए	भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्र	अंग्रेजी में भेजे गए पत्र
विधि कार्य विभाग	5569	4622	22006	14048	7958

7	8	9	10	11	12
तारों की कुल संख्या	हिंदी में जारी किए गए	अंग्रेजी में जारी किए गए	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	हिंदी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	अंग्रेजी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या
विधि कार्य विभाग	---	---	3227	-	-

13	14	15	16	17	18	19
कम्प्यूटरों की कुल संख्या	देवनागरी/द्विभाषी कम्प्यूटरों की संख्या	अंग्रेजी कम्प्यूटरों की संख्या	कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या	हिन्दी में प्रवीण कर्मचारिवृन्द की संख्या	रबड़ की मुहरें	नाम - पट्टिकाएं
विधि कार्य विभाग	300	---	राज पत्रित	राज पत्रित	हिभाषिक	अंग्रेजी में
			अराज पत्रित	अराज पत्रित	अंग्रेजी में	
			313	98	400	60
			141	79	---	---

\* सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा है।

उपाबंध-V

(देखें अध्याय-I पैरा-23 (18))

आयकर अपीलीय अधिकरण में दिनांक 31.12.2017 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भू.सै.	शा.वि.
अध्यक्ष	1	1	—	—	—	—	—
उपाध्यक्ष	3	3	—	—	—	—	—
लेखा सदस्य	49	25	5	3	15	—	1(ओ. एच.)
न्यायिक सदस्य	43	24	7	2	10	—	—
रजिस्ट्रार	1	1	—	—	—	—	—
उप रजिस्ट्रार	—	—	—	—	—	—	—
सहायक रजिस्ट्रार	8	4	—	1	3	—	—
हिंदी अधिकारी	—	—	—	—	—	—	—
कुल	105	58	12	6	28	0	1

समूह ख	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.
						—	—	—	—	—	—	—	—
वरिष्ठ निजी सचिव	94	54	14	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—
निजी सचिव	22	7	4	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—
अधीक्षक	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कार्यालय अधीक्षक	10	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
हिन्दी अनुवादक	6	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
प्रधान लिपिक	49	31	7	3	7	—	—	—	—	1	—	—	—
वरिष्ठ लेखाकार	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सहायक	8	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	196	115	29	6	45	0	0	0	0	0	1	0	0

समूह ग	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.
उच्च श्रेणी लिपिक	76	34	10	5	27	—	—	3	—	—	—	—	2
स्टेनो ग्रेड 'डी'	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अवर श्रेणी लिपिक	116	59	25	8	24	—	—	1	—	—	—	2	—
स्टाफ कार चालक	32	8	10	2	12	1	1	8	5	—	—	—	—
कुल	225	102	45	15	63	1	1	12	5	0	0	2	2

	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.
मल्टी-टार्किंग स्टाफ	196	91	44	19	42	0	3	8	11	1	0	3	3
कुल	196	91	44	19	42	0	3	8	11	1	0	3	3

उपाबंध-VI

(देखें अध्याय I, पैरा 25)

दिनांक 1 जनवरी, 2018 को सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	101	19	18.81	5	4.95	12	11.88	—	—	3	2.97
समूह 'ख'	237	37	15.61	5	2.10	21	8.86	3	1.26	6	2.53
समूह 'ग'	145	29	20.00	8	5.51	12	8.27	—	—	2	1.37
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	153	46	30.06	9	5.88	24	15.68	1	.65	2	1.30
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	8	8	100	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	644	139	21.58	27	4.19	69	10.71	4	.62	13	2.01

\* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग, विधि आयोग और केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

\* उपर्युक्त विवरण में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के पदों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

(देखें अध्याय I, पैरा 25)

वर्ष 2017 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण विधि कार्य विभाग

अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रणीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रणीत किए गए अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रणीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 10+11)
	अधिसूचित*	भरे गए	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से	की संख्या		की संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	4	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* सीएसएस और सीएसएसएस के संगर्गों के विभिन्न पदों की रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिकल्पित की जाती हैं। इस विभाग द्वारा सीएससीएस संगर्ग के केवल समूह 'ग'के पदों की रिक्तियों का परिकल्पन किया जाता है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रणीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रणीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रणीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षकों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षकों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (संभ 1920)
	संभ 2 में से	संभ 3 में से							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* भाग II प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
समूह 'क'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह "क"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	6	-	1	2	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'क'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ'. (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

भाग III प्रोन्नति द्वारा (वयन द्वारा) भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह "क"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह "ख"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ' (सफाई कर्मचारी )	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपाबंध-VII

(देखें अध्याय I, पैरा 25)

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित)		आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	101	18	105	6
समूह ख	237	80	196	62
समूह ग	145	4	225	56
समूह घ	161	15	196	11
कुल	644	117	722	135

अनुलग्नक-VIII

(देखें अध्याय-I पैरा 26)



अनुलग्नक-IX

(देखें अध्याय-1 पैरा 27)






अनुलग्नक—X

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट  
(01.01.2018 के अनुसार)

सचिव  
[डॉ. जी नारायण राजू]



उपाबंध-XI

(अध्याय- 11, पैरा-43 देखें)

1 जनवरी, 2018 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी (पैरा 18 देखें)

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनु-जाति	%	अनु-जनजाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	निःशक्त जन	%
ए	73	9	12.4	4	5.4	13	17.2	—	—	2	2.7
बी	105	19	18.1	2	1.9	15	14.3	—	—	3	2.9
सी	116	36	31.0	8	6.9	14	12.1	—	—	—	—
कुल	294	64	21.8	14	4.8	42	14.3	—	—	5	1.7

उपाबंध-XII

(अध्याय- II, पैरा-43 देखें)


01-01-2018 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व:

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत
श्रेणी 'ए'	73	14	19.2
श्रेणी 'बी'	105	39	37.1
श्रेणी 'सी'	116	13	11.2
कुल	294	66	22.4



अनुबंध-XIII

(देखें अध्यालय-III पैरा-1)



जी.आर.आर. : श्री जी.आर. राघवेन्द्र  
एस.सी.बी. : श्री सुभाष चन्द्र बर्मा

आर.के.के. : श्री राजिन्द्र कश्यप  
ए.के.एल. : श्री अजय कुमार लाल

## Contents

S.No.	Chapter No.	Subject	Page No.
1.		Introduction and composition of the Ministry of Law and Justice	(i-ii)
2.	Chapter-I	Department of Legal Affairs	1-47
3.	Chapter-II	Legislative Department	48-100
4.	Chapter-III	Department of Justice	101-132
5.	Annexure-I	Organisation Chart of Department of Legal Affairs	133
6.	Annexure-II, III & IV	Progressive use of Hindi in Department of Legal Affairs	134-136
7.	Annexure-V	Total number of Employees of I.T.A.T. including SCs, STs, OBCs, Ex-Servicemen, PH	137
8.	Annexure-VI	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Physically Handicapped in Department of Legal Affairs	138-140
9.	Annexure-VII	Representation of female employees in Department of Legal Affairs	141
10.	Annexure-VIII	Swachh Bharat Abhiyan	142
11.	Annexure-IX	Celebration of International Yoga Day	143-144
12.	Annexure-X	Organisation Chart of Legislative Department	145
13.	Annexure-XI	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Physically Handicapped in Legislative Department	146
14.	Annexure-XII	Representation of female employees in Legislative Department	147
15.	Annexure-XIII	Organisation Chart of Department of Justice	148



## INTRODUCTION

Ministry of Law and Justice is the oldest limb of the Government of India dating back to 1833 when the Charter Act, 1833 was enacted by the British Parliament. The said Act vested legislative power in a single authority for the first time, namely the Governor General of Council, by virtue of this authority and the authority vested under him under section 22 of the Indian Councils Act, 1861 to 1920. After the commencement of the Government of India Act, 1919 the legislative power was exercised by the Indian Legislature constituted thereunder. The Government of India Act, 1919 was followed by the Government of India Act, 1935. With the passing of the Indian Independence Act, 1947, India became a Dominion and the Dominion Legislature made laws from 1947 to 1949 under the provisions of section 100 of the Government of India Act, 1935 as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947. Under the Constitution of India which came into force on the 26th January 1950 the legislative power is vested in Parliament.

## COMPOSITION OF THE MINISTRY

Ministry of Law and Justice comprises of the Legislative Department and the Department of Legal Affairs and Department of Justice. In so far as Department of Justice is concerned, a separate Chapter (Chapter III) has been brought out covering all details.

The Department of Legal Affairs is concerned with advising the various Ministries of the Central Government while the Legislative Department is concerned with drafting of principal legislation for the Central Government.

### MISSION

To transform Government into an efficient and responsible litigant;

To bring reforms in the Indian Legal System to achieve expansion, inclusion and excellence in Legal Education, the Legal Profession and legal services, including the Indian Legal Service.

To develop a system towards creating legal professionals so that they can meet future challenges not only for India but also of the World both in litigation and non-litigation field and to focus on their social responsibility and strong professional ethics. Having realized the aspirations of the Twelfth Five Year Plan, constraints such as enormous litigation (3.3 cr.), consequent burden on the public exchequer or on resources including man power and need to confer wide discretionary powers on government authorities, our mission is aimed to have proper legal framework to channelize administrative power, conflict management, help in enforcing rule of law & achieving the objectives set by various wings of government.

### OBJECTIVES

- To facilitate the functioning of Ministries and Departments for good governance by providing legal advice/opinion relating to matters referred to by them as well as examination of legislative proposals.
- To reform the Indian Legal Service to make it efficient, responsive and globally competitive.
- To develop a comprehensive e-governance solution for Central Agency Section IT enabled transformation of the Department of Legal Affairs.
- To reduce litigation and encourage settlement of disputes by Alternative Dispute Resolution (ADR) methods.
- To promote excellence in the Legal Profession and to develop a frame work to usher in a new era in the field of legal education.
- To bring in Legal reforms.
- To effectively administer the acts under the purview of this Department viz., the Advocates Act, 1961, the Notaries Act, 1952, the Legal Services Authorities Act, 1987 and the Advocates Welfare Fund Act, 2001.

## CHAPTER-I

### DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

#### 1. FUNCTIONS AND ORGANISATIONAL SET UP

1.1 The Department has been allocated the following items as per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961:-

1. Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyancing and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party.
2. Attorney General of India, Solicitor General of India, and other Central Government law officers of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.
3. Conduct of cases in the Supreme Court and the High Courts on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.
4. Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits for the execution of decrees of Civil Courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India intestate.
5. Authorization of officers to execute contracts and assurances and of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.
6. Indian Legal Service.
7. Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.
8. Law Commission.
9. Legal Profession including the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts.
10. Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and the conferring thereon of further powers; persons entitled to practice before the Supreme Court, references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.
11. Administration of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952)
12. Income-Tax Appellate Tribunal.

The Department has also been allocated administration of the following Acts:-

- (a) The Advocates Act, 1961
- (b) The Notaries Act, 1952
- (c) The Advocates' Welfare Fund Act, 2001;

1.2 The Department is also administratively in-charge of the Income Tax Appellate Tribunal and the Law Commission of India. The Department is also administratively concerned with all the matters relating to the Indian Legal Service. It is further connected with the appointment of Law Officers namely the Attorney General of India, the Solicitor General of India and the Additional Solicitor Generals of India. With a view to promote studies and research in law and for improvement in legal profession, this Department sanctions grant-in-aid to certain institutions engaged in these fields like Indian Law Institute and Bar Council of India.

## 2. ORGANISATIONAL SET-UP

The Department of Legal Affairs has a two tier set up, namely, the Main Secretariat at New Delhi and the Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bengaluru. The nature of duties discharged can be broadly classified into two areas- Advice work and Litigation work. The Organisational Chart of the Department of Legal Affairs is at **Annexure-I**.

### (1) MAIN SECRETARIAT

- (i) The set up at the Main Secretariat includes Law Secretary, Additional Secretaries, Joint Secretary and Legal Advisers and other Legal Advisers at various levels. The work relating to tendering of legal advice and conveyancing has been distributed amongst groups of officers. Each group is normally headed by an Additional Secretary or a Joint Secretary and Legal Adviser, who, in turn, is assisted by a number of other Legal Advisers at different levels.
- (ii) The litigation work in the Supreme Court on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India and some administrations of the Union Territories is handled by the Central Agency Section presently headed by an IRPS officer of the rank of Joint Secretary and is assisted by one Sr. Government Advocate, two Additional Government Advocate, three Deputy Government Advocate, two Assistant Government Advocate, one Section Officer and other staff.
- (iii) The litigation work in the High Court of Delhi on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India is processed by the Litigation (High Court) Section presently headed by a Deputy Legal Adviser.
- (iv) The litigation work in the Subordinate Courts in Delhi is handled by the Litigation (Lower Court) Section presently headed by an Assistant Legal Adviser.

- (v) The Department has a special cell, namely, Implementation Cell for dealing with the implementation of the recommendations of the Law Commission and the administration of the Advocates Act, 1961. It also deals with the legal profession. This Cell has also been entrusted with the work of coordination under the Right to Information Act, 2005.
- (vi) There is one post of Joint Secretary & Legal Adviser each in Railway Board and Department of Telecommunications respectively and the incumbents to the posts function from the said offices. Presently, a Deputy Legal Adviser is functioning in Railway Board. Further, there is one sanctioned post of Joint Secretary and Legal Adviser in the Department of Public Enterprises and the incumbent functions as an Arbitrator under the scheme of Permanent Machinery of Arbitration in that Department. One Deputy Legal Adviser functions from the Army Purchase Organisation under the Ministry of Defence. In addition, some posts of different levels such as Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser also exist in the Ministry of Defence, Ministry of Labour, Ministry of Urban Development, SFIO, NTRO and CBI.

## **(2) CREATION OF ILS**

With the development of the society the legal profession underwent a metamorphosis and several attempts have been made for proper dispensation of justice and to cater the legal needs of the society. One such attempt made in 1956 to cater the needs of the Government qualitatively is creation of Central Legal Service (the forerunner of the present Indian Legal Service). The Government of India in the Ministry of Law and Justice established Indian Legal Service under the Indian Legal Service Rules, 1957, which came into force on the 1<sup>st</sup> October 1957. Since inception the officers of the Indian Legal Service have been rendering dedicated service to the nation by giving legal advice in important matters to various Ministries/Departments of the Government of India and drafting bills and ordinances which are introduced in Parliament. This service has given Governors to States, Secretary General to both the Houses of Parliament, Chief Election Commissioner and Election Commissioners, Judges to High Courts and Judicial Officers to various Tribunals like CAT, ITAT, DRT etc.

## **(3) ROLE OF ILS**

The officers of the Indian Legal Service (ILS) manning the Department of Legal Affairs and Legislative Department being the principal legal organ of the Government of India have risen to the challenges and performed at optimum levels. The digital revolution has changed the dynamics of information sharing and the economy has created new areas of wealth creation. This necessitates the ILS officers to update the legal skill and acumen to cater to emerging legal needs. They being the Principal Legal Advisers to the Government have responded effectively and speedily to the demands made upon them by the various organs of the Government and play a pivotal role in both advisory as well as in drafting work.



### 3. ADVICE 'A' SECTION

Advice 'A' Section has received 3760 references during year 2017 from various Ministries/ Departments of the Government of India for vetting of Documents and Legal opinions/Advices on various issues (including references for advice received from the office of Law Secretary, Addl. Secretaries and Joint Secretaries) which were duly attended and the opinion tendered by the officers of this Department were forwarded to the respective Ministries/ Departments, for needful action. In addition, the officers of this Department also participated in various National/ International Meetings and Conferences.

2. Apart from tendering legal advice, this section has dealt with references and other communications received by the Hon'ble Minister and Officers of this Department.
3. 53 matters relating to RTI Application pertaining to the Advice A & B Sections were also dealt with.
4. 166 references relating to conveyancing including a number of international agreements were also dealt with.
5. During the aforesaid period, 88 Cabinet Notes and 95 references relating to State Bills and Ordinances were received for examination.

### 4. ADVICE 'B' SECTION

Advice 'B' Section has received 3896 references during year 2017 from various Ministries/ Departments of the Government of India pertaining to vetting of Documents and Legal opinions/ advice on various Legal issues (including references for advice received from the office of Law Secretary, Addl. Secretaries and Joint Secretaries) which were duly attended to, and the opinion tendered by the officers of this Department were forwarded to the respective Ministries/ Departments, for needful action.

2. In addition to this, the officers of this Department also participated in 195 National/ International Meetings and Conferences.
3. Apart from tendering legal advice, this section has dealt with references and other communications received by the Hon'ble Minister(s) and Officers of this Department.
4. During the aforesaid period total 161 Cabinet Notes/Legislative Proposals, 1173 SLP/AG/ SG/ASG opinions were received for examination from Legal and Constitutional aspect. Further, matters relating to Parliament Questions and Assurances pertaining to Advice A & B Sections were also dealt with.

### 5. ADVICE 'C' SECTION

In the year 2017, 28 new cases on different subjects were sent for the opinion of the Learned Attorney General for India, Solicitor General of India, and Addl. Solicitor General of India. Opinions of all matters were received and have been forwarded to the respective Ministries/Departments of the Govt. of India after the approval of the Law Secretary and Hon'ble MLJ.

2. The Section has rendered general and secretarial assistance to the Officers in the Department of Legal Affairs and Legislative Department of the Ministry of Law and Justice and in location of precedent on **533** different subjects.

## **6. CENTRAL AGENCY SECTION**

Central Agency Section (CAS) was set-up in the year 1950. This office is responsible for conducting litigation before Hon'ble Supreme Court of India on behalf of all Ministries / Departments of the Central Government and also on behalf of NCT of Delhi, Union Territories, the office of the Comptroller & Auditor General of India including all field offices under C&AG. All Special Leave Petitions on behalf of Union of India are filed after obtaining opinion of Law Officers on the feasibility of filing such appeals in the Supreme Court through Central Agency Section. This office is presently looked after by a Joint Secretary; who has been declared as In-charge of this office and has been delegated the powers of Head of Department. He is assisted by 8 Government Advocates and other Gazetted and Non-Gazetted staff. There are 584 Govt. Panel Counsels to assist the Law Officers.

2. The functions of the Central Agency Section are as under:
  - References of the Ministries/ Departments of Government of India received through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to obtain the opinion of Ld. Attorney General, Ld. Solicitor General and Ld. Additional Solicitor Generals.
  - Engagement of Law Officers / Panel Counsels for various cases.
  - Conduct and supervision of litigation on behalf of Union of India/ NCT of Delhi, C&AG and Union Territories in the Supreme Court of India.
  - Supervision of records, Payment of fee bills of Law Officers, Panel Counsels, Computer Typist and Photocopy Machine Operators.
3. At present four Government Advocates in the Central Agency Section are Advocates on Record of the Supreme Court. One retired Govt. Advocate who is Advocate-on-Record has been engaged as Consultant. They appear before the Supreme Court in matters pertaining to the Union of India, NCT of Delhi, C&AG and Union Territories as per the Supreme Court Rules.
4. As per computerized record of Central Agency Section during the year 2017, the Central Agency Section has received 4199 new cases from various Ministries/Departments of Government of India, 327 new cases were received from NCT of Delhi and Union Territories. The major litigation pertains to Ministry of Finance, Central Excise, Income Tax, Railways, Defence, CBI etc.

## **7. LITIGATION IN DELHI HIGH COURT**

The Litigation (HC) Section handles the Litigation work in Delhi High Court on behalf of all the Ministries/Departments of Govt. of India except for Railways and Income Tax Departments.

Officer-in-Charge assisted by Superintendent (L) and other staff look-after the Litigation work as follows: -

- (a) The cases dealt with and contested in Delhi High Court are generally related to: -  
Civil and Criminal Writ Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India, Civil Misc. Applications, Division Bench Appeals, Company Applications, Execution Applications and Criminal Misc.
- (b) And the cases dealt with and contested in Courts other than Delhi High Court are generally related to: -  
National Consumer Dispute Redressal Commission, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, NCLT, NCLAT, Un-lawful activities (Prevention Tribunal), Debt Recovery Tribunal, Debt Recovery Appellate Tribunal, Immigration Appellate Committee, Appellate Tribunal for Electricity, Central Information Commission, District Consumer Form, NGT etc.
2. The Litigation work is dealt with by two Sections- Litigation (HC) Section 'A' and 'B' being supervised by Superintendent (L). Section 'A' deals with the advance notices pertaining to the Writ Petitions, Letters Patent Appeals (LPA), and Miscellaneous Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India including matters of general natures. Section 'B' deals with the Original Revisions etc. and the Writ Petitions filed on behalf of the Union of India in the Hon'ble Delhi High Court. This Section also deals with matters related to other Courts/Tribunals as mentioned in para 1(b) above.
3. To conduct Central Govt. litigation, there is one Additional Solicitor General of India (ASG), Twenty Seven Govt. Standing Counsel (CGSC), panels of Senior Counsel and Govt. Pleaders (GP). In matters of public importance and also involving complicated questions of Law, one of the Law Officers namely- Attorney General of India/ Solicitor General of India/ Additional Solicitor General of India is engaged. Close liaison is being maintained with the concerned Departments and Counsels to safeguard the Govt. interests in Delhi High Court. The Deputy Legal Adviser and other Officers keep a close watch over the progress of the cases at each stage.
4. This Unit was allocated budget of Rs.5 Crore in the B.E. for F.Y 2017-18. During the period under the report, approximately 6500 professional fee bills pertaining to the Law Officers and Govt. Counsel have been received for payment. Further, 2500 fee bills are likely to be received till 31 March 2018. Up to 11 December, 2017 approximately 4800 fee bills to the tune of Rs.4.73 Crore have been duly processed and paid to the concerned Law Officers and Counsel.
5. During the period from 1.4.2017 to 11.12.2017 Litigation (HC) Section has engaged Law Officers and Govt. Counsel in 4436 cases to conduct the litigation in Delhi High Court. Section wise details of receipt of cases and engagement of Govt. Counsel are as follow: -

### **LITIGATION HIGH COURT SECTIONS**

<b>SECTION</b>	<b>Cases received from 1/4/2017 to 11/12/2017</b>	<b>Cases expected from 12/12/2017 to 31/3/2018</b>	<b>Total</b>
A	4015	1500	5515
B	421	120	541
Total	4436	1620	6056

### **LITIGATION IN CAT (Principal Bench)**

6. The Litigation CAT (PB) Delhi Cell looks after the Cases/Litigation work related to the Ministries and Department of UOI and nominate the Counsel from the approved panel to defend the interest of Ministries/Departments of UOI in CAT (PB), Delhi.
7. During the period from 1.4.2017 to 11.12.2017, Litigation CAT (PB) Cell has engaged Govt. Counsel in 1413 cases to conduct the litigation in CAT (PB). Details of receipt of cases are as follow: -

### **LITIGATION IN CAT (PB) DELHI**

<b>SECTION</b>	<b>Cases received from 1/4/2017 to 11/12/2017</b>	<b>Cases expected from 12/12/2017 to 31/3/2018</b>	<b>Total</b>
CAT (PB) Cell	1413	650	2063

### **LITIGATION (LOWER COURT) SECTION, TIS HAZARI**

The Litigation work in District Courts/Consumer Forums/Tribunals in Delhi / New Delhi on behalf of all Ministries / Departments of Government of India except Railways and Income-tax Department is handled by Litigation (Lower Court) Section. The Litigation work, in the above said Courts / Tribunals are looked after by an Assistant Legal Adviser & In charge assisted by a Superintendent (Legal)(Vacant at this moment) / Assistant (Legal).

2. There is a panel of Additional Standing Government Counsels from whom the counsels are nominated for contesting the cases. On receipt of request from the Ministry / Department, action is taken to engage a suitable counsel to appear on their behalf in the Courts. During the period under report this Section engaged Counsels in 618 cases. Close liaison is maintained with various Departments / Counsels at all times to safeguard the interest of the Government (Union of India) in the District Courts / Consumer Forums / Tribunals. Total number of cases pending in the District Courts / Tribunals / Consumer Forums is 8549 as on 22.12.2017.
3. Fee bill received from the counsel are scrutinized having regard to the terms and conditions of their appointment before certifying and making payments at the prescribed rates. During

the period under report 510 fee bills were received and an amount of Rs.61,62,710/- was paid towards Professional Fee bills of Counsels.

4. In order to keep pace with the development of Information Technology in the Judiciary especially at the level of District Courts / Sub-ordinate Courts and also to ensure effective functioning of Lower Court (Litigation) Section, a proposal for computerization of this Section was submitted to the Competent Authority along with the System-study Report conducted by the National Informatics Center (NIC).
5. The Assistant Legal Adviser who is also the Branch Officer of this Section has been designated as Central Public Information Officer under the Right to Information Act, 2005.

## 8. JUDICIAL SECTION

### Conduct of Central Govt. litigation before various courts of law through Law Officers/Panel Counsel:

- a). During the said period Ten (10) new Assistant Solicitors General of India have been engaged in various High Courts/Benches of High Courts. Besides this, 34 new Panel Counsel were appointed in Supreme Court (21 Group 'A'; 7 Group 'B' and 6 Group 'C'). During the same period, following number of counsel have been engaged for various courts in the States as mentioned below:

S. No.	State/UT	Number of panel counsel engaged
1.	Bihar	66
2.	Delhi	17
3.	Himachal Pradesh	02
4.	Jammu & Kashmir	02
5.	Kerala	01
6.	Odisha	02
7.	Punjab & Haryana	11
8.	Rajasthan	37
9.	Tamil Nadu	01
10.	Tripura	39
11.	Uttarakhand	01
12.	Uttar Pradesh	70
13.	West Bengal	74
14.	Maharashtra	04
15.	Telangana	01
	TOTAL	328

### **Merger of Tribunals:**

Through the Finance Act, 2017, 15 Tribunals, Appellate Tribunals and other Authorities have been merged to reduce them to 7 by amending respective laws. Provisions have also been made in the Finance Act, 2017 to provide Uniform Service Conditions for Chairperson, Members etc. of 19 Tribunals and Appellate Tribunals and other Authorities including 7 merged Tribunals / Appellate Tribunals.

Provisions of Part XIV of Chapter VI of the Finance Act, 2017 which provide for Merger of Tribunals and other Authorities and conditions of service of Chairperson, Members, etc. was brought into force w.e.f. 26.05.2017 vide Notification SO 1696(E) issued by the Ministry of Finance Under Section 184 of the Finance Act, 2017 the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2017 to provide Uniform Service Conditions have been notified by Ministry of Finance vide Notification GSR 514 (E) dated 01.06.2017.

### **Appointment/nomination of Arbitrators and Arbitration panel counsel in domestic as well International commercial disputes, involving Government/PSE on the one hand and PSE/private party on the other:**

The proposal received from various Ministries/Departments/PSE etc. were attended and Arbitrators/Arbitration panel counsel were appointed. During the period, Arbitrators in **16 (sixteen)** Arbitration cases have been appointed & Arbitration Counsel have been engaged in **72 (seventy two)** Arbitration cases received.

### **Entering into Treaties and Agreements with foreign countries in matters of civil law:**

Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, being the nodal Ministry for reciprocal arrangement with foreign countries in civil & commercial matters. In this regard, Mutual Legal Assistance Treaty in Civil & Commercial matters with **Oman** is underway.

### **Examination and processing of requests arising out of bilateral treaties in respect of service of summons etc. (Mutual Legal Assistance Treaties/reciprocal arrangements) and multilateral treaties (the Hague convention of 1965/1971):**

M/o Law & Justice, Department of Legal Affairs is the Central Authority under Hague Convention, 1965 for service abroad of judicial & extra judicial documents in civil and commercial matters. Under this obligation, around **1700** requests were processed successfully and around **800** requests were returned due to various reasons/shortcomings, during the said time period.

### **RTI related work:**

During the said period total 92 RTI Applications/Appeals received through post, have been processed. Besides this, 132 RTI applications have been received online during the said period out of which 100 applications have been processed.

Apart from above, work on National Litigation Policy is underway.

## 9. NOTARY CELL

The administration of the Notaries Act, 1952 and the Notaries Rules, 1956 comes under the purview of the Notary cell. The Notary Cell deals with examination/scrutiny of the memorials/applications received from different States/Union Territories in the country and processing of these memorials for appointment of Notaries. This Cell conducts inquiries into the allegations of professional or the other misconduct on the part of the Notaries. The Notary Cell also renews certificates of practice of notaries, issued by the Central Government. For sufficient reasons, it also grants extension of the area of practice to the notary public, on receipt of an application for purpose.

224 advocates/applicants have been appointed as Notaries during the period from January, 2017 to December, 2017. So far, 13502 notaries have been appointed by the Central Government in various parts of the Country. Besides, 2249 Notary Certificates have been renewed during the period.

## 10. IMPLEMENTATION CELL

**LAW COMMISSION REPORTS – Publication:** The Implementation Cell is responsible for processing of reports of the Law Commission, laying them before the Parliament and also forward reports to the Ministries/Departments concerned for their examination/implementation as well as pursue them for expeditious action. As per the terms of reference of the 20<sup>th</sup> Law Commission of India, the Commission submits its reports in Hindi and English with sufficient number of copies for being placed on Tables of both Houses of Parliament. The Commission makes also its reports available through website or otherwise as soon as reports are submitted to the Government. Therefore, the reports of the Law Commission are not published. Till 31.12.2017 the Law Commission of India has submitted total 273 Reports out of which 270 Reports have been laid before both the Houses of the Parliament. The remaining reports will be laid in the Parliament in due course. All the reports received till 31.12.2017 had also been forwarded to the concerned Ministries/Departments for their examination/implementation or further action at their end. The Implementation Cell, in pursuance of the recommendations of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice, since 2005 has been continuously laying Annual statement showing the status of pending Law Commission Reports before both the Houses of the Parliament. The last of such Statement (13<sup>th</sup> Statement) was laid on the Table of both the Houses of Parliament (in Lok Sabha on 03.01.2018 and Rajya Sabha on 05.01.2018).

**LEGAL EDUCATION:** The Cell is responsible for further improvement in legal education. The Cell is also concerned with the administration of the following Acts :-

**THE ADVOCATES ACT, 1961:** The Advocates Act, 1961 (“Act”) which was enacted to amend and consolidate the law relating to legal practitioners and to provide for the constitution of Bar Councils at State level and an All India Bar. The Act recognizes only one class of persons who are entitled to practise the profession of law in India, namely, advocates, vide its section 29. Section 30 of the Act, which was not in force, has been brought into force w.e.f. 15th June, 2011 (vide Notification No. S.O. 1349(E) dated 09.06.2011)

**THE ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 2001:** Social security in the form of financial assistance to junior lawyers and welfare schemes for indigent or disabled advocates has always

been a matter of concern for the legal fraternity. Certain States enacted their own legislation on the subject. The Parliament enacted “Advocates Welfare Fund Act, 2001” applicable to the Union Territories and the States which do not have their own enactments on the subject, for creation of “Advocates Welfare Fund” by the appropriate Government. This Act makes it compulsory for every advocate to affix stamps of the requisite value on every Vakalatnama filed in any court, tribunal or other authority. Sums collected by the way of sale of “Advocates’ Welfare Funds Stamps” constitute an important source of the Advocates’ Welfare Fund. Any practicing Advocate may become member of the Advocates’ Welfare Fund on payment of an application fee and annual subscription. The Fund shall vest in and be held and applied by the Trustee Committee established by the appropriate Government. The Fund shall, inter alia, be used for making ex-gratia grant to a member of the fund in case of a serious health problem, payment of a fixed amount on cessation of practice and in case of death of a member, to his nominee or legal heir, medical and educational facilities for the members and their dependents purchase of books and for common facilities for advocates.

## 11. RTI CELL

RTI Cell deals with the applications, First Appeals and Second Appeals concerning Department of Legal Affairs.

S.No.	RTI Matters	Total (01.04.2017 to 31.12.2017)
1.	Total RTI Requests	1515
2.	First Appeals before the First Appellate Authority	30
3.	Second Appeals before the Hon’ble Central Information Commission	34
4.	Total request received online	255

## 12. LIBRARY & RESEARCH SECTION

The Library and Research Section is a specialized research oriented unit which looks after the requirements of Legal Books/Journals/Online IP base Software’s and other research materials of the Ministry of Law and Justice. This section provides reference and legal research services to the Hon’ble MLJ, MSLJ, Law Officers and ILS Officers of Department of Legal Affairs and Legislative Department.

2. During this year, Library and Research Section acquired 577 numbers of books.
3. The Library and Research Section subscribes to 19 Indian law Journals, 3 Foreign Law Journals.
4. The Library and Research Section has acquired/subscribed to the following Online Services/ CD ROM for retrieval of Case Laws, Judgments and Articles etc. for the use of Officers of this Ministry.



- a) AIR Comprehensive Software/Database
- b) SCC online case finder.
- c) SCC Online (IP) Services.
- d) Manupatra Online (IP) Services.
- e) Westlaw India Online (IP) Services.
- f) CLA Online (IP) Services.

### **13. PROGRESSIVE USE OF HINDI IN OFFICIAL WORK IN THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS**

The Department of Legal Affairs has taken following steps to implement various instructions issued by the Department of Official Language on the progressive use of Hindi for official purposes of the Union as contained in the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :-

#### **A. Notification under the Rule 10(4) of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :**

This Department was notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976 on 21-3-1980. Orders were issued on 25-07-1989 directing all officers and employees proficient in Hindi to submit drafts etc. of all communications addressed to State Governments/ Union Territories and to private individuals and also to Central Government offices located in Regions “A” and “B” and of communications in reply to letters etc., received in Hindi or signed in Hindi, including appeals, representations etc., from the employees only in Hindi. Instructions in this regard are reiterated every year for strict compliance.

#### **B. Organisation of Hindi Day/Hindi Month**

With a view to accelerating the use of the Official Language and to increase the awareness of the employees as regards the Official Language policy and the various incentive schemes for using Hindi in official work, Hindi Day was celebrated in the Department on 14-9-2017. Hon’ble Minister for Law & Justice, Hon’ble Minister of State for Law & Justice, Law Secretary and Rajbhasha Adhikari in their messages appealed to the officers and employees of the Department to adopt Hindi in their day-to-day official work. Hindi Day message received from Hon’ble Home Minister was also circulated in the Department and its subordinate offices. In order to make the various programmes organised in this connection effective, ‘Hindi Month’ was organised in the Department from 1.9.2017 to 30.9.2017. This was done with the twin objectives of (a) giving wider publicity to the various schemes and (b) generating maximum output in terms of work done in Hindi. This year, during the ‘Hindi Month’, 6 competitions viz, ‘Hindi Essay Competition’, ‘Hindi Typing Competition’, ‘Translation Competition’, ‘Hindi Noting and Drafting Competition’, ‘Hindi dictation Competition’ for group ‘D’ employees and LDC & court clerks, and ‘Official work in Hindi’ Competition were organised in the Department. 90 officers/employees participated in these

competitions. Out of which, 86 successful participants were awarded with Certificates and cash prizes amounting to Rs. 91,200/- by the Law Secretary in a prize distribution function held on 6<sup>th</sup> December, 2017. 'Hindi Day' was also celebrated in the Branch secretariats and other offices under administrative control of the Department. Various competitions were organised on this occasion and successful participants were awarded with cash prizes. Pictures depicting the prize distribution to successful participants are at **Annexure-II**.

**C. Creation of check points for implementation of orders relating to the Official Language.**

A review of the check points for implementation of orders relating to the Official Language was made and orders for creation of adequate number of check points (eight) in accordance with Rule 12 of the Official Languages Rules, 1976 were issued on 16-11-1994. The effectiveness of check points is being regularly monitored through the quarterly progress reports received from sections/offices.

- (1) In Sections / Units where the staff are proficient in Hindi, the use of Hindi in their day to day work is being encouraged. Work relating to grant of various types of leave is being done in Hindi. Almost all cases relating to House Building Advances, GPF Advances and Withdrawals etc. are also being processed in Hindi and orders are also being issued in Hindi.
- (2) All general orders, notifications, resolutions and administrative reports etc. are invariably issued in bilingual form. All letters received in Hindi are invariably replied to in Hindi only. Strict vigilance is maintained to ensure that there is no violation of the relevant rules in this regard. The position in this regard is being regularly monitored in the meetings of Departmental Official Language Implementation Committee to be held in every quarter.
- (3) Hindi specimen of standard drafts of letters sent frequently by various sections and all forms used in the Department are being translated into Hindi so that employees can use them without any difficulty. Entries in service books are also being made in Hindi. All rubber stamps, name plates, sign boards etc., are invariably prepared in bilingual form.
- (4) All the 300 computers in the Department are bilingual. Facility to work in Hindi is available on the computers provided to the officers and sections of the Department.
- (5) Hindi/ Hindi Stenography/ Hindi Typing Training is being imparted to the employees of the Department and its sub-ordinate offices under the Hindi Teaching Scheme. Employees are awarded personal pay/ Advance increments/ Cash Awards etc. on passing the examination after successful completion of the training as per the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language.
- (6) In pursuance of the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and assurances given to the First Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language, in order to review compliance of

the statutory provisions relating to Official Language and discuss problems faced in this regard, an Inspection Team has been constituted in the Department of Legal Affairs under the chairmanship of Rajbhasha Adhikari for inspection of Sections, Branch Secretariats and Benches of ITAT and other offices under the administrative control of the Department.

- (7) Presidential orders issued by the Department of Official Language on the recommendations contained in 9 parts of the Report of the Committee of Parliament on Official Language are being implemented in the Department and its sub-ordinate offices. The position in this regard is being regularly reviewed in the meeting of the Departmental Official Language Implementation Committee to be held in every quarter.
- (8) The meetings of Official Language Implementation Committee of the Department are held regularly. Rajbhasha Adhikari of the Department is the chairman of this committee and Deputy Secretary (Admn.), all USs and all Section Incharges and Branch Officers are members of this committee whereas Deputy Director (O.L.)/ Assistant Director (O.L.) is the member secretary. In these meetings, Compliance Status of Quarterly progressive report and implementation of orders related to Official Language are reviewed. Minutes of the meetings are circulated to all concerned for follow-up action. Last meeting of the committee was held on 20<sup>th</sup> December, 2017.

Details regarding the progressive use of Hindi including training aspect covering the period from 1<sup>st</sup> January, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017 are given in **Annexure- III and Annexure-IV**.

#### **14. BRANCH SECRETARIAT, KOLKATA**

During 2017-2018, the Branch Secretariat, Kolkata is headed by Additional Government Advocate/ Incharge who also functions as overall In-charge. It has eight wings viz. Advice, Administration, Cash & Accounts, Hindi, Counsel Fee Bill, Litigation, CAT/Lower Court and R & I Section. In addition, this Branch Secretariat has a Library containing more than 9800 books under the supervision of Section Officer upto August, 2017 and thereafter under Assistant Legal Adviser.

2. The Litigation Wing of the Branch Secretariat, Kolkata looks after the entire litigation matters pertaining to the High Court at Calcutta both in the Original and Appellate Side. The Branch Secretariat is looking after litigation for the Union of India in the High Courts including Circuit Benches at Port Blair and Tribunals, District Forums and Lower Courts covering 12 States and one Union Territory. The Branch Secretariat also looks after the service matters relating to Central Government employees before the Central Administrative Tribunal, Calcutta Bench as well as the other benches at Cuttack, Guwahati, Patna and Circuit Benches at Andaman & Nicobar Islands, CGIT, Arbitration, NGT, NCLT. Panel Counsel are also engaged to appear before the various Tribunals like NGT, CESTAT, ITAT, State Consumer Forums and DRAT, DRT, Consumer Forum, Lower Courts etc. and in Arbitration matters before the Ld. Arbitrators on receipt of specific requests from Ministries/Departments concerned.

3. The Advice Wing of this Branch Secretariat renders legal advice and Litigation Wing conducts litigation pertaining to all the Ministries including the Income Tax Department, Enforcement Directorate, Ministry of Defence, Ministry of Home, Ministry of External Affairs and all other Ministries/Departments having their offices at West Bengal, Assam, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Bihar, Jharkhand, Orissa, Tripura, Mizoram and Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and any other Autonomous bodies situated outside the Eastern Zone or being their headquarter i.e. Ordnance Factory Board is in Kolkata on receipt of references from concerned Departments/ Ministries.
4. During 2017-18 the Advice Wing is headed by the Additional Government Advocate. Total 1012 number of references received from various Ministries/Departments of Central Government by the Advice Wing up to December, 2017 during 2017-18. Apart from this it is expected that the total number of references for advice received and dealt with during 2017-18 (upto March 2017-18) will be around 1350 Pleadings. Agreements/contracts filed in various Courts as well as before Central Administrative Tribunals are also vetted by this Branch Secretariat.
5. In litigation wing, Government advocates who are regular employees act as Advocate-on-Records as well as Government Pleader within the meaning of Order-XXVII Rule 8B(a) of the Code of Civil Procedure, 1908 and get the matter heard/argued through a panel Counsel engaged for this purpose.
6. During 2017-18, the Additional Government Advocate and three Junior Central Government Advocate act as Advocate-on-Records for and on behalf of the Union of India in the Calcutta High Court and also appear before the Court as Government Pleader. Three Assistant Legal Advisers are also posted to look after Advice and Litigation work.
7. The total number of High Court cases received/conducted by the Litigation Division of the Branch Secretariat, Kolkata during 2017-18 up to December, 2017 was 1999 and the number of cases disposed of during the said period was 1365. The number of litigation cases expected to be handled during the whole of 2017-18 will be around 2685. Similarly, the number of cases received in the Branch Secretariat, Kolkata for engagement on service matters before CAT, Calcutta Bench during 2017-18 (up to December, 2017) is 402 and it is expected that total number of such cases will be around 550 during 2017-18 (upto March, 2018). The number of cases in Courts below including arbitration cases handled during 2017-18 (up to December, 2017) is 298 and it is expected that another 90 cases (approximately) will be received during the remaining period of 2017-18 (upto March, 2017).
8. Branch Secretariat, Kolkata has Appellate Authority (Additional Government Advocate), CPIO and ACPIO to deal with the RTI matters. During 2017-18 total 13 RTI references are received till December, 2017 and duly disposed of within stipulated time.
9. During 2017-18 claims of the professional fee bills submitted by the panel counsel have been speedily processed and of the sanctioned Budget Estimates of Rs.4,00,00,000/- (Rupees

four crores only) for payment towards Professional Fees to the Counsel, an amount of Rs.2,41,92,228/-(Rupees two crore forty one lakh ninety two thousand two hundred twenty eight only) have been utilised to make payments to them till December, 2017 for the cases relating to High Court at Calcutta. The remaining amount of the budget will be paid in the next three months of 2017-18.

10. The Hindi Section is under the supervision of the Section Officer till August, 2017 and thereafter under Assistant Legal Adviser with the assistance of Junior Hindi Translator for enhancing use of Hindi as official language in this Branch Secretariat. Each Friday has been earmarked to be observed as 'Hindi Day. During April, 2017 to December, 2017 quarterly meetings of Rajbhasha Coordination Committee has been organised regularly and Hindi workshops were also organised regularly. Employees are regularly deputed for training in Hindi under training of Central Hindi Teaching Scheme. Reference matter has been prepared and distributed among Sections for doing work of regular nature in Hindi. 'HINDI DIWAS' was also celebrated in this Branch Secretariat with great enthusiasm during September 2017 during which alongwith other competitions a new competition on 'Idioms and Phrases' have also been conducted. Required reports are forwarded on regular basis in the prescribed proforma to Main Secretariat. Besides, Officers have also taken part on various events organised by other Central Government Offices in Kolkata. Till date, around 65% of the Officers/staff members have obtained the working knowledge in Hindi under the Hindi Teaching Scheme. It is expected that by the year 2019, all the members of the staff will complete such courses/training.
11. Various accounts and budget related work in the Branch Secretariat, Kolkata are being done online using various software provided by NIC and also using the portal based payment system 'PFMS' developed by NIC. All payments to employees, Government Counsels and other service providers are being made online. Further, the quarterly returns of Income Tax deducted at source are being prepared in the Electronic Media and submitted to Income Tax Department through TIN Facilitation Centre in floppies/CDs. A new format i.e. Form-24G has been introduced by the Income Tax Authority which is required to be filled up and submitted in electronic format by 10<sup>th</sup> of the following month in which TDS has been deducted by this Office. Periodicals reports are directly submitted to Pay & Accounts Office online. In addition information regarding licence fee payment for Government quarters is also required to be sent online to the Directorate of Estates using Government Accounting Management System (GAMS). For procurement of Goods and stationery Government e-procurement website <https://gem.gov.in> is being used extensively. New pension cases are being processed through 'Bhavishya' online portal.
12. The Branch Secretariat, Kolkata have of Local Area Network connected with each Section/ Officer's room. Almost all the Computers in the Branch Secretariat, Kolkata now have internet connection. A leased line from 'Bharat Sanchar Nigam Limited' is being acquired for implementation of e-Office.
13. Under the supervision of Assistant Legal Adviser, the Library of this Branch Secretariat, Kolkata, containing more than 9800 books and journals, is proving its worthiness and is very helpful for use in Litigation and also adhering advice. The journals/

books are also being utilised by the Counsels while conducting cases. Online legal library 'Manupatra' and 'CDJ Law Journal' have also been subscribed by this Branch Secretariat.

14. One biometric attendance system, for employees in the Branch Secretariat, Kolkata, is in operation w.e.f. 12<sup>th</sup> April, 2011. In addition to this Aadhar based Biometric Attendance System has also been introduced successfully in this Branch Secretariat.
15. The software 'LIMBS', developed by NIC, is also functional in the Branch Secretariat, Kolkata. The matters pertaining to Ministry of Law are duly updated by Litigation section. The programme is proving very useful in monitoring the litigation bringing down costs as well. In this regard it is stated that to reduce the paper work and ease the functioning of litigation work and records, Branch Secretariat, Kolkata has entered list of cases from 2005 onwards, pertaining to High Court, in the Computers allotted to different Sections.
16. International Yoga Day was observed in the Branch Secretariat, Kolkata with much enthusiasm on 21<sup>st</sup> June, 2017.
17. The last audit of the Branch Secretariat, Kolkata was conducted by an Audit Party from the Office of the Director General of Audit: Central, Kolkata with effect from 13.5.2015 to 21.5.2015. Three audit objections were made during the course of periodical inspection of accounts by the Audit Party. Action has already been taken and as such two objections have been dropped by the audit Office and status of the remaining sole objection will be verified by the next audit.
18. Cleanliness Drive under 'Swachh Bharat Abhiyaan' is being continued in the Branch Secretariat, Kolkata as a regular process. A Committee headed by Assistant Legal Adviser has been constituted for supervision of cleanliness drive and weeding out of old records. 'Swachhta Pakhwada' has been observed during 1<sup>st</sup> to 15<sup>th</sup> April, 2017. Due to vacancy in the grade of Safai Karamchari an arrangement has been made with M/s Sulabh International for upkeeping cleanliness in and around Office Premises. This Branch Secretariat organised Seminars on 'Providing maximum effective Service to the stakeholders and also on 'Public Awareness on Swachhta'. This Branch Secretariat has got a cleaner and beautiful look with due constant endeavour of Officers and members of staff and is continuing process of its further betterment.

## **15. BRANCH SECRETARIAT, MUMBAI**

The Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Mumbai is presently headed by the Senior Government Advocate, two Additional Govt. Advocates, two Assistant Legal Advisers and one Superintendent (Legal) and other officials. The particulars regarding functioning, duties, organization etc. said therein are wisely narrated in the following paras.

As far as the work handled by Mumbai Branch Secretariat is concerned, it includes tendering of legal advice, handling of litigation work pertaining to Bombay High Court, litigation pertaining to other subordinate courts which falls under the entire Western Region consisting of States of

Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Goa and the administration of the Branch Secretariat.

The Senior Govt. Advocate, at present, is the overall In-charge of the Branch Secretariat Mumbai. Two Additional Govt. Advocates, Two Assistant Legal Adviser (Adhoc) & One Superintendent (Legal) are assisting the Senior Govt. Advocate in handling the advice, litigation and administrative matters of the Branch Secretariat. The Assistant Section Officers assist the Senior Govt. Advocate in the Administration and Accounts matters.

In addition to the above, the work of the Branch Secretariat is bifurcated into separate sections for its smooth functioning, i.e. Advice Section, Misc. Original Side Litigation Section consisting of Misc. Original Side Litigation, Arbitration, Suits, Land Acquisition References, Company matters and cases pertaining to DGFT/FERA/FEMA in Original Side as well as Appellate Side and Appellate Side Litigation Section consisting of Criminal Side Matters. Each Section is headed by a senior Officer of this Branch Secretariat who is assisted by another officer.

There are two Assistants (Legal), three Assistant Section Officers (CSS), one Principal Private Secretary, five Personal Assistants, five Senior Court Clerks Grade-I, three Senior Court Clerks Grade-II and two Court Clerks, who assist the Officers in discharging their duties.

- (1) **FUNCTIONS & DUTIES:** The Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Mumbai renders advice to various Ministries/Departments of Government of India on receipt of the respective references by it on different kinds of legal matters and attends to the litigation work of the Central Government in Bombay High Court, C.A.T., National Company Law Tribunal other Tribunals and before all the Subordinate Courts of entire Western Region. The entire work is performed by its Officers under the guidance of the Senior Govt. Advocate / In-charge of this Branch Secretariat. This Branch Secretariat in turn is guided by the Law Secretary.
- (2) **LEGALADVICE:** The references received from various Ministries/Departments of Central Government seeking legal advice are examined at the first instance by the Superintendent (Legal) and thereafter put up to the Senior Govt. Advocate /In-charge who in turn mark the cases as per extant work allocation Order. If required, the advice matters are also referred to the Ld. Additional Solicitor General of India for his expert opinion.

As far as the current year is concerned, this Branch Secretariat has received about **2513** cases being reference seeking advice and this Branch Secretariat has almost disposed of all the cases and nothing is pending on date.

- (3) **LITIGATION:** The litigation of this Branch Secretariat is headed by the Senior Government Advocate, Additional Govt. Advocate(s), Assistant Legal Adviser(s) and Superintendent (Legal) in discharging the duties and in handling the litigation matters filed in Bombay High Court either filed by the Government of India or against it. So also, the litigation pertaining to Sub-ordinate Courts is handled by the Branch Secretariat. Wherever necessary the litigation is handled through the Advocates / Counsel appointed / empanelled on the Panel of Government of India for Bombay High Court on its Ordinary Original Civil

Jurisdiction, Appellate Jurisdiction & Criminal Jurisdiction and through other Counsel empanelled on different Panels appearing before the different Courts of law.

As far as the current year is concerned, this Branch Secretariat has received about **1135** cases in different litigation sections. The Counsels are engaged for protecting the interest of Government of India involved in the matter through different Central Govt. Ministries/ Departments and about **696** litigation cases have been disposed of before the Hon'ble High Court.

- (4) **ADMINISTRATION:** The Senior Govt. Advocate /In-charge is the head of the Administration of the Branch Secretariat, Mumbai. He is normally assisted by DDO and Assistant Section Officers in handling the day-to-day administrative matters of the Branch Secretariat. However, a post of the Section Officer is vacant w.e.f. 27.01.2017.
- (5) **OFFICIAL LANGUAGE:** The Senior Govt. Advocate & In-charge of this Branch Secretariat also works in the capacity of "Vibhagiya Rajbhasha Adhikari" and other officers nominated by him work for promotion and maximum usage of Official Language in the Branch Secretariat. A "Rajbhasha Samiti" is constituted in this Branch Secretariat with Members as under:

1. Shri Pankaj Kapoor, : Chairman  
Senior Govt. Advocate
2. Shri A.A.Ansari, : Executive Chairman  
Addl. Govt. Advocate
3. Shri Vinay Kumar Mishra, : Coordinator  
Assistant (Legal)
4. Shri Anup Kumar, : Executive Member  
Assistant (Legal)
5. Smt.Usha V. Salian, : Executive Member  
Personal Assistant
6. Smt. Vaishali Karmale, : Executive Member  
Multi Tasking Staff

The above Committee is submitting the periodical Reports to the In-charge.



## 16. BRANCH SECRETARIAT, CHENNAI

Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat at Chennai.

- (1) **ADVICE:** The Branch Secretariat renders legal advice to all Central Government Offices located in the States of Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Puducherry. During the period from 01-04-2017 to 31-12-2017 about 884 references were received for advice and disposed off. About 350 more references for advice are expected during the remaining period of current financial year 2017-2018.
- (2) **LITIGATION:** The Branch Secretariat, Chennai looks after the entire litigation work of Central Government (except cases relating to Railways, Telecom, Income-Tax, Central Excise and Customs, etc.) in the High Court of Madras, Madurai Bench of Madras High Court and High Court of Kerala. It also looks after the Central Government litigation work in the City Civil Courts, Presidency Courts of Small Causes, Subordinate Courts, Tribunals, Consumer Fora, etc. in Tamil Nadu and Kerala. Besides, the Branch Secretariat, Chennai has also been entrusted with the work of Central Government litigation before the Madras Bench of Central Administrative Tribunal at Chennai and Ernakulam Bench of Central Administrative Tribunal in Kerala.

During the period from 01-04-2017 to 31-12-2017 about 7777 litigation matters were received and disposed off accordingly which include receipts, fee bills and files opened regarding High Court/CAT/LC etc., and projection for the remaining period of current financial year 2017-2018 pertaining to the litigation matters is expected to be about 1500.

The Branch Secretariat keeps the Ministries and Departments of the Central Government informed about the important developments of their cases as well as the results of the litigation with suitable advice for further action, if required. Pleadings, affidavits etc., to be filed in the Courts/ Tribunals / Consumer Fora / Arbitration matters in Tamil Nadu and Kerala are scrutinized and vetted at the draft stage. Functions of Branch Secretariat, Chennai also include engagement / nominations of the Counsel and collection of materials from the Central Government Departments involved in the cases for being passed on to the Counsel after necessary scrutiny of the documents from the legal angle.

- (3) **COUNSEL'S FEE BILLS:** The Branch Secretariat itself pays the fees directly from its centralized funds to the Additional Solicitor General of India, Assistant Solicitor General, Senior Panel Counsel and the Central Government Standing Counsel in respect of cases before the Madras High Court and Madurai Bench of Madras High Court. Retainer fee for Standing Govt. Counsel for various Districts is being paid by Branch Secretariat (actual payment was made in February 2017 for the period June 2016 to January 2017). Fee Bills preferred by the Central Government Counsel for appearance before the Central Administrative Tribunal and Subordinate Courts are scrutinized / certified and sent to the Departments concerned for payment.
- (4) **MISCELLANEOUS:** During the period under report, various R.T.I. applications, appeals, statements and other references / litigation correspondence were received and dealt with accordingly.

**The staff position of this Branch Secretariat is as follows:**

There are 06 female employees and 11 male employees working in Branch Secretariat Chennai.

**Statistics of Employees working under the following categories:**

There are 08 employees falling under various categories other than General Category employees, i.e., SC – 4; ST – 1 and Ex-servicemen/OBC – 3.

**17. BRANCH SECRETARIAT, BENGALURU**

This Branch Secretariat has jurisdiction over the States of Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana and is handling the litigation and advice of various Central Government Departments/ Ministries. A Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat, Bengaluru.

- (1) **ADVICE:** The Branch Secretariat renders legal advice to all the Central Government Departments and offices located in the States of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. During the current year 2017-2018 about 665 references were received for advice and all advice cases were disposed during the period upto 12.12.2017. The advice work includes scrutiny and vetting of pleadings i.e. statement of objections, counter affidavits to be filed before the High Courts i.e. High Court of Karnataka, Bengaluru, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Gulbarga and High Court of Andhra Pradesh respectively, reply statement to be filed before Central Administrative Tribunal, written statement, counter affidavits, counter statements, versions filed before District Courts, Subordinate Courts and various other Tribunals.

Examining the feasibility of filing SLP, Appeals, review etc. interpretation of laws guiding Departments on legal sustainability of their action and holding discussions with the administrative Departments, whenever necessary.

- (2) **LITIGATION:** The Branch Secretariat supervises the entire litigation of the Central Government Departments and offices in the High Court of Karnataka, Bengaluru, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad & Gulbarga and High Court of Andhra Pradesh, Subordinate Courts located at Bengaluru City and twin cities of Hyderabad and Secunderabad and CAT in both the States. This Branch Secretariat also looks after the work of Government litigation in the District Consumer Dispute Redressal Fora, the State Consumer Redressal Commissions of the States, Central Govt. Industrial Tribunal and Debt Recovery Tribunal. During the current year 2017-18 about 8797 litigation matters, which includes nomination of counsel, counsel fee bills and general correspondence relating to litigation were received (as on 12.12.2017). The function of the Branch Secretariat in this regard includes engagement/ nomination of the Counsel and distribution of cases among the Central Government Counsel.
- (3) **COUNSEL'S FEE BILLS:** This Branch Secretariat itself processes counsel fee bills and pays the fees directly from its centralized funds to the Assistant Solicitor General of India and Central Government Counsel in the High Court of Karnataka, Bengaluru. So far as Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Gulbarga are concerned, the

counsel fee bill is borne by the concerned Department on whose behalf the Counsel conducts the cases and not by the Branch Secretariat, Bengaluru. The concerned Departments pay the fee for Central Government panel Counsel in CAT, District and subordinate Courts. Hence this Branch Secretariat is not certifying counsel fee bills. However, this Ministry clarifies the issue as and when raised with any doubt in this regard.

- (4) **ESTABLISHMENT OF OFFICE OF ADDITIONAL SOLICITOR GENERALS OF INDIA:** Government of India has appointed Shri K.M. Nataraj, Senior Advocate and Shri Prabhuling K. Navadgi, Senior Advocate as Additional Solicitor Generals of India for the Southern Zone and in the High Court of Karnataka respectively for a period of three years with effect from 8<sup>th</sup> April, 2015 with Bangalore as Headquarters.
- (5) **Audit Para:** There is no outstanding Audit para pending against Branch Secretariat, Bengaluru.

## 18. LAW COMMISSION OF INDIA (LCI)

The Law Commission of India is constituted every three years. The present Commission, the Twenty First Law Commission of India, was constituted on 1<sup>st</sup> September, 2015 and will continue till 31<sup>st</sup> August, 2018. The 21<sup>st</sup> Law Commission consists of a Chairman, two full-time Members, one Member-Secretary, two Ex-officio Members and three Part-time Members. The Commission consists of Law Officers of Indian Legal Service, a few consultants having experiences in legal research. A small group of secretarial staff looks after the administration.

### Terms of Reference:

2. The Terms of Reference of the Twenty-first Law Commission are as follows:
- A. Review/Repeal of obsolete laws:
- i. Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed.
  - ii. Identify laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalization and need change.
  - iii. Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment.
  - iv. Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them.
  - v. Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department.
  - vi. Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law.

- B. Law and Poverty:
- i. Examine the Laws which affect the poor and carry out post-audit for socio-economic legislations.
  - ii. Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor.
- C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure:
- i. Elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair.
  - ii. Simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice.
  - iii. Improvement of standards of all concerned with the administration of justice.
- D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble to the Constitution.
- E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto.
- F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities.
- G. Recommend to the Government measures for making the statute book up-to-date by repealing obsolete laws and enactments or parts thereof which have outlived their utility.
- H. Consider and to convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).
- I. Consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).
- J. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalized.

**Encouragement to students:**

3. The internship programme is conducted by the Law Commission with a view to train and inculcate orientation in legal research and law reform amongst law students to have better understanding of Law in its making and establishment of the Rule of Law.

4. The Commission conducts voluntary internship programmes, viz., Summer Internship Programme, Winter Internship Programme and Mid-Term Internship Programme. While Summer and Winter Internship Programmes are aimed at providing internship to law students during semester breaks, Mid-term Internship Programme is an open ended programme, through which the interested students are given an opportunity to intern with the Commission any time during the year.

### Objectives & Achievements:

5. The Law Commission of India has submitted 273 Reports so far on different subjects. The 21<sup>st</sup> Law Commission has taken up various subjects on references made by Department of Legal Affairs, Supreme Court and High Courts and submitted Twelve Reports till date including a Report on the draft National Litigation Policy 2016.
6. So far 21<sup>st</sup> Law Commission has submitted reports on The Protection of Children (Inter-Country Removal and Retention) Bill, 2016, The Criminal Law (Amendment) Bill, 2017 (Provisions dealing with Food Adulteration), Prospects of Exempting Income arising out of Maintenance Money of Minor, The Advocates Act, 1961 (Regulation of Legal Profession), Hate Speech, Amendments to Criminal Procedure Code, 1973–Provisions Relating to Bail, Transportation and House-keeping of Egg-laying hens (layers) and Broiler Chickens, Compulsory Registration of Marriages, Human DNA Profiling – A draft Bill for the Use and Regulation of DNA-Based Technology, Examination of National Litigation Policy, 2016, Assessment of Statutory Frameworks of Tribunals in India, Implementation of ‘United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment’ through Legislation
7. On 25<sup>th</sup> -26<sup>th</sup> November, 2017, the Law Commission in co-ordination with the NitiAyog organised the National Law Day function in VigyanBhawan, New Delhi. The broad theme for the Law Day Celebration 2017 was ‘Interface between three wings of State, i.e, Executive, Legislature and Judiciary towards a developing nation based on the theme of inclusiveness, development and justice to all’.
8. Some of the important projects under consideration of the Law Commission include ‘Issue relating to regularization of Betting and Gambling’, ‘Bringing BCCI under the purview of the RTI Act, ‘Proposal regarding examinations of matters relating to Uniform Civil Code’ ‘A Comprehensive Review of Criminal Justice System’, and ‘, ‘Man-made Disasters’.

## 19. INDIAN LAW INSTITUTE (ILI)

**Introduction:** ILI is a Premier Legal Research Institute founded on 27<sup>th</sup> December, 1956. The prime objective of the Institute is to promote advanced studies and research in law and to contribute substantially in reforming the administration of Justice, so as to meet the socio economic aspirations of the people through law and its instrumentalities. The Institute got the status of Deemed University in the year 2004. The Institute got its first ever accreditation with ‘A’ grade by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) during March, 2017 with a CGPA of 3.35 on a 4.00 point scale. The Institute is conducting Masters in Law and Doctoral courses

as well as few PG Diploma Courses in various areas of law, i.e., Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws.

**Academic Programmes:** After the declaration as Deemed University in 2004, the Institute launched research oriented LL.M. programme. The admission to LL.M. programme is strictly on merit in Common Admission Test (CAT) conduct every year and Personal Interview. Presently the following programmes are conducted by the Institute:

Programme(s)	Students Enrolled in academic session 2017-18
LL.M.- 1 Year (Full Time)	28
P G Diploma Courses( Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws)	303
Ph.D in Law	07
Total No. of Students	338

The Institute has a Ph.D. programme. There are 21 scholars enrolled as on date.

The Institute also conducts on line e learning certificate courses on IPR and Cyber Law of three months duration.

**Research Publication Released:** The following research publication has been released by the ILI during period of report:

- **Journal of the Indian Law Institute (JILI):** It has been publishing the quarterly journal with contains research articles on topics of current importance referred in International Importance.
- **Annual Survey of Indian Law:** The Indian Law Institute brings out every year a very prestigious publication: Annual Survey of Indian Law in which the latest trends in every branch of law of importance are presented.
- **ILI Newsletter:** The ILI also publishes a Newsletter every quarter. Information on all the activities of the Institute as well as nail sketches of important decisions handed out by the Supreme Court are regularly published for the benefit of members of the Institute/ legal fraternity.
- **Index to Legal Periodicals:** It has been published yearly containing indexes, periodicals (including year books and other annual publications) pertaining to law and related fields being received by the ILI Library.

**Books Published:**

- Legal Research Methodology
- Copyright Law in the Digital World : Challenges and Opportunities
- Environment Law and Enforcement: The Contemporary Challenges
- Emerging Competition Law

**Seminar/conference/training/workshop/visits/special lectures:**

• **Judicial Consultation on Bail Related Matters on January 21, 2017:**

The Law Commission of India and the Indian Law Institute jointly organised “One Day Judicial Consultation on Bail Related Matters” on January 21, 2017. The presidential address was delivered by Hon’ble Dr. Justice B.S. Chauhan, Chairperson, Law Commission of India. The opening address was delivered by Hon’ble Mr. Justice A.M. Khanwilkar, Judge, Supreme Court of India.

• **National Conference on Competition Law and Policy: Problems and Prospects on March 18-19, 2017:**

The Indian Law Institute in collaboration with the Competition Commission of India (CCI) conducted a National Conference on “Competition Law and Policy: Problems and Prospects” on March 18-19, 2017. Hon’ble Mr. Justice B.S. Chauhan, Chairperson, Law Commission of India inaugurated the conference.

• **National Conference on Intellectual Property Rights and Public Interest on April 7-8, 2017:**

The Indian Law Institute organised a two day National Conference on “Intellectual Property Rights and Public Interest” on the 7 and 8 April, 2017. The two day National Conference aimed at conglomerating the intellectual minds from across the country to discuss the emerging issues and trends in intellectual property rights vis-a-vis public interest commenced with the lighting of the lamp by the chief guests.

• **Seminar Course on Law and Violence on May 8-14, 2017:**

The Institute organised a one week seminar course on “Legal Theory: The Contexts of Justification/ De-justification for Violence in a Civilized Society” from May 8-14, 2017. The course was enlightened by Professor Upendra Baxi, Emeritus Professor of Law, University of Delhi and University of Warwick, United Kingdom.

The Indian Law Institute in collaboration with National Human Rights Commission organized the following Training Programmes during the period under consideration:

- One-Day Training Programme for the “Juvenile Homes, Old Age Homes & Health Sector” held on 23rd January, 2017

- One Day Training Programme for Media Personnel and Govt. Public Relation Officers held on 22nd February, 2017
- Two Days Training Programme for Prison Officers held on March 20-21, 2017
- Two Days Training Programme for Judicial Officers held on March 25-26, 2017

**Training Programme for Judicial Officers from Myanmar on July 22-29, 2017:**

A training programme was jointly organised by the Indian Law Institute and Ministry of External Affairs, Govt. of India, for 23 Judicial Officers from Myanmar during July 22-29, 2017, on various aspects of Indian Laws such as Comparative Constitutional Law, Intellectual Property Rights, Cyber Law, Refugee Law and International Criminal Law. Ambassador of Myanmar His Excellency U Maung Wai and Law Secretary to the Govt. of India, Mr. Suresh Chandra, were among the dignitaries who delivered on the topics in the programme.

**Forecast of Activities (FROM 15.12.2017 TO 31.03.2018):**

**Publication:** The following research documents are proposed to be published during the above period:

- Journal of the Indian Law Institute (Quarterly publication)
- ILI Newsletter with Case Comments and Legal Jottings (Quarterly)
- Annual Survey of Indian Law – 2017
- Index to Legal Periodicals – 2017

**New Books on:**

- Legal Control of Environmental Pollution : An Assessment of Existing Legislation
- Terrorism, Sedition and Human Rights in India
- Law, Violence and Justice
- Intellectual Property and Human Rights in India
- Law of Copyright: challenges in the Digital World
- Money Laundering Laws : Issues and Challenges in India
- Expanding Role of Water Law in 21st Century India : Achievements and Challenges

**Seminar/Conference/Training Programme/Workshop:**

- The Institute shall organize a one/two day training programme in collaboration with National Human Rights Commission for Prison Officials/ Media Personnel and Judicial Officers during the remaining period of financial year 2017-18.



- Some more Special Lectures/ Interaction with ILI faculty members / students have been planned.

## 20. BAR COUNCIL OF INDIA (BCI)

The Bar Council of India was constituted under the Advocates Act, 1961 and it has been empowered among other things, to lay down standards of professional conduct and etiquette for lawyers and to maintain and improve the standards of legal education in the country. While the State Bar Councils are the authorities for enrolment of Advocates, the State Bar Councils and the Bar Council of India together enforce discipline among Lawyers. The Bar Council of India acts as appellate authority in respect of disciplinary matters.

2. The Council meets at regular intervals to transact business in accordance with the agenda circulated to the Members. At the meetings, the Council also conduct removal proceedings under Section 26(1) where persons are enrolled either by misrepresentation or by suppressing essential facts; deals with references received from State Bar Councils under Section 26(1) where the State Bar Council proposes to reject the enrolment application due to any reason; and hear and decide revision petitions under Section 48A of the Advocates Act, 1961 where complaints against advocates for professional or other misconducts filed by individuals are dismissed by State Bar Councils summarily.

## 21. EASE OF DOING BUSINESS - 'ENFORCING CONTRACTS'

Steps taken towards Ease of Doing Business - 'Enforcing Contracts':

Commercial and financial markets have a big role to promote a country's economic standing in the comity of nations. For such economic activities to prosper, simple framework of rules that encourage investors and promote business activities is a pre-requisite. Therefore, the Government and associated institutions are giving high priority to frame business facilitating laws and regulations with a view to make India one of the preferred destinations for investment and business. Several such measures have been taken by the Government to make business regulations simpler, transparent, expeditious and effective which is helping India in becoming one of the preferred destinations for the investors, the world over. It is relevant to mention that the Ministry of Law & Justice is performing threefold role in improving the India's ranking in Doing Business Report namely, (i) Legislative, i.e. enacting laws such as Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 and amendments carried out in 2015 to the Arbitration and Conciliation Act, 1996 with a view to make the resolution of commercial disputes more expeditious and effective. This is also with a view to boost the confidence of investors by assuring that their investments are safe and there is a legal system in place which will expeditiously come for their rescue, in such eventualities; (ii) Administrative i.e. guiding and rendering legal assistance to the other Ministries/Departments of the Government to act in conformity of the settled principles of Rule of Law; and (iii) Advocacy, which involves interacting with the stakeholders at the right time and in the right manner, failing which the various initiatives taken for Ease of Doing Business would not yield the desired results.

## 22. STRENGTHENING OF ARBITRATION MECHANISM

Steps taken for Strengthening of Arbitration Mechanism:

The Central Government had amended the Arbitration and Conciliation Act, 1996, by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015, inter-alia, in order to make arbitration process user friendly, cost effective and expeditious. However, some practical difficulties in applicability of the amendment Act have been brought to notice of the Department of Legal Affairs. Further, it was felt that there is a need to strengthen institutional Arbitration mechanism in the country. In this regard, a High Level Committee under the Chairmanship of Justice B. N. Srikrishna, Retired Judge, Supreme Court of India, was constituted by the Central Government to review the institutionalization of arbitration mechanisms in India and submit a Report on suggested Reforms. The Report can be accessed on the weblink <http://legalaffairs.gov.in/sectiondivision/report-high-level-committee-review-institutionalisation-arbitration-mechanism-india>. The Committee submitted its Report on 30th July, 2017 and recommended some amendments in the Act. The Department of Legal Affairs is keen to take substantive steps on the recommendation of the Committee.

Further taking into the consideration the other recommendations of the High Level Committee, a Bill namely “The New Delhi International Arbitration Centre Bill”, since introduced in the Lok Sabha on 5<sup>th</sup> Jan. 2018, is proposed for introduction in the Winter Session of Parliament 2018. The Bill seeks to establish the Centre as an Arbitral Institution of National Importance and to promote Institutional Arbitration. These reforms to further simplify the complexity of law and encourage quick resolution of disputes will definitely promote and encourage the business investment scenario in the country.

## 23. INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL, MUMBAI

- (1) **ORIGIN:** Section 252 of the Income-tax Act, 1961 provides that the Central Government shall constitute an Appellate Tribunal consisting of as many Judicial Members and Accountant Members as it thought fit, to exercise the powers and discharge the functions conferred on the Appellate Tribunal by the said Act. The Income-Tax Appellate Tribunal was established on 25<sup>th</sup> January, 1941, in pursuance of a similar provision contained in the Indian Income-Tax Act, 1922.
- (2) **CONSTITUTION:** The Income Tax Act, 1961 further provides that, a Judicial Member of the Tribunal shall be person, who has for at least 10 years held a Judicial Office in the territory of India or has been a Member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-II of that service or any equivalent or higher post for at least three years or who has been an advocate for at least ten years. An Accountant Member shall be a person, who has for at least 10 years been in practice of accountancy (a) as Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) or as a Registered Accountant under any law formerly in force or partly as a Registered Accountant under any law formerly in force or partly as such registered Chartered Accountant, and partly as such Chartered Accountant or who has been a Member of the Indian Income Tax Service, Group A and has held the post of (Additional) Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for at least three years.

- (3) **SHORTAGE OF MEMBERS AND STAFF:** The present sanctioned strength of Members of Tribunal is 126 for 63 benches spread over 28 cities throughout the country out of which only 96 Members are in position and accordingly there are 30 posts of Members vacant as on date. The Tribunal is presently headed by the President assisted by nine (9) Vice - Presidents. At present, six (6) post of Vice-Presidents and twenty four (24) Members are vacant.

As regards shortage of Registry Officers, Senior Private Secretaries and Private Secretaries, it is submitted that all seven sanctioned posts of Deputy Registrars, are presently lying vacant and out of the 38 sanctioned posts of Assistant Registrars, 30 posts are lying vacant. Further, out of the 2 sanctioned posts of Hindi Officer, all are presently lying vacant, out of the 126 sanctioned posts of Senior Private Secretaries, 32 posts are vacant and out of the 47 sanctioned posts of Private Secretaries, 25 posts are vacant. The details regarding vacancies in other posts in the Income Tax Appellate Tribunal are as under :-

Sr. No.	Posts	Vacant
1	Senior Accountant	2
2	Supdt	1
3	Office Supdt.	1
4	Hindi Translator	11
5	Librarian	1
6	Head Clerk	0
7	U.D.C.	46
8	Steno Grade D	4
9	L.D.C.	72
10	Staff Car Driver	18
11	Multi Tasking Staff	102
	Total	258

- (4) **POWERS AND FUNCTIONS:** The Income-Tax Appellate Tribunal, constituted under the Income-Tax Act, deals with second appeals in all matters of direct taxes and appeals against the revision orders of administrative Commissioners as well as orders of acquisition of properties under Chapter-XX A of the Income-Tax Act.

The powers and functions of the Appellate tribunal are exercised and discharged by the Benches constituted by the President of the Tribunal from amongst the Members thereof. A Bench consists of one Judicial Member and one Accountant Member. The President or any

other Member of Tribunal authorised in this behalf by the Central Government may, sitting singly, dispose of any case which has been allotted to the Bench of which he is a Member and which pertains to an assessee whose total income as computed by the Assessing Officer in the case does not exceed five lakhs rupees and the President may, for the disposal of any particular case, constitute a Special Bench consisting of three or more Members, one of whom shall necessarily be a Judicial Member and one Accountant Member, subject to the provisions of the Income-tax Act, 1961.

- (5) **PROCEDURE AND RULES:** The Appellate Tribunal has the power to regulate its own procedure and the procedure of its Benches in all matters arising out of the exercise of its powers or in the discharge of its functions, including the places at which the Benches shall hold their sittings.

The Appellate Tribunal has, accordingly, framed its own rules called the Income-Tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963. The said Rules are best suited for the expeditious disposal of all matters pending before the Income-Tax Appellate Tribunal. The Tribunal functions not only as the final fact finding authority in matters concerning Income-tax but also in all matters of taxation such as Wealth-tax, Gift-tax and Expenditure tax etc. The Appellate Tribunal is manned by efficient personnel discharging their functions to the best of their ability and holding the scales of justice evenly between the tax payer and the Revenue without fear or favor.

Generally, appeals are heard by a Bench consisting of one Accountant Member and one Judicial Member. However, in appropriate cases, at the discretion of the President, a Bench may consist of more than two Members.

The matters which the Appellate Tribunal disposes of are of vital importance involving revenue to the tune of millions of rupees. The Tribunal is entrusted with the responsible task of deciding intricate questions of law and fact. The presence of both the Judicial and Accountant Members is guaranteed that questions of fact which arise for their consideration are properly enquired into and that the accountancy point, as also the legal angle, have been weighed properly. The Tribunal allows the representatives of both the parties to appeal before it and invariably hears them before passing any order. The Members hear the parties, peruse the evidence on record, make their own notes, refer to the authorities cited at the Bar, confer among themselves and then pass final orders. The procedure is, by itself, a guarantee that questions of facts are properly and judicially decided and inference drawn by the Tribunals are beyond reproach.

- (6) **PENDENCY OF APPEALS:** At the beginning of the year 2017, the Pendency of the appeals was **91538** and as on 1<sup>st</sup> January, 2018 the number of appeals pending in the Income-Tax Appellate Tribunal stands at **91657**.

It will be seen from the following table that the commitment to reduce pendency is showing encouraging results after all the newly created Benches were made functional :

Year	Institution	Disposal	Pendency at the end of year
2004-2005	57331	78901	137164
2005-2006	45283	73979	108468
2006-2007	43192	65524	86136
2007-2008	44356	59653	70839
2008-2009	40372	55889	55322
2009-2010	41648	49353	47617
2010-2011	44250	36293	55574
2011-2012	42346	33816	64104
2012-2013	43934	33752	74286
2013-2014	46031	31886	88643
2014-2015	45072	30494	103238
2015-2016	40087	51010	91971
2016-2017	48328	48385	92386
<b>2017-2018</b> Up to 31.12.2017	<b>36384</b>	<b>37678</b>	<b>91643</b>

- (7) **EFFORTS FOR REDUCTION OF PENDENCY:**Necessary instructions have already been issued to all the Benches to scrutinize and identify cases which are covered by decisions of I.T.A.T., High Courts, and the Supreme Court and post them on priority basis. This includes group and small matters. The Bar is also requested to bring to the notice of I.T.A.T., all such covered cases for out of turn posting. Besides, Search & Seizure and Appeals u/s 263 are also being given priority in their disposal. Further, vide Finance (No.66) Act 2015 an amendment in Income Tax Act 1961 was made that the appeal involving assessed income upto Rs.15 lakhs can be heard by Single Member Bench and accordingly the same has been implemented.

The pendency figure of Single Member Cases is as under:-

Month	Total Pendency
January,2017	13978
February,2017	13875
March,2017	13844
April,2017	13712
May,2017	13794
June,2017	13530
July,2017	13494
August,2017	12412
September,2017	12315
October,2017	12117
November,2017	12139
December,2017	8379

The pendency figure of Wealth Tax Cases is as under:-

Month	Total Pendency
January,2017	336
February,2017	355
March,2017	379
April,2017	411
May,2017	411
June,2017	396
July,2017	408
August,2017	414
September,2017	448
October,2017	436
November,2017	442
December,2017	449

There are 63 sanctioned Benches of the I.T.A.T. wherein the required strength of the Members is 126 and presently have 96 Members and some of the Benches are not regularly functioning resulting in increase of pendency thereof.

- (8) **COMPUTERISATION:** The process of computerization started in the Income Tax Appellate Tribunal in early 2000 and in recent years, this process has gained great momentum with several innovative projects being implemented in day-to-day activities of the Tribunal. Over the years, various projects have been undertaken and implemented by the Tribunal to live upto its motto “**Nishpaksh Sulabh Satvar Nyay**”.
- (9) **ACHIEVEMENTS:**
- (a) **ITAT Online Project:** This pilot project is the first initiative to automate the process of judicial administration in the Tribunal starting from receipt and registration of appeals and applications till disposal and uploading of Tribunal orders. This project was commissioned and implemented in all Benches of the Tribunal in phased manner. ITAT Online is a web-based application which can be accessed from anywhere and anytime. As of now, all Benches of ITAT have been connected to the ITAT Online database and activities like registration, data updation, Tribunal order uploading, etc. are being carried out through the web application. Web-cum-Database Server of this project has been migrated to NIC Cloud Data Centre.
- (b) **ITAT Official Website:** As an extension of the ITAT Online Project, Official Website of Income Tax Appellate Tribunal has been created and commissioned to deliver judicial and general information to the general public. The Official website has been redesigned to make it more user friendly, informative, responsive, updated and compliant to Government of India Guidelines for Websites. Dynamic information like Cause Lists, Constitution, Case Status, Order Search, Pronouncement Search, etc. have been provided to cater the judicial information needs of the litigants before the Tribunal. This apart, static information like Holiday Lists, Tenders & Auctions, Notice Board, Right to Information, etc. has been made accessible to the litigants in particular and public in general. This website has been widely used and appreciated. Also, ITAT has made the website and application bilingual. ITAT is also sharing the ITAT Online data with the National Judicial Reference System (NJRS) project, for which certain provisions were made in the Web Application.
- (c) **NICEMail:** In furthering the utilization of Information and Communication Technology in general administration and effective communication between various Benches, Members and officers, ITAT has subscribed for E-Mail services offered by National Informatics Centre. NICEMail accounts have been created for all Benches, Zones, Members, Registry Officers, Sr. PS/PS and all sections of Head Office. In recent years, due to its ease, fastness, simplicity and economic-and-ecological advantage over conventional methods of communication, usage of E-Mail has started to gain acceptance of the users.

- (e) **Infrastructure Upgradation:** ITAT has always been conscious that better computerization needs better infrastructure. Accordingly, ITAT has been replacing the old and obsolete computers, printers and other equipments with the latest ones in phased manner. All Members of ITAT have already been provided with laptops for their official use.

**10. FUTURE PROJECTS:**

- (a) **Launching of E-Filing:** ITAT has also included in the project a new Citizen-To-Government (C2G) Module namely ‘e-Filing’ to enable the litigants before the Tribunal to file appeals and applications online from their door-steps; and to disseminate information through SMS, Email and Mobile Application. Provision is also made in the project to facilitate and ensure paperless courts in due course. E-filing module and mobile application are likely to be rolled out in coming months.
- (b) **E-Courts:** During the last year, E-courts were setup at ITAT Rajkot, Jabalpur and also at Guwahati Bench. Bench proceeding were conducted at ITAT Rajkot, Jabalpur Bench and Guwahati Bench connecting to ITAT Ahmedabad, Delhi and Kolkata Benches respectively. Total 1273 appeals were disposed of at ITAT, Ahmedabad, 34 appeals were disposed of at ITAT, Delhi and 146 appeals were disposed at ITAT, Kolkata Benches (upto 31.12.2017) through E-court.

Presently, one more Bench is under process for development of E-Court at Ranchi Bench.

Following is the status of Bench/es functioning through E-Court:

Sr. No.	Functioning Bench(es)
1	New Delhi, Zonal Office
2	Ahmedabad, Zonal Office
3	Kolkata, Zonal Office
4	Jabalpur Bench
5	Rajkot Bench
6	Guwahati Bench



Development of E-court in respect of following Benches are under process:

Sr. No.	Under Process Bench(es)
1	Mumbai, Head Office
2	Mumbai President's Chamber
3	Bangalore, Zonal Office
4	Chennai, Zonal Office
5	Chandigarh, Zonal Office
6	Lucknow Zonal Office
7	Hyderabad Zonal Office
8	Pune Benches
9	Jodhpur Bench
10	Jaipur Benches
11	Ranchi Bench

Lucknow – Video Conference equipment was shifted to Rajkot as equipment of Rajkot was not working properly.

#### **(11) ESTABLISHMENT OF SURAT BENCH :**

Ministry of Law & Justice has approved the proposal of ITAT for establishment of one Bench at Surat by transferring one of five Benches from ITAT, Kolkata to Surat. Thereafter, suitable amendment were made in the Standing order of ITAT regarding change of jurisdiction.

Presently, CCIT, Surat has provided space to ITAT for establishing ITAT Surat Bench at Aayakar Bhawan, Surat on temporary basis for few months. Inauguration of ITAT Surat Bench was done on 01.09.2017.

Meanwhile, pursuant to the advertisement published in the Newspaper for hiring of office space for accommodating ITAT, Surat Bench, the offer received from the parties under process.

#### **(12) OWN BUILDINGS OF I.T.A.T:**

Income Tax Appellate Tribunal (I.T.A.T.) purchased land at Pune, Bengaluru, Jaipur, Lucknow & Guwahati for office-cum-residential accommodation. The Govt. of Odisha has allotted a plot of land measuring 1.601 acre to I.T.A.T., Cuttack Bench for construction of office building and staff quarters at Cuttack. Further, ITAT made application for allotment of land for office premises for I.T.A.T. Kolkata Benches, Kolkata at New Town Area, Kolkata at Financial and Legal Hub developed by West Bengal Housing and Infrastructure Development Corporation Ltd.

(WBHIDCO). Further, the I.T.A.T. is trying for purchase space for the office premises for I.T.A.T. Delhi Benches through E-Auction at NBCC World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi.

**(13) Details of Status of Land:**

- (i) **Pune:** Architectural drawings with options have to be finalized for which meeting with Architect and CPWD Officials is being proposed shortly by I.T.A.T., Pune.
- (ii) **Bengaluru:** Construction work of building is underway. During current FY 2017-18, authorization for an amount of Rs.8 crore under the Head “Capital Outlay” towards carrying out construction work on the acquired plot of land at Survey no.51, BTM Layout, Taverekere Village, Bangalore, has been issued by the Principal Accounts Office, Ministry of Law & justice, New Delhi in favour of Principal Accounts Office, Ministry of Urban Development, New Delhi.
- (iii) **Jaipur:** Construction of the building has been completed. Efforts are on to obtain specific authorization, transferring a sum of Rs.1.97 crore (Rs.1.15 crore for Civil work and Rs.0.82 crore for Electrical work) under the Head “Capital Outlay”, in favour of Pay & Accounts Officer, North Zone, C.P.W.D., East Block, R.K. Puram, New Delhi, to be incurred towards CPWD’s Pending Bills for construction of office building and 4 nos. of Officers’ Quarters for Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) at G-4, Rajmahal Residency Area, C-Scheme, Jaipur.
- (iv) **Lucknow:** Rough cost Estimate for Rs.25.39 crore (which includes estimate of Rs.98,10,898/- towards construction of boundary wall) submitted by the CPWD, Lucknow has been sent to the Ministry. In turn, Ministry has conveyed concurrence for an expenditure of Rs.98,10,898/- towards construction of boundary wall. Further course of action in this regard is under process.
- (v) **Cuttack:** I.T.A.T., has acquired a land admeasuring 1.601 acre in Sector-1, CDA, Cuttack i.e. Revenue Plot No.1/09(P) of Khata No.1/1 of Mouza Subarnapur, Cuttack Sadar Rahasil, Cuttack allotted by Govt. of Odisha for constructing ITAT’s own Office Building and Staff quarters. Bhumi Poojan/ Stone laying ceremony of the said plot of land was done on 19.11.2017 in the presence of Hon’ble Chief Justice of India, Hon’ble Union Minister of Law & Justice Shri Ravi Shankarjee, Hon’ble Chief Justice of Odisha High Court and Hon’ble Justice A.K. Patnaik, Former Judge of the Hon’ble Supreme Court of India.  
  
An amount of Rs.11,63,88,000/- has been authorised by the Ministry vide letter dated 11.08.2017 in favour of Principal Accounts Office, Ministry of Urban Development, to be incurred towards carrying out construction work of own office-cum-residential complex at CDA, Sector-I, Cuttack.
- (vi) **Guwahati:** Taken over land of Central Inland Water Transport Corporation Ltd. (CIWTC) @ Rs.4.03 crore at Fancy Bazar, Guwahati, under the Head “Capital Outlay” during the FY 2016-17 and the matter regarding valuation of the super-structure of land parcel in the State of Assam sector to be handed over to Ministry of Law & Justice, is under process.

- (vii) **Kolkata:** Earnest Money for Rs.25 lakhs towards application for allotment of land for office premises of ITAT, Kolkata at Financial & legal Hub developed by West Bengal Housing Infrastructure Development Corporation Ltd. (WBHIDCO) has been paid by the Ministry and CPWD's certificate to the effect that no Central Govt. land is in custody of CPWD in new Town area and the cost of the land seems to be reasonable since the dealing is between Central Govt. and State Govt, has been forwarded to the Ministry for finalization.
- (viii) **Panaji:** The concerned authorities of the Govt. of Goa were requested for allotment of suitable land of 2000 sq.mtrs in Pato Complex or other suitable area in Panaji for construction of own premises for ITAT, Panaji Bench. However, no confirmation has been received so far in this regard from the State Government.
- (ix) **Jodhpur:** Jodhpur Bench of ITAT has taken up the matter with the Jodhpur Development Authority; Rajasthan Govt., Secretariat, Jaipur; the Collector, Jodhpur requesting to make suitable land available for ITAT, Jodhpur Bench. HO vide UO dated 17.04.2017 has requested Jodhpur ITAT to proceed in the matter and report back. Consequential action in the matter is awaited.

#### (14) FACILITIES FOR MEMBERS:

The Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 19.9.2003 in SLP (L) Mos.6905/1998 & TP(C) Nos. 659 and 672-673 of 1998 in the case of Union of India and others Vs. All Gujrat Federation of tax consultants had directed the Government to provide the various facilities to the Members of Income Tax Appellate Tribunal and every effort has been made by the ITAT to provide the said facilities to the Members.

#### (15) BENEVOLENT FUND:

A Benevolent Fund, the corpus of which has been built out of voluntary contributions by the officers and staff, also exists in the Income-Tax Appellate Tribunal. The President, Income-Tax Appellate Tribunal, is the patron. Officers and staff contributes voluntarily to this fund and disbursements are made to officials in need of medical or other emergent situations on the recommendation of Committee formed under the Rules.

#### (16) RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

It is being implemented by the Income Tax Appellate Tribunal.

#### (17) IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

Official Language Implementation Committees have been constituted at all the Benches of Income-Tax Appellate Tribunal, with a view to keeping a watch and providing guidance for proper implementation of the official language policy prescribed by Department of official language, Government of India.

Progress in achieving the targets set for Hindi correspondence and its implementation is monitored by the concerned Benches and their quarterly reports regarding progressive use of Hindi is regularly scrutinized by Head Quarters at Mumbai. Training in Hindi/Hindi Typing/Hindi Stenography is

offered by nominating sufficient No. of officials under Hindi Teaching Scheme., Department of official language, Government of India.

Hindi workshops are also held in all the Benches for proper implementation of the official language policy and to encourage the use of Hindi and to remove the hesitation of officers / employees to work in Hindi.

Every endeavor is being made for the progressive use of Hindi by putting the Hindi Work as much as required in accordance with the provisions of the Official Language Act, 1963.

This year sufficient funds were provided to purchase Hindi Books at all these Benches. As per the implementation of official language policy in all offices of Income Tax Appellate Tribunal to make an expenditure of the purchase of Hindi Books which is 50% of total library grant was allotted this year, in accordance with the target fixed by the Department of official language, Government of India.

With a view to creating awareness in regard to the use of Official Language Hindi in official work as well as to accelerate the pace of its progressive use, Hindi Day & Hindi Fortnight have been organized at all benches.

An Annual Journal ‘Srijan’ is published for Income Tax Appellate Tribunal, Head Office, Mumbai. It contains photos of the Hindi Pakhwada Programme, Hindi Workshop, besides articles, stories, poems and travelogue etc. written by Members, Officers and employees of ITAT.

#### **(18) IMPLEMENTATION OF INSTRUCTIONS REGARDING REPRESENTATION IN SERVICES OF HANDICAPPED, SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES, AND EX-SERVICEMEN ETC.**

The Government of India’s instructions regarding the concessions in appointments to the Handicapped, Scheduled Castes & Scheduled Tribes and Ex-Serviceman etc., were duly implemented during the year 2017-2018 and the statistics relating to representation of these categories in services of the Income-Tax Appellate Tribunal is at ANNEXURE -V.

#### **24. VIGILANCE ACTIVITIES**

The Vigilance Unit in the Ministry of Law and Justice caters to Department of Legal Affairs (including Income Tax Appellate Tribunal) and Legislative Department. The Vigilance Unit is headed by Chief Vigilance Officer who is appointed with the concurrence of Central Vigilance Commission. The Vigilance Unit is presently headed by Dr. Rajiv Mani, Joint Secretary and Legal Adviser. The overall responsibility of vigilance activities of both of these Departments rests with the Chief Vigilance Officer. The Chief Vigilance Officer is the nodal point in the vigilance unit set up for these Departments and is entrusted with the following:

- Identification of sensitive areas prone to malpractices/ temptation and taking preventive measures to ensure integrity/ efficiency in government functioning.
- Taking suitable action to achieve the targets fixed by the Department of Personnel & Training on anti-corruption measures;

- Scrutiny of complaints and initiation of appropriate investigation measures;
  - Inspection and follow up action on the same;
  - Furnishing comments of the Department to the Central Vigilance Commission on the investigation reports of the Central Bureau of Investigation;
  - Taking appropriate action in respect of departmental proceedings on the advice of Central Vigilance Commission or otherwise;
  - Obtaining first and second stage advice of the Central Vigilance Commission wherever necessary; and
  - Obtaining the advice of Union Public service Commission in regard to the nature and quantum of penalty.
2. Preventive vigilance continues to receive priority attention with emphasis on identification of areas sensitive or prone to malpractices and temptation. The guidelines/ instructions issued from time to time by the Department of Personnel & Training and Central Vigilance Commission in this regard are followed. Vigilance Awareness Week was observed in the week starting from 30<sup>th</sup> October, 2017 to 4<sup>th</sup> November, 2017. The pledge taking function was organized at 11.00 a.m. on 30.10.2017 and Law Secretary administered the Pledge to all the officers and staff of both the Departments at Shastri Bhawan. The main focus during Vigilance Awareness Week was “My Vision – Corruption Free India”. Further, a lecture session on this theme was organized by the Department wherein Dr. RJR Kasibhatla, Deputy Legal Adviser was the Speaker. The session was attended by Law Secretary along with employees of the Department of Legal Affairs and Legislative Department.

## 25. GENDER ISSUES

The Complaints Committee under Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has been set up by the Department vide Order dated 10<sup>th</sup> March, 2017, to look into the complaints on sexual harassment from employees of both the departments i.e. Department of Legal Affairs and Legislative Department. The Complaints Committee shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of CCS (CCA) Rules, 1965. The report of the Complaints Committee should be treated as enquiry report. It will examine the complaints made against sexual harassment by women employee(s) and, if necessary, conduct an enquiry. On completion of the same, the Committee will submit its findings to the Joint Secretary (Admn.1), D/o Legal Affairs for further necessary action. The Committee is presently headed by Ms. Zoya Hadke, Joint Secretary and Legal Adviser.

Statements showing the total number of government servants, number of Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and physically handicapped amongst them in the Department of Legal Affairs and Legislative Department as on 01.01.2018 is enclosed at **Annexures - VI**.

The representation of female employees in the Ministry of Law & Justice is given at **Annexure - VII**.

## 26. SWACHH BHARAT ABHIYAN

In accordance with the directions of the Govt. the period from 1<sup>st</sup> April to 15<sup>th</sup> April, 2017 has been observed as Swachhta Pakhwara in the Department of Legal Affairs and its Branch Secretariats located at Kolkata, Mumbai, Chennai and Bengaluru as well as the offices of the ITAT in the Country.

Shri Ravi Shankar Prasad Hon'ble Minister of Law & Justice & IT gave message on the observance of Swachhta Pakhwara by Department of Legal Affairs as part of the Swachhta Bharat Mission. The Period from 15<sup>th</sup> Sept, 2017 to 2<sup>nd</sup> Oct, 2017 was also observed as SWACHHTA HE SEWA in the Department including the Branch Secretariats. Budget Provision has been earmarked for Swachhta related activities. Posters and banners are displayed in the Main Secretariat, Branch Secretariates, Law Commission, so that message of cleanliness spreads throughout. Weeding of old files & cleaning of sections and rooms are done regularly and all divisional heads are directed to carry out the cleanliness activities regularly. Cleaning and binding of old library books and records in the Record room of the Department is done. Pictures depicting the Swachh Bharat Abhiyan in Department of Legal Affairs are at **Annexure-VIII**.

## 27. CELEBRATION OF INTERNATIONAL YOGA DAY 2017

International Yoga Day 2017 was celebrated in Department of Legal Affairs, Main Secretariat and all the Branch Secretariats i.e. Kolkata, Chennai, Mumbai and Bengaluru. In Department of Legal Affairs three Yoga trainers were called from Olivia Club, Vasundhara, Ghaziabad for Yoga demonstration and a talk on benefits of Yoga. Law Secretary along with other officers/officials of Department of Legal Affairs participated in celebration of Yoga Day and performed all the Yoga/Asanas demonstrated by the trainers.

In Branch Secretariat, Chennai, faculty of Krishnamachari Yoga Mandiram, Chennai was called on 20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> June, 2017 for two hour Yoga session. A Yoga Instructor was engaged for imparting Yoga training to prepare the Officers and Staff of Branch Secretariat, Bengaluru from 07.06.2017 to 20.06.2017 for the Mass Yoga Demonstration on 3<sup>rd</sup> International Yoga Day 2017 on 21.06.2017. In Branch Secretariat, Kolkata, all the Staff including Officers participated in a mass Yoga session under the leadership of the Incharge, Branch Secretariat.

In the Demonstration organized at the Main Secretariat in Shastri Bhawan, Law Secretary read out the message of Hon'ble Prime Minister for celebration of third Yoga Day. He also emphasized on the need of Yoga to keep everybody fit, increasing their productivity by efficient discharge of their official as well as day to day functions. He also elaborated on the Swachh Bharat Mission of the Hon'ble Prime Minister which we have to follow in letter and spirit so that we contribute our share toward making India clean. Pictures depicting the celebration of International Yoga Day are at **Annexure-IX**.

## 28. CONSTITUTION DAY

26<sup>th</sup> Nov. 2017 was celebrated as 'Constitution Day'. The Celebration consisted of reading out of 'Preamble' to the Constitution of India.



# THE CONSTITUTION OF INDIA

## PREAMBLE

**WE**, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens :

**JUSTICE**, social, economic and political;

**LIBERTY** of thought, expression, belief, faith and worship;

**EQUALITY** of status and of opportunity; and to promote among them all

**FRATERNITY** assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

**IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY** this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

## 29. INITIATIVES TAKEN UNDER 'MINIMUM GOVERNMENT AND MAXIMUM GOVERNANCE

### I. Simplification of official procedure:-

Admn.IV Section is cadre controlling authority for the employees belonging to the three services of Central Secretariat Service viz. CSS, CSSS and CSCS. The Procedure prescribed by DOP&T is being followed in dealing with administrative matters.

### II. Digital India - Following initiatives have been taken under the Digital India Program.

#### a. LIMBS (Legal Information and Management Briefing System)

LIMBS is an easy to access, web-based tool for comprehensive, regulatory and proactive monitoring of court cases.

LIMBS is a web-based platform which provides a common access portal to all users having varying needs and cutting across administration pyramids i.e. access is available right from the file dealer to the top management LIMBS has user friendly data entry screen for capturing the details of court cases. Progress of court cases can be entered.

The application provides facility of Unique Document Locker to upload court cases specific documents such as reply filed, affidavit submitted, scanned copy of judgment etc. E-document vault allows user to enter the important judgment. SMS alerts are used to sensitize the users over important issues. LIMBS Advocate Module is to help advocates to organise, update court cases they are dealing with at one single place. LIMBS Arbitration Module is for timely monitoring of entire life cycle of Arbitration cases. Its simple user interface brings all the stakeholders viz. claimant, respondent, arbitrator, user and Nodal officer on a single platform to deal with arbitration cases in a time bound manner.

The LIMBS application will host huge data, involve various stakeholders, Nodal Authorities to take data driven decisions, know the data of hearings in advance and may enable the authorities to prepare their response accordingly.

#### b. NDSAP (National Data Sharing and Accessibility Policy)

The objective of this policy is to facilitate the access to Government of India owned shareable data and information in both human readable and machine readable forms through a network all over the country in a proactive and periodically updatable manner, within the framework of various related policies, Acts and rules of Government of India, thereby permitting wider accessibility and use of public data and information.



Benefits of NDSAP:-

- a) Maximising use
  - b) Avoiding duplication
  - c) Maximised integration
  - d) Ownership information
  - e) Better decision-making
- c. E-Office

The main objectives of e-office are:-

- a) To improve efficiency, consistency and effectiveness of government responses
- b) To reduce turnaround time and to meet the demands of the citizens charter
- c) To provide for effective resource management to improve the quality of administration
- d) To reduce processing delays
- e) To establish transparency and accountability
- f) The system will automate movement of files within government offices.

III. Reduction of Decision making level - In some cases like sanction of leave etc. power has been delegated.

IV. On-line processing of Pension cases – Pension cases are dealt online.

**30. Details of foreign visits undertaken by the Hon’ble Minister of Law & Justice, Officers of the Department of Legal Affairs and Law Officers w.e.f. 01.01.2017 to 31.12.2017.**

Sl. No.	Name & Designation	Country Name	Purpose of visit and duration.
1.	Shri Ravi Shankar Prasad, Hon’ble Minister of Law & Justice	Nassau, (The Bahamas)	To attend the Triennial Commonwealth Law Ministers’ Meeting, from 16 <sup>th</sup> to 19 <sup>th</sup> October, 2017.
2.	Shri P.P.Choudhary, Hon’ble Minister of State (Law & Justice)	Tashkent (Uzbekistan)	To attend the 5 <sup>th</sup> Meeting of the Ministers’ of Justice of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization from 19 <sup>th</sup> to 21 <sup>st</sup> October, 2017.

3.	Shri Suresh Chandra, Law Secretary	St. Petersburg (Russia)	To attend the VIIth St. Petersburg International Legal Forum, from 16 <sup>th</sup> to 20 <sup>th</sup> May, 2017.
		Tashkent (Uzbekistan)	To attend the working group of Expert meeting of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Members, Ministries of Justice, from 10 <sup>th</sup> to 11 <sup>th</sup> August, 2017.
		Nassau (The Bahamas)	To attend the Triennial Commonwealth Law Ministers' Meeting, from 16 <sup>th</sup> to 19 <sup>th</sup> October, 2017.
4.	Shri P.S. Narasimha, Ld. Additional Solicitor General of India	Ottawa, (Canada)	To attend Sixth Indo-Canadian Legal Forum Meeting from 15 <sup>th</sup> to 18 <sup>th</sup> October, 2017.
5.	Ms. Pinky Anand, Ld. Additional Solicitor General of India	St. Petersburg (Russia)	To attend the 15 <sup>th</sup> Session of the Prosecutor General's Office of the Shanghai Corporation Organization (SCO) from 28 <sup>th</sup> to 30 <sup>th</sup> November, 2017.
6.	Shri A.Nadkarni, Ld. Additional Solicitor General of India	St. Petersburg (Russia)	To attend the 15 <sup>th</sup> Session of the Prosecutor General's Office of the Shanghai Corporation Organization (SCO) from 28 <sup>th</sup> to 30 <sup>th</sup> November, 2017.
7.	Dr. Anju Rathi Rana, Joint Secretary & Legal Adviser	Tashkent (Uzbekistan)	To attend the 5 <sup>th</sup> Meeting of the Ministers' of Justice of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization from 18 <sup>th</sup> to 21 <sup>st</sup> October, 2017.
		St. Petersburg (Russia)	To attend the 15 <sup>th</sup> Session of the Prosecutor General's Office of the Shanghai Corporation Organization (SCO) from 28 <sup>th</sup> to 30 <sup>th</sup> November, 2017.
8.	Shri R.K.Srivastava, Deputy Legal Adviser	Seoul (Republic of South Korea)	To attend the 6 <sup>th</sup> UNCITRAL, Regional Centre for Asia and the Pacific ADR Conference, Regional Capacity building Workshop and Regional roundtable events, from 7 <sup>th</sup> to 9 <sup>th</sup> November, 2017.

9.	Dr. R.J.R. Kasibhatla, Deputy Legal Adviser	The Hague, (Netherlands)	To attend the hearing and preparatory meeting for arbitration matter of Tenoch Holdings Ltd. Vs. Republic of India, from 21 <sup>st</sup> to 29 <sup>th</sup> January, 2017.
		Kobe, (Japan)	To attend the 17 <sup>th</sup> Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee and related meetings, from 26 <sup>th</sup> February to 3 <sup>rd</sup> March, 2017.
		Manila (Philippines)	To attend the 18 <sup>th</sup> Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee (RCEP TNC 18) and related meetings, from 6 <sup>th</sup> May to 12 <sup>th</sup> May, 2017.
		Manila (Philippines)	To attend the RCEP Working Group on Investment (WGI) Inter-sessional meeting, from 12 <sup>th</sup> to 17 <sup>th</sup> September, 2017.
		Incheon (Republic of South Korea)	To attend the 20 <sup>th</sup> RCEP Working Group on Investment (WGI) meeting, from 18 <sup>th</sup> to 26 <sup>th</sup> October, 2017.
10.	Shri O.P.Bagri, Deputy Legal Adviser	Milan (Italy)	To attend the Court proceedings in the matter of re-trial of Agusta Westland (VVIP/VIP Helicopter procurement case) from 6 <sup>th</sup> to 7 <sup>th</sup> June, 2017.
11.	Shri O.Venkateswarlu, Deputy Legal Adviser	St. Petersburg (Russia)	To attend the VIIth St. Petersburg International Legal Forum, from 16 <sup>th</sup> to 20 <sup>th</sup> May, 2017.
12.	Mrs. Kusum Lata Singh, Assistant Legal Adviser	Colombo (Sri Lanka)	To attend 7 <sup>th</sup> round of Indo-Sri-Lanka Economic Technical Cooperation Agreement (ETCA) Negotiations, from 18 <sup>th</sup> to 20 <sup>th</sup> December, 2017.
13.	Dr. R.S.Shrinet, Assistant Legal Adviser	Minsk (Belarus)	To attend the 4 <sup>th</sup> round of negotiations on the India- Belarus Bilateral Investment Treaty (BIT), from 15 <sup>th</sup> to 16 <sup>th</sup> June, 2017.
14.	Shri Neeraj Rawat, Assistant Legal Adviser	Vienna (Austria)	To attend three day Congress entitled “Modernizing International Trade Law to Support Innovation and Sustainable Development” hosted by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), from 4 <sup>th</sup> to 6 <sup>th</sup> July, 2017.

15.	Shri Krishan Mohan Arya, Assistant Legal Adviser,	Bangkok, Thailand	To attend the two days Seminar of the UNCITRAL, RCAP, from 4 <sup>th</sup> to 5 <sup>th</sup> September, 2017.
16.	Shri Arpit Anant Mishra, Assistant Legal Adviser	Warsaw (Poland)	To attend the negotiations in Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters between India and Poland, from 7 <sup>th</sup> to 8 <sup>th</sup> September, 2017.
17.	Shri Hemant Kumar, Assistant Legal Adviser	Abu-Dhabi (UAE)	To attend the First round of negotiations on Bilateral Investment Treaty (BIT) between India and UAE, from 25 <sup>th</sup> to 27 <sup>th</sup> September, 2017.
		Ankara (Turkey) and Bern (Switzerland)	To attend two negotiations (i) the first round of Negotiations on Bilateral Investment Treaty (BIT) between India and Turkey, from 8 <sup>th</sup> to 10 <sup>th</sup> November, 2017 and (ii) 2 <sup>nd</sup> round of Negotiations on Bilateral Investment Treaty (BIT) between India and Switzerland, from 13 <sup>th</sup> to 14 <sup>th</sup> November, 2017.
18.	Ms. Arti Chopra, Assistant Legal Adviser	Vienna (Austria)	To attend the Sixty Seventh Session of UNCITRAL Working Group-II (Dispute Settlement) meeting, from 2 <sup>nd</sup> to 6 <sup>th</sup> October, 2017.
19.	Shri Navin Kumar Rajak, Section Officer	Bangkok, (Thailand)	To attend the two days Seminar of the UNCITRAL, RCAP, from 4 <sup>th</sup> to 5 <sup>th</sup> September, 2017.

## CHAPTER - II

### LEGISLATIVE DEPARTMENT

Legislative Department acts mainly as a service provider in so far as the legislative business of the Union Government is concerned. It ensures smooth and speedy processing of legislative proposals of various administrative Departments and Ministries.

#### 1. FUNCTIONS

1.1 The Legislative Department, being a service-oriented Department of the Government of India, is concerned with the following matters, namely :-

- (i) Scrutiny of Notes for the Cabinet in relation to all legislative proposals from drafting angle;
- (ii) Drafting and scrutiny of all Government Bills including Constitution (Amendment) Bills, translation of all the Bills into Hindi and forwarding of both English and Hindi versions of the Bills to the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat for introduction in Parliament; drafting of official amendments to the Bills; scrutiny of non-official amendments and rendering assistance to administrative Ministries/Departments to decide the acceptability or otherwise of non-official amendments;
- (iii) Rendering assistance to Parliament and its Joint/Standing Committees at all stages through which a Bill passes before enactment. This includes scrutiny of, and assistance in, preparation of reports and revised Bills for the Committees;
- (iv) Drafting of Ordinances to be promulgated by the President;
- (v) Drafting of legislation to be enacted as President's Acts in respect of States under President's rule;
- (vi) Drafting of Regulations to be made by the President;
- (vii) Drafting of Constitution Orders, *i.e.* Orders required to be issued under the Constitution;
- (viii) Scrutiny and vetting of all statutory rules, regulations, orders, notifications, resolutions, schemes, etc., and their translation into Hindi;
- (ix) Scrutiny of State legislation in the concurrent field, which require assent of the President under article 254 of the Constitution;
- (x) Scrutiny of legislation to be enacted by the Union territory Legislatures;
- (xi) Elections to Parliament, the Legislatures of States and Union territories and Offices of the President and Vice-President;
- (xii) Apportionment of expenditure on elections between the Union and the States/ Union territories having Legislatures;

- (xiii) Election Commission of India and electoral reforms;
  - (xiv) Administration of the Representation of the People Act, 1950; the Representation of the People Act, 1951; the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;
  - (xv) Matters relating to Chief Election Commissioner and other Election Commissioners under the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;
  - (xvi) Matters relating to the Delimitation of Parliamentary and Legislative Assembly Constituencies.
  - (xvii) Legislation on matters relating to personal laws, transfer of property, contracts, evidence, civil procedure, etc., in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution;
  - (xviii) Imparting training in legislative drafting to the officers of the Union/State Governments, etc.
  - (xix) Publication of Central Acts, Ordinances and Regulations and their authorised translations in Hindi and other languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution and also translation of legal and statutory documents.
  - (xx) Publication of Hindi translation of selected judgments of the Supreme Court and High Courts on cases pertaining to constitutional, civil and criminal laws in the form of law Journals (Patrikas).
- (2) Legislative Department does not have any statutory or autonomous body under its control. It has two other wings under it, namely, the Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan, which are responsible for propagation of Hindi and other Official Languages in the field of law.
- (a) **Official Languages Wing** of the Legislative Department is responsible for preparing and publishing standard legal terminology and also for translating into Hindi, all the Bills to be introduced in Parliament, all Central Acts, Ordinances, Subordinate legislations, etc., as required under the Official Languages Act, 1963. This Wing is also responsible for arranging translation of the Central Acts, Ordinances, etc., into the Official Languages as specified in the Eighth Schedule to the Constitution as required under the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973. The Official Languages Wing also releases grants-in-aid to various registered voluntary organisations engaged in promotion and propagation of Hindi and other regional languages and those organisations, which are directly engaged in the publication of legal literature and propagation of Hindi and other Languages in the field of law.
  - (b) **Vidhi Sahitya Prakashan** is mainly concerned with bringing out authoritative Hindi versions of reportable judgements of the Supreme Court and the High Courts with the objective of promoting the progressive use of Hindi in the legal field. Vidhi

Sahitya Prakashan brings out various publications of legal literature in Hindi. It also holds exhibitions in various States for giving wide publicity to legal literatures available in Hindi and to promote their sales.

## 2. ORGANISATIONAL SET UP

The organisational set-up of the Legislative Department includes the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary & Legislative Counsel, Additional Legislative Counsel, Deputy Legislative Counsel and Assistant Legislative Counsel and other supporting staff. The work relating to legislative drafting in the case of principal legislation and to scrutinising and vetting of subordinate legislation have been distributed among various Legislative Groups. Each Legislative Group is headed by a Joint Secretary & Legislative Counsel or Additional Secretary, who in turn is assisted by a number of Legislative Counsel at different levels. The Secretary of the Legislative Department acts as the Chief Parliamentary Counsel and the Additional Secretary is in charge of all subordinate legislation. The Organisational Chart of the Legislative Department is at **Annexure-X**.

## 3. LEGISLATION

Legislation is one of the major instruments of articulating the policy of the Government. In this context, the Legislative Department plays an important role to secure the policy objectives, which the Government may wish to achieve through legislation.

- (2) Legislative Department not only performs functions as a servicing Department for drafting the legislation initiated by the administrative Ministries and Departments but also initiates legislative proposals in respect of the matters with which it is administratively concerned.
- (3) Legislative Department drafts the Finance Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government every year. This exercise is undertaken in the Legislative Department on the budget proposals being brought before it by the Ministry of Finance. For the purposes of convenience, the various subjects on which Bills are drafted in the Legislative Department at the behest of administrative Ministries/ Departments may be broadly categorised as under:-
  - (a) Constitutional amendments;
  - (b) Economic and corporate laws;
  - (c) Civil Procedure and other social welfare legislation;
  - (d) Repeal of obsolete laws; and
  - (e) Miscellaneous laws
4. During the period from 1<sup>st</sup> January 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017, this Department has examined **100** Notes for the Cabinet/new legislative proposals in consultation with different Ministries/Departments for drafting Bills/Ordinances for introduction in the Houses of the Parliament. A total number of **55** legislative Bills were forwarded to Parliament for introduction during this period.

The list of Bills forwarded to Parliament during this period is as follows:

S. No.	Short Title
1	The Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017
2	The Finance Bill, 2017
3	The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Bill, 2017
4	The Indian Institutes of Management Bill, 2017
5	The Repealing and Amending Bill, 2017
6	The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2017
7	The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2017
8	The Footwear Design and Development Institute Bill, 2017
9	The Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017
10	The Appropriation (Railways) Bill, 2017
11	The Appropriation (Railways) No.2 Bill, 2017
12	The Appropriation Bill, 2017
13	The Appropriation (No.2) Bill, 2017
14	The Indian Institutes of Information and Technology (Amendment) Bill, 2017
15	The Central Goods and Services Tax Bill, 2017
16	The Integrated Goods and Services Tax Bill, 2017
17	The Union Territory Goods and Services Tax Bill, 2017
18	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill, 2017
19	The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017
20	The Constitution (One Hundred and Twenty-third) Amendment Bill, 2017
21	The National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017
22	The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017
23	The Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Bill, 2017
24	The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017
25	The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017



26	The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017.
27	The Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017
28	The State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017
29	The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017
30	The Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017
31	The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017
32	The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Bill, 2017
33	The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Bill, 2017
34	The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Bill, 2017
35	The Appropriation (No.3) Bill, 2017
36	The Appropriation (No.4) Bill, 2017
37	The National Sports University Bill, 2017
38	The Code on Wages Bill, 2017
39	The Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017
40	The Repealing and Amending (Second) Bill, 2017
41	The Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017
42	The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017
43	The Dentists (Amendment) Bill, 2017.
44	The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017
45	The Indian Forest (Amendment) Bill, 2017
46	The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017
47	The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2017
48	The Specific Relief (Amendment) Bill, 2017
49	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017
50	The Appropriation (No.5) Bill, 2017

51	The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017
52	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017
53	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017
54	The Indian Medical Commission Bill, 2017
55	The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2017

5. Out of the Bills which were pending before Parliament and those introduced during the period from 01-01-2017 to 31-12-2017, 33 Bills have been enacted into Acts. The list of the Acts enacted during this period is as follows:-

Sl. No.	Short Title
1	The Payment of Wages (Amendment) Act, 2017 <b>(1 of 2017)</b>
2	The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017 <b>(2 of 2017)</b>
3	The Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017 <b>(3 of 2017)</b>
4	The Appropriation Act, 2017 <b>(4 of 2017)</b>
5	The Appropriation (No.2) Act, 2017 <b>(5 of 2017)</b>
6	The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 <b>(6 of 2017)</b>
7	The Finance Act, 2017 <b>(7 of 2017)</b>
8	The Appropriation (Railways) Act, 2017 <b>(8 of 2017)</b>
9	The Appropriation (Railways) No.2 Act, 2017 <b>(9 of 2017)</b>
10	The Mental Healthcare Act, 2017 <b>(10 of 2017)</b>
11	The Employee's Compensation (Amendment) Act, 2017 <b>(11 of 2017)</b>
12	The Central Goods and Services Tax Act, 2017 <b>(12 of 2017)</b>
13	The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 <b>(13 of 2017)</b>
14	The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 <b>(14 of 2017)</b>
15	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 <b>(15 of 2017)</b>
16	The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 <b>(16 of 2017)</b>
17	The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2017 <b>(17 of 2017)</b>
18	The Taxation Laws (Amendment) Act, 2017 <b>(18 of 2017)</b>

19	The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2017 <b>(19 of 2017)</b>
20	The Footwear Design and Development Institute Act, 2017 <b>(20 of 2017)</b>
21	The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017 <b>(21 of 2017)</b>
22	The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 <b>(22 of 2017)</b>
23	The Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 <b>(23 of 2017)</b>
24	The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017 <b>(24 of 2017)</b>
25	The Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Act, 2017 <b>(25 of 2017)</b>
26	The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 <b>(26 of 2017)</b>
27	The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 <b>(27 of 2017)</b>
28	The Appropriation (No.3) Act, 2017 <b>(28 of 2017)</b>
29	The Appropriation (No.4) Act, 2017 <b>(29 of 2017)</b>
30	The Banking Regulation (Amendment) Act, 2017 <b>(30 of 2017)</b>
31	The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Act, 2017 <b>(Act No.31 of 2017)</b>
32	The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2017 <b>(32 of 2017)</b>
33	The Indian Institutes of Management Act, 2017 <b>(33 of 2017)</b>

## 6. ORDINANCES

The Legislative Department drafted 7 Ordinances which were promulgated by the President under article 123 of the Constitution during the period 1<sup>st</sup> January, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017:

Sl. No.	Short Title
1	The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 <b>(1 of 2017)</b>
2	The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Ordinance, 2017 <b>(2 of 2017)</b>

3	The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 <b>(3 of 2017)</b>
4	The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 <b>(4 of 2017)</b>
5	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Ordinance, 2017 <b>(5 of 2017)</b>
6	The Indian Forest (Amendment) Ordinance, 2017 <b>(6 of 2017)</b>
7	The Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Ordinance, 2017 <b>(7 of 2017)</b>

## **7. REGULATIONS**

Six regulations have been issued under article 240 of the Constitution:

Sl. No.	Short Title
1	The Lakshadweep Panchayats (Amendment) Regulation, 2017 <b>(1 of 2017)</b>
2	The Andaman and Nicobar Islands Entertainment Tax Repeal Regulation, 2017 <b>(2 of 2017)</b>
3	The Dadra and Nagar Haveli Value Added Tax (Amendment) Regulation, 2017 <b>(3 of 2017)</b>
4	The Daman and Diu Value Added Tax (Amendment) Regulation, 2017 <b>(4 of 2017)</b>
5	The Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Amendment Regulation, 2017 <b>(5 of 2017)</b>
6	The Andaman and Nicobar Islands Value Added Tax Regulation, 2017 <b>(6 of 2017)</b>

## **8. CONSTITUTION ORDER**

One Constitution Order has been issued under article 342 of the Constitution:

Sl. No.	Short Title
1	The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 2017

## **9. SUBORDINATE LEGISLATION**

During the period from 1<sup>st</sup> January, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017, the number of statutory rules, regulations, orders and notifications scrutinized and vetted by this Department was 3474.

## 10. REPEAL OF OBSOLETE LAWS

The Repealing and Amending Bill, 2017 was introduced in Lok Sabha on 09/02/2017, proposing to repeal 105 obsolete and redundant Acts, which was passed by the both House of the Parliament and yet to be received from the Parliament for assent of the President.

The Repealing and Amending (Second) Bill, 2017 was introduced in Lok Sabha on 11/08/2017, proposing to repeal 140 obsolete and redundant Acts which was passed by the both House of the Parliament and yet to be received from the Parliament for assent of the President.

## 11. FUNCTIONS OF THE ELECTION COMMISSION

Since the time of independence, free and fair elections are being held as per the principles enshrined in the Constitution and the laws governing elections in India. The Constitution has vested in the Election Commission the superintendence, direction and control of the entire process of conducting elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and Vice President of India.

- (2) Election Commission is a permanent constitutional body. Initially, the Election Commission had only a Chief Election Commissioner. At present, it consists of Chief Election Commissioner and two Election Commissioners. For the first time, two additional Election Commissioners were appointed on 16<sup>th</sup> October, 1989 but they had a short tenure till 1<sup>st</sup> January, 1990. Later, on 1<sup>st</sup> October, 1993, two additional Election Commissioners were appointed. Since then, the multi-member Election Commission has been in operation.
- (3) The Chief Election Commissioner and Election Commissioners are appointed by the President of India. As per the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Conditions of Service) Act, 1991 (11 of 1991), they have tenure of six years, or up to the age of 65 years, whichever is earlier. They enjoy the same status and receive salary and perks as are available to Judges of the Supreme Court of India. The Chief Election Commissioner can be removed from office only in the like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
- (4) Political parties are registered with the Election Commission in terms of section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951). The Election Commission ensures inner party democracy in their functioning by insisting upon them to hold organisational elections at periodic intervals. Political parties registered with the Commission are granted recognition at the State and National levels on the basis of their poll performance at general elections according to criteria specified by it.
- (5) The Election Commission has its independent Secretariat for the work relating to the smooth conduct of elections to Parliament and State Legislatures. Legislative Department is entrusted with the functions as the nodal Department for providing Governmental sanctions.
- (6) In the year 1950, in the matters of election expenses, it was decided by the Central Government in consultation with the State Governments that the expenditure incurred

in relation to the preparation of electoral roll to the Assembly constituencies would be shared on 50:50 basis between the Central Government and State Governments. Further, the expenditure on account of conduct of elections to the House of the People and the State Legislative Assembly would be borne by the Central Government and the concerned State Government and if the election to the House of the People and the State Legislative Assembly are held simultaneously, then, the expenditure would be shared on 50:50 basis between Central and concerned State Government. The initial expenditure will be borne by the respective State Governments and on submission of the audited report, the Central Government's share will be reimbursed.

## 12. ELECTION LAWS AND ELECTORAL REFORMS

Legislative Department is administratively concerned with the following Acts in connection with the conduct of elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and the Vice-President, reform of these laws/rules made there under and matters pertaining/incidental thereto:

- (i) The Representation of the People Act, 1950,
  - (ii) The Representation of the People Act, 1951,
  - (iii) The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952,
  - (iv) The Delimitation Act, 2002,
  - (v) The Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005,
  - (vi) The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010.
- (2) The electoral system of our country, which is also called the first-past-the-post system of elections, has completed sixty eight years. We have covered the journey of these sixty-eight years after India became Republic with glory and exemplary successes in all the fields. This has been the result of the relentless toil and continuous struggle of the millions who have shaped the present and future of this great country with their sweat and blood. Undoubtedly, this journey has not been an easy sail and we have witnessed much turbulence and turmoil during this period. During this period, the political scenario and the electoral process of the country have undergone continuous epoch-making changes. With each election, the complexities of the electoral process and the election management have been increasing. Every single ballot has proved extremely valuable. In such a scenario, allegations and counter-allegations are invariably made. Some inroads by corrupt and criminal elements has posed a challenging task for the conduct of free and fair elections.
- (3) The aforesaid scenario, which has been continuously changing, has necessitated reforms of electoral laws on several occasions. In the light of the experience gained during elections, recommendations of the Election Commission, the proposals from different sources including political parties, eminent men in public life and the deliberations in the Legislatures and various public bodies, the successive Governments have taken a number

of measures, from time to time, to bring about electoral reforms; though need to effect a comprehensive package of electoral reforms cannot be gainsaid.

- (4) On the 16<sup>th</sup> January, 2013 the issue of electoral reforms in its entirety was referred to the Law Commission of India by the Hon'ble Minister of Law and Justice for its consideration, after taking into consideration the reports of various committees in the past, views of the Election Commission and other stakeholders, and to suggest comprehensive measures for changes in the law. After consideration of these entire things, Law Commission of India submitted its 244<sup>th</sup> and 255<sup>th</sup> Report on 'Electoral Reforms' in 2014 and 2015 respectively. At present, the 244<sup>th</sup> and 255<sup>th</sup> Law Commission Reports are under consideration of the Government.

### 13. ELECTRONIC VOTING MACHINE

The Electronic Voting Machine (EVM), the replacement of the ballot box is mainstay in the electoral process. First conceived in 1977 in the Election Commission, the Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL), Hyderabad was assigned the task to design and develop it. In 1979, a proto-type was developed, which was demonstrated by the Election Commission before the representatives of political parties on 6th August, 1980. The Bharat Electronic Ltd. (BEL), Bangalore, another public sector undertaking, was co-opted along with ECIL to manufacture EVMs once a broad consensus was reached on its introduction.

- (2) First time use of EVMs occurred in a bye-election in Kerala in May, 1982. However, the absence of a specific law prescribing its use led to the Supreme Court striking down that election. Subsequently, in 1989, the Parliament amended the Representation of the People Act, 1951 to create a provision for the use of EVMs in the elections. A general consensus on its introduction could be reached only in 1998 and these were used in 25 legislative assembly constituencies spread across three states of Madhya Pradesh, Rajasthan and Delhi. Its use was further expanded in 1999 to 45 parliamentary constituencies and later, in February 2000, to 45 assembly constituencies of the Haryana assembly elections. In the state assembly elections, held in May 2001, in the states of Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and West Bengal, the EVMs were used in all the assembly constituencies. Since then, for every state assembly elections, the Commission used the EVMs. In 2004, in the general elections to the Lok Sabha, the EVMs (more than one million) were used in all 543 parliamentary constituencies in the country. EVMs have been used in all elections since 2004.
- (3) The design and application of EVMs in the elections are considered a significant achievement in global democracy. It has brought more transparency, swiftness, and acceptability in the system. It has also helped in creating a vast pool of election officials well versed in its use. In its evolution, the Commission has issued series of instructions, frequently asked questions, and technical guidelines. A number of judicial pronouncements has also helped in making the EVMs an integral component of our electoral system.

#### 14. EVOLVEMENT AND DISPOSAL OF EVMs FORMATION OF TECHNICAL EXPERT COMMITTEE

ECI-EVMs were endorsed by a technical experts subcommittee appointed by the Government of India at the initiative of the Goswami Committee on Electoral Reforms in 1990. This Committee was headed by Prof. S. Sampath, then Chairman RAC, Defense Research and Development Organization, with Prof. P.V. Indiresan, then with IIT, Delhi and Dr. C. Rao Kasarbada, the then Director, Electronics Research and Development Center, Trivandrum as members. The Commission has been consulting a group of technical experts on all EVM related technical issues. In November, 2010, the Commission has expanded its Technical Expert Committee by including two more experts.

- (2) All the matters, related to up gradation and disposal of EVMs, are consulted with the Technical Expert Committee (TEC) and thereafter a decision in the matter is taken. At present, the Commission has three versions of EVMs in use i.e. Pre-2006, Post-2006 and Upgraded Post-2006. The upgraded Post-2006 (Post-2013) EVMs were used in the General Elections to the House of the People, 2014.
- (3) The details of EVMs, procured till date are as under-

S.No.	Financial year	Total nos. of BU	Total nos. of CU	Total amount paid/ Amount Sanctioned (in Rs.)	Total amount paid/ Amount Sanctioned (in Crores)
1.	2000-01	142631	142631	1499880443	149.99
2.	2001-02	135481	135481	1422900000	142.29
3.	2002-03	190592	190592	2006100000	200.61
4.	2003-04	336045	336045	3530000000	353.00
5.	2004-05	125681	125681	1315400000	131.54
6.	2006-07	250000	250000	2893742332	289.38
7.	2008-09	180000	180000	1900000000	190.00
8.	2009-10	127000	100000	1150000000	115.00
9.	2013-14	382876	251650	2159435745	215.94
	<b>Total</b>	<b>1870306</b>	<b>1712080</b>	<b>17877458520</b>	<b>1787.75</b>



- (3) Further, the approval for procurement of EVMs/VVPAT units in the three financial years has been accorded as under:

Sl.No.	Financial Year	EVM				VVPAT		EVM (BU & CU) & VVPAT
		BU Qty	Basic Cost @ Rs.7700/-	CU Qty	Basic Cost @ Rs.9300/-	VVPAT Qty	Basic Cost @ Rs.16000/-	Total Basic Cost
1	2	3	4=(3x7700)	5	6=(5x9300)	7	8=(7x16000)	9 =(4+6+8)
1	2016-17	550000	4235000000	545000	5068500000	443000	7088000000	16391500000
2	2017-18	410000	3157000000	314000	2920200000	510000	8160000000	14237200000
3	2018-19	435306	3351856200	71716	666958800	662066	10593056000	14611871000
	<b>2016-19</b>	<b>1395306</b>	<b>10743856200</b>	<b>930716</b>	<b>8655658800</b>	<b>1615066</b>	<b>25841056000</b>	<b>45240571000</b>

## 15. STATUS FOR THE PROGRESS OF ELECTIONS PHOTO IDENTITY CARDS (EPIC)

The use of electors' photo identity cards issued by the Election Commission is slowly and surely making the electoral process simple, smoother and quicker. A decision was taken by the Election Commission of India in 1993 to issue photo identity cards to electors throughout the country to check bogus voting and impersonation of electors at elections. The electoral roll is the basis for issue of EPICs to the registered electors. The electoral rolls are normally revised every year with 1<sup>st</sup> January of the year as the qualifying date. Every Indian citizen who attains the age of 18 years or above as on that date is eligible for inclusion in the electoral roll and can apply for the same. Once he is registered in the roll, he would be eligible for getting an EPIC. The scheme of issuing the EPICs is, therefore, a continuous and ongoing process for the completion of which no time limit can be fixed as the registration of electors is a continuous and ongoing process (excepting for a brief period between the last date for filing nomination and completion of electoral process) on account of more number of persons becoming eligible for the right of franchise on attaining the age of 18. The Commission's continuous effort is to provide the EPICs to the electors who have been left out in the previous campaigns as well as the new electors. The Election Commission, which is in overall charge of implementation of the scheme of issuance of photo identity cards to electors has been monitoring its progress on regular basis.

- (2) It has been the endeavor of the Election Commission to achieve the target of 100% coverage under the EPIC scheme, as far as practicable, in a time-bound manner. No standard time period is defined by the Commission for issue of EPIC. However, constant efforts are being made to issue EPIC to all such persons whose names have already been enrolled in the electoral roll:-
- (i) Special photography campaigns are organized to make EPIC of all voters.
  - (ii) Photographs of electors in the cases where these are not available in the electoral database are collected/taken by conducting a special drive from time to time.

- (iii) Booth Level Officers are appointed by the Commission to collect photographs and make EPIC of all voters;
- (iv) 25<sup>th</sup> January has been declared as the National Voters' Day so as to ensure hassle free enrolment and issue of EPIC to all newly registered electors.
- (3) Latest data (2017) in respect of coverage of EPIC in States/UTs, available in the Commission is given below:-

**STATEMENT SHOWING THE STATUS OF EPIC, 2017**

S. No.	Name of the State	EPIC %
1	Andhra Pradesh	100.00
2	Arunachal Pradesh	99.60
3	Assam	96.21
4	Bihar	100.00
5	Chhattisgarh	97.97
6	Goa	99.71
7	Gujarat	100.00
8	Haryana	100.00
9	Himachal Pradesh	100.00
10	Jammu & Kashmir	92.91
11	Jharkhand	99.79
12	Karnataka	100.00
13	Kerala	100.00
14	Madhya Pradesh	100.00
15	Maharashtra	95.81
16	Manipur	100.00
17	Meghalaya	100.00
18	Mizoram	100.00
19	Nagaland	98.20
20	Orissa	98.15
21	Punjab	100.00

22	Rajasthan	99.13
23	Sikkim	100.00
24	Tamil Nadu	99.91
25	Telangana#	100.00
26	Tripura	100.00
27	Uttarakhand	100.00
28	Uttar Pradesh	99.98
29	West Bengal	100.00
30	Andaman & Nicobar Islands	98.88
31	Chandigarh	100.00
32	Dadra and Nagar Haveli	100.00
33	Daman and Diu	100.00
34	National Capital Territory of Delhi	100.00
35	Lakshadweep	100.00
36	Puducherry	100.00
	<b>ALL India</b>	<b>99.28</b>

#Data of 2015 in Telangana

## 16. VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL (VVPAT)

In a meeting of all political parties held on 4th October, 2010, the parties expressed satisfaction with the EVM but some parties requested the Commission to consider introducing Voter Verifiable Paper Audit Trail for further transparency and verifiability in poll process. The Commission referred the matter to its Technical Expert Committee on EVMs for examining and making a recommendation in this regard. The Expert Committee had several rounds of meeting with the manufacturers of EVM, namely, BEL & ECIL, on this issue and then had met the political parties and other civil society members to explore the design requirement of the VVPAT system with the EVM. Election Commission has informed vide letter dated 26<sup>th</sup> December, 2016 that after considering various aspects, Election Commission of India has identified two CPSUs i.e. ITI Ltd, Bangalore and CEL, Ghaziabad besides BEL and ECIL for manufacturing of VVPATs.

- (2) The Government of India notified the amended Conduct of Elections Rules, 1961 on 14<sup>th</sup> August, 2013, enabling the Commission to use VVPAT with EVMs. The Commission used VVPAT with EVMs first time in bye-election from 51-Noksen (ST) Assembly Constituency of Nagaland. Thereafter, VVPAT units were used in selected constituencies in every

election to Legislative Assembly and 8 Parliamentary Constituencies in General Election to the House of the People-2014. The Election Commission has used VVPAT units in all constituencies in the assembly elections recently held in Gujarat and Himachal Pradesh in November- December 2017.

- (3) The Commission has placed orders for supply of 16.15 Lakh VVPAT units on the manufacturers namely; M/s. Bharat Electronics Limited, Bangalore and M/s. Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad for use in all constituencies in General Election, 2019.

### **17. FACTS OF VVPAT**

Voter Verifiable Paper Audit Trail is an independent system attached with the Electronic Voting Machines that allows the voters to verify that their votes are cast as intended. When a vote is cast, a slip is printed containing the serial number, name and symbol of the candidate and remains exposed through a transparent window for 7 seconds. Thereafter, this printed slip automatically gets cut and falls in sealed drop box of the VVPAT.

### **18. COURT CASES INVOLVING ELECTION LAWS**

Legislative Department, being administratively in-charge of election laws has also to handle various court cases involving validity of election and election laws. In the beginning of the year 2017, there were 245 cases pending in the Supreme Court and different High Courts on election related matter. During the said year, 30 fresh cases were received, in which para-wise comments, counter affidavits and appropriate instructions, respectively, have been conveyed to the concerned Government Counsel. During said period 8 cases have been disposed of. Now, there are about 267 cases pending before the Supreme Court and various High Courts. All cases are being effectively monitored.

### **19. CONDUCT OF PARLIAMENTARY WORK**

During the year 2017-18, the Legislative Department, which has been allocated the job of coordination/conduct of Parliamentary business of the Ministry of Law and Justice, handled the following work:-

<b>S.No.</b>	<b>Item of Business</b>	<b>Figures for the Ministry of Law and Justice.</b>
1.	Lok Sabha Questions	207
2.	Rajya Sabha Questions.	169
3.	Private Members' Bill in Lok Sabha.	34
4.	Private Members' Bills in Rajya Sabha	8
5.	Private Members' Resolutions	2
6.	Calling Attention Notices in Rajya Sabha.	2

7.	Short Duration Discussion in Lok Sabha.	1
8.	Matter raised during Zero Hour	13
9.	Matter raised under Rule 377 in Lok Sabha.	6
10.	Special Mention in Rajya Sabha.	8

## **20. CONSULTATIVE COMMITTEE:**

The Consultative Committee of Members of Parliament attached to the Ministry of Law and Justice was constituted on the 16<sup>th</sup> September, 2009 with 15 Members under the Chairmanship of Hon'ble Minister of Law and Justice. During the year 2017, two meetings of the Consultative Committee attached to this Ministry were held on 30<sup>th</sup> March, 2017 and 16<sup>th</sup> November 2017.

## **21. THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT ) BILL, 2017:-**

As per the existing provisions of section 20A of the Representation of the People Act, 1951 and rules made there under, a Non-Resident Indian (NRI) who wishes to cast his vote has to be present in his constituency at the time of election and that the said provisions do not allow for the mode of external voting which is in vogue in some other countries. A proposal for introduction of voting by proxy for overseas electors has been approved by the Cabinet in its meeting held on 2<sup>nd</sup> August, 2017. A Bill in this regard has been introduced in Lok Sabha on 18<sup>th</sup> December, 2017.

## **22. LEGISLATION UNDER CONCURRENT LIST**

As per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the following subjects which fall within List III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution as regards legislation only has been allocated to this Department:-

- (a) marriage and divorce, infants and minors, adoption, wills, intestate and succession, joint family and partition;
- (b) transfer of property other than agricultural land (excluding benami transactions, registration of deeds and documents);
- (c) contracts, but not including those relating to agricultural land;
- (d) actionable wrongs;
- (e) trusts and trustees, administrators-General and Official Trustees;
- (f) evidence and oaths;
- (g) civil procedure including limitation and arbitration.
- (h) charitable and religious endowments and religious institutions.

### **23. REPORTS OF THE LAW COMMISSION OF INDIA**

At present, 41 Reports of the Law Commission of India on personal laws and on certain subjects mentioned in List III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, with which this Department is administratively concerned are pending. The recommendations of the Commission are being examined in consultation with the concerned Ministries/Departments of Central Government, State Governments/ Union territories.

### **24. JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE ON OFFICE OF PROFIT**

The Joint Committee on Office of Profit, which is constituted during the tenure of each Lok Sabha (since the Second Lok Sabha), undertakes the work of continuous scrutiny in respect of nature, character and composition of Offices of Profit, statutory and non-statutory bodies under the Government of India or any State Government with a view to recommending to the Government of India for amending the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

- (2) A Joint Committee of the Parliament was constituted to examine the constitutional and legal provisions relating to offices of profit during the 16<sup>th</sup> Lok Sabha. So far, views of the Department on 12 issues have been provided to the Committee. Besides, this Department has provided the Committee, evidence relating to 2 cases during the period of report.

### **25. THE SPECIFIC RELIEF (AMENDMENT) BILL, 2017**

As part of the Government's endeavour to ease doing business, a Bill, namely, *the Specific Relief (Amendment) Bill, 2017* has been introduced in the Lok Sabha on 22<sup>nd</sup> December, 2017. The proposal relates to making specific performance a rule than exception, among other proposals.

### **26. THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) BILL, 2017**

Consequent to the judgement of the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of *Shayara Bano Vs Union of India and others*, a Bill namely, Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017, was introduced in the Lok Sabha and passed by it on 28<sup>th</sup> December, 2017. The Bill envisages certain rights of Muslim women on marriage. The Bill is pending for consideration of the Rajya Sabha.

### **27. PETITIONS AND OTHER COURT CASES RELATING TO PERSONAL LAWS AND OTHER SUBJECTS**

The Legislative Department, being in-charge of personal laws and matters relating to List III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, such as, the Contract Act, 1872, the Evidence Act, 1872, the Indian Trust Act, 1882, the Transfer of Property Act, 1882, the Partition Act, 1893, the Code of Civil procedure, 1908, the Limitation Act, 1963, etc.; and also relating to office of profit, handled various petitions and other court cases in the Supreme Court and different High Courts. During the period from 1<sup>st</sup> January, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017, fourteen (14) fresh cases have been received. Parawise comments, counter affidavits have been prepared and conveyed to the Government Counsel.

## 28. LEGISLATIVE PROPOSALS FOR STATES

Legislative proposals from various States relating to the subjects falling under concurrent list of the Constitution and allocated to this Department, which, by virtue of the provisions of clause (2) of article 254 of the Constitution, require assent of the President, are scrutinised in the Department. During the period from 1<sup>st</sup> January, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017, 80 references relating to State Bills/Ordinances have been scrutinised and provided views to the Ministry of Home Affairs.

## 29. INSTITUTE OF LEGISLATIVE DRAFTING AND RESEARCH (ILDR)

Legislative drafting is a specialised job which involves drafting skills and expertise. Apart from in depth knowledge of laws and their regular updation, continuous and sustainable efforts are required to enhance the skills of legislative drafting. The Officers of the Central Government, State Governments and Union territory Administrations dealing with legislative proposals and the students of law need training and orientation to develop the aptitude and the skills in legislative drafting.

- (2) In January, 1989, with a view to increase the availability of trained officers to deal with legislative proposals as also trained Legislative Counsel in the country, the Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR) was established as a Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice. Till now more than 700 officers from Central Government, State Governments and Union territory Administrations have been benefitted with the various training programmes conducted by the ILDR.
- (3) Since its inception, the ILDR has been imparting theoretical as well as practical training in Legislative drafting to Officers of the Central Government, State Governments and Union territory Administrations, and the students of law. At present Secretary, Legislative Department Dr. G. Narayana Raju, is the course Director of ILDR, who also functions as the controlling officer of the Institute.
- (4) The ILDR conducts the following courses, namely:-
  - (i) Basic Course in Legislative Drafting for the Law Officers of the State Governments and Union territory Administrations;
  - (ii) Appreciation Course in Legislative Drafting for the officers of the Central Government dealing with legislative proposals;
  - (iii) Voluntary Internship Scheme for students of law. This Scheme is intended to motivate students in creating interest in legislative drafting skills and secure knowledge about the nature and working of the Legislative Department.
- (5) The following activities have been performed by ILDR during the period 2017-2018 -
  - (i) Twenty-Ninth Basic Course in Legislative Drafting from 4<sup>th</sup> July, 2017 to 29<sup>th</sup> September, 2017;

- (ii) Twentieth Appreciation Course in Legislative Drafting from 6<sup>th</sup> February, 2017 to 20<sup>th</sup> February, 2017 .
  - (iii) Imparted training to the trainees of Thirty Second International Training Programme in Legislative Drafting course conducted by the Bureau of Parliamentary Studies and Training, Lok Sabha Secretariat from 27<sup>th</sup> February, 2017 to 3<sup>rd</sup> March, 2017.
  - (iv) Voluntary Internship programme to students of law which is open throughout the year.
- (6) During the year 2017-2018, 19 trainees were benefitted by the Basic Course and 49 officers got the training in Appreciation Course. More than 54 students were given opportunities to undergo the Voluntary Internship Scheme.
- (7) ILDR has been awarded ISO 9001:2008 Certification on the basis of evaluation of the working of Quality Management System.

### **30. E-GOVERNANCE INITIATIVES**

- (i) Open Source Content Management Framework: As part of the Digital India Programme, the Legislative Department has accepted to adopt and migrate to the said Open Source Content Management Framework (CMF) through the National Informatics Centre (NIC) so as to make the Department's website more citizen friendly which are in the process is in the final stages of completion and hosting. The Open Source Content Management Framework is being adopted with the objective of improving the Government Department's websites so as to enable migrate to a dynamic portal automatically, making available certain special features like Mobile Friendliness, Text Speech Enablement, Language Translation/ Transliteration, Payment Gateway Enablement and Visitor Analytic Dashboard, etc. The CMF website has been soft launched on 15<sup>th</sup> May, 2017, and presently the CMF Team of NIC is pursuing procuring of Standard Testing Quality Certification (STQC) Certificate for the same.
- (ii) Implementation of e-Office: Implementation of e-Office, as part of good governance and being an important part of the Mission Mode Projects of the Government, is under active consideration of the Department. It has been decided to implement e-Office Premium in the Legislative Department, provided by National Informatics Centre (NIC)/ National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI). E-Office Premium is a standard product and is a re-useable one which is amenable to replication across the Ministries/Departments of the Government. The project will be implemented with the assistance of NICSI. The Legislative Department has received the proposal from NICSI to implement e-Office. Necessary administrative approval on the said proposal has been obtained and presently the same is being processed for obtaining financial approval. Once financial approval is received, steps will be taken in coordination with NIC and NICSI to start implementation of the project in the Department in a phased manner as per the schedule provided by NICSI in its proposal.
- (iii) Migration of internet protocol from IPv4 to IPv6: Necessary steps have been taken by the Legislative Department in coordination with NIC Cell for conversion of the internet protocol of the computer systems installed in the Department from IPv4 to IPv6. NIC Cell



examined the matter and has conveyed that all network routers in this Department's LAN have been made IPv6 compatible by replacing all non-manageable Hubs by Manageable Switches. On receipt of the preparedness report from the Network Administrator, NIC Head Quarters, NIC Cell will undertake pilot test network regarding IPv6 migration.

- (iv) Cyber Security Instructions to thwart any possible cyber attack in the Legislative Department: The Cyber Security Instructions as provided by the Government to sensitise the officers and staff of the Legislative Department on the continuing threat of data pilferage, hacking and similar cyber attacks by non-State entities have been circulated for strict adherence in order to thwart any possible cyber attack and secure the Department's website.

### 31. RTI APPLICATIONS

Consequent upon the enactment of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Legislative Department constituted a Right to Information Cell with effect from the 12th August, 2005 with one Appellate Officer, One Central Public Information Officer and one Central Assistant Public Information Officer. At Present Shri Udaya Kumar, Joint Secretary & Legislative Counsel, Shri S.K. Chitkara, Deputy Secretary and Ms. Vidyawati, Under Secretary are functioning as the Appellate Authority, Central Public Information Officer and Central Assistant Public Information Officer respectively. This Department has launched a separate webpage under the caption "Right to Information" on the Department's official website and maximum information pertaining to this Department have been disseminated therein in consonance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 so as to ensure the object of proactive disclosure of information envisaged under the said Act. Further, contact E-mail addresses have been created in coordination with the NIC Cell for Appellate Authority and Central Public Information Officer of this Department, so as to make this Department's website more user friendly for the public to utilise the provisions of the said Act. The contact e-mail address of the Appellate Authority is [aa-rti-legis@nic.in](mailto:aa-rti-legis@nic.in) and that of the Central Public Information Officer is [cpio-rti-legis@nic.in](mailto:cpio-rti-legis@nic.in).

- (2) Keeping in view, the various provisions of RTI Act, 2005, the applications received from the applicants are thoroughly examined and the available information collected from the concerned administrative units of the Legislative Department is provided to the applicants. Also, the applications which contain the subject matter pertaining to other Ministries/ Departments of the Central Government are promptly transferred to the concerned Ministries/Departments in consonance with the relevant provisions of the said Act. Further, in case of first appeals, the same are independently examined by the Appellate Authority and disposed of within the prescribed time limit. During 2017-18 (1<sup>st</sup> April, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017) Five hundred ninety nine (599) applications seeking information under the said Act were received, which were promptly attended to by giving due reply to the applicants as per the provisions of the RTI Act, 2005 and the rules made thereunder. Fifty eight (58) first appeals preferred before the Appellate Authority which were duly disposed of on merits during the period of 1<sup>st</sup> April, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017. As per the trends of inflow of applications, it is expected that some 300 more applications are expected during the remaining three months of 2017-2018. On account of handling of RTI applications, this Department has earned Rs.3915/- towards application fee and photo copying charges till December, 2017.

## 32. CORRECTION SECTION

### (1) Maintenance of Central and State Codes

The Correction Section is responsible for maintenance and updation of the Central legislations, the Constitution of India and Orders issued thereunder, Manual of Election Laws, Central Ordinances, Regulations, President's Acts and compilation of State Acts for the use of officers in the Ministry of Law and Justice. The amendments made by the amending Acts passed by Parliament during the Budget Session, Monsoon Session and Winter Session 2017, have been incorporated in the master copies of India Code Volumes. This is an ongoing exercise. Out of the twenty-nine States, this Section has received the State Acts from twelve States for the year 2017, namely, Andhra Pradesh, Assam, Goa, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Telangana, Delhi, Jammu and Kashmir and West Bengal. This Section maintains master copies of the India Code, which contains unrepealed Central Acts for reference by the Ministers-in-charge, officers in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) and the Law Officers of the Government of India. These are valuable reference books and are also used for publishing the revised editions of Acts of Parliament by the Central Government. The Central Acts from 1947 to 2016 have been updated in the master copies of the India Code and also uploaded in the official website of this Department upto the year 2017. Updation of Central Acts prior to 1947 is under process. Index to Central Acts both Alphabetical and Chronological (Chronological table) have also been made available on the official website of Legislative Department under the heading Legislative References at [www.lawmin.nic.in](http://www.lawmin.nic.in)

(2) During the year 2017, Correction Section has downloaded Gazette copies of thirty-three Acts of Parliament (including Ordinances, Appropriation Acts and Finance Act) and one Constitutional Amendment Act from the official website i.e. [www.egazette.nic.in](http://www.egazette.nic.in). Out of the above, 13 are Principal Acts, 13 are Amendment Acts and 7 are Ordinances promulgated by the President of India.

#### A. Principal Acts downloaded during the year (excluding Appropriation Acts and Finance Act):

1. The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017 (2 of 2017)
2. The Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017)
3. The Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)
4. The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017)
5. The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017)
6. The Goods and Services Tax(Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017)
7. The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (16 of 2017)

8. The Footwear Design and Development Institute Act, 2017 (20 of 2017)
9. The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act (22 of 2017)
10. The Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017)
11. The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (26 of 2017)
12. The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (27 of 2017)
13. The Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017)

**B. Amendment Acts including one Constitution Amendment Act downloaded during the year:**

1. The Payment of Wages (Amendment) Act, 2017 (1 of 2017)
2. The Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017 (3 of 2017)
3. The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 (6 of 2017)
4. The Employee's Compensation (Amendment) Act, 2017 (11 of 2017)
5. The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2017 (17 of 2017)
6. The Taxation Laws (Amendment) Act, 2017 (18 of 2017)
7. The National Institutes of Technology, Science Education and Research Amendment Act, 2017 (19 of 2017)
8. The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017 (21 of 2017)
9. The Right of Children to free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017 (24 of 2017)
10. The Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Act, 2017 (25 of 2017)
11. The Banking Regulation (Amendment) 2017 (30 of 2017)
12. The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) (Amendment) Act, 2017(31 of 2017)
13. The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2017 (32 of 2017)

**C. Ordinances promulgated by the President of India during the year:**

1. The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017.
2. The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Ordinance, 2017.
3. The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017.
4. The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017
5. The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Ordinance, 2017.
6. The Indian Forest (Amendment) Ordinance, 2017.
7. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017.

- (3) Based on the above mentioned Acts of Parliament, the amendments have been carried out in the Master copies of the principal Acts. During the year 2017, the Acts which have been brought into force by the respective administrative Ministries, date of enforcement and their Notification Numbers have been entered at the relevant places of Master copies of the respective Acts. Correction Section has uploaded all Principal Acts and all amendment Acts including Finance Act of 2017 in the India Code portal and official website of this Department.

**33. GAZETTE NOTIFICATION**

According to Ministry of Urban Development, (PSP Division) O.M. dated 25 February, 2016 all the Gazette Notifications and Acts of Parliament for the year 2016-17 shall be e-published by uploading on the official website i.e. [www.egazette.nic.in](http://www.egazette.nic.in). The Gazette copies of the same have been downloaded, arranged and entered in the respective folders.

**34. STATE ACTS**

During the year 2017, total 259 State Acts and 69 Ordinances were received from different States. All Acts and Ordinances have been entered in the relevant registers and folders.

**35. PRINTING SECTION**

The Printing Sections of the Legislative Department, namely, the Printing I and Printing II, undertake the processing of legislation for printing at various stages. These two Sections handle the work relating to the editing of manuscripts of the Bills (including preparation of contents and annexures, wherever required), Ordinances, Regulations, Adaptation Orders, Orders issued under the Constitution of India, Delimitation Orders and other statutory instruments before sending them to Press. Proofs of the Bills, etc., are checked at multiple stages and after approval, the same are sent to Legislative I Section, which forwards them to Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats for printing

of 'To be introduced in Lok Sabha/Rajya Sabha' stage copies. The Bills, which are required to be introduced at a short notice are also got printed by the Printing Sections on behalf of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats. Subsequently, the printed copies of the Bills are examined at various stages, namely, 'To be/As introduced' stage, 'As passed by Lok Sabha/Rajya Sabha' stage, 'As passed by Both the Houses' stage, 'Assent Copy' stage, 'Signature Copy' stage and at last, after assent of the President, the Act is checked and processed for publication in the Official Gazette. Immediately thereafter, the Act is prepared and edited again for publishing the same as A-4 stage copy for public sale. Proofs of the A-4 size copies of the Acts are again scrutinised and approved before returning to the Government Press for final printing and the printed copies of the Acts are checked for errata and released for sale.

- (2) Besides, the editing and proof-checking of various other publications like the Constitution of India, Manual of Election Laws, India Code, Acts of Parliament, updated diglot editions of the Central Acts, etc., are also undertaken by the Printing Sections, as per departmental requirements.
- (3) During the period from 1<sup>st</sup> January, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017, the following tasks were undertaken by the Printing I and Printing II Sections:-
  - (a) edited manuscripts, checked the proofs and scrutinised 89 Bills, 7 Ordinances, 6 Regulations and 33 Gazettes;
  - (b) checked 183 Acts of computer printout of India Code;
  - (c) checked proof, read printed copies of 17 Diglot modified editions of Central Acts.

### **36. GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (GSRO) SECTION**

The revised edition of the Central Acts is published by the Legislative Department and the subordinate legislations made under the Acts are published by the administrative Ministry/ Department concerned.

- (2) The subordinate legislations, namely, consisting of general statutory rules and orders, notifications, etc., under an enactment is prepared and issued by the Ministry or Department which is administratively concerned with the Act, after vetted by the Legislative Department. Pursuant to the recommendations of the Parliamentary Committee on Subordinate Legislation, a scheme for maintaining subordinate legislation up-to date and making the same available expeditiously to the public was formulated. The administrative Ministries are required under the said scheme, to maintain folders, containing up-to date copies of rules, orders and notifications issued by them.
- (3) The Rajya Sabha Committee on subordinate Legislation in its 135<sup>th</sup> Report has recommended that Ministries, as part of their e-governance initiative may, put all legislation on their websites, preferably bilingually. The Committee has further recommended that the Ministry of Communication and Information Technology would develop standard application software with an internet interface for use in all Ministries, which would provide a searchable database of subordinate legislation linked to the principal Acts, administered by the respective Ministry.

- (4) The General Statutory Rules and Orders (GSRO) Section maintains alphabetical registers of General Statutory Rules and Orders (GSRO) issued by the various Ministries/Departments published in the Gazette of India and also compiles them in book form for official use. Entries of various notifications have been made in the alphabetical registers relating to Part-II, Section 3, Sub-sections (i) and (ii) of various Ordinary and Extraordinary Notifications upto the month of December, 2015.
- (5) The General Statutory Rules and Orders (GSRO) Section has during the year 2017 sorted out the Gazette notifications relating to subordinate legislation issued by various Ministries/Departments under Part-II, Section 3, Sub-sections (i) and (ii), both pertaining to Ordinary and Extraordinary notifications upto the month of December, 2015 and bounded in book forms.
- (6) The Gazette notifications issued by various Ministries/Departments under Part-II, Section 4 and Part-III, Section 4 both pertaining to Ordinary and Extraordinary notifications for the period upto 2016 have been sorted out and under process for the book forms.
- (7) During the year 2017, the General Statutory Rules and Orders (GSRO) Section has received notifications upto the month of May, 2015.

### **37. INTEGRATED FINANCE AND BUDGET AND ACCOUNTS SECTION (IFD)**

The Integrated Finance and Budget and Accounts Section is responsible for the work relating to preparation of Budget Estimates and Revised Estimates for all the three Departments of the Ministry of Law and Justice, namely, Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Justice and also for various autonomous bodies such as ITAT, NALSA, Supreme Court Legal Association etc. Further, the work relating to finalisation of Budget, Pre-Budget Discussion and seeking supplementary/ additional funds are also looked after by this Section. The preparation of the Detailed Demands for Grants of the whole Ministry and compiling of Election Commission of India and Supreme Court of India is also done by Budget and Accounts Section. Apart from this, the Section is also dealing with the proposals which involve financial implications for concurrence of Financial Advisor and wherever specific opinion is required to be taken from the Ministry of Finance. The work relating to Parliamentary Standing Committee on Demands for Grants for the Ministry of Law and Justice is also co-ordinated by this Section.

- (2) IF&B&A Section is also responsible for the work relating to provisional release of funds to the States/Union territories (having Legislatures) on account of Election related expenditure.

### **38. PUBLICATION SECTION**

Publication Section brings out, from time to time, modified editions of the Central Acts and other important publications like the Constitution of India, Manual of Election Law, Orders issued under the Constitution of India, Index to Central Acts in Chronological orders, Index Statutory Definitions, etc.

- (2) Manuscript of the Constitution of India (English version) incorporating the latest amendments is compiled, scrutinised and vetted for being published.
- (3) Manuscript for publication of the Manual of Election Laws (two volumes) is under process.
- (4) Manuscripts (English version) of thirteen Acts duly incorporating the up to date amendments have been prepared and forwarded to Official Languages Wing for necessary action. Publication of certain Central Acts are under process at different stages of printing, which is as follows:-

1. Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (Act No. 1 of 2014)	Reading of IInd Proof
2. Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003)	IInd Proof called
3. Indian Penal Code ( Act No. 45 of 1865 )	IInd proof called
4. Juvenile Justice (Care and Protection of Children Act, 2015 ( Act No. 2 of 2016 )	IInd Proof called
5. Passport Act, 1967 (Act No. 15 of 1967 )	Ist Proof called
6. The Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No.49 of 1988)	Ist Proof called
7. The Arms Act, 1959 (Act No. 54 of 1959)	Ist Proof called
8. The Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Act No. 35 of 2009)	IIIrd Proof called
9. The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Act No. 32 of 2012 )	IInd Proof called

### 39. THE OFFICIAL LANGUAGE SECTION

The Official Language Section of the Legislative Department is administratively responsible for the implementation of the Official Language Policy of the Union of India, the Official Language Act, 1963 and the Official Language Rules, 1976. This Section is also responsible for increasing the progressive use of Hindi for official purposes of the Union of India in addition to translation work from English to Hindi and vice-versa.

#### (2) Implementation of the Constitutional and other provisions of the Official Language Policy

- (i) During the period from 1 January, 2017 to 31 December, 2017 the Legislative Department has taken the following steps to implement the Official Language Policy in all its manifestations:-

As per the provisions of the Official Language Rules 1976 , at present, more than 89% , 81% and 64.5% letters to regions ‘A’, ‘B’ and ‘C’ are being sent in Hindi respectively. Constant efforts are being made to achieve the targets stipulated in the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The replies to the letters, applications, representations etc. received in Hindi are being sent invariably in Hindi. The same received in English are also being answered in Hindi as per Official Language Policy. All the Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative Reports, other Reports, Contracts, Notices and the Documents laid before Parliament are prepared and issued bilingually as per sub-section(3) of section 3 of the Official Language Act, 1963 .

- (ii) Legislative Department was notified on 29<sup>th</sup> April, 1979 under sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language Rules, 1976 for conducting the official business in Hindi. The officers and employees who are proficient in Hindi have been directed to submit the drafts etc. only in Hindi. For this purpose, 17 sections out of 31 have been specified to transact the official work in Hindi, under sub-rule (4) of rule 8 of the Official Language Rules, 1976.

**(3) The Quarterly Progressive Reports for the Progressive Use of Official Language Hindi:**

The Quarterly Progressive Reports of Hindi are regularly sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Through these Reports, position of employees regarding Hindi training and their overall work in Hindi is reflected and it is ensured that the percentage of correspondence as well as noting and drafting in Hindi increases as per the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

**(4) Meetings of the Official Language Implementation Committee:**

An Official Language Implementation Committee has been constituted in this Department under the Chairmanship of Joint Secretary and Legislative Counsel (OL Wing). The meeting of this Committee is held once in every three months regularly to assess the progressive use of Hindi for official purposes. The agenda and minutes of these meetings are sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The minutes are also circulated to all the officers and Sections of the Department for compliance. Quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee were held during the year on 27<sup>th</sup> **March, 2017 (I)**, 27<sup>th</sup> **June, 2017 (II)**, 28<sup>th</sup> **September, 2017 (III)** and 28<sup>th</sup> **December, 2017 (IV)** respectively. This Committee provides effective means to identify problems and suggests the solutions with regard to the progressive use of Hindi. In the meetings of this Committee, the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for transacting the official work of the Union in Hindi, is also discussed and every effort is made to achieve the prescribed targets therein. The orders, circulars, directives, notifications, resolutions, recommendations etc., regarding the implementation of Official Language Policy of the Union of India are also discussed in these meetings.



**(5) The Hindi Advisory Committee of the Ministry.**

As per the guidelines issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, the Hindi Advisory Committee of the Ministry was constituted on 4<sup>th</sup> August, 1967 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Law and Justice. This Committee has jointly been constituted for Department of Legal Affairs and Legislative Department. The Committee comprises Hon'ble Members of Parliament, nominated by Ministry of Parliamentary Affairs and the Committee of Parliament on Official Language, the nominees of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, nominees of prominent All India Hindi Voluntary Organizations, nominees of the Ministry of Law and Justice and those of Department of Official Language as non-official members. The Secretaries, Additional Secretaries and the concerned Joint Secretaries of the Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Official Language are the official members of this Committee.

After formation of the 16<sup>th</sup> Lok Sabha, the committee has been reconstituted and its first meeting has been held in Udaipur, Rajasthan on 7<sup>th</sup> July, 2015.

**(6) Hindi Training:**

This Department nominates its officers/employees for the various training courses of Hindi conducted by Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. These Hindi Language Courses are *Prabodh*, *Praveen* and *Pragya*. There are training courses for Hindi typing and Hindi Shorthand also. The nomination to these Hindi courses is a continuous process as the officers/employees get recruited, promoted and transferred on regular basis.

**(7) Hindi Fortnight:**

A 'Hindi Fortnight' from **11<sup>th</sup> September to 25<sup>th</sup> September, 2017** was organized in this Department. Various Hindi competitions were held during this period and a large number of officers and employees participated in these competitions. Out of these, two competitions were organized exclusively for non-Hindi speaking personnel. There were first, second, third and consolation prizes of Rs.3500/-, Rs.2500/- Rs.2000/- and Rs.700/- respectively. Amount of Rs.81,600/- is sanctioned to be given to the winners of these competitions.

**(8) Incentive Schemes for working in Hindi:**

There are three incentive schemes in operation in this Department for the progressive use of Hindi as directed by O.L. Department. This year, applications are received only for the original noting and drafting in Hindi under which prizes are to be given to ten employees. Apart from these schemes, officers & employees are granted cash prizes and advance increments on passing the Hindi Training Courses of Hindi Language, Hindi shorthand and Hindi typing conducted by the Hindi Teaching Scheme.

**(9) Committee of Parliament on Official Language.**

The Committee of Parliament on Official language was set up in 1976 to monitor and give suggestions for the progressive use of Official Language Hindi in Central Government

Ministries/ Departments and their offices. As far as Legislative Department is concerned, orders issued by the Department of Official Language, based on the recommendations of this Committee are being implemented.

#### **40. OFFICIAL LANGUAGES WING**

##### **(1) FUNCTIONS**

The Official Languages Wing is a successor Organisation of the Official Languages (Legislative) Commission under the Legislative Department. It has been entrusted with the following functions :-

- (i) Preparation and publication of a standard legal terminology for use, as far as possible, in all Official Languages;
- (ii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President;
- (iii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Rules, Regulations and Orders made by the Central Government under any Central Act or any Ordinance or Regulation promulgated by the President;
- (iv) Preparation of authoritative texts of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President in the respective Official Languages of the States and to arrange for the translation of all Acts passed and Ordinances promulgated in any State into Hindi, if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi; and
- (v) Translation into Hindi of deeds, legal documents like contracts, agreements, leases, bonds, mortgages etc. of different Departments;
- (vi) Translation into Hindi of all statutory Notifications under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 ;
- (vii) Translation into Hindi of statutory Rules issued by Governments of States under Presidential Rule;
- (viii) Translation into Hindi of all the Parliament Questions/Answers, Assurances etc, relating to the Ministry of Law and Justice;
- (ix) Training in Legislative Drafting in Hindi to Officers from Hindi speaking States;
- (x) Work relating to Coordination Committee of Hindi speaking States for ensuring effective coordination in the evolution of uniform legal phraseology and model of standard clauses in Hindi and publication thereof;
- (xi) Work relating to Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Law and Justice;
- (xii) Work relating to providing Grants-in-Aid to voluntary organisations for promotion of Official Languages in the field of law;

- (xiii) Publication of diglot editions of Central Acts (with legislative history) and popularisation thereof;
- (xiv) Preparation and maintenance of India Code in Hindi (Bharat Sanhita) and also in diglot form; and
- (xv) Publication of regional language versions of the Constitution of India and their release.

## **(2) LEGAL GLOSSARY**

Since the inception of Official Languages (Legislative) Commission in 1961, seven editions of Legal Glossary have been brought out and every successive edition is larger in size. While the first edition (1970) contained 20,000 entries, the sixth edition (2001) of Legal Glossary contained approximately 63,000 entries spread over in eight parts. Latest 7<sup>th</sup> Edition of Legal Glossary has been published in the year 2015 and contained approximately 65,000 entries spread over in seven parts. The Legal Glossary brought out by the Official Languages Wing, which is one of the most important and prestigious publications, has received wide acclaim by discerning men of law and letters.

## **(3) CONSTITUTION OF INDIA**

Besides, the authoritative text of the Constitution of India in Hindi (the Official Language of the Union), the authoritative texts of the Constitution have been brought out in 15 other regional languages, namely, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu, Sindhi, Nepali and Konkani.

Special Edition of Constitution of India published on the occasion of First Constitution Day i.e. 26<sup>th</sup> November, 2015.

## **(4) BHARAT SANHITA**

All the Central Acts have been compiled and brought out in the form of India Code in handy volumes. The last edition of India Code consisting of eight volumes was published in 1959. Action has already been initiated for bringing out Bharat Sanhita (Revised Edition of India Code) in diglot form in chronological order.

One of the salient features of the Code is that the statement of objects and reasons appended to the principal Bills have also been added at the end of each Act and included in the revised edition of India Code. Volume I to XXXI of the revised edition of India Code have already been published and manuscripts of the India Code Volume XXXII and XXXIII have been sent to Press.

## **(5) PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF CENTRAL ACTS**

During the period under report, authoritative texts of about 38 Acts in Hindi have been published in the Official Gazette under section 5 (1)(a) of the Official Languages Acts, 1963. Now the total number of such Acts since 1963 have gone up to 2417.

**(6) PUBLICATION OF DIGLOT EDITIONS OF CENTRAL ACTS**

Central Acts, for which there is likelihood of public demand, are published by the Official Languages Wing in diglot form. When there is a public demand for a particular Act, the same is published in diglot form (Hindi & English) for sale to general public. Total number of such Acts is 401 as on date.

**(7) AUTHORISED HINDI TRANSLATION OF BILLS, ORDINANCES, ETC.**

Sub-section (2) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that all Bills to be introduced or amendments thereto moved in either House of the Parliament shall be accompanied by Hindi translation of the same. During the period under report, the Hindi translation of 57 Bills, simultaneously with their English texts, was supplied to the Houses of Parliament. Besides this, Hindi translation of 10 Ordinances and 10 Notes for the Cabinet and 40 Acts were also prepared.

**(8) GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (G.S.R.Os)**

Sub-section (3) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 lays down the foundation for bilingual working of the Central Government. Under clause (1) of that sub-section, all resolutions, general orders, rules, notifications etc., issued or made by the Central Government must be both in Hindi and English languages. During the period under report, 9182 pages of such statutory rules/notifications etc., were prepared for different Departments of the Central Government.

**(9) PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF RULES, REGULATIONS, ORDERS ETC.**

Clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that translation in Hindi published under the authority of the President in the Official Gazette of any Order, Rule, Regulation or Bye-law issued under the constitution or under any Central Act shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi. Some Rules, Regulations, Orders etc., are at different stages of translation. During the period under report, 3562 pages of Recruitment Rules were translated.

**(10) MAINTENANCE OF CENTRAL ACTS, ETC.**

The Correction Section of the Official Languages Wing is maintaining and updating the Central legislations kept as master copies in the form of India Code, India Code (Diglot) as well as Bharat Sanhita. It also keeps Constitution of India and important manuals including Manual of Election Law up-to date for reference by the officers in this Wing. This Section is responsible for carrying out the amendments made by the amending Acts passed by the Parliament in the aforesaid master copies of Central legislation.

Besides, manuscripts of Hindi Central Acts for publication in Diglot form, O.L. Wing have also prepared copies of 12 diglot editions. Manuscripts of Constitution of India A-4 size and the pocket edition (Hindi) was prepared by Correction Section of Official Languages Wing during the above mentioned period.

In addition to above, this Section supplied –

- (a) Information regarding publication of E-Gazette copies of Central Acts (Diglot edition) was sent to various State Governments for translation into various regional languages; and
- (b) E-Gazette copies of Hindi version of Central Acts was sent to Hindi speaking States for republication in their State Gazettes.
- (c) Work relating to publication is mainly undertaken by this Section.
- (d) This Section also assists the Regional Languages Unit of O.L. Wing in connection with preparation of translation of Central Acts in Regional Languages. This year 18 proposal were received from Regional Languages Unit (Leg.II Section) on different matter.

**(11) EDITING OF MANUSCRIPTS OF BILLS, ACTS, ORDINANCES, DIGLOT EDITIONS, ETC. AND PUBLICATION THEREOF**

The Printing Section of the Official Languages Wing is primarily concerned with the editing of manuscripts and checking of proofs of Bills, Ordinances, Regulations, President's Acts etc; issued under the Constitution of India, Delimitation of Council Constituencies orders, etc. Bills, which are required to be introduced in a short time, are also printed on behalf of the Houses of People or the Council of States. Editing and Proof-Checking of the publication in diglot form of the Constitution of India, Manual of Election Law, revised Edition of India Code, modified diglot edition of Central Acts, statutory Rules and Orders, Annual Reports etc. are also done in this Section. This Section is also responsible for the printing and publication of Central Acts, Ordinances, Regulations, President's Act, etc; and their subsequent reprints in diglot form as publication for sale. This Section discharged all its responsibilities during the year under review.

The Printing Section of the Official Languages Wing is also performing the duties of the publication Section. During the period under report, 26 Acts were authenticated and 10 Ordinances were got published by this Section.

**(12) PREPARATION AND PUBLICATION OF STANDARD LEGAL DOCUMENTS**

Section 3 (3)(iii) of the Official Languages Act, 1963 requires that both Hindi and English Languages are to be used for agreements, contracts, leases, bonds, tenders etc., issued by or on behalf of the Central Government or any Ministry, Department or office thereof. In order to comply with the requirement of the said Act, the Official Languages Wing has prepared Hindi version of the documents in eight volumes for various Ministries and Departments of the Central Government with a view to achieve uniformity in their translation. During the period under report, the Hindi version of 2760 pages of Parliament Questions Answers/Assurances of this Ministry was also prepared.

**(13) ESTABLISHING THE INDIAN LANGUAGES IN THE SPHERE OF LAW**

The Official Languages Wing, Regional Languages Unit is constantly doing the work of translation of Central Acts into Hindi as enshrined in the Eighth Schedule to the Constitution of India. So

far as the regional languages are concerned, this work is being done with the co-operation of respective State Governments.

The Official Languages Wing has also published the authoritative texts of Central Acts in regional languages as envisaged under section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973). During the period under report, translation of 30 Central Acts have been approved by the Working Group (Regional Languages) and 8 Central Acts in Regional Languages and 26 Central Acts in Hindi have been authenticated as authoritative texts by the President of India. Besides the Authoritative texts of the Constitution of India in addition to Hindi has been brought out in 15 other Regional Languages that is, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telgu, Urdu, Sindhi, Nepali and Konkani.

**(14) WIDE DISTRIBUTION OF CENTRAL ACTS, LEGAL GLOSSARY ETC.**

The Gazette copies of Hindi version of Central Acts after they have been authenticated and published in the Gazette of India have been sent to Hindi speaking States. They were also sent to Gujarat and Maharashtra and the High Courts in these States. Further, these copies were sent to the concerned Ministries and Departments of Government of India, Andaman and Nicobar Islands, the Nagri Pracharini Sabha, Parliament Library and other Libraries. Copies of the Central Acts in diglot form are regularly sent to all States (Hindi as well as non-Hindi speaking States), Supreme Court of India, Parliament Library and all High Courts. The Constitution of India and Legal Glossary have also been distributed to the Lok Sabha, Rajya Sabha and all the Ministries/ Departments of the Central Government.

**(15) WORK RELATING TO THE HINDI SALAHKAR SAMITI**

The Twelfth Hindi Salahkar Samiti of this Ministry was constituted vide Resolution No.E.4(1)/2014-O.L.Wing(LD) dated 14<sup>th</sup> May, 2015 for three years or remaining tenure of present Lok Sabha which consists of Lok Sabha and Rajya Sabha Members and about eleven official members and invitees. The functions of the Samiti are normally to advise the Central Government on matter relating to :-

- (i) preparation of Hindi version of Central Acts and statutory rules ;
- (ii) the evolution of common legal terminology ;
- (iii) the production of standard law books in Hindi for imparting legal education in Hindi in law colleges and Universities ;
- (iv) publication of law journals and reports in Hindi ;
- (v) matters ancillary and incidental to any of the above items ; and
- (vi) suggest ways and means for the propagation and development of Hindi in the field of law for official use.

**(16) GRANTS IN AID TO VOLUNTARY ORGANISATIONS**

There is a scheme for the promotion of Official Languages of the Union and States for propagation and development of Hindi and other Indian languages in the field of law. Under the scheme, Voluntary Organisations and institutions are provided with financial aid. Since 1985, the Official Languages Wing has been implementing this scheme to give financial assistance to those voluntary organisations which are engaged in the activities for development and propagation of literature in the field of law and other regional languages which could be in the form of proposed commentaries, treatises, books on legal subjects, law journals, law compendium and other publications as are conducive to enrichment, propagation and development of Hindi and other regional languages of the State.

**(17) SPECIAL STEPS ADOPTED FOR THE PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGES**

Official Languages Wing has hosted a website on 3-12-2001 and its Universal Resource Locator is <http://lawmin.nic.in/olwing>. Apart from this, the important Acts of Parliament in various regional languages have also been hosted under the respective languages on the home page of the O.L. Wing. In order to facilitate printing of various Bills, Notifications, Orders, Recruitment Rules etc. the O.L. Wing has started using the Unicode fonts and provides soft copies of the Hindi Texts.

The Constitution of India, I.P.C., Cr. P.C. and the Manual of Election Laws have already been hosted on the net. This website has been further enriched by putting a list of Acts and a list of Rules & Regulations. Updated Central Acts from 1947 to 2016 have also been uploaded on the web site in PDF format for the benefit of legal fraternity and general public as well as the law students.

During the period under report, Bill Section, Translation-I Section, Translation-II Section, Legislative- I, Legislative-II Section, Printing Section, Correction Section, Administration Section, Cash Section and Library of O.L. Wing were fully computerized. The Camera Ready copies of almost all the Bills were prepared during the period under report. For ease of working, the O.L. Wing has started using Mangal font which has universal functionality in Hindi Language.

A list of names, addresses, e-mail address and contact number of all the Group 'A' officers of the O.L. Wing has also been hosted on the home page of O.L. Wing.

The Scheme for Assistance to Voluntary Organisations for promotion of Official Languages in the field of Law both in English and Hindi and has also been hosted on the Net.

**41. VIDHI SAHITYA PRAKASHAN**

In the year 1958, the Committee of Parliament on Official Languages recommended that arrangements be made to bring out authorised translation of important judgements of the Supreme Court of India and the High Courts and this work could be entrusted to a Central Office under the supervision of Law Department. Thereafter, on the recommendations of the Hindi Advisory Committee, a "Journal Wing" was set up in the Legislative Department in the year 1968 with the object of promoting the use of Hindi in the legal field which was subsequently redesignated as "VIDHI SAHITYA PRAKASHAN".

- (2) Initially, after translating in Hindi and making headnotes thereof monthly publication of all the reportable judgements of the Supreme Court of India, as marked 'REPORTABLE' was started in April, 1968 and it was designated as "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika". Another monthly publication containing judgements of the High Courts was started in January, 1969 and it was designated as "Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika". In the year 1987 "Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika" was bifurcated into two Nirnaya Patrikas i.e. "Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika" and "Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika". Later on since 1990, due to ever-increasing volume of Supreme Court's reportable judgements as well as dearth of requisite editorial staff in the Vidhi Sahitya Prakashan, only important selected reportable judgements of the Supreme Court, are being published in Hindi in the "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika". The "Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika" and "Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika" respectively are publishing only important selected judgements in civil and criminal matters of all High Courts of the country in Hindi.
- (3) Apart from the publication of the above three Patrikas, the Vidhi Sahitya Prakashan is also responsible of the following works, namely :-
  - (a) Publication of text books in Hindi in the field of law for use in the academic and other circles as reference books;
  - (b) translation and publication of legal classics in Hindi ;
  - (c) awarding of various prizes for the best publications in Hindi in the field of law;
  - (d) sale of Hindi publications of the Vidhi Sahitya Prakashan and diglot editions etc. of the Official Languages Wing of the Legislative Department; and
  - (e) holding of conferences, seminars and book exhibitions at different places in India, particularly in Hindi speaking States for popularisation and improvement of legal literature in Hindi.
- (4) In addition to above, standard law books in Hindi written by eminent authors are also being published by the Vidhi Sahitya Prakashan for the use of law students, law teachers, lawyers and judicial officers. In order to give incentive to authors writing law books originally in Hindi, the prizes and certificates respectively are awarded annually for best publications in Hindi in the field of law.
- (5) Seminars in law colleges, High Courts, District Courts etc. of the State Governments of the Hindi as well as non-Hindi speaking States are held from time to time for propagation and development of Hindi in the field of law. Vidhi Sahitya Prakashan also holds exhibitions of its own publications, including diglot (Hindi-English) editions of the Central Acts of the Official Languages Wing in different Hindi and non-Hindi speaking States and looks after the sale of these publications.
- (6) A quarterly journal entitled 'Vidhi Sahitya Samachar' is also being published which contains detailed information regarding various activities in the field of law and publications of the



Vidhi Sahitya Prakashan. A 'Publication List' containing priced publications available with Vidhi Sahitya Prakashan is also made available to the customers from time to time.

The details of progress made during the year 2017 are given below :-

- (7) Publication of Nirnaya Patrika : During the period under report, at the editing/translation stage the 'Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika' has been updated upto October-December, 2017 'Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika' has been updated upto October-December, 2017 and 'Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika' has been updated October-December, 2017. Patrikas have been uploaded on the website of Ministry of Law & Justice <http://lawmin.nic.in/vsp./vsp.htm>. and the same are available on line.

During the year 2017 the number of the subscribers of the Patrikas are as under :

Name of the Patrika	No. of subscribers
Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika	108
Uchcha Nayayalaya Civil Nirnaya Patrika	88
Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika	87

- (8) **Award of Prizes** : Under the Scheme for writing, translating and publication of law books in Hindi and awarding prizes to such books written or published in Hindi for use as text books or reference books, the award to the tune of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakh only), [the 1<sup>st</sup> prize for Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only), the 2<sup>nd</sup> prize for Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand only) and 3<sup>rd</sup> prize for Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only)] are awarded annually for the best publication in Hindi in the five principal branches of law. Ten best law books written in Hindi have been awarded prize in the year 2017 amounting to Rs. 2,50,000/- , under the Scheme.
- (9) **Publication of Books** : Book Unit is entrusted with the work for writing law books in Hindi, revision of the books and publish them. The book "Nirnay Lekhan" written by Justice Bhagwati Prasad Beri and "Dand Prakriya Sanhita" written by Justice Mahavir Singh are at the revision stage . Thirty four standard law books in Hindi have been published by Vidhi Sahitya Prakashan.
- (10) **Seminars, exhibitions and sale of books, etc.** : In the sequence of holding seminars and books exhibitions, in the year 2017, exhibitions of books have been organised in Word Book Fair, New Delhi, Delhi High Court, Delhi; District Courts of Kangra and Dharamshala, Himachal Pradesh; Hyderabad City Civil Court; and Karnataka High Court at Bengaluru. During the period from 1<sup>st</sup> January, 2017 to 30 November, 2017, the total sale figure of Vidhi Sahitya Prakashan is Rs. 14,74,585/- (Rupees Fourteen Lakh Seventy Four Thousand and Five Hundred Eighty Five Only).

#### **42. DEPUTATION/DELEGATION ABROAD: LEGISLATIVE DEPARTMENT**

Dr. G. Narayana Raju, Secretary, Legislative Department visited Teshkent Uzbekistan from 18<sup>th</sup> October, 2017 to 21<sup>st</sup> October, 2017 to attend the fifth meeting of the Ministries of Justice of Member of States of Shanghai Cooperation Organisation.

#### **43. RESERVATION FOR THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS IN SERVICE POSTS.**

Officers of the level of Deputy Secretary are functioning as Liaison Officers for the three Administrative Wings of the Legislative Department, viz., Legislative Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan to oversee the implementation of Orders/Instructions of the Government on reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and Physically Handicapped persons in service/posts in respective units.

A Statement showing the total number of employees in the Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan and number of employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically handicapped persons and the female employees amongst them as on 01.01.2018 is enclosed (Annexure-XI and Annexure-XII).

#### **44. SWACHHTA ACTION PLAN:**

Under the Swachhta Action Plan Legislative Department has constructed one lady toilet through CPWD at 4<sup>th</sup> Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi for the use of physically challenged ladies.

#### **45. PUBLIC GRIEVANCES**

During the period from 1<sup>st</sup> January, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017 Legislative Department received 669 public grievances on CPGRAMS portal. Further 220 public grievances were pending before 1<sup>st</sup> January, 2017. During the said period 691 grievances have been disposed off and action is being taken for disposed of remaining grievances on priority basis.

#### **46. DEPARTMENT ACCOUNTING ORGANISATION**

The Secretary is the Chief Accounting Authority in the Ministry of Law and Justice. He discharges his functions with the assistance of Additional Secretary (Financial Adviser) and Chief Controller of Accounts.

- (2) As per Rule 70 of GFRs 2017, the Secretary of a Ministry/Department who is the Chief Accounting Authority of the Ministry/Department shall: –
  - (i) Be responsible and accountable for financial management of his Ministry or Department.

- (ii) Ensure that the public funds appropriated to the Ministry are used for the purpose for which they were meant.
  - (iii) Be responsible for the effective, efficient, economical and transparent use of the resources of the Ministry in achieving the stated project objectives of that Ministry, whilst complying with performance standards.
  - (iv) Appear before the Committee on Public Accounts and any other Parliamentary Committee for examination.
  - (v) Review and monitor regularly the performance of the programs and projects assigned to his Ministry to determine whether stated objectives are achieved.
  - (vi) Be responsible for preparation of expenditure and other statements relating to his Ministry as required by regulations, guidelines or directives issued by Ministry of Finance.
  - (vii) Shall ensure that his Ministry maintains full and proper records of financial transactions and adopts systems and procedures that will at all time afford internal controls.
  - (viii) Shall ensure that his Ministry follows the Government procurement procedure for execution of works, as well as for procurement of services and supplies and implements it in a fair, equitable, transparent, competitive and cost-effective manner.
  - (ix) Shall take effective and appropriate steps to ensure his Ministry:-
    - (a) Collects all moneys due to the Government and
    - (b) Avoids unauthorized, irregular and wasteful expenditure.
- (3) As per Para 1.2.2 of Civil Accounts Manual, the Chief Controller of Accounts for and on behalf of the Chief Accounting Authority is responsible for :-
- (a) Arranging all payments through the Pay and Accounts Offices/Principal Accounts Office except where the Drawing and Disbursing Officers are authorized to make certain types of payments.
  - (b) Compilation and consolidation of accounts of the Ministry/ Department and their submission in the form prescribed, to the Controller General of Accounts; preparation of Annual Appropriation Accounts for the Demands for Grants of his Ministry/Department, getting them duly audited and submitting them to the CGA, duly signed by the Chief Accounting Authority.
  - (c) Arranging internal inspection of payment and accounts records maintained by the various subordinate formations and Pay and Accounts Offices of the Department and inspection of records pertaining to transaction of Government Ministries/ Departments, maintained in Public Sector Banks.

- (4) The Chief Controller of Accounts, Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India performs his duties with the assistance of two Pr. Accounts Officers and four Pay and Accounts Officers amongst other staff.
- (5) The Ministry of Law and Justice, Supreme Court has 51 DDOs including 32 CDDOs and 19 NCDDOs. The non-cheque drawing DDOs submit bills to the Pay and Accounts Office under pre-check system of payment. The PAO-wise detail of the CDDOs and NCDDOs is as under:

S.No.	PAO	D.D.O.	
		CDDOs	NCDDOs
1	PAO (EO)	4	3
2	PAO (LA)	29	11
3	PAO (SCI)	0	1
4	PAO (LD)	0	4

- (6) As per Para 1.2.3 of Civil Accounts Manual, Principal Accounts Office in New Delhi functions under a Principal Accounts Officer who is responsible for :-
- a) Consolidation of the accounts of the Ministry/Department in the manner prescribed by CGA;
  - b) Preparation of Annual Appropriation Accounts of the Demands for Grants controlled by that Ministry/Department, submission of Statement of Central Transactions and material for the Finance Account of the Union Government(Civil) to the Controller General of Accounts;
  - c) Payment of loans and grants to State Government through Reserve Bank of India, and wherever this office has a drawing account payment therefrom to Union Territory Government/ Administrations;
  - d) Preparation of manuals keeping in view the objective of management accounting system if any, and for rendition of technical advice to Pay and Accounts Offices, maintaining necessary liaison with CGA's Office and to effect overall coordination and control in accounting matters;
  - e) Maintaining Appropriation Audit Registers for the Ministry/ Department as a whole to watch the progress of expenditure under the various Grants operated on by the Ministry/Department;

Principal Accounts Office/Officer also performs all administrative and coordinating function of the accounting organization and renders necessary financial, technical, accounting advice to department as well as to local Pay & Accounts offices.

- (7) As per provisions contained in Civil Accounts Manual, Pay & Accounts offices make payments pertaining to respective Ministries/ Departments and in certain cases payments will be made by the departmental Drawing and Disbursing Officers (DDOs) authorized to draw funds, by means of cheques drawn on the offices/branches of accredited bank that may be authorized for handling the receipts and payments of the Ministry/Department. These payments will be accounted for in separate scrolls to be rendered to the Pay and Accounts Offices of Ministry/Department concerned. Each Pay and Accounts Office or Drawing and Disbursing Officer authorized to make payments by cheques, will draw only on the particular branch/branches of the accredited bank with which the Pay and Accounts Office or the Drawing and Disbursing Officer as the case may be, is placed in account. All receipts of the Ministry/Department are also be finally accounted for in the books of the Pay and Accounts Office. The Pay and Accounts office is the basic Unit of Departmentalized Accounting Organization. Its main function include:-
- Pre-check and payment of all bills, including those of loans and grants-in-aid, submitted by Non-Cheque Drawing DDOs.
  - Accurate and timely payments in conformity with prescribed rules and regulations.
  - Timely realization of receipts.
  - Issue of quarterly letter of credit to Cheque Drawing DDOs and post check of their Vouchers/bills.
  - Compilation of monthly accounts of receipts and expenditures made by them incorporating there with the accounts of the cheque Drawing DDOs.
  - Maintenance of GPF accounts other than merged DDO and authorization of retirement benefits.
  - Maintenance of all DDR Heads.
  - Efficient service delivery to the Ministry/Department by the banking system by way of e-payment.
  - Adherence to the prescribed Accounting Standards, rules and principles.
  - Timely, accurate, comprehensive, relevant and useful financial reporting.
- (8) **The specific approval of the CGA, Ministry of Finance would have to be obtained in connection with any proposal for creation (or re-organization) of a new Pay & Accounts Office or for adding to the list of cheque drawing DDOs included in the Scheme of Departmentalization of Accounts of a Ministry/Department.**
- (9) The overall responsibilities of Departmental Accounting Organization in respect of Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India are:-
- Consolidation of monthly accounts of Ministry and its submission to the CGA.

- Annual Appropriation Accounts.
- Statement of Central Transactions.
- Preparation of “Accounts at a Glance”.
- Union Finance accounts which are submitted to the CGA, Ministry of Finance and Principal Director of Audit.
- Payments of grants-in-aid to State Government /Grantee Institutions/Autonomous Bodies etc.
- Rendering technical advice to all PAOs and Ministry; if necessary in consultation with other organization like DOPT, Ministry of Finance and CGA etc.
- Preparation of Receipt Budget.
- Preparation of Pension Budget.
- Procuring and supplying of cheque books for and on behalf of PAOs/Cheque drawing DDOs and Personal Deposit Account Holder.
- Maintaining necessary liaison with Controller General of Accounts office and to effect overall co-ordination and control in accounting matters and accredited Bank.
- Verify and reconcile all receipts and payments made on behalf of Ministry of Law and Justice through the accredited Bank.
- Maintaining accounts with Reserve Bank of India relating to Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India and reconciling the cash balances.
- Ensuring prompt payments.
- Speedy settlement of Pension/Provident fund and other retirement benefits.
- Internal Audit of the Ministry, subordinate and attached offices under Ministry of Law and Justice and its Grantee institutions, etc.
- Making available accounting information to all concerned authorities.
- Budget co-ordination works of Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India.
- Monitoring of New Pension Scheme and pension revision cases of Pre-2006 and Pre -1990 retirees.
- Computerization of Accounts and e-payment.
- Administrative and co-ordination function of the accounting organization.
- Universal Roll out of Public Financial Management System (PFMS) for Central Sector Scheme.
- Universal Roll out of Non-Tax Receipt Portal(NTRP) as per M/o Finance guidelines.

- (10) Accounting information and data are also provided to the Ministry to facilitate effective budgetary and financial control. Monthly and progressive expenditure figures under various subheads of the grant of the Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India are furnished to Budget Section. Progress of expenditure against budget provisions are also submitted monthly to Secretary, Addl. Secretary & Financial Adviser as well as Heads of Divisions of the Ministry controlling the grant for purposes of better monitoring of expenditure.
- (11) The Accounting organization also maintains accounts of long-term advances such as House Building Advance and Motor Car Advance and GPF accounts of employees of the Ministry.
- (12) The verification and authorization of pensionary entitlement of officers and staff members is done by the Office of the Chief Controller of Accounts on the basis of service particulars and pension papers furnished by Heads of Offices. All retirement benefits and payments like gratuity, cash equivalent to leave salary as well as payments under Central Government Employees Group Insurance Scheme; General Provident Fund etc. are released by CCA's office on receipt of relevant information / bills from DDOs.
- (13) **INTERNAL AUDIT WING** - The Internal Audit Wing carries out audit of accounts of various offices of the Ministry to ensure that rules, regulations and procedures prescribed by the government are adhered to by these offices in their day to day functioning.
- (i) Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It basically aims at helping the organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. It is also an effective tool for providing objective assurance and advice that adds values, influence change that enhances governance, assist risk management and control processes and improve accountability for results. It also provides valuable information to rectify the procedural mistakes and deficiencies and, thus, acts as an aid to the management. The periodicity of audit of a unit is regulated by its nature and volume of work and quantum of funds.
- (ii) There are 51 Auditee units / DDOs under various departments of Ministry of Law & Justice and Supreme Court of India excluding autonomous bodies and other grantee institutions and specific schemes under the Ministry. In the Financial Year 2016-17, eighteen (18) units of Ministry of Law & Justice have been audited. The audit of more units/DDOs could not be conducted because there is no sanctioned post/permanent manpower for the Internal Audit Wing, Principal Accounts Office of this ministry. The audit work is being managed by officers and staffs posted in different Pay & Accounts Offices and Principal Accounts Office along with two Consultants engaged from the empanelled list of retired officers/officials being maintained by the O/o Controller General of Accounts.

**Achievements:-** There were a total of 323 outstanding audit paras in respect of Ministry of Law & justice till the financial year 2015-16. Thereafter, several reminders and circulars were sent to the concerned Offices/Departments, 171 paras were dropped by the Internal Audit Wing. Further in FY 2016-17, 18 offices under Ministry of Law & Justice were audited and a total of 265 paras were raised. Based on the reply/compliance received from different units/offices 73 paras were dropped out of 265 newly raised paras. Current status of outstanding internal audit paras are appended below:-

<b>F.Y</b>	<b>Number of outstanding paras</b>	<b>Number of paras dropped</b>	<b>Number of paras remaining</b>
Till 2015-16	323	171	152
2016-17	265	73	192
	588	244	344

Some of the major findings made by the Internal Audit wing during the 2016-17 are mentioned below:-

DDO, National Judicial Academy, Bhopal	Non-Realization of receivable dues of the Academy amounting to Rs.2,51,000/- on account of Registration Fee, Boarding & Lodging Charges as on 31 <sup>st</sup> March, 2016.
DDO, Law Commission of India	<p>Details of overpayments of Rs.781.00 Lakh made to M/S Hindustan Times on account of hiring of H.T. House Building, K.G. Marg, New Delhi by M/o Law &amp; Justice for official use are as under:-</p> <p>(a) Amt. of Rs.1,22,57,862/- was paid to M/S Hindustan Times on account of Rent for vacant Building for the period from 1/11/2009 to 19/4/2010 .</p> <p>(b) Amt. of Rs.1,89,000/- was paid to M/S Hindustan Times on account of furnishing charges of the Building for the period from 1/11/2009 to 19/4/2010.</p> <p>(c) (i) Amt. of Rs.55,12,500/- was paid to M/S Hindustan Times on account of Air-conditioning &amp; Electro mechanical charges for vacant Building for the period from 1/11/2009 to 31/3/2010.</p> <p>(ii) Amt. of Rs.15,75,000/- was paid to M/S Hindustan Times on account of Electricity charges for common area of the vacant Building for the period from 1/11/2009 to 31/3/2010 as the premises was under furnishing.</p> <p>(d) Amt. of Rs.5,85,81,162/-paid to M/S Hindustan Times on hiring of excess space of 2566 Sq. Ft. from Oct.,2012 to March,2016 .</p>



DDO, Department of Legal Affairs	<p>Ministry of Law &amp; Justice, New Delhi decided during October, 2009 to provide Department of Legal Affairs an alternate space at two floors (14th and 15th) in Hindustan Times Building (HT) at Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, bearing carpet area of 15750 sq.ft. at each floor.</p> <p>(a) In order to make proper utilization of space, the Ministry again decided during August, 2012 to shift CAS and LCI vice versa i.e. CAS in ILI building and Law Commission of India (LCI) on 14th floor of HT building and ATFE on 15th floor of HT Building Subsequently, CAS had vacated the HT building in Sept, 2012 and ATFE has shifted in April, 2013 on 15th floor of HT building. Due to the delay in shifting by ATFE the space allotted to ATFE was lying unutilized from October 2012 to March 2013 and a huge payment of Rs.3,30,47,532/- as rent, infrastructure, maintenance charge etc. was made to the Lessor. Further, as mentioned in the agreement, 15th floor of HT building was consisting of carpet area of 15750 Sq.ft. and was allocated to ATFE.</p> <p>(b) ATFE had actually occupied the total area of 12,000 Sq.ft. consisting of the space for office of Chairperson, Members and officers, court rooms, record rooms, conference hall, lifts, corridors etc. Thus, the Department paid a huge amount of Rs.4,72,10,760/- as rent etc. for the area which was either not in use by the ATFE or lying vacant.</p>
DDO, National Judicial Academy, Bhopal	Irregular payment of Service Tax by NJA to M/s Baaz Security Services, Bhopal to the tune of Rs.28.61 lakh and non-realization there of resulted in to loss to Govt.
DDO,ITAT, Mumbai	The amount of Rs. 64,82,543/- has been paid to NICS I as 100% advance payment for re-structuring and development of ITAT online project (official website, web-application, judicial information portal and e-filing portal and execution through NICS I) without seeking the concurrence of Financial Advisor of the Ministry of Law & Justice, which is not in conformity with the provisions of Rule-159 of GFR-2005
DDO, Deptt. of Justice, New Delhi	Purchase of Lap-Top without obtaining the concurrence of AS&FA and approval of Administrative Secretary which is in contravention of instructions issued by MOF, Deptt. of Expenditure, vide their OM No. 8(25)2012-EII(A) dated 19 <sup>th</sup> Sept., 2014
DDO, Deptt. of Justice, New Delhi	Expenditure incurred in regard to purchase of stationery items i.e. Photostat paper & irregular purchase of goods from NCCF amounting to Rs.5,21,385/.
DDO,ITAT, Mumbai	Deficient procurement procedure adopted for purchase of various items of stores viz Bags Mementoes and Printing of Souvenir and other jobs costing Rs.3,00,038/-, Rs.2,13,124/- and Rs. 2,52,450/- respectively on the occasion of Platinum Jubilee Celebration of ITAT in violation of provision of GFR-2005
DDO, Department of Legal Affairs	Irregular purchase of stationery items from NCCF and other Cooperative Stores on or after 1 <sup>st</sup> April, 2015 amounting to Rs.8,17,239/- due to not following the directions of DOPT.

DDO, Legislative Deptt, New Delhi	Deficiency in procurement of furniture items amounting Rs. 3,69,139/- on piece meal basis to avoid the Sanction of higher Competent Financial Authority in violation of Rule 148 of GFR-2005.
DDO, Legislative Deptt, New Delhi	Deficient Procurement of computer accessories amounting Rs 3,89,178/- due to splitting up into small quantities to avoid the necessity of obtaining the sanction of higher authority resulted in violation of Rule 148 of GFR-2005.
DDO, ITAT, Jaipur	Purchase of furniture items of stores from M/s Kendriya Bhandar Jaipur amounting to Rs.17.57 lakh on single quotation basis in contravention of the instructions issued by DOPT vide their OM dated 19-02-2015 and provisions of GFR-2005.
DDO, ITAT, Jaipur	Deficient purchase procedure adopted by the ITAT Jaipur for procurement of goods viz LED signboard (01 piece), SS logo (04 pieces) and 3 wooden logo (03 pieces) from M/s Kendriya Bhandar, Jaipur for use in newly constructed Office-cum-residential premises of ITAT, Jaipur bench, Jaipur amounting Rs.2,16,632/-
DDO, Official Language Wing, MLJ, New Delhi	Deficient procedure adopted in procurement of Air Mail paper (40 gsm) amounting to Rs.4,26,794/-
<b>DDO, Deptt. of Justice, MLJ, New Delhi</b>	Contingent advances were drawn by the officers for departmental purposes & also drawn & paid to IIIrd parties, but the adjustment/detailed bills have not yet been submitted by the officials/officers/IIIrd parties concerned resulting into non-adjustment of the Advances amounting to Rs.22,06,578/-.
DDO, Law Commission of India	Amt. of Rs,63,950/- & Rs. 1,29,887/- was paid to Hon`ble Justice Sh. Shiv Kumar Sharma, Member, LCI, New Delhi during 2010-11 and 2011-12 for visit to Mumbai (Home town) and Hyderabad respectively. Hon`ble Justice booked the Air Ticket through Pvt. Travel Agency, which was not regularised & also rejected by MOF, Deptt. of Expenditure & DOPT. The LTC Advances have not yet been recovered.
DDO, National Legal Services Authority (NALSA), M/o Law & Justice, New Delhi	Outstanding Utilization Certificate worth Rs.134.00 Crores against Grant-in-Aids released to services authorities & NGOs. State Legal Grantee Institutions or Organisations under various Schemes.
DDO, Deptt. of Justice, M/o Law & Justice, New Delhi	Non-receipt of Utilization Certificate worth Rs. 842 Crores for Grant-in-Aids released to Grantee Institutions or Organisations under various Schemes.
DDO, Deptt. of Legal Affairs, M/o Law & Justice, New Delhi	Blockage of funds due to non-utilisation of Grants-in-Aid amounting to Rs.1.00 Crore released during the year 1999-2000 to Supreme Court Bar Association (SCBA) and loss of interest to the tune of Rs.1.56 Crore .

DDO, Deptt. of Legal Affairs, M/o Law & Justice, New Delhi	Blockage of funds due to non-utilisation of Grants-in-Aid amounting to Rs.1.50 Crore released to Bar council of Delhi (BCD) and loss of interest amounting to Rs.1.75 Crore..
DDO, Official Language Wing, M/o Law & Justice, New Delhi	Outstanding Utilization Certificates (UCs) amounting to Rs.4,00,500/- against the Grants-in-Aid released to various Voluntary Organizations

(14) **Banking Arrangements** :-Indian Bank, State Bank of India, UCO Bank and Dena Bank are accredited banks for PAOs and its field offices of the Ministry of Law, Justice and SCI. Cheques issued by the PAOs/CDDOs are presented to the nominated branch of the accredited bank for payment. The receipts are also remitted to the accredited banks by the respective CDDOs/PAOs. Any change in accredited bank required specific approval of Controller General of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance.

(15) **New Initiatives**

(i) **Public Financial Management System:** Public Financial Management System (PFMS) initially started as a Plan scheme named CPSMS of the Planning Commission in 2008-09 as a pilot in four States of Madhya Pradesh, Bihar, Punjab and Mizoram for four Flagship schemes e.g. MGNREGS, NRHM, SSA and PMGSY. After the initial phase of establishing a network across Ministries / Departments, it has been decided to undertake National rollout of CPSMS (PFMS) to link the financial networks of Central, State Governments and the agencies of State Governments. The scheme was included in 12th Plan initiative of erstwhile Planning Commission and Ministry of Finance.

**The mandate given to PFMS by Cabinet decision is to provide:**

- A financial management platform for all plan schemes, a database of all recipient agencies, integration with core banking solution of banks handling plan funds, integration with State Treasuries and efficient and effective tracking of fund flow to the lowest level of implementation for plan scheme of the Government.
- To provide information across all plan schemes/ implementation agencies in the country on fund utilization leading to better monitoring, review and decision support system to enhance public accountability in the implementation of plan schemes.
- To result in effectiveness and economy in Public Finance Management through better cash management for Government transparency in public expenditure and real-time information on resource availability and utilization across schemes. The roll-out will also result in improved programme administration and management, reduction of float in the system, direct payment to beneficiaries and greater transparency and accountability in the use of public funds. The proposed system will be an important tool for improving governance.

**Modules to implement the Mandate**

Modules developed /under development by PFMS for stakeholders as per the Union Cabinet above mandate are as under:

- I. Fund Flow Monitoring
  - (a) Agency registration
  - (b) Expenditure management and fund utilisation through PFMS EAT module
  - (c) Accounting Module for registered agencies
  - (d) Treasury Interface
  - (e) PFMS-PRI fund flow and utilization interface
  - (f) Mechanism for State Governments towards fund tracking for State schemes
  - (g) Monitoring of Externally Aided Projects (EAP):
- II. Direct Benefit Transfer DBT modules
  - (a) PAO to beneficiaries
  - (b) Agency to beneficiaries
  - (c) State treasuries to beneficiaries
- III. Interfaces for Banking
  - (a) CBS
  - (b) India Post
  - (c) RBI
  - (d) NABARD & Cooperative Banks

**Modules to implement Enhanced mandate:**

- IV. PAO Computerization-Online payments, receipts and accounting of Govt. of India
  - (a) Programme Division module
  - (b) DDO module
  - (c) PAO module
  - (d) Pension module
  - (e) GPF & HR module
  - (f) Receipts including GSTN

- (g) Annual Financial Statements
- (h) Cash Flow Management (i) interface with non-civil ministries

V. Non – Tax Receipt Portal

**Other Departmental Initiatives:**

To leverage the capabilities of PFMS, several other departments have approached PFMS for developing utilities for their departmental needs as follows:

- VI. Interface for MHA (Foreigners Division) Monitoring of Agencies receiving fund under FCRA
- VII. CBDDT PAN Validation
- VIII. GSTN bank account validation

**Implementation Strategy**

An action Plan has been prepared and approved by Ministry of Finance for phased implementation of Public Financial Management System.

**Improved Financial Management through:**

- Just in Time (JIT) release of funds
- Monitoring of use of funds including ultimate utilization

**Strategy:**

- Universal rollout of PFMS which inter alia includes
- Mandatory registration of all Implementing Agencies (IA) on PFMS and
- Mandatory use of Expenditure Advance & Transfer (EAT) Module of PFMS by all IAs

**I. Implementation Strategy for Central Sector (CS) schemes/transactions**

- ◆ Activities to be completed
- ◆ Mandatory registration and use of EAT module by IAs
- ◆ Mapping of all relevant information of Schemes
- ◆ Uploading of budget of each scheme on PFMS
- ◆ Identify implementation hierarchy of each Scheme
- ◆ Integration of Systems Interface of specific Schemes with PFMS e.g. NREGASoft, AwasSoft
- ◆ Deployment and Training of Trainers

**II. Implementation Strategy for Central Assistance to State Plan (CASP)**

- ◆ Activities to be undertaken by states
- ◆ State Treasury Integration with PFMS
- ◆ Registration of all SIAs on PFMS (1st level & below)
- ◆ Mapping of State Schemes with corresponding central schemes
- ◆ Configuration of State Schemes on PFMS
  - Configuring State Scheme Components
  - Identify and configure hierarchy of each state scheme
- ◆ Integration of PFMS with Scheme specific software application
- ◆ Deployment and training of Trainers
- ◆ Continuous support for implementation

*Out of four (04) Pay & Accounts Offices viz. PAO(LA), PAO(LD), PAO(EO) & PAO(SCI) under Ministry of Law & Justice and Supreme Court of India, roll out of payment and accounting module of Public Financial Management System (PFMS) in three (03) Pay & Accounts Offices viz. PAO(LA), PAO(LD) & PAO(EO) has been successfully implemented in 2016-17 except PAO(SCI).*

Status of EIS / CDDO / NTRP Module in Ministry of Law & Justice:-

<b>1. Implementation of CDDO Module for electronic payments by CDDOs</b>						
Ministry/ Department	Total No. of CDDOs	No. of CDDOs on board PFMS	Remaining No. of CDDOs	Month-wise plan for bringing on board PFMS		
				Jan 18	Feb 18	Mar 18
M/o Law & Justice	33	3	30	12	10	8

<b>2. Employee Information System (EIS) Module</b>						
Ministry/ Department	Total No. of DDOs	No. of DDOs on board PFMS	Remaining No. of DDOs	Month-wise No. of DDOs to be onboarded		
				Jan 18	Feb 18	Mar 18
M/o Law & Justice	52*	20	32	8	8	10

3. Non Tax Receipts Portal (NTRP) Module						
Ministry/ Department	Total No. of PAOs	No. of PAOs on board PFMS	Remaining No. of PAOs	Month-wise No. of PAOs to be onboarded		
				Jan 18	Feb 18	Mar 18
M/o Law & Justice	4**	-	4	4	-	-

- ii. **e- Payment System** - The e-payment system in all Pay & Accounts Offices of Ministry of Law & Justice, Supreme Court of India has been successfully implemented w.e.f. 01.04.2012 under phase-II.

Since, the IT Act, 2000 recognizes the digitally signed documents or electronic records digitally authenticated by means of an electronic method or procedure in accordance with the provisions of section 3 of the Act, the Controller General of Accounts has developed a facility in COMPACT for electronic payment (e-payment) through digitally signed electronic advices. This will replace the existing system of payment through cheque while leveraging the COMPACT application running in all Pay & Accounts Offices in all Ministries/ Departments of Central Government.

The e-payment system developed is a fully secured web based system of electronic payment services which introduces transparency in government payment system. Payment of dues from the government under this system is made by credit of money directly in to the bank account of payee through a digitally signed e-advices generated from COMPACT through the 'Government e-payment Gateway (GePG)' on a secured communication channel. Necessary functional and security certification has been obtained from STQC Directorate for its role out. The system is being implemented in all Central Government Civil Ministries/ Departments in a phased manner.

- iii. **Government e-payment Gateway (GePG)**

Government e-payment Gateway (GePG) is a portal which enables the successful delivery of payment services from Pay & Accounts Offices for online payment transactions. The portal is developed by the Office of CGA and has got STQC certification from Department of Information & Technology. The GePG serves as middleware between COMPACT application at PAOs and the Core Banking Solutions (CBS) of the banks/RBI and facilitates automating the manual registration process, e-payment advice, and e-scrolls communications.

**Highlights of e-payment and GePG System**

High Security Standards and System Logs of Transactions.

- The PAO's applications has the following security requirements in place for effective e-payments.
  - 128 Bit PKI encryption.
  - Integrity of Information: Hash Algorithm (SHA1): security standard are designed to ensure confidently of data, authenticity of data and integrity of data being conveyed on the internet by PAOs to the bank.
  - Non-repudiation- Key generation/ Digital Signature based on 128 Bit PKI Infrastructure (as recommended by RBI)
- Digitally signed e-payment Authorization along with Itemized tracking of each e-payment authorization and automated reconciliation.

**Registration of digital signatures:** The Pay & Accounts Officer obtains digital signature from the NIC Certifying Authority. The digital signatures obtained from the NIC Certifying Authority are stored in a USB Token called i-Key. The PAO registers the digital signatures with GePG portal through the Principal Accounts Office of the concerned Ministry/ Department. The concerned banks download the PAOs digital signatures from the GePG portal. Digital signatures of the authorized signatory of the concerned banks are also uploaded on GePG portal for authentication of e-payment scrolls provided to PAOs by the banks.

**Salient Features of Appropriation Accounts 2016-17**

(in crores)

MAJOR HEAD	Budget Estimates	Final Estimates	Expenditure	Excess(+) Saving (-)
<b>Grant No. 56</b>	126.81	126.14	106.45	-19.69
2052-Secretariat General Services				
2014-Administration of Justice	516.19	518.52	489.56	-28.96
2015-Election	3649.29	2374.64	2371.34	-3.30
2020-Collection of Taxes on Income & Expenditure	73.48	87.19	79.28	-7.91
2070-Other Administrative Services	21.21	23.56	21.19	-2.37
2552-North Eastern Areas	90.00	3.58	-	-3.58
3601-Grants-in-Aid to State Governments.	460.01	465.74	465.72	-0.02



## Ministry of Law and Justice

3602-Grants-in-Aid for UT Governments	75.00	75.00	75.00	-
4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	88.01	11.32	7.72	-3.60
<i>Amount surrendered during the year</i>				-1414.33
<b>Total</b>	<b>5100.00</b>	<b>3685.69</b>	<b>3616.26</b>	<b>-1483.76</b>
<b>Appropriation No.57-Supreme Court of India</b> MH-2014 Administration of Justice (Charged)	189.88	242.00	234.75	-7.25*

*\*Amount surrendered during the year*

*(Source: Appropriation Accounts 2016-17)*

## CHAPTER-III

### DEPARTMENT OF JUSTICE

#### 1. ORGANISATION AND FUNCTIONS

The Department of Justice forms part of the Ministry of Law and Justice. It is headed by Minister, Law & Justice, followed by Minister of State (Law & Justice). The Secretariat is headed by Secretary (Justice). The organizational setup includes four Joint Secretaries, seven Directors/Deputy Secretaries and nine Under Secretaries. The Sanctioned Strength of the Department of Justice is 96 out of which 36 posts are lying vacant. Out of 60 present incumbents only 07 women officer/officials are working in this Department. The functions of the Department of Justice include the appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court of India and Chief Justices and Judges of the High Courts and their service matters. In addition, the Department implements important schemes for infrastructure development of subordinate courts, as also the computerization of courts. The Organizational Chart of the Department of Justice is at **Annexure-XIII**.

- 1.1. As per the Government of India (Allocation of Business Rules-1961 as amended from time to time), the subjects handled by the Department of Justice, inter-alia, include the following:
- i. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowance), pensions and travelling allowances.
  - ii. Appointment, resignation and removal etc. of Chief Justice and Judges of High Courts in States, their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances;
  - iii. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial Officers in Union Territories;
  - iv. Constitution and organization (excluding jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but including contempt of such Court) and the fees taken therein.
  - v. Constitution and organization of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners except provisions as to officers and servants of these courts.
  - vi. Administration of justice and constitution and organization of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.
  - vii. Courts fees and Stamp duties in the Union Territories.
  - viii. Creation of All India Judicial Service.
  - ix. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial Service of Union Territories.

- x. Extension of the Jurisdiction of a High Court to a Union Territory or exclusion of a Union Territory from the Jurisdiction of a High Court.
- xi. Legal Aid to the poor.
- xii. Administration of Justice
- xiii. Access to Justice Delivery and Legal Reforms.

## **2. APPOINTMENT OF JUDGES**

### **2.1. SUPREME COURT OF INDIA:**

The Judge strength of the Supreme Court (including the Chief Justice of India) is 31. As on 31.12.2017, 25 Judges are in position, leaving 6 vacancies of Judges to be filled. During the period from 1.1.2017 to 31.12.2017, 5 Judges were appointed in the Supreme Court. Shri Justice J.S. Khehar was appointed as Chief Justice of India on 04.01.2017 and he retired on 27.08.2017 on attaining the age of superannuation. Shri Justice Dipak Misra has assumed the office of the Chief Justice of India with effect from 28.08.2017.

### **2.2. HIGH COURT OF INDIA:**

As on 31.12.2017 against the sanctioned strength of the High Court Judges of 1079, 683 Judges are in position, leaving 396 vacancies of Judges to be filled. During the period from 1.1.2017 to 31.12.2017, 81 vacancies occurred in High Courts due to superannuation, elevation to Supreme Court, resignation, etc. During aforesaid period, 115 fresh appointments of Judges in High Courts and 31 Additional Judges have been made Permanent. In addition, the tenure of 05 Additional Judges of the High Courts was also extended.

### **2.3. SUPPLEMENTING EXISTING MEMORANDUM OF PROCEDURE (MOP)**

The Supreme Court pronounced its Order on improvement in the ‘Collegium System’ on 16.12.2015 vide this order they have inter alia decided that the “Government of India may finalize the existing Memorandum of Procedure (MoP) by supplementing it in consultation with the Supreme Court Collegium taking into account aspects such as transparency, secretariat, eligibility criteria and complaints mechanism.

The Government of India after due deliberations, proposed changes in the draft MoP’s which were sent to the Hon’ble Chief Justice of India vide letter dated 22.3.2016. The effort of the Government is to supplement the existing MoP by making the appointment process transparent, fair, and accountable within the parameters set by various pronouncements of the Supreme Court and at the same time ensuring the independence of Judiciary. The effort of the Government is to ensure that only good and meritorious candidates are appointed. The response of the Chief Justice of India was received on 25.5.2016 and 01.07.2016. The Supreme Court Collegium has agreed with some of the suggestions made in the revised MoP while it has not accepted some other provisions. The views of Government were conveyed to the Chief Justice of India on 3-8-2016. The MoPs as finalized by SCC has been received vide letter dated 13.03.2017.

Meanwhile, the Supreme Court in a recent Judgment dated 4.7.2017 in *suo-motu* contempt proceedings against a Judge of Calcutta High Court wherein the Supreme Court has inter-alia highlighted the need to revisit the process of selection and appointment of Judges to the Constitutional Courts. The Department of Justice has taken up the matter with the Supreme Court conveying the stand of the Government on the issue vide letter dated 11.07.2017 of Secretary (Justice) to Secretary General, Supreme Court of India. The MoP is under finalization by the Government in consultation with the Supreme Court Collegium.

### 3. NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

- 3.1 The National Judicial Academy (NJA), Bhopal, is an autonomous body established in 1993 (w.e.f. 17.08.1993) under the Societies Registration Act, 1860. This independent body functions with its office at the Supreme Court of India and its campus at Bhopal, Madhya Pradesh. This is an Apex body which imparts judicial training to Judges/Judicial officers of the country and provide facilities for training of ministerial officers working in the Supreme Court, study of court management and administration of justice in the States/Union Territories, organization of conferences, seminars, lectures and research in matters relating to court management and administration. The core objectives of the said society have been to foster development of National judiciary in the country and strengthen administration of justice, judicial education, research and policy formulation.
- 3.2 The Hon'ble Chief Justice of India (CJI) is the Chairman of the General Body of NJA as well as the Chairman of the Governing Council, the Executive Committee and the Academic Council of NJA. The affairs of the Academy are managed by a Governing Council. The Academy is fully funded by the Government of India. It has a Director as the Principal Executive Officer. NJA academic staff positions include, in addition to the Director, one post of Additional Director (Research), 3 posts of Professor, 6 posts of Assistant Professor, 6 posts of Research Fellow and 6 positions of Law Associates. NJA administrative officers and staff include, in addition to the Director, posts of Registrar, Additional Registrar, Chief Accounts Officer, Maintenance Engineer and other managerial and functional positions.
- 3.3 A provision of Rs.1000.00 lakh has been kept under "Grant-in-Aid General" (Non-Plan) for NJA under Budget Estimates for the FY 2017-18. Out of this, a sum of Rs.1000.00 lakh has since been released to NJA in three instalments. A provision of Rs.600.00 lakh has been kept for "Grant-in-Aid for Creation of Capital Assets" (Non-Plan) for the FY 2017-18. Out of this, an amount of Rs.300 lakh has been released for construction of 20 residential flats for the staff of NJA by NBCC (India) Limited, a Government of India Enterprise while the release of the second instalment of Rs.300 lakh is under process.
- 3.4 During the current academic year, the Academy has approved the 90 Training programmes for judicial officers. The programmes inter alia also include refresher courses for CBI officers/Special Courts, conference on judicial ethics and accountability, workshops for judges of SAARC countries, national seminars on working of the Juvenile Justice Boards in India, refresher courses for Family/POCSO/Human Rights/SC/ST (PoA) courts, workshops on Counter Terrorism, etc.

#### 4. FAMILY COURTS

- 4.1 The Family Courts Act, 1984 provides for establishment of Family Courts by the State Governments in consultation with the High Courts with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs and for matters connected therewith. Under Section 3(1) (a) of the Family Courts Act, it is mandatory for the State Governments to set up a Family Court for every area in the State comprising a city or a town whose population exceeds one million. In other areas of the States, the Family Courts may be set up if the State Governments deem it necessary.
- 4.2 The main objectives and reasons for setting up of Family Courts are:
- (i) To create a Specialized Court which will exclusively deal with family matters so that such a court has the necessary expertise to deal with these cases expeditiously. Thus, expertise and expeditious disposal are two main factors for establishing such a court;
  - (ii) To institute a mechanism for conciliation of the disputes relating to family;
  - (iii) To provide an inexpensive remedy; and
  - (iv) To have flexibility and an informal atmosphere, in the conduct of proceedings.
- 4.3 A scheme of Central financial assistance was started in the year 2002-03 for setting up of Family Courts. As per the scheme, Central Government provided 50% of the cost of construction of the building of Family Court and residential accommodation of the Judge subject to a ceiling of Rs.10.00 lakh as a one-time grant as Plan support and Rs.5 lakh annually as the recurring cost under Non-Plan. The State Government was required to provide matching share. A grant of Rs.11.50 crore has been released to the State Governments till the year 2012-13. The component providing for grant for construction of building of Family Court and residential accommodation of the Judges has been subsumed in the Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary.

#### 5. 14TH FINANCE COMMISSION IN THE JUSTICE SECTOR

- 5.1 The Department of Justice submitted a Memorandum for consideration of the 14<sup>th</sup> Finance Commission guided by the need to ensure easy access to court services, and enhancing public confidence in the court system. The Memorandum proposed a total financial requirement of Rs.9749 crore for reduction of pendency through establishment of additional courts (Rs.858.82 crore), Fast Track Courts (Rs.4144.11 crore), Family Courts (Rs.541.06 crore), Re-designing existing court complexes to become more litigant friendly (Rs.1400.00 crore), Augmenting technical support for ICT enabled courts (Rs.479.68 crore), Scanning and Digitization of Case Records of High Courts and District Courts (Rs.752.50 crore), Enhancing Access to justice (Rs.947.55 crore), Training and capacity building of Judges, public prosecutors mediators, lawyers: Refresher, ongoing (Rs.550.00 crore) and Establishment of State Judicial Academies in Manipur, Meghalaya and Tripura (Rs.75.00 crore).

- 5.2 Recommendation of the 14<sup>th</sup> Finance Commission - The 14<sup>th</sup> Finance Commission while taking note of the exhaustive nature of the proposal had endorsed the same and urged the State Governments to use the additional fiscal space provided by the Commission in the tax devolution to meet such requirements to strengthen the judicial systems in States.

## 6. E-COURTS MISSION MODE PROJECT

### 6.1 Introduction:

With a vision to put in place a justice delivery system that possesses better efficiency, accessibility, affordability, more transparency and set timeliness, the Department of Justice is implementing the eCourts Mission Mode Project (MMP), under the guidance of eCommittee, Supreme Court of India. Initiated back in 2010, the Phase-I of eCourts MMP while accomplishing its set targets and timelines with a good success rate; concluded its first phase at a total cost of Rs.639.144 crores.

### 6.2 Financials & Timelines:

eCourts MMP is one of the National e-Governance projects of Department of Justice running in its Phase II implementation. Commenced in August, 2015 the Phase II of eCourts MMP is set to conclude in 2019. Under Phase II [2015-2019] of the project with an outlay of Rs. 1,670 crores, a sum of Rs. 921 crores has been released till 31.12.2017 by the Department of Justice.

### 6.3 ICT Enablement of District & Subordinate Courts:

With its objective to provide designated services to litigants, lawyers and Judiciary through universal computerization, the Department of Justice has completed ICT enablement of 16,089 district & subordinate courts under the eCourts MMP. Key features include provisioning of basic digital infrastructure for ICT enablement consisting of various modules, such as computer hardware, computerization of DSLAs/ TLCs, Local Area Network (LAN), internet connectivity and installation of standard application software at each court complex, trainings at SJAs, installation of kiosks, change management, etc.

Video Conferencing facility has been operationalised between 488 court complexes & 342 corresponding jails. Work is in progress for establishing the same at 2768 Court Complexes & 958 Jails. Additional features of the Project include delivery of the services; inter alia, case registration, cause-lists, daily case status, and final order/judgment. Integration of eCourts with Prisons, Police and Forensics under Interoperable Criminal Justice System (ICJS) is envisaged.

### 6.4 National Judicial Data Grid (NJDG):

National Judicial Data Grid (NJDG) for District & Subordinate Courts is created as an online platform under the Project provides information relating to judicial proceedings/decisions of 16,089 computerized district and subordinate courts of the country. Currently litigants can access case status information in respect of over 8.86 crore cases and more than 5.24 crore orders / judgments pertaining to these computerized courts. The portal also

provides online information to litigants such as details of case registration, cause list, case status, daily orders, and final judgments. Approximately 3000 Court Complexes replicate live data of filing, registration, scrutiny, objections, case status, cause list, judgement and orders on real time basis.

High Court NJDG is also made operational. High Courts have joined the National Judicial Data Grid (NJDG) through web services wherein data of 39 benches of 23 High Courts are live.

## 6.5 Services under eCourts project:

### a. SMS Push:

For the benefit of litigants and lawyers, the facility of providing case information service(s) through SMS has been implemented and the process of disseminating system-generated SMSs is operational.

### b. SMS Pull:

The SMS pull facility under eCourts Project was inaugurated on 22nd September, 2017. The case details can be obtained under SMS pull facility by sending unique CNR number (Case Number Record) to 9766899899 through SMS.

### c. Email:

Automated mailing has been made operational for all the District & Taluka Courts in the Country. At present more than 1 lakh mails are being sent daily. Cause lists, judgements, case status etc. can be received in the litigants' mailbox on registration of email address with the respective courts under the eCourts Project through emailing service.

### d. Web:

Litigant centric information can be obtained through the website of the eCourts portal by accessing using the URL: <https://ecourts.gov.in>.

### e. Mobile App:

E Courts mobile app with the facility of QR Code has also been launched for use of litigants and lawyers. Services under different captions viz. Search by CNR, Case Status, Cause List and My Cases are available on this app. With availability on both Play Store and App Store, the total downloads have crossed 4.43 Lakhs till 31.12.2018.

### f. Judicial Service Centers:

Judicial Service Centers (JSC) have been established at all computerized courts to serve as a single window for filing petitions and applications by litigants/ lawyers, and for obtaining information on ongoing cases and copies of orders and judgments etc.

**g. Kiosks:**

Information Kiosks have been setup at all computerized court complexes for disseminating judicial information related to cause lists and other case related information to the lawyers and litigants.

**6.6 Case Information System:**

A new and more user-friendly version of Case Information Software (CIS 2.0) has been developed and deployed at all the computerized District and Subordinate Courts. QR Code facility is made operational in the software. Every outgoing document from the software will now bear a QR Code. On the basis of printed QR Code, one can check current status of the case. CIS NC 3.0 advance version is ready for deployment. It has been tested and now the final version is planned to be released shortly. Electronic Process generation transmission and tracking of service portal will be launched after deployment of CIS NC 3.0 and after hardware requirements are met.

High Courts are also migrating to Case Information Software. Till 31<sup>st</sup> January 2018, 11 High Courts have adopted and gone live to Case Information System National Core version 1.0.

**6.7 E-Filing Facility:**

E-filing facility for District and Subordinate Courts of Delhi was inaugurated by Dr. Alok Srivastava, Secretary, Department of Justice during the CPC Conference on 3rd December, 2017. The facility is in the process of launching for Delhi District Courts. This facility will then be replicated immediately for all the District Courts after hardware installation is complete.

**6.8 Change Management:**

An e-Book on Case Management through CIS 2.0 under eCourts Project was prepared for use of Judicial Officers and Court staff to understand about CIS 2.0, which is the backbone software of eCourts Project. A Management Manual was also made ready to provide assistance to the Judicial Management on how to use various tools provided in the CIS 2.0. Videos and Manuals on NJDG, e-filing, and CIS as training and awareness tools have also been prepared for litigants, advocates, staff and Judicial Officers and can be accessed at [ecourts.gov.in](http://ecourts.gov.in).

Acknowledging the need of international exposure to good judicial practices for the judiciary, the Department of Justice, under the Change Management Exercise of eCourts MMP, initiated a step to equip the Judicial Officers and keep them in-tune with global best practices and standards by organizing a training program of Judicial Officers at University of California, Berkeley. A total of 28 judicial officers from across the country underwent a two weeks Residential Training Program at University of California, Berkeley.

An executive management education program for 36 Project Coordinators of eCourts Project of the High Courts on Project Management (eCourts Mission Mode Project) was



conducted for a week during October, 2017 at Indian Institute of Management, Bangalore. The participants have been trained about Reinvention in Government, Project Management Techniques and Processes, Project Financial Management and Controls, Public Procurement and Contract Management, GFR: Issues of Compliance, Service Quality and Internal Client Satisfaction and Managing Vendors. The ecommittee has also taken up the work of process reengineering with the help of High Courts.

#### **6.9 Tri-partite Memorandum of Understanding:**

Tri-partite Memoranda of Understanding have been signed between Department of Justice, 30 State Governments/ UTs and their respective High Courts to ensure maintenance of assets and sustainability after the end of project period.

### **7. NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS**

National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms was set up in August, 2011 with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities. The Mission has been pursuing a coordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency in judicial administration, which, *inter-alia*, involves better infrastructure for courts including computerization, increase in strength of subordinate judiciary, policy and legislative measures in the areas prone to excessive litigation, re-engineering of court procedure for quick disposal of cases and emphasis on human resource development. The Mission has taken several steps in each of the strategic areas towards fulfillment of its objectives.

Lack of adequate number of judges to handle the large number of cases pending in courts is often cited to be one of the main reasons for delays. The problem of shortage of judges is being addressed through a two pronged strategy. Firstly, by filling up the large number of existing vacancies in the judiciary and secondly, increasing the sanctioned strength of judges. It would be pertinent to note that as per the Constitutional framework the selection and appointment of judges in subordinate courts is the responsibility of State Governments and High Courts.

In the case of *Imtiyaz Ahmed versus State of Uttar Pradesh* and others, the Supreme Court asked the Law Commission of India to evolve a method for scientific assessment of the number of additional courts to clear the backlog of cases. The criteria of judge-population ratio for determining the adequacy of the Judge Strength in the country has been reviewed by the Law Commission in its 245<sup>th</sup> Report (2014) prepared on the direction of the Supreme Court in this case. In 245<sup>th</sup> report, the Law Commission has observed that filing of cases per capita varies substantially across geographic units as filings are associated with economic and social conditions of the population. As such the Law Commission did not consider the judge population ratio to be a scientific criterion for determining the adequacy of the judge strength in the country. The Law Commission found that in the absence of complete and scientific approach to data collection across various High Courts in the country, the “*Rate of Disposal*” method to calculate the number of additional judges required to clear the backlog of cases as well as to ensure that new backlog is not created, is more pragmatic and useful. In May, 2014, the Supreme Court asked the State Government and the High Courts

to file their response to the recommendations made by the Law Commission. In August 2014, the Supreme Court asked the National Court Management System Committee (NCMS) to examine the recommendations made by the Law Commission and to furnish their recommendations in this regard. NCMS submitted its report to the Supreme Court in March, 2016. It has, *inter alia*, observed that in the long term, the judge strength of the subordinate courts will have to be assessed by a scientific method to determine the total number of “*Judicial Hours*” required for disposing of the case load of each court. In the interim, this Committee has proposed a “*weighted*” disposal approach - disposal weighted by the nature and complexity of cases in local conditions. In the Order dated 02.01.2017, the Hon’ble Supreme Court has directed Union of India to forward a copy of interim report submitted by the Chairperson, NCMS Committee to all High Courts and State Governments to enable them to take follow up action to determine the required Judges Strength of district judiciary based on the NCMS report.

On account of the concerted efforts made by all stakeholders there has been a gradual increase in the sanctioned strength of the subordinate judiciary over the past few years. It has increased from 17,715 at the end of 2012 to 22,619 as on 31.12.2017. In case of the High Courts, the Chief Justice of India gave an “*in principle*” concurrence in April, 2014 to the joint recommendation of the Chief Ministers and Chief Justices Conference held in April, 2013 to increase the sanctioned strength of High Courts by 25 per cent. Several States have already accepted this proposal, as a result of which the sanctioned strength of High Courts has increased from 906 judges in 2014 to 1079 judges in December, 2017. The judge-population ratio in the country, taking into account sanctioned strength of judges at all levels now stands at about 19.61 judges per one million of the population.

However, it is noted that despite the gradual increase in the sanctioned strength, there still remain a large number of vacancies in subordinate courts. As of 31<sup>st</sup> December, 2017, there were 5,924 vacancies in the posts of judicial officers, representing about 26 per cent of the sanctioned strength. In case of the High Courts, 1079 posts, of the sanctioned strength, as of December, 2017. In the Conference of Chief Justices held on 22<sup>nd</sup> and 23<sup>rd</sup> April, 2016 it was, *inter-alia*, resolved that the Chief Justices shall take effective steps in coordination with the State Governments to ensure an increase in the cadre strength of the district judiciary commensurate with the needs of their states and in compliance with the judgments of the Supreme Court.

### 7.1 Advisory Council of the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms

The National Mission has an Advisory Council to guide it and oversee implementation of its Action Plan, which is headed by the Hon’ble Minister of Law and Justice. The Advisory Council has representation of Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievance, Law and Justice, Attorney General of India, Solicitor General of India, Law Commission of India, Supreme Court of India, National Judicial Academy, Bar Council of India, two States (Andhra Pradesh and Jammu & Kashmir), Department of Legal Affairs, Legislative Department, Ministry of Home Affairs, and an expert (Shri Madhav Menon). The Advisory Council is mandated to meet once in every six months and to advice on the goals, objectives and strategies of the National Mission. The Advisory Council has so far met ten times since inception. The last Meeting was held on 18th October, 2016 which reviewed the progress on various initiatives taken by the Mission and *inter-*

*alia* deliberated upon the issues relating to reforms in criminal justice system, manpower planning for subordinate judiciary, streamlining of court processes, judicial database for policy formulation *etc.*

## 7.2 Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of infrastructure facilities for the judiciary

Development of Infrastructural Facilities for Judiciary in the States is the prime responsibility of the State Governments concerned. However, to augment the resources of the State Governments, a Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of infrastructure facilities for the judiciary was launched by the Central Government in the year 1993-94. The scheme, as it stands now, covers construction of court buildings and residential quarters for Judges / Judicial Officers of District and Subordinate Courts. Infrastructure development for the subordinate judiciary is a major thrust area of the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. Accordingly, the funding pattern of the scheme was revised from 50:50 to 75:25 (90:10 for North Eastern States) under modified scheme from the year 2011-12 onwards. With the enhanced devolution of funds to the States on the recommendations of the 14th Finance Commission, the fund sharing pattern of the Scheme has again been revised from 75:25 to 60:40 (Centre: State) (90:10 for the 8 North-Eastern and 3 Himalayan States) with effect from 2015-16. There is no requirement of funds sharing with Union Territories. Since inception of the Scheme, the Central Government has provided financial assistance amounting to Rs.6009 crore to State Governments / Union Territories. Out of this, an amount of Rs.2565 crore has been provided since 2014-15 till 22.01.2018 (42.66%), which includes Rs. 530 crore in 2017-18.

As per information collected from High Courts as of December 31, 2017, there were 17,814 court halls / court rooms available for District and Subordinate Courts in the country. In addition, 2,950 court halls / court rooms were under construction. Comparing these figures with the working strength of 16,695 judges / judicial officers reported by High Courts as of December, 2017, adequate court rooms / court halls are available for the current strength of judicial manpower. 2,429 Court Halls and 4,172 Residential Accommodation were constructed since 2014 till 31.12.2017, out of this 518 court halls have been constructed in the year 2017. Focus is now to match the availability of court rooms / court halls with the sanctioned strength of judicial officers / judges in District and Subordinate Courts. Considerable progress has also been made with regard to availability of residential units for judicial officers in District and Subordinate Courts. As of December, 2017, 13,658 residential units were available for Subordinate Courts and 1,633 residential units were under construction.

The Expenditure Finance Committee approved the continuation of Centrally Sponsored Scheme (CSS) for on-going under construction projects in August, 2017. In November, 2017, the Union Cabinet also approved continuation of the Scheme upto 31st March, 2020 with an outlay of Rs. 3,320 crore to be implemented in Mission Mode through the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. The Cabinet also directed to set up an *on-line monitoring system* with *geo-tagging* enabling data collection on progress, completion of court halls and residential units under construction, including for future projects as

well as better asset management; and to formulate *norms and specification of court halls and residential units* to be constructed under Scheme for implementation throughout the country for future.

### 7.3 Gram Nyayalayas

The Gram Nyayalayas Act, 2008 came into force with effect from 2<sup>nd</sup> October, 2009. The Act provides for establishment of Gram Nyayalayas at intermediate Panchayat level for the purpose of providing access to justice to the citizens at their doorstep. A copy of the Act has been placed on the website of Department of Justice. In terms of Section 3(1) of the Gram Nyayalayas Act, State Governments, after consultation with the High Court concerned, may, by notification, establish one or two more Gram Nyayalayas for every Panchayat at intermediate level or a group of contiguous Panchayats at intermediate level in a district or where there is no Panchayat at intermediate level in any State, for a group of contiguous group Panchayats. As per the information available, 321 Gram Nyayalayas have been notified by 11 States, out of which 207 Gram Nyayalayas are functional. Details are given below:

Sl. No.	State	Notified	Functional
1	M P	89	89
2	Rajasthan	45	45
3	Karnataka	2	0
4	Orissa	16	13
5	Maharashtra	23	23
6	Jharkhand	6	0
7	Goa	2	0
8	Punjab	2	1
9	Haryana	2	2
10	UP	104	4
11	Kerala	30	30
	<b>Total</b>	<b>321</b>	<b>207</b>

To encourage the states, the financial assistance is provided for non-recurring expenses for setting up of Gram Nyayalayas, and for meeting the cost of recurring expenditure towards running these Gram Nyayalayas for the first three years. The recurring and non-recurring assistance is subject to financial ceilings as provided in the guidelines of the scheme. The Central Government is providing assistance to states for Gram Nyayalayas which include Rs. 18.00 lakh per Gram Nyayalaya towards cost of establishing the Gram Nyayalaya as a

one-time assistance (Rs. 10 lakh for office building, Rs. 5 lakh for vehicle and Rs. 3 lakh for furnishing the office) and Rs. 3.20 lakh per Gram Nyayalaya per annum as recurring expenditure for a period of three years. A sum of Rs. 52.60 crore has been sanctioned to States so far which include Rs. 8.00 crore in 2017-18.

#### **7.4 Pendency in Courts**

As per information available 55,459 cases were pending in Supreme Court as on 22.12.2017. As per National Judicial Data Grid (NJDG), 34.27 lakh cases were pending in High Courts (excluding the High Courts of Allahabad and Jammu and Kashmir), and 2.61 crore cases were pending in the District and Subordinate Courts in the States, excluding the States of Arunachal Pradesh, Nagaland and Union Territories of Lakshadweep and Puducherry, as on 1.1.2018.

During the Joint Conference of Chief Ministers of States and Chief Justices of the High Courts held at New Delhi in April 2015, reduction of pendency and backlog of cases in courts emerged as an area which required focused attention at the High Court level. The Chief Justices of the High Courts in the Conference held on 03rd and 04th April 2015 have resolved that each High Court shall establish an Arrears Committee, which would go into the factors responsible for the delays and prepare an action plan to clear the backlog of cases pending for more than five years. It was further resolved in the Conference of Chief Justices of the High Courts held in April, 2016, that in order to ensure expeditious disposal of cases pertaining to women, marginalized segments, senior citizens and differently-abled, steps be taken to. (a) prioritize the disposal of cases falling in these categories within the existing court system; (b) an endeavor be made to revisit the cadre strength of subordinate courts and, where necessary, create additional courts to deal with such cases. All High Courts have been requested to take steps towards reduction of pendency of cases in the High Court as also in District and Subordinate Courts.

#### **7.5 Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms**

A Plan Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms was formulated by the Department of Justice in September, 2013 with necessary approval of Standing Finance Committee. The objective of the Scheme is to promote action research and studies in the field of Judicial Reforms. The objective is wide enough to include each and every aspect of legal and judicial matters of justice delivery in order to cover the broader object of the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms, viz. the objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and improving capacities.

The financial assistance upto Rs. 25 lakh is provided to the eligible implementing agencies for the projects/activities in the fields of Justice Delivery, Legal Research and Judicial Reforms. In exceptional cases, where the scope of the Project is sufficiently wide, sample size is large and Project is for longer duration, the Project Sanctioning Committee (PSC) chaired by Secretary (Justice) may relax this ceiling. The eligible implementing agencies

are Indian Institute of Public Administration, Administrative Staff College of India, Indian Institute/s of Management, Indian Law Institute, National Law Universities, National Council of Applied Economic Research, National Judicial Academy, State Judicial Academies and other reputed institution working in the field of justice delivery, Legal research and judicial reforms.

So far, out of 24 projects approved by Project Sanctioning Committee, Final Reports have been received in ten projects.

## 7.6 Enforcing Contracts under World Bank's Ease of Doing Business Ranking

The World Bank publishes “Doing Business Report” every year and ranks countries on Ease of Doing Business. It considers work done on Doing Business from April to March every year. Doing Business Report 2018 has ranked India at 100<sup>th</sup> position out of the 190 economies. 10 Performance Indicators have been used to measure world economies. Department of Justice, M/o Law & Justice is nodal department for improving “Enforcing Contracts” parameter. The enforcing contracts indicator measures the time and cost for resolving a commercial dispute through a local first-instance court, and the quality of judicial processes index, evaluating whether each economy has adopted a series of good practices that promote quality and efficiency in the court system.

As per the 2018 Report, estimated total time taken for completion of a case in a district court is 1445 days( in 2017 report it was 1420 days). Out of this, 45 days are taken for filing and service phase; 1095 days are taken for trial and judgment phase and 305 days taken for execution of judgment. The cost estimates (which includes Court fee, attorney fee and enforcement fee) for India stood at 31 % in 2018 and the cost estimates of the OECD countries is 21.5%.

India's Quality of Judicial Process Index has improved from the overall score; of 7.5/18 to 9/18 in World Bank Report 2018 and improved from the 172<sup>th</sup> rank in 2017 to 164<sup>th</sup> rank in 2018. The ranking is done for only District Commercial Courts i.e. 11 Delhi District Courts and 60 Bombay Civil Courts.

*Task Force for implementation of “Enforcing Contracts”*: A Task Force has been constituted under the Chairmanship of Secretary (Justice) on 23<sup>rd</sup> December, 2016 with representatives from Department of Industrial Promotion and Policy, Department of Legal Affairs, Legislative Department, High Courts of Delhi and Bombay and State Governments of Delhi and Maharashtra to monitor the reforms for “Enforcing Contracts”. So far 5 meetings of the Task Force have been held on 05.01.2017, 18.04.2017, 04.08.2017, 20.11.2017 and 29.12.2017.

The Government has taken various initiatives to register the jump of 8 places in the Enforcing Contract Parameter and is in course to ensure that necessary reforms are undertaken to ensure that India's ranking in this parameter comes within the top 50 by next year. The Steps to be taken by the Government to improve facilitate enforcement of contracts.

- (i) NJDG is a comprehensive database of cases pending in the District and Subordinate Courts and select High Courts- monitoring tool to identify, manage and reduce pendency of cases. Facility allows the following reports to be generated:
  - (a) Clearance Rate Report;
  - (b) Age of pending cases report; and
  - (c) Single case progress report.
- (ii) Electronic case management tools are in place and available for lawyers and judges and relevant links are available on eCourts portal. Allows lawyers to a. *Access laws, regulations and case-law*; b. *Access forms to be submitted to the court*; c. *Receive notifications*; d. *Track the status of a given case*; and e. *Access court orders and decisions on a given case*.
- (iii) Electronic Court Management tools to judges for better and efficient justice delivery process. The system allows the judges to a. *Access laws, regulations and case-law*; b. *Send notifications to lawyers*; c. *Track status of a case in judge's docket. The judge can view the cause list and its entire history on his docket before the hearing*; d. *View and manage case documents*; e. *Semi automatic generation of court orders*; and f. *View court orders and judgments in a particular case*.
- (iv) e-Filing software was launched in the country on 3<sup>rd</sup> December, 2017 and that the facility would be active for the entire country by 31st March, 2018.
- (v) A mobile application is being developed which will be provided to the process servers for electronically registering the proof of service of process. It will come with a GPS locator.

## 8. ACCESS TO JUSTICE FOR THE MARGINALISED

Department of Justice had collaborated with United Nations Development Programme (UNDP) in 2009 to commence a decade long project titled - **Access to Justice for Marginalized People**. The core focus of the project included:

- a) strengthening access to justice for the marginalized- particularly women, scheduled castes, scheduled tribes and minorities;
- b) improving institutional capacities of key justice service providers to enable them to effectively serve the poor and disadvantaged; and
- c) directly empowering the poor and disadvantaged men and women to seek and demand justice services.

The project was implemented over two phases – 2009-2012 and 2013-2017 in eight states including Bihar, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Rajasthan, Uttar Pradesh and Odisha. The Project ended on 31 December 2017 with the conclusion of its second phase.

## 8.1 Projects implemented during 2017

- a) **Law School Based Legal Aid Clinics:** Law school based Legal Aid Clinics in Odisha and Maharashtra were run by National Law School, Odisha and Tata Institute of Social Sciences respectively, under their Clinical Legal Education Program. A total of six legal aid clinics were set up and operated by students and faculty of the two institutions. These included two campus based clinics in the premises of TISS and NLUO and four clinics outside the campus. (Out of which, three clinics were situated at Brahmagiri, Dompada and Jankia blocks of Puri, Cuttack and Khurda districts respectively and one at Mankhurd ward at Mumbai (suburban) in Maharashtra). The above clinics conducted legal awareness programs as well as provided legal assistance to members of marginalized communities in the nature of drafting case documents, filing applications, referring cases to the district legal services authority as well as giving legal advice.

In Odisha, the clinics have successfully organized 26 structured Legal Literacy programs for marginalised communities on various themes including free legal aid, rights of undertrials, women, children, labourers and consumers, consumer rights, land rights of tribal people, right to information, right to education and social security schemes. In addition, several capacity building programs for specific target groups such as lawyers, para legal volunteers, government officials, law teachers, law students and women were also organized.

In Maharashtra, the two TISS clinics dealt with a total of 362 cases including criminal, civil, domestic violence, sexual harassment at the workplace, family law cases, PIL cases etc. Out of these, 229 (69%) were female applicants seeking advice predominantly on domestic violence and matrimonial problems. In addition, capacity building programs for social workers from various NGOs, anganwadi workers, and for protection officers of WCD were conducted.

- b) **Legal Literacy Campaign in Barabanki district, UP:** A pilot project on legal literacy in ten blocks of Barabanki district, targeting 779 gram panchayats, was completed in 2017. Under this programme, training of 517 Village Level Resource persons was conducted on social justice legislations, along with creation and dissemination of legal awareness material on these legislations and government schemes.

The awareness program targeted community level workers and social sections functionaries such as *anganwadi* workers. The legal literacy campaign was conducted using various means including showing documentary films, puppet shows, *nukkad nataks*, etc. at the gram panchayat level.

- c) **Technical Support to National Mission on Justice Delivery and Legal Reforms:** A team of four professionals provided research and advisory notes on subjects dealt with by National Mission on Justice Delivery and Legal Reforms such as on Ease of Doing Business, Enforcement of Contract. The team also reviewed proposals received under the Scheme for Action Research and Judicial Reforms and provided technical suggestions so as to ensure that the said project serves the purpose of promoting research on issues undertaken by the National Mission.



- d) **Project Evaluation:** The evaluation of the second phase of A2J project was completed by Sutra Consultants Private Limited. The report presented an encouraging analysis of the A2J project and gave certain key recommendation for next phase as follows:
- a) Build strategic institutional partnerships with Ministries- greater potential for scale up and sustainability of projects.
  - b) Strengthen partnership with NALSA, NLMA, SIRDs.
  - c) Legal Information Kiosks could be developed further to strengthen public grievance redressal and put in *tehsil* and block offices. Content could be converted to mobile application.
  - d) Partnership model of technical support could be a key intervention area for UNDP in the future.

## 8.2 Three New Initiatives

Following new initiatives were launched by Department of Justice on April 20, 2017

1. **Nyaya Mitra:** Under this scheme, Nyaya Mitras (NM) were to be selected and appointed in 227 districts from 16 states to reduce pendency of ten-year-old cases. As on date, 16 NMs have been appointed. Their functions include providing legal advice to the marginalized people, liaising with government departments and state legal services authority to fast track the disposal of cases, referring cases to Lok Adalat and effectively handle grievances forwarded by Department of Justice.
2. **Tele Law: Mainstreaming Legal Aid through Common Services Centers:** This initiative is being implemented by the Department of Justice in collaboration with CSC -e Governance Services Pvt Ltd and State Legal Service Authority under the aegis of National Legal Service Authority (NALSA). The scheme aims to provide legal advice to marginalized communities by panel lawyers stationed at the State Legal Service Authority through para legal volunteers. Communication between panel lawyers and beneficiaries is facilitated through video conferencing, chat and telephone available at the Common Service Centers established at the panchayat level. The programme is currently being implemented in a pilot phase in 1000 CSCs in Uttar Pradesh, Bihar. By the last week of January 2018, more than 1600 cases of marginalized communities have been registered on the tele law portal and legal advice has been rendered in a little more than 1400 cases.
3. **Pro Bono Legal Service Scheme:** The core aim of this initiative is to institutionalize the practice of volunteering pro bono legal services in India by firstly, ensuring that those who seek these services are made available quality legal assistance and secondly, the efforts those who volunteer their valuable time and service towards this public service are duly recognized. Keeping in line with these obligations and with a view to encourage pro bono legal services, Department of Justice has created a web based platform (available at [www.doj.gov.in](http://www.doj.gov.in)), through which lawyers can volunteer pro bono services for the under-privileged clients, who are unable to afford it and applicants from marginalized communities can also apply for legal aid and advice from the pro bono lawyers.

By the last week of January 2018 a total of 202 lawyers from different parts of the country have registered and 264 cases of marginalized applicants have been assigned to these advocates. A total of 69 lawyers have provided feedback reports on the cases assigned to them. The Department is also developing a mobile application which will facilitate connection between beneficiaries and pro bono lawyers.

## 9. Access to Justice, North East and Jammu and Kashmir

<b>Title of the project/scheme</b>	:	“Access to Justice -NE and J&K”
<b>Duration of the project</b>	:	April 2012 – March 2017
<b>Total cost of the project</b>	:	Rs. 30 Crore
<b>Current Status of the project</b>	:	Extension of project received for 3 years (1 <sup>st</sup> April 2017 to 31 <sup>st</sup> March 2020)
<b>Current budget for new phase</b>	:	Rs. 46 Crore
<b>Project Partners</b>	:	State Legal Services Authorities, National Literacy Mission Authority, Common Service Centre e-Governance Ltd.

### 9.1 Achievements

- (1) **Drafting a Policy Framework to Secure Rights of Orphan Children and Govern Orphanages in Jammu & Kashmir:** An assessment study of orphanages in Jammu and Kashmir and to draft a policy framework for governing orphanages in Jammu and Kashmir was undertaken. The recommendations were submitted to the Department of Social Welfare, J&K for further action. Stakeholder Consultation on Policy framework to secure the Rights of Orphan Children in J&K
- (2) **Convergence with National Literacy Mission Authority for Mainstreaming Legal Literacy:** Legal literacy curriculum is developed & training programmes are conducted in collaboration with NLMA through State Resource Centres of North Eastern States. The project benefitted 7 lakh people at grass root level.
- (3) **Convergence with Common Services Center (CSC) e-Governance India Ltd in North Eastern States & J&K:** Through Common Service Centre a Handbook on legal literacy for North Eastern States & J&K is developed in local languages i.e. Assamese, Bangla, Nepali, Khasi, Garo, Manipuri, Mizo, Hindi, Urdu. Also a short film on legal awareness has been developed. With the learning material, training to 900 Village Level Entrepreneurs (VLEs) was provided. The VLEs further disseminated the legal awareness by organizing camps at panchayat level.
- (4) **Rendering human resource to SLSAs through appointment of Project Teams in the nine States:** A team of two professionals (Project Coordinator and Project Assistant) has been appointed in all the nine project states to coordinate the activities of project at the states level and support the State Legal Services Authority.

- (5) **State Conferences in North Eastern States:** Conferences were organized on “Rights of Survivors of Human Trafficking in North Eastern States: *Challenges in accessing Justice Mechanism and role of stakeholders*” in Assam & “*Community policing in North Eastern India: Benefits, Challenges and Action plan for better policing*” in Meghalaya in the month of July 2016 and ‘*Rights of Scheduled Tribes & other marginalized community in North Eastern States: Role of SLSAs and Commissions in securing their legal rights*” in Manipur during September 2017.
- (6) **Tele-Law Scheme:** To mainstream the legal aid through Common Service Centers for marginalized persons in North Eastern States & J&K, Tele Law is being implemented to connect lawyers from any location through video conferencing and telephone in 800 CSCs to people in search of legal counselling in the remotest corners. All the Village level Entrepreneurs and PLVs were trained on tele-law scheme in North Eastern States and Jammu & Kashmir. A total of 10,272 cases are registered and 7,427 people have been able to receive legal counseling through video conference/telephone till last week of January 2018 in the project States.
- (7) **Evaluation Study conducted by National Productivity Council:** - National Productivity Council evaluated the physical and financial progress/performance of the scheme during the 12<sup>th</sup> Five Year Plan. The report recommended continuing the project in the far flung areas of North Eastern States and Jammu & Kashmir.

## 9.2 Key Achievements

- IEC material has been developed on various social welfare legislations in 16 local dialects for NE States & J&K.
- Tele film (6 series) has been prepared in 7 local languages for NE region focusing on social welfare legislations in context of North Eastern States & Jammu & Kashmir.
- Three State Conferences were organized in NE states on important issues like rights of scheduled tribes, human trafficking, community policing inviting all relevant stakeholders.
- A Policy Framework study has been conducted to Secure Rights of Orphan Children & Govern Orphanages in J&K with recommendations for the State Government to formulate policy on the subject.
- Sustainable convergence of legal literacy activities in NLMA’s curriculum under MoU signed between DOJ and National Literacy Mission Authority.

## 9.3 Approved Projects for new cycle of A2JNEJK Scheme (2017-2020)

- Training & sensitization of Headmen on Legal Literacy in Meghalaya by State Legal Services Authority, Meghalaya
- Establishing legal aid clinic for juvenile justice in Srinagar district by Central University of Kashmir

- Capacity building of POCSO stakeholders on legal rights of child victimized with rights based approach by Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences (JNIMS), Porompat, Imphal East.
- Setting up of legal aid clinic in 10 subdivisions in Tripura by Tripura Legal Services Authority.
- Establishing legal aid clinic in Kashmir by State Legal Services Authority, J&K.
- Convergence of legal literacy activities through state departments of Rural Development of North Eastern States.
- Training of *Gaon Burahs* and *Gaon Buris* of Arunachal Pradesh through SLSA Arunachal Pradesh.
- *Establishing legal aid clinic in 16 educational institutions in Aizawl District: ensuring access to justice to marginalized community* by Mizoram State Legal Services Authority.

**Planned Activities:**

- Legal awareness programmes of SengKynthei by Meghalaya State Commission for Women (MSCW).
- Convergence of legal literacy activities through National Disaster Management Authority in North Eastern States and Jammu & Kashmir.
- Convergence of legal literacy activities through Ministry of Tribal Affairs.
- Synergy between tribal justice system and regular justice system in North Eastern States.

**10. SERVICE CONDITIONS OF HIGHER JUDICIARY:**

**10.1. Revision of salary and allowances of Judges of Supreme Court and High Courts.**

The Salaries and Allowances of High Court and Supreme Court Judges are reviewed separately on the recommendations of Hon'ble Chief Justice of India (CJI)/ Committee of Judges. The CJI/Committee of Judges has since submitted the report on revision of Salary & allowances of High Court and Supreme Court Judges w.e.f. 1.1.2016. In order to revise the salaries and allowances of High Court and Supreme Court Judges, the "High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill 2017" has been passed by Lok Sabha on 04.01.2018 and sent to Rajya Sabha on 05.01.2018. It is expected that the assent of the President to the Bill would be obtained shortly.

**10.2. Second National Judicial Pay Commission (SNJPC)**

The Supreme Court of India vide its order dated 09.05.2017 in Writ Petition No.643/2015 directed to appoint a Judicial Pay Commission to review the pay scales, emoluments and service conditions of the Judicial Officers of Subordinate Judiciary in India.

Accordingly, with the approval of the Cabinet, the Government has notified setting up of the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) on 16.11.2017 comprising the following:-

- (i) Chairman- Mr. Justice (Retd.) P.Venkatarama Reddi, former Judge of Supreme Court of India.
- (ii) Member- Mr. Justice (Retd.) R.Basant, former Judge of Kerala, HC.
- (iii) Member Secretary (to be chosen by the Commission, preferably a Judicial Officer).

The brief ToR of the SNJPC is as follows:-

- (a) To evolve the principles which should govern the structure of pay and other emoluments of Judicial Officers belonging to the subordinate Judiciary all over the country.
- (b) To examine the present structure of emoluments and conditions of service of Judicial Officers in the state and UTs.
- (c) To examine the work methods and work environment as also the variety of allowances and benefits in kind that are available to Judicial Officers.
- (d) To consider and recommend such interim relief as it considers just and proper to all categories of Judicial Officers of all the States/Union Territories.
- (e) To recommend the mechanism for setting up of a permanent mechanism to review the pay and service conditions of members of subordinate judiciary periodically.

## **11. MISCELLANEOUS ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT**

**11.1 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:** Under the provisions of the Right to Information Act, 2005, Department of Justice has initiated the following actions:

- (a) A Section Officer of the Department has been designated as CAPIO to collect, transfer the applications under the RTI Act, 2005 to the Central Public Information Officers/Public Authorities concerned and to submit the quarterly returns regarding receipt and disposal of the RTI applications/appeals to the Central Information Commission.
- (b) Details of the Department's functions along with its functionaries have been placed on the RTI portal of the Department's official website (<http://doj.gov.in>) as required under section 5(1) of RTI Act, 2005 in respect of subjects being handled by them.
- (c) All Under Secretaries have been designated as Central Public Information Officers (CPIOs) under section 5(1) of RTI Act, 2005 in respect of subjects being handled by them.

- (d) All Directors/Deputy Secretary level officers have been designated as Appellate Authorities in terms of Section 19(1) of RTI Act, 2005 in respect of Under Secretaries working under them and who have been designated as CPIOs.
- (e) During the year 2017 (01.01.2017 to 31.12.2017), 600 RTI applications and 25 Appeals were received manually and 2502 RTI applications and 115 Appeals were received online in the Department and forwarded to the concerned CPIOs/Public Authorities for providing information requested for.
- (f) As per para 1.4.1 of the DOPT's guidelines issued vide their O.M. No. 1/5/2011-IR dated 15.04.2013, the Department is uploading all RTI and appeal replies on the website regularly.

## 11.2 Redressal of grievances

- (a) Department of Justice (DOJ) receives large number of Citizen's grievances from citizens through President's Secretariat/Vice President's Secretariat/PMO/directly from the citizens through online CPGRAMS portal. The Department has been rated as one of the 20 largest grievances receiving Departments by the Department of Administrative Reforms & Public Grievances. Besides, large number of grievances is also received through post.
- (b) Department of Justice is mandated to deal with grievances related to appointment of Judges of Supreme Court/High Courts, legal assistance / legal aid / legal awareness / eCourts / Judicial Reforms etc. Grievances related to these issues only are dealt with by Department of Justice.
- (c) Grievances related to judiciary are forwarded electronically to the Secretary General, Supreme Court of India/Registrar General of the concerned High Court for further action, as appropriate. A copy is endorsed to the grievance holder for information.
- (d) Grievances received in the Department of Justice for providing free legal aid are forwarded to Member Secretary, National Legal Service Authority (NALSA) for taking appropriate action for redressal.
- (e) As the Grievances forwarded by Department of Justice are considered and examined by the Judiciary as per their own in-house mechanism and the system/procedure to deal with grievances which is normally not shared. In such cases, Department of Justice is not in a position to inform the outcome to grievance holders.

Detailed guidelines for disposal of grievances by Department of Justice have been uploaded on website [www.doj.gov.in](http://www.doj.gov.in) for information/guidance of grievance holders/citizens.

## 11.3 EMPOWERMENT OF WOMEN

**Redressal of Complaints pertaining to Sexual Harassment at Work-place:** In compliance of Section 4(1) of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention,

Prohibition and Redressal) Act, 2013, an internal Complaints Committee has been re-constituted for redressal by aggrieved women employees of the Department on 24.11.2015. The Committee consists of three women employees, (including one Member from an NGO) and two male employees.

#### 11.4 SWACHH BHARAT ABHIYAN

As per policy guidelines of Government of India, *Swachh Bharat* programme has been implemented in the Department. During the year 2017 - 2018, two *Swacchta Pakhwadas* from 1.4.2017 to 15.4.2017 and from 16.10.2017 to 27.10.2017 have been observed in Department of Justice during which a number of activities i.e., beautification of lawn, plantation of trees inside campus, installation of modular furniture, extensive cleaning drive, weeding out of old records, disposal of junk/obsolete items and voluntary *Shramdaan* by officers/officials of Department of Justice etc. have been undertaken.

During the Financial Year 2017-18, Rs 17.00 lakh have been earmarked for works under *Swacchta* Action Plan such as renovation of toilets and canteen area, procurement of cleaning devices and other equipments.

#### 11.5 IMPLEMENTATION OF E-OFFICE

In keeping with the policies of the Government for moving towards paperless office, this Department has taken the initiative to operationalise eOffice. Special steps have been taken with help of NIC to impart training to all officers/officials on e-office for smooth implementation and optimal utilization of e-office system. As a result, Department of Justice is one of the top performing Ministries/Departments of Government of India who have moved into complete e-office platform.

### 12. Official Language Section

Official Language Section was set up in February, 2016 in the Department of Justice. It assists the department in discharging the responsibilities of implementation of Official Language policy of Union of India, the Official Language of Act, 1963, the Official Language Rules, 1976 and the compliance of directions/instructions issued by Department of Official Language from time to time. This section is also entrusted with work of promoting the progressive use of Hindi in the Department in addition to the translation of various documents from English to Hindi and vice versa.

#### 12.1. Collection and Review of Quarterly Progress Reports for Progressive use of Hindi:

To review the progress made in the use of Hindi, Quarterly Progress Reports for progressive use of Hindi were collected regularly from various sections of the department. They were reviewed and shortcomings found in the reports were intimated to the concerned sections and certain remedial measures were suggested. On the basis on these reports and the data submitted by the Sections, consolidated reports were prepared and sent to Department of Official Language. These reports were also reviewed in the Official Language Implementation Committee meetings of the Department.

**12.2 Meetings of the Official Language Implementation Committee:**

In the year 2017-18, the meetings of Departmental Official Language Implementation Committee (OLIC) were held in every quarter to review the implementation of progressive use of Hindi in the Department. Minutes of the meeting were circulated among all the members as well as officers and sections of the Department. This committee reviews the progress of Hindi in the Department and takes decisions thereon. In the meetings of this Committee, Annual Program issued by the Department Official Language, Ministry of Home Affairs for transacting the official work of the Union Government in Hindi is also discussed. In the year under reference, all four meetings of this committee were held regularly on 21-03-2017 (First), 29-06-2017 (Second), 26-09-2017 (Third) and 22-12-2017 (Fourth) respectively.

**12.3. Incentive Schemes for doing work in Hindi:**

There are two schemes being implemented in the department for promoting the use of Hindi. One is the scheme of noting and drafting in Hindi and the second is the scheme for giving dictation in Hindi. Under the scheme of Noting and Drafting, certificates and cash awards were given to 06 officers and employees of the Department by the Secretary (Justice) on Hindi Diwas organized in the Department on 14<sup>th</sup> September, 2017.

**12.4. Organizing of Hindi Workshops:**

With an object of promoting the progressive use of Hindi as an Official Language and create awareness about the Official Language Act, 1963, Rules & Regulations and usage of Hindi in Official Language and to guide and encourage the staff to work in Hindi, Hindi workshop were organized in the Department on 22-03-2017 (First), 28-06-2017 (Second), 25-09-2017 (Third) and 18&19 December, 2017 (Fourth) respectively. These workshops have helped in improving the percentage of Hindi Noting and Hindi correspondence of the Department.

**12.5 Translation of various Documents of the Department into Hindi:**

During the period under review, Annual Report, E-Book, Outcome Budget, Memorandum of Procedures of the appointment of Judges of Supreme Court and High Courts, appointment/transfer/promotion/leave etc letters pertaining to various Judges of various Courts, VIP reference, Cabinet Notes, Implementation Reports of the Assurances given in the Parliament Questions, various Documents pertaining to Parliamentary Standing Committee, Parliamentary Advisory Committee of the Department, Demands for Grants, NALSA, UNDP, Tele Law, PLVs and other documents of general nature which include Notifications, D.O. letters to be sent by the Hon'ble Minister, letters to be issued under the RTI Act, 2005, general orders of daily routine etc. were translated into Hindi.

**12.6 Hindi *Diwas* and Hindi Fortnight:**

In order to promote and encourage the implementation of Official Language in the Department, Hindi Divas was organized on 14<sup>th</sup> September, 2017. On the occasion, Hindi



Divas message of Hon'ble Minister of Home Affairs was read out in the presence of Hon'ble Secretary (Justice). In her address Hon'ble Secretary (Justice) urged the officers and officials of the Department to do their maximum work in Hindi. In addition to this, Hindi fortnight was organized in the Department from 15<sup>th</sup> September, 2017 to 30<sup>th</sup> September, 2017. During observance of Hindi Fortnight, four written competitions i.e. Hindi essay, Noting and Drafting, Hindi Typing and Hindi Dictation as well as two oral competitions i.e. poem recitation and extempore speech were organized. Total 73 officers / officials participated in these competitions. Four cash prizes (First: Rs.3000/-, Second: Rs.2000/-, Third: Rs.1500/- and Fourth: Rs.500/-) along with certificates were given away to the winners of each competition. Joint Secretary (Ad) gave away cash prizes and certificates to 24 participants in a prize distribution function organized on 17<sup>th</sup> October, 2017.

#### **12.7 Purchase of Hindi Books:**

During the year under reference a list of books written by renowned Hindi Writers and Prominent personalities was approved by competent authority and books for an amount of Rs.5000/- were purchased.

### **13. NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY**

Article 39A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all. Articles 14 and 22 (1) of the Constitution also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. In the year 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament which came into force on 9<sup>th</sup> November, 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 to monitor and evaluate implementation of legal aid programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act.

In every State, a State Legal Services Authority and in every High Court, a High Court Legal Services Committee has been constituted. District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees have been constituted in the Districts and most of the Taluks to give effect to the policies and directions of the NALSA and to provide free legal services to the people and conduct Lok Adalats in the State. Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to administer and implement the legal services programme insofar as it relates to the Supreme Court of India.

#### **13.1 Functioning of NALSA**

NALSA lays down policies, principles, guidelines and frames effective and economical schemes for the State Legal Services Authorities to implement the Legal Services Programmes throughout the country. Primarily, the State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees, etc. have been asked to discharge the following main functions on regular basis:

- To Provide free and competent legal services to eligible persons covered under section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987;
- To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes and
- To organize legal awareness camps.

### 1. Free Legal services

The Free Legal Services include:-

- a) Payment of court fee, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
- b) Providing service of lawyers in legal proceedings;
- c) Obtaining and supply of certified copies of orders and other documents in legal proceedings.
- d) Preparation of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings.

During the period from April, 2017 to September, 2017 more than 3.15 lakhs eligible persons have been benefited through legal aid services in the country.

### 2. Lok Adalats

Lok Adalat is a forum where the disputes/cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled amicably. Under this Act, an award made by a Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal lies against thereto before any court. Lok Adalats are being organized by the Legal Services Authorities weekly, fortnightly or monthly on regular basis. National Lok Adalat is also conducted for settlement of cases (both pre-litigation and post-litigation) in all the courts from the Supreme Court to the Taluk Courts. Permanent Lok Adalats have also been set up in most of the States to take up and settle disputes relating to public utility services.

Details of Lok Adalats organized and number of cases disposed of in these Lok Adalats during 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18 are as under:

(in lakh)

S.No.	Year	Lok Adalat		National Lok Adalat
		No. of Lok Adalats held in the country	No. of Cases settled Pre and post litigation	Total number of cases settled
1	2014-15	1.81	275.05	500.63
2	2015-16	1.68	152.99	196.78

3	2016-17	1.19	17.24	77.56
4	2017-18	0.56	9.59	*54.05
	Total	5.24	454.87	829.02

**Note:** The number of cases settled includes both pre-litigation and pending cases.

\*(Upto Dec 2017)

In addition, 11571 sittings of permanent Lok Adalats were held from April to September 2017 and 60043 cases were settled and total value settlement comes to Rs.105.8crore.

### 3. Legal Awareness programmes

As a part of the preventive and strategic legal aid, NALSA through the State Legal Services Authorities, conduct legal literacy programmes. In some States, Legal literacy programmes are conducted every year in schools and colleges and also for empowerment of women in a routine manner, besides the rural legal literacy camps.

### 4. 15<sup>th</sup> All India Meet of the State Legal Services Authorities (SLSA)

NALSA organised 15<sup>th</sup> All India Meet of the State Legal Services Authorities on 18<sup>th</sup>& 19<sup>th</sup> March, 2017 at Pravasi Bharatiya Kendra, Chanakya Puri, New Delhi. The objective of holding the meet was to check out strategies for infusing more vibrancy in the legal services institutions all over India and also discussed the ways and means to enable the needy to access justice and realisation of their rights.

The following important resolutions were passed in the said Meet:

SLSAs would take necessary steps in appointing Remand Advocates in all magisterial courts and sessions courts.

A three pronged approach shall be adopted in disposing of cases in the Lok Adalat. (i) in identifying cases, (ii) in associating lawyers of the parties and (iii) in having pre Lok Adalats conciliatory sittings.

The minimum number of visits of Panel Lawyers to jail clinics should be at least four days in a week.

All SLSAs shall appoint convicts as PLVs in jails for providing legal assistance to UTPs/convicts.

Regarding publicity in jail, permanent sign boards and hoardings to be put at conspicuous place to publicize about free legal services.

All SLSAs shall make efforts to obtain separate space in all jails to run legal services clinics.

Every SLSAs/UTs shall take steps to constitute permanent lok adalats within three months. It was also resolved that trainings be also imparted to chairpersons and members in permanent Lok Adalat through State Judicial Academies.

**5. Seminar on Welfare of Senior Citizens: Issues, Challenges and Way Forward**

A Seminar on “*Welfare of Senior Citizens: Issues, Challenges and Way Forward*” was organised by the Haryana State Legal Services Authority at Faridabad on 15<sup>th</sup> April, 2017. The theme of the Seminar was to discuss the issues relating to neglect and mal-treatment of Senior Citizens and the relevant law, programmes and policies relating to senior citizens. A campaign for senior citizens “You are not alone” was also launched.

**6. National Meet of Para Legal Volunteers**

NALSA has organised National Meet of Para Legal Volunteers on 29<sup>th</sup> & 30<sup>th</sup> April, 2017 at New Delhi. Union Law Minister, Mr. Ravi Shankar Prasad, emphasized the need for digital delivery system for quick access to justice for marginalised sections of the society.

**7. Legal Assistance Establishments**

With a view to facilitating easier access to information with regard to the legal services, Executive Chairman, NALSA inaugurated the first Legal Assistance Establishment in Delhi State Legal Services Authority on 17<sup>th</sup> May, 2017. The Delhi SLSA has named it as ‘*Nyaya Sanyog*’.

As of now, 25 Legal Assistance Establishment Centres are established. The remaining are in progress. The Legal Assistance Establishments provide to the beneficiaries quick information about their case status pending in any of the districts, legal aid & advice, and information about various schemes of NALSA, Central/State Governments, etc.

**8. Regional Conferences of State Legal Services Authorities**

For the first time Executive Chairman, NALSA has conducted conference of SLSAs at regional level. The regional conferences of north-eastern, northern, western and southern regions were held at Shillong, Chandigarh, Ahmedabad and Bengaluru respectively. The next conference of eastern region has been scheduled to be held at Kolkata. For the first time, senior state government officials have attended the regional conferences with the objective of improving coordination at local levels. The broad objectives of the meets were to discuss “Evaluation & Review of the Work-Performance of SLSAs on Legal Aid, National Lok Adalats and Implementation of NALSA Schemes & identification of the areas for expansion of the SLSAs activities under the NALSA Schemes”.

**9. National Seminar of “Law School Based Legal Services Clinics”**

A National Seminar of “Law School Based Legal Services Clinics” was held on 30th July, 2017.

**10. Observance of Legal Services Day - 2017**

NALSA observed the ‘Legal Services Day’ in association with the Delhi State Legal Services Authority in New Delhi on 9<sup>th</sup> November, 2017. Hon’ble Mr. Justice Dipak Misra, Chief Justice of India & Patron-in-Chief, NALSA was the Chief Guest. The best performing DLSAs and PLVs were commended. Apart from the above, the Hon’ble Chief Guest also released training module for PLVs and a 10 day pan India outreach programme ‘Connecting to Serve’ was launched.

\*\*\*\*



Hon'ble Minister of Law and Justice Shri Ravi Shankar Prasad addressing the press along with Hon'ble Minister of State, Law and Justice Shri P.P Chaudhary on three year achievements of Ministry of Law and Justice on 15<sup>th</sup> June 2017 at Jaisalmer House




Launch of Pro-Bono Legal Services by Hon'ble Minister of Law and Justice Shri Ravi Shankar Prasad on 20<sup>th</sup> April 2017 at Jaisalmer House



Hon'ble Justice M.B Lokur, Judge, Supreme Court of India and Shri Dr. Alok Srivastava, Secretary Justice chairing the eCourts Central Project Coordinators (CPC) Conference on 2<sup>nd</sup> December 2017 at Saket Court Complex



Hon'ble Minister of Law and Justice Shri Ravi Shankar Prasad , Hon'ble Minister of State, Law and Justice Shri P.P Chaudhary and Smt Snehlata Srivastava, Secretary (Justice) releasing the booklet on three year achievements of Ministry of Law and Justice on 15<sup>th</sup> June 2017 at Jaisalmer House



Hon'ble Minister of Law and Justice Shri Ravi Shankar Prasad and Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Chief Justice of India & Patron-in-Chief, NALSA at the celebration of 'Legal Services Day' in New Delhi on 9<sup>th</sup> November, 2017



Hon'ble Minister of Law and Justice Shri Ravi Shankar Prasad and Hon'ble Mr. Justice JS Khehar, Chief Justice of India at the National Meet of Para Legal Volunteers on 29<sup>th</sup> & 30<sup>th</sup> April, 2017 in New Delhi.






Hon'ble Prime Minister Sh. Narendra Modi, Hon'ble Chief Justice of India Justice Deepak Misra and Hon'ble Minister of Law and Justice Shri Ravi Shankar Prasad at Vigyan Bhawan on Constitution Day

**ANNEXURE-I**

(See chapter-1, para 2)

**ORGANISATION CHART OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS**



ANNEXURE – II

[See Chapter-I, Para 13 (B)]



**ANNEXURE-III**

[See Chapter-I, Para 13 (C)]

**Details of officers/officials Trained Under Hindi Teaching Scheme as on 31-12-2017**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Total No. of Officers and Operating Staff</b>	<b>No. of Staff knowing Hindi/ Hindi Trained</b>	<b>No. of persons yet to be trained in Hindi</b>
Legal Affairs	454	425	29
	4	5	6
	<b>Total No. of Typists (Court Clerks / LDCs)</b>	<b>No. of persons trained in Hindi Typewriting</b>	<b>No. of persons yet to be trained in Hindi Typewriting</b>
Legal Affairs	74	10	64
	7	8	9
	<b>Total No. of Stenographers</b>	<b>No. of persons trained in Hindi</b>	<b>No. of Persons yet to be trained in Hindi Stenography</b>
Legal Affairs	90	33	57

**ANNEXURE-IV**

(See Chapter-I, Para 13 (C))

**DETAILS OF THE PROGRESSIVE USE OF HINDI INCLUDING HINDI TEACHING SCHEME DURING THE PERIOD FROM**

**1<sup>ST</sup> JANUARY, 2017 TO 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2017**

1	2	3	4	5	6
Letters received in Hindi	Letters replied to in English	Letters replied to in Hindi	Total No of originating letters	Letters sent to in Hindi	Letters sent to in English
Legal Affairs 5569	No letter was replied to in English	4622	22006	14048	7958
7	8	9	10	11	12
Total No. of telegrams	Issued in Hindi	Issued in English	No. of documents issued both in Hindi & English	No. of documents issued in Hindi	No. of documents issued in English
---	---	---	3227	---	---
13	14	15	16	17	
Total No. of Computers	No. of Devnagari/ bilingual Computers	No. of English Computers	Total No. of Staff	No. of staff proficient in Hindi	
Legal Affairs 300	300*	---	Gazetted 141	Gazetted 79	Non gazetted 98
			313	79	98
			18	19	
			Rubber Stamps		
			Name Plates		
Bilingual 400	In English ---	Bilingual 60	In English ----		

**\*All computers have facility to work both in Hindi and English.**

ANNEXURE-V

[See Chapter-I, Para 23 (18)]

**Total number of Employees of I.T.A.T. including SCs, STs, OBCs, ExS, PH upto 31.12.2017**

GROUP A	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-serv				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
President	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vice President	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accountant Member	49	25	5	3	15	-	-	-	-	1 (O.H.)			
Judicial Member	43	24	7	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Registrar	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deputy Registrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistant Registrar	8	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Hindi Officer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>0</b>				<b>1</b>			
GROUP B	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-serv				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Senior P.S.	94	54	14	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Private Secretary	22	7	4	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Supdt	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Supdt.	10	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hindi Translator	6	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Head Clerk	49	31	7	3	7	-	-	-	-	-	1	-	-
Senior Accountant	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Librarian	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistant	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>115</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GROUP C	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-serv				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Upper Division Clerk	76	34	10	5	27	-	-	3	-	-	-	-	2
Steno Grade 'D'	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lower Division Clerk	116	59	25	8	24	-	-	1	-	-	-	2	-
Staff Car Driver	32	8	10	2	12	1	1	8	5	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>225</b>	<b>102</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-serv				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Multi Tasking Staff	196	91	44	19	42	0	3	8	11	1	0	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**ANNEXURE VI**  
**(See Chapter I, Para 25)**

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF GOVERNMENT SERVANTS AND THE NUMBER OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED AMONGST THEM AS ON THE 1<sup>ST</sup> JANUARY, 2018

**DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS**

Group	Total No. of Employees	Scheduled Castes	% of total employees	Scheduled Tribes	% of total employees	Other Backward Classes	% of total employees	Ex-service-men	% of total employees	Physically Handicapped	% of total employees
<b>Group 'A'</b>	101	19	18.81	5	4.95	12	11.88	-	-	3	2.97
<b>Group 'B'</b>	237	37	15.61	5	2.10	21	8.86	3	1.26	6	2.53
<b>Group 'C'</b>	145	29	20.00	8	5.51	12	8.27	-	-	2	1.37
<b>Group 'D' (excluding safaiwala)</b>	153	46	30.06	9	5.88	24	15.68	1	.65	2	1.30
<b>Group 'D' Safaiwala</b>	8	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	644	139	21.58	27	4.19	69	10.71	4	.62	13	2.01

\* The above statement includes information in respect of posts existing in Legislative Department, Law Commission and Central Agency Section also pertaining to cadres being controlled by this Department.

\* The above statement does not include information about posts in Income Tax Appellate Tribunal (ITAT).

(See Chapter I, Para 25)

**STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DURING THE YEAR 2017**

**Department of Legal Affairs**  
**Scheduled Castes**

Group of post	Total no. of vacancies	Total no. of vacancies reserved	Total no. of vacancies reserved		No. of SC candidates appointed	Short-fall	No. of ST candidates appointed against vacancies reserved for SCs in the third year of carry forward	No. of SC vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 10+11)
			Out of col.2	Out of col.3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Other than Lowest rung – Group 'A' and Lowest rung of Group 'A'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'B'	4	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Group 'C'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'D' (excluding Safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'D' (Safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Scheduled Tribes**

Group of post	Total no. of vacancies reserved	Total no. of vacancies reserved		No. of ST candidates appointed	Short-fall	No. of SC candidates appointed against vacancies reserved for STs in the third year of carry forward	No. of ST vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 19+20)
		Out of col.2	Out of col.3							
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Other than Lowest rung – Group 'A' and Lowest rung of Group 'A'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'B'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'C'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'D' (excluding Safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'D' (Safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Vacancies in r/o various posts belonging to cadres of CSS and CSSS are calculated by DoP&T. Only the vacancies belonging to Group 'C' Posts of CSCS cadre are calculated by this Department which are yet to be notified.



**Part II. – Posts filled by Promotion (on seniority-cum-fitness)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group 'A'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) Other than Lowest rung											
(ii) Lowest rung of Group 'A'											
Group 'B'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'C'	-	6	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Group 'D' (excluding Safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'D' (Safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'A'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'B'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'C'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'D'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'D' (Sweeper)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Part III – Posts filled by Promotion (by selection)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group 'A'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other than Lowest rung											
(ii) Lowest rung of Group 'A'											
Group 'B'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'C'	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'D' (excluding Safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'D' (Safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lowest rung of Group 'A'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'B'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'C'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'D'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'D' (Sweeper)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ANNEXURE-VII**

(See Chapter-1, Para 25)

**REPRESENTATION OF FEMALE EMPLOYEES**

GROUPS	DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS (Including Legislative Department)		INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL (ITAT)	
	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	NO. OF FEMALE EMPLOYEES	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	NO. OF FEMALE EMPLOYEES
GROUP A	101	18	105	6
GROUP B	237	80	196	62
GROUP C	145	4	225	56
GROUP D	161	15	196	11
<b>TOTAL</b>	<b>644</b>	<b>117</b>	<b>722</b>	<b>135</b>

ANNEXURE-VIII

(See Chapter-1, Para 26)



ANNEXURE-IX

(See Chapter-1, Para 27)






Annexure – X

[See Chapter-II, Para 2]

**ORGANISATION CHART OF THE LEGISLATIVE DEPARTMENT (MAIN)  
(As on 01.01.2018)**

**SECRETARY**

**[Dr. G Narayana Raju]**



**Annexure-XI**

(See Chapter- II, Para 43)

**STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF GOVERNMENT SERVANTS AND THE NUMBER OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED AMONGST THEM AS ON 1st JANUARY, 2018.**

Group	No. of Employees	SC	%	ST	%	OBC	%	Ex-Service-men	%	Physically Handicapped	%
A	73	9	12.3	4	5.4	13	17.8	-	-	2	2.7
B	105	19	18.1	2	1.9	15	14.3	-	-	3	2.9
C	116	36	31.0	8	6.9	14	12.1	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>294</b>	<b>64</b>	<b>21.8</b>	<b>14</b>	<b>4.8</b>	<b>42</b>	<b>14.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1.7</b>

**Annexure-XII**

(See Chapter- II, Para 43)


**REPRESENTATION OF FEMALE EMPLOYEES IN THE LEGISLATIVE DEPARTMENT  
AS ON 01-01-2018**

<b>GROUP</b>	<b>Total No. of Employees</b>	<b>No. of Female Employees</b>	<b>Percentage (%)</b>
Group 'A'	73	14	19.2
Group 'B'	105	39	37.1
Group 'C'	116	13	11.2
Total:-	294	66	22.4



Annexure-XIII

[See Chapter-III, para 1]



RKK : Shri Rajinder Kumar Kashyap  
 AKL : Shri Ajay Kumar Lal

GRR : Shri G. R. Raghavender  
 SCB : Shri Subash Chandra Barmma